खण्ड-386, अंक-3
शुक्रवार, 5 चैत्र, शक संवत् 1910
(25 मार्च, 1988 ई0)

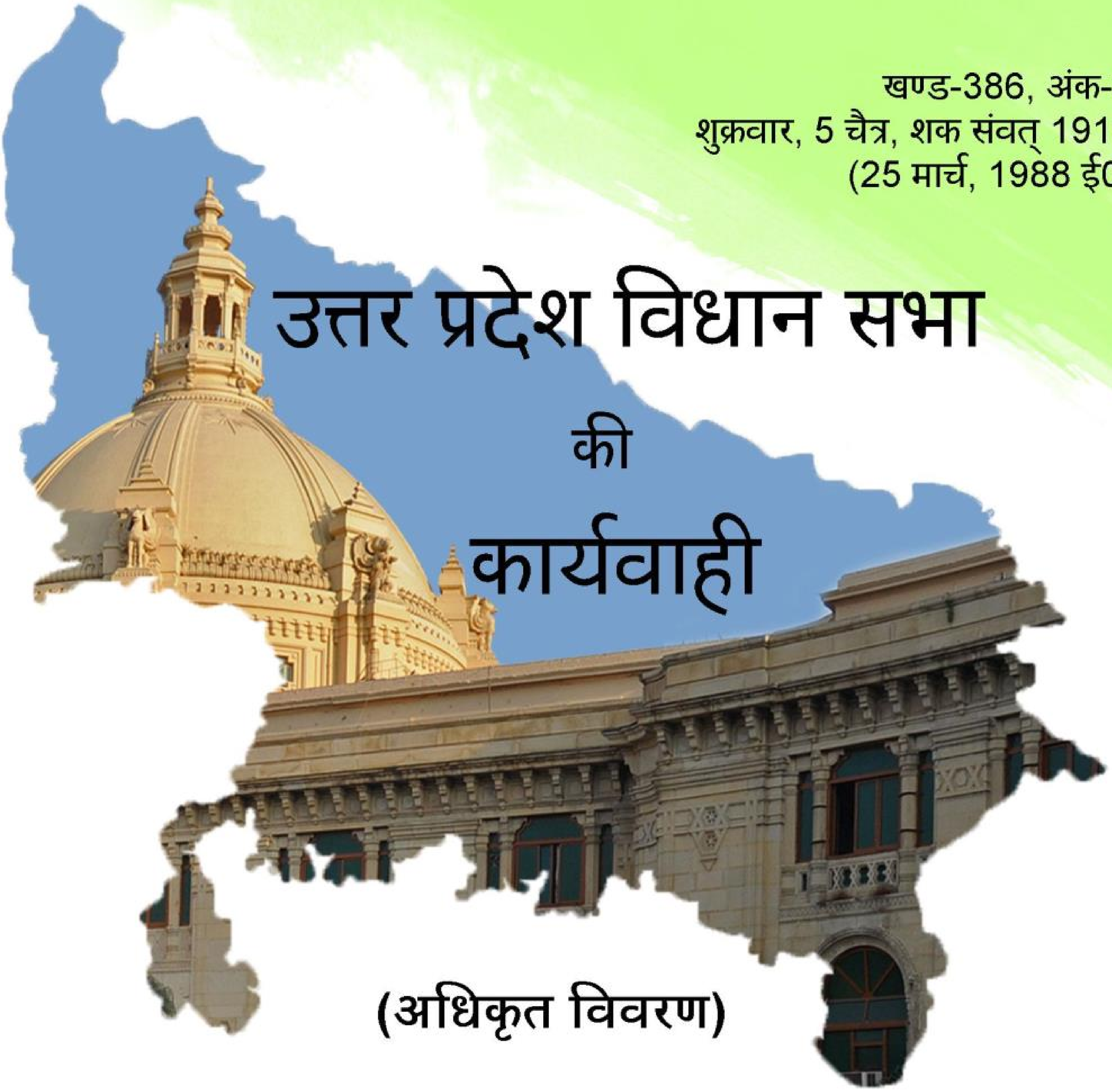

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 386 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1-74
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	74-75
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	75
नियम 301 की सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	75-76
जिला वाराणसी के सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय में एल0टी0 प्रशिक्षण सत्र शून्य किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	76
उन्नाव जिला अन्तर्गत "लोनी ड्रेन" की खुदाई में किए गए घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
इलाहाबाद जनपद की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
नियम 301 की सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)	77-78
पंजाब में इमरजेंसी लगाई जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना ..	78
सदन की कार्यवाही अनियमित तथा अव्यवस्थित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	78-88
भारत की नागरिकता बदल कर विदेशों में बसे हुए भूतपूर्व विधायकों को पेंशन दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	89-92
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	93-95
सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री श्री भोला शंकर मौर्य के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ..	95
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना	96-114
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 47--पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	114-168
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	168-184
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	184
विश्वविख्यात मान मन्दिर वेधशाला, वाराणसी में पी0ए0सी0 के जवानों द्वारा किए गए अवैध कब्जे के सम्बन्ध में वक्तव्य	184-185
मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन	185
नत्थियां	186-194

विधान सभा सचिवालय बिहार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	बैजनाथ, श्री	देवरिया
अलमेल अम्माल, कुमारी	बस्ती	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
आर0एन0 पाठक, श्री	कानपुर	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	राजीव कुमार सिंह, श्री	बारावंकी
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गौरखपुर
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
जागन सिंह, श्री	रामपुर	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
द्वारिका प्रसाद, श्री	बस्ती	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
धनराज यादव, श्री	बस्ती	हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर		

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रान्तों के राजस्व मंत्रियों की भूमि समस्या पर बैठक

**1—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में सभी प्रान्तों के राजस्व मंत्रियों की कोई आवश्यक बैठक केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न प्रान्तों की भूमि समस्या को लेकर हुयी थी? यदि हां, तो बैठक के मुख्य-मुख्य विचारणीय बिन्दु क्या थे तथा उन पर प्रदेश सरकार ने अपनी क्या राय दी है?

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (अम्मार रिजवी)—

भूमि सुधारों की प्रगति तथा उनके कार्यान्वयन में सामने आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु दिनांक 25 नवम्बर, 1986 को राज्यों के राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन में मुख्य-मुख्य विचारणीय बिन्दु निम्नवत् थे :—

(1) मध्यवर्तियों की समाप्ति ।

(2) सीलिंग कानून का कार्यान्वयन ।

(3) जोतों की चकबन्दी ।

(4) सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त, भू-अभिलेखों के रख-रखाव की समीक्षा तथा राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण।

(5) वृक्षारोपण योजना हेतु परती भूमि का संज्ञान।

(6) भू-अर्जन अधिनियम का कार्यान्वयन।

नवम्बर, 1986 में प्रदेश व्यापी राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सम्मेलन में विचारणीय बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा कोई राय नहीं दी जा सकी।

प्रदेश के गांवों में आबादी का बन्दोबस्त तथा नक्शों के सुधार की मांग

**2—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गांवों में आबादी का बन्दोबस्त तथा उसके नक्शे का सुधार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनने से अब तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सहमत हैं कि आबादी का बन्दोबस्त न होने से आये दिन गांवों की आबादी की भूमि की मिल्कियत के सम्बन्ध में उठ रहे विवादों के निपटारे में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो सरकार गांवों की आबादी के बन्दोबस्त कराने के सम्बन्ध में निकट भविष्य में तत्काल क्या कार्यवाही करने जा रही है?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

वर्तमान राजस्व कानूनों में ग्राम आबादी के बन्दोबस्त कराये जाने तथा ग्राम आबादी के अन्दर निर्मित भवनों आदि पर स्वामित्व के इन्द्राज किये जाने से संबंधित प्राविधान न होने के कारण ग्राम आबादी का बन्दोबस्त नहीं कराया जा सका है। ग्राम आबादी की भूमि के स्वामित्व से संबंधित विवादों के निस्तारण में कठिनाइयों के संज्ञान हेतु शासन द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। ग्राम आबादी के बन्दोबस्त के प्रयोजनार्थ विधिक व्यवस्था किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह 1865 के बाद जैसा कि आप स्वयं भी जानते हैं कि यह आराजी बन्दोबस्त नहीं हुआ है और इसके न होने से जगह-जगह आये दिन रास्ते व अन्य बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं और इस संबंध में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अभी हमने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाने का प्राविधान है। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। आये दिन इसमें विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, क्या माननीय मंत्री जी इसकी महत्ता को देखते हुए आबादी बन्दोबस्त अब कराये जाने का प्राविधान करेंगे ? और यदि करायेंगे तो कब तक करा देंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर मैंने अपने मूल उत्तर में ही कहा है कि अभी कोई विधिक व्यवस्था नहीं कराई जा सकी है और जैसा कि सभी को मालूम ही है कि राजस्व संहिता में यह विधिक व्यवस्था सम्मिलित है, उसके लागू हो जाने पर स्वतः इस समस्या का और सम्मानित सदस्यों की चिन्ता का समाधान हो जायेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि यह राजस्व संहिता को कब तक लागू करा देंगे, क्या यह विधान सभा के पटल पर है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों को स्वयं अवगत ही है कि यह मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है, एक्टिव कंसीडरेशन में है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

कब तक आ जायेगा, कुछ निश्चित समय तो बता दें।

श्री महेन्द्र भाटी–

यह सही है मान्यवर, इसका एक समय निश्चित हो जाना चाहिए माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें कि इसके आदेश आप कब तक करा देंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, जैसा कि सभी को विदित है, इसकी महत्ता को देखते हुए निश्चित ही क्रांतिकारी निर्णय ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी कदम किसी भी समय धड़ाके से उठेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बन्दोबस्त के उपरान्त चीरा-चारी कराने की कृपा करेंगे, नं0 (2) क्या माननीय मंत्री जी हमारी जमीनों की जो जोत-बहियां पुरानी हो चुकी हैं, उनको पुनः नया बनवाने की कृपा करेंगे साथ ही इसके नजरिया व नक्शे प्रमाणित व दुरुस्त कराने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

राजस्व संहिता विधेयक में इन सारी चीजों का प्राविधान है और जहां तक मैं समझता हूं कि इसका बहुत अधिक इन्तजार आप लोगों को नहीं करना होगा बहुत ही उच्च स्तर पर इस ओर निर्णय होने जा रहे हैं, जिनसे आप सबकी तमाम समस्याओं का निदान हो सकेगा।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को अवगत होगा कि गांव के जो तालाब हैं और जो गड़हियां हैं, उनका इनक्रोचमेन्ट बढ़ रहा है, तालाबों में मकान बन रहे हैं और अगर कोई प्रधान उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, तो वह कहते हैं कि मुझे तकसीम में मिला है, तो जो झंझट हैं, उनको देखते इस काम को शीघ्र करा देना चाहिए और मंत्री जी इसकी तारीख आज ही घोषित कर दें, चकबन्दी चल ही रही है, वही इस काम को कर देंगे, तो माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट कर दें कि इस काम को इसी साल करा दिया जायेगा कोई निश्चित अवधि दे दें आपकी घोषणा के बाद ही इनक्रोचमेंट समाप्त हो जायेगा।

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य जो अपनी विनोद प्रिय शैली के लिए विख्यात हैं; आज उन्होंने बड़ी गम्भीरता से जिज्ञासा व्यक्त की है तो मैं उनकी चिन्ता से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं और माननीय सदस्य के संज्ञान में यह बात है कि ग्राम समाज की संपत्ति का रजिस्टर होता है, लेकिन मकान आदि का कोई रजिस्टर नहीं होता है, तो जब कोई मामला फंसता है, या झगड़ा होता है तो सिविल कोर्ट में जाता है तो उसमें समय लगता है, इसी समस्या के समाधान के लिए शासन ने ऐसी राजस्व विधि के बनाने का फैसला लिया है कि वह सरल हो, सुबोध हो, सम्यक हो और प्रासंगिक हो ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शासन बहुत गम्भीरता से विचार कर रहा है, सवा सौ वर्ष हो गये हैं और अभी निर्णय ही कर रही है और आज जब प्रश्न आया है तो कह रहे हैं कि विचार कर रहे हैं। अगर आप इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, तो आज ही घोषणा करें कि एक वर्ष में या 6 महीने में इस काम को शुरू करवा दिया जायेगा, इसकी तो घोषणा माननीय मंत्री जी कर ही सकते हैं। वह घोषणा करें कि अगले वित्तीय वर्ष में इस काम को शुरू कर दिया जायेगा।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने कहा कि सर्वोच्च स्तर पर मामला विचाराधीन है और किसी भी समय इस पर निर्णय हो सकता है।

श्री अशोक बाजपेई–

मान्यवर, जब गांव सभा के आवासीय स्थानों का सर्वेक्षण किया जायेगा, तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि गांव सभा के आवासीय पट्टों के सम्बन्ध में बहुत हेरा फेरी जो होती है और विवाद होते हैं, तो क्या पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति बनायेंगे जिससे गांव सभा के पट्टों की भूमि जो बार-बार आवंटित की जाती है, क्या इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति बनायेंगे कि पट्टे के प्राप्त हो जाने के बाद उसका अधिकार बना रहे, जब तक कि कोई विशेष कारण न हो।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जब इसको पास कर दिया जायेगा तो यह सारे मामलों का समाधान हो जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जिस तरह से मंगल देव विशारद कमेटी गठित की गयी थी और उससे जमीन का सर्वेक्षण कराया था, तो क्या सरकार उसी प्रकार से इस सम्बन्ध में कोई समिति गठित करके पूरे प्रदेश में आबादी की जमीन का सर्वेक्षण कराकर एक साल में या 6 महीने में रिपोर्ट दे, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने बहुत ही गहन विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उसमें मैं यही कह सकता हूं कि राजस्व संहिता विधेयक पारित होने और लागू होने के बाद यदि कोई विधिक कठिनाई फिर भी रह जायेगी जिसमें किसी आयोग के गठन की आवश्यकता पड़े तो उस समय आपकी भावनाओं का आदर करते हुए इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे यह कहना है कि आप गोलमोल उत्तर मत दीजिये। इसमें स्पष्ट उत्तर आना चाहिए। आपने कहा कि सर्वोच्च स्तर पर विचार हो रहा है। इस सर्वोच्च स्तर की कोई कमेटी है, उसमें कोई अधिकारी है या मिनिस्टर हैं, यह आप बतायें कि कौन-कौन उस सर्वोच्च समिति में हैं?

श्री गौरी शंकर–

शासन के सर्वोच्च स्तर पर विचार हो रहा है यही स्पष्ट स्थिति है। माननीय सदस्य शासन में रह चुके हैं, प्रबुद्ध हैं जानकार हैं, वरिष्ठ हैं वे जानते हैं कि सर्वोच्च स्तर पर यह मामला विचाराधीन है। इसे और खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप पोल समझ गये हैं . . . . । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि दो जनपदों के बीच जो नदियां बहती हैं और उनका मार्ग बदल जाने के कारण ऐसी जमीन विवाद का कारण बन जाती है, तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी पैमाइश कराकर उसकी हदबन्दी कराने का आश्वासन देंगे?

श्री गौरी शंकर–

मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों संकोच कर रहे हैं मान्यवर, कदाचित यह प्रश्न इससे सम्बन्ध नहीं रखता फिर भी आपने आदेश दिया है मैं बताना चाहता हूं कि जब नदियों की धारायें हर वर्ष बदलती रहती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं जिससे जमीन विवादित हो जाती है। कभी-कभी यहां तक होता है कि एक नदी दो जिलों की सीमा रेखा होती है और उसकी धारा बदलने से दूसरे जिले के लोग ऐसी जमीन को अपने कब्जे में करने की स्थिति में होते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी तक की विधिक व्यवस्था यह रही है कि नदी की धारा के साथ जमीन पर स्वामित्व का अधिकार नहीं बदलता और जिसकी जमीन रहती है उसी पर उसका अधिकार रहता है, यदि दूसरे जिले में जाने के बाद उनको वह जमीन न मिले लेकिन विधिक स्थित यही है।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, आबादी के सर्वेक्षण की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन उस आबादी पर जो मकान बने हैं वह 122 (ब) और 115 (सी) से परेशान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी जमीनों पर जो मकान बने हैं उन पर ऐसे लोगों को स्वामित्व देने का आप आश्वासन देंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जिस प्रकार से ग्राम सभा की आबादी की भूमि यदि गांव सभा में निहित है और रिक्त है तो उसको अधिकृत रूप से हटाने का वाद तहसीलदार के यहां दायर किया जा सकता है। मैंने कहा कि कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है कि ग्राम समाज की जमीन पर मकान बनाने वालों का इन्द्राज नहीं होता है और न उनकी कोई विधिक प्रक्रिया है। मान्यवर, इस राजस्व संहिता अधिनियम के लागू होने के पश्चात् माननीय सदस्यों की सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। . . . (व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो शहरों के बारे में पूछते हैं उनको सुविधा मिल जाती है लेकिन हम जब गांव की बात करते हैं तो समय नहीं मिलता है। मेरी समझ में नहीं आता है हमसे क्या चिढ़ है ?

श्री अध्यक्ष–

गांव और शहर मिलकर प्रान्त बनता है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

हम भी संरक्षण चाहते हैं, हमसे क्या दुश्मनी है ?

श्री अध्यक्ष–

आगे चल कर पूछ लीजिये।

श्री सुखपाल पाण्डे–

हमें अभी पूछना है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आगे बढ़ गया हूं अब मैं इजाजत नहीं देता। (व्यवधान) आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

आप इजाजत दीजिये। आपने झगड़ा कराने का काम शुरू कर दिया है आप चाहते हैं कि सदन में अव्यवस्था पैदा हो, जिससे आपको फुर्सत मिल जाय और माननीय त्रिलोक चन्द्र जी को यहां बैठा दें।

श्री अध्यक्ष–

जो आप बोल रहे हैं नहीं लिखा जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मथुरा जनपद के भू-अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय में जनपद के किसानों की अध्याप्ति की गई भूमि का मुआवजा

*1–श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद के भू-अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय में जनपद के किसानों की विभिन्न विभागों द्वारा अध्याप्त की गई भूमि के मुआवजे की रकम जमा है और मुआवजे की रकम का 10 प्रतिशत कार्यालय कर्मियों को देने पर ही मुआवजा संबंधित किसानों को मिलता है? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के मुआवजे का पैसा भूमि अध्याप्ति अधिकारी मथुरा के कार्यालय में जमा है और उसको अब तक संबंधित किसान को न देने के क्या कारण थे? शासन इस मुआवजे को संबंधित किसानों को कब तक दे देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। केवल निम्न योजनाओं के लिए ही अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर जमा है :–

1–मथुरा अलवर बड़ी रेलवे लाइन–
रुपया–48,24,590-84 पैसा

2–राया ब्यूही बिजारी डूने–
रुपया–10,00,000-00 पैसा

3–पब्बीपुर नाले के निर्माण हेतु :–
रुपया–71,000-00 पैसा

कुल योग रु0 58,95,590-84 पैसा

प्रतिशत धनराशि लेकर प्रतिकर के भुगतान की कोई शिकायत या रिश्वत लेने का प्रकरण जिला प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। उक्त जमा धनराशि में से रेलवे विभाग के लिए अधिग्रहीत भूमि का अग्रिम अनुमानित 80 प्रतिशत प्रतिकर कृषकों ने, प्रतिकर की दर कम होने का कारण बताकर, लेने से इन्कार कर दिया है। प्रकरण में अभी अभिनिर्णय की घोषणा नहीं की गयी है। अभिनिर्णय की घोषणा एक विधिक प्रक्रिया है। इसकी घोषणा के उपरान्त ही भूमि का पूर्ण प्रतिकर देय होगा। शासन स्तर पर इसकी जांच की जा रही है कि कृषकों को उचित दर पर प्रतिकर मिले। शेष उक्त दो योजनाओं के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही में विज्ञप्तियों का प्रकाशन विचाराधीन है। विज्ञप्तियों के प्रकाशन तथा अभिनिर्णय की घोषणा के उपरान्त ही प्रतिकर का भुगतान सम्भव होगा।

गाजियाबाद की तहसील दादरी में चकबन्दी में संशोधन

*2—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के द्वारा माननीय सदन में दिनांक 1-4-86 को नियम 301 के अंतर्गत दी सूचना के उत्तर के अपने अर्द्ध शा0 पत्र सं0—25/106/86-408 दिनांक 22 अगस्त, 86 में माना है कि तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के 132 ग्रामों में चकबन्दी जोत अधिनियम की धारा 4 कः 2:14:2 के अंतर्गत प्रकाशन में कुछ समय लगा जिससे बैनामों के दाखिल-खारिज में वैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई? क्या यह सही है कि उपरोक्त पत्र में यह भी आश्वासन दिया गया था कि उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 5—ग:2 में संशोधन कराना आवश्यक है एवं शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो 30 अगस्त, 1980 से प्रारम्भ चकबन्दी जो अपने अंतिम दौर में है, विचाराधीन संशोधन कब तक करा दिया जायेगा?

श्री गौरी शंकर—

जी हां।

संदर्भित पत्र दिनांक 22-8-86 में कथन का आशय यह था कि माननीय सदस्य द्वारा इंगित कठिनाई का निराकरण बिना विधिक प्राविधान किये सम्भव नहीं है जिस पर शासन विचार कर रहा है। अभी संशोधन में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है जिसमें समय लगेगा।

श्री महेन्द्र भाटी—

मान्यवर, 30 अगस्त, 1980 से तहसील दादरी में चकबन्दी चालू है तब से यह बैनामे हुये थे, जिनमें अधिकतर दाखिल खारिज नहीं हो पाये । आपने 22 अगस्त, 86 को स्पष्ट माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि अधिनियम में जल्दी ही संशोधन करा दिया जायेगा ताकि उनका बैनामा हो जाय। लेकिन अभी फिर कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। तो इस 8 वर्ष के दौरान यह सब बैनामे बेकार हो जायेंगे। हम चाहते हैं कि कि इसमें जितनी जल्दी हो सके करा दें इसमें और कितनी देर लगेगी?

श्री गौरी शंकर–

मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न भी विचाराधीन है । यह व्यवस्था संबंधी मामला माननीय सदस्य की चिन्ता स्वाभाविक है । इससे बैनामों में दिक्कत होती है और परेशानी भी होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें विधिक व्यवस्था करानी होती है। चकबंदी अधिनियम की धारा 5 ग(2) में परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें संशोधन प्रस्तावित है और मामला शासन के विचाराधीन है, कभी भी निर्णय हो सकता है क्योंकि इसका परीक्षण हो रहा है इसलिए थोड़ा समय लग जाता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सन् 1980 से शासन के विचाराधीन है और यह विधिक व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह यहां विधि बनाने के लिए आये हैं या भैंस चराने आये हैं। सन् 80 से किसानों का नुकसान हो रहा है एक आध साल में इनका समय भी खत्म हो जायेगा आखिर यह कब तक करायेंगे। आपको इनको निर्देशित करना चाहिए क्योंकि किसानों का नुकसान हो रहा है और यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि निश्चित तिथि की घोषणा करें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, आपने कृपापूर्ण संज्ञान में यह बात है, चिंतन एक निरन्तर प्रक्रिया है, एक शाश्वत प्रक्रिया है । यह बात शासन के समक्ष है कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर थोड़ा समय लगता है।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, 22 अगस्त 86 को आपने अपने उत्तर में कहा कि उक्त अधिनियम में संशोधन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । दो वर्ष हो गये इसके बावजूद भी इसको आप नहीं कर पाये हैं इस बैनामे की समस्या की वजह से चकबंदी भी ठीक से नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि आप निश्चित बता दें कि कितनी जल्दी करा देंगे। और किस स्तर पर यह प्रकरण विचाराधीन है।

श्री गौरी शंकर–

यह कहना कि दो वर्ष में नहीं कर पाये इसलिये आगे भी नहीं कर पायेंगे यह कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। कुछ तकनीकी बारीकियों को समझ कर इसमें संशोधन होना है और उनका परीक्षण हो रहा है इसलिये ऐसे मामलों में थोड़ा समय लग जाता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपको अच्छी तरह ज्ञान है, हम आपका संरक्षण चाहते हैं क्योंकि जब शासन कहता है कि मामला विचाराधीन है तो वह सरकार का आश्वासन हो जाता है और आश्वासन के संबंध में नियम है कि 6 महीने में उसकी पूर्ति हो जानी चाहिए। 1986 में आश्वासन दिया था, आज फिर आश्वासन दे रहे हैं, इसलिये आपका संरक्षण चाहता हूं कि आश्वासन पर आश्वासन कब तक देते रहेंगे, कोई सीमा होगी, नियमों के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, वह शासन में रह चुके हैं, आपसे रास्ता मिला है, आपने सिखाया है, इसलिये चिंतन कर रहे हैं।

नवम्बर, 1987 से 15 दिसम्बर, 1987 तक उत्तर प्रदेश में शीत लहर से मरने वालों की संख्या

*3–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1987 से 15 दिसम्बर, 1987 तक उत्तर प्रदेश में शीत लहर से मरने वालों की संख्या कितनी हो गई थी? मृतकों के पते क्या हैं? क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या इनके नाम उनके जिले की असहायों (डिस्टीच्यूट) की सूची में हैं? यदि हां, तो उनको कब, क्या और कितनी सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्नगत अवधि में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु शीत लहर से हुई जिसका नाम व पता निम्न प्रकार है:–

श्री गुरु प्रसाद,
पुत्र श्री राम सुमिरन,
आयु–25 वर्ष,
निवासी ग्राम–पकरी,
तहसील–डुमरियागंज,
जनपद–बस्ती,
मृत्यु का दिनांक 14-12-87

उक्त मृतक का नाम असहायों की सूची में नहीं था। उक्त मृतक के पिता को 5,000 रु0 की धनराशि सहायता के रूप में दिनांक 31-12-87 को दे दी गई।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम खुरौना व कुशही जनपद गाजीपुर की फसल को पुलिस द्वारा कटवाये जाने की शिकायत

*1–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खुरौना व कुशही तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर के काश्तकारों की सैकड़ों एकड़ रबी की एक फीट ऊंची फसल को जनपद-वाराणसी एवं गाजीपुर के स्थानीय प्रशासन की देखरेख में पुलिस और पी0 ए0 सी0 तैनात कर जबरदस्ती उलटवाने के विरुद्ध जांच कराने से संबंधित नेता विरोधी दल विधान सभा द्वारा मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक 4489/ने0 वि0 द0/85 दि0 26-12-85 तथा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्रांक 4490/ने0 वि0 द0/85 दिनांक 26 दिसम्बर, 85 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, यह मामला बड़ा गम्भीर है, इसमें तत्कालीन नेता विरोधी दल, श्री मुलायम सिंह यादव ने शासन को पत्र लिखा, मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री जी को 26 दिसम्बर, 1985 को पत्र लिखा है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसके बाद प्रश्न इस पर मेरा स्वीकार हुआ और प्रथम सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार को निश्चित हुआ, वह बार नहीं आया, इसलिए उत्तर नहीं मिला। फिर यह प्रश्न प्रथम सत्र 1988, द्वितीय मंगलवार के लिए स्वीकार हुआ और जवाब आया कि "सूचना एकत्र की जा रही है", उसके बाद आज उत्तर दे रहे हैं कि "सूचना एकत्र की जा रही है"। यह मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न 1986 का है जो किसानों की एक फीट ऊंची हरी फसल को जबरदस्ती पुलिस और पी0 ए0 सी0 से जुतवा दिया और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और पूरा जवाब नहीं दिया गया एवं दो-दो बार उत्तर दे रहे हैं कि "सूचना एकत्र की जा रही है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूचना प्राप्त हुई और कब तक कार्यवाही हो जायेगी?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो गम्भीरता व्यक्त की है और तत्कालीन नेता विरोधी दल, श्री मुलायम सिंह यादव ने पत्र लिखा था, उसकी गम्भीरता के अनुसार पूरे प्रकरण की छानबीन करके उत्तर देने की बात है, हल्का फुल्का उत्तर देना ठीक नहीं है।

श्री सुखपाल पांडे–

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि मा0 अध्यक्ष ने यह निश्चित किया था कि एक बार सूचना एकत्र करके सूचना दी जायेगी, दुबारा नहीं। इसलिए क्या मंत्री जी आपके निर्देश के बावजूद भी बार-बार मंत्री जी यह सूचना दे रहे हैं कि "सूचना एकत्र की जा रही है," इसलिए क्या आप उनको दूसरे निर्देश आप देंगे?

श्री अध्यक्ष–

यही निर्देश काफी है।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडे–

मैंने जो कहा है उसके संबंध में क्या मंत्री जी को आप दूसरा निर्देश देंगे?

श्री अध्यक्ष–

आपने पूछा, मैंने कहा कि मेरा निर्देश काफी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह सूचना का सवाल नहीं है, दो जनपदों के बार्डर के विवाद का सवाल है। यह गम्भीर मामला है। ऐसा नहीं कि मंत्री जी इसकी जानकारी नहीं रखते। उन्हें पहले तो यह देखना चाहिए था कि फसल किसने बोई, फसल किसने कटवा ली। उत्तर तो यह देंगे नहीं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ए0आर0 ओ0 भेजकर जो जमीन निस्तारण है, तत्काल करवा दें और जो पी0 ए0 सी0 और पुलिस ने फसलों को कटवाया उस पर कार्यवाही करें और किसानों की क्षतिपूर्ति कीजिए?

श्री गौरी शंकर–

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो यहां प्रश्न उठाया और माननीय नेता हमारे यादव जी का उल्लेख किया, उसकी गम्भीरता को समझते हुए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, यह सारी बातें . . (व्यवधान) नेतागण और सदस्यगण की चिन्ता के अनुरूप इसकी गम्भीरता को देखते हुए पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि यद्यपि सूचना एकत्र की जा रही है, इसमें चाहूंगा कि तत्काल कार्रवाई भी हो, जिससे जब आगे बात आवे तो हम आपको बता सकें कि क्या कार्यवाही हुई है?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि इसमें इनके आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना सिर्फ आपसे है। यह सवाल सदन में आज आ गया होता तो सूचना प्राप्त हो गई होती और सन्तोष कर लेता। मान्यवर, यह प्रश्न सन् 1987 में उठाया गया, 87 में स्थानान्तरित हुआ और उसके बाद 88 में आया, 11 मार्च, 88 इसमें स्थानान्तरित हुआ और आज फिर यह आ रहा है। 87 से स्थानान्तरित होकर आ रहा है। उसका उत्तर मिल रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मंत्री जी से कुछ नहीं चाहता हूं, आपसे इसका निर्देशन चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

यह क्या बात हुई ? स्थगन की बात नहीं, आपके स्थगन करने का सवाल ही नहीं है यह स्थगित तो अपने आप हो गया है, मंत्री जी ने जिस प्रकार का उत्तर दिया है। . . . (व्यवधान) मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं . .

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे इलाहाबाद में, जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि गांव-गांव में जाकर मंत्री निराकरण करेंगे मौके पर ही। तो क्या वहां पर भी आप दि स्पाट जाकर, अधिकारियों को ले जाकर समस्या का निदान करने की कृपा करेंगे?

श्री गौरी शंकर—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो कहा है, उनकी भावना का आदर करते हुए, उसी हिसाब से कार्यवाही की जाएगी, दिखवा लूंगा। माननीय सदस्यों का शासन की सदस्यता में कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सचेत हूं, उसमें कोई ढिलाई हुई तो उसको देख लूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कहते हैं कि शासन में रह चुके हैं तो चाहे हम हों चाहे वर्मा जी हों, चाहे कोई हो, तो जब हम शासन में थे तो आप कहां थे? दूसरी बात मान्यवर, माननीय राजित जी ने पत्र के बारे में बताया कि, तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह पत्र कब मिला? उस पर क्या कार्यवाही की गई? तीसरी बात मान्यवर, इन्होंने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो यह प्रश्न तो खुद ही स्थगित हो जाएगा, इसको आप क्या स्थगित कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री गौरी शंकर—

माननीय नेता जी का मैं आदर करता हूं, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

परगनाधिकारी, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को परिवार कल्याण का कोटा पूरा करने में लगा देने से राजस्व के काम का पिछड़ जाना

*2—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि परगनाधिकारी, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को परिवार कल्याण का कोटा पूरा करने में लगा देने से राजस्व का काम पिछड़ गया है और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकदमों की सुनवाई भी उक्त अधिकारीगण पूरे उ0 प्र0 में समय पर नहीं कर पा रहे हैं? यदि हां, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

श्री गौरी शंकर—

जी नहीं।

परगनाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार इस योजना के अन्तर्गत मात्र प्रेरणा एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण कार्य करते हैं जिससे उनके मौलिक दायित्वों के निस्तारण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हृदय नारायन दीक्षित—

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि परगनाधिकारी, नायब तहसीलदार नसबन्दी में प्रेरणा देते हैं। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि नसबन्दी कार्यक्रम के दौरान परगनाधिकारी के कार्यालय बन्द रहते हैं? परगनाधिकारी स्वयं जाकर नसबन्दी के केस खोजते हैं जिससे कचहरी का काम रुक जाता है।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, विभाग की कार्यप्रणाली ज्यादा जरूरी है वह वादों का निस्तारण करते हैं और इसी के साथ-साथ परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम है इसमें भी विभाग योगदान करता है । वादों का निस्तारण ठीक तरह से हो इसके लिए हमने पांच लाख की आबादी जहां है वहां पर अतिरिक्त तहसीलदार और जहां सात लाख की आबादी है उस पर एक अतिरिक्त एस0 डी0 ओ0 की नियुक्ति कर दी है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि इन्होंने बताया कि नसबन्दी के कार्यक्रम में तहसीलदार व नायब तहसीलदार प्रेरणा देते हैं तो जिन वादों का उनको निस्तारण करना होता है वह उन वादों का निस्तारण कैसे करते हैं ? वह तो पड़े रहते हैं । तो इस बारे में मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, कोई भी ऐसा सन्दर्भ शासन के संज्ञान में नहीं है कि किसी वाद पर कोई असर नसबन्दी कार्यक्रम की वजह से पड़ा है जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार है वह प्रेरणा देते हैं वह प्रेरक हैं, जो उनके नीचे के कर्मचारी हैं वह उनके कार्य को देखते हैं । इस कार्य में तो आपको भी योगदान करना चाहिए, इसमें हमारे विभाग का तो योगदान है ही आपका भी योगदान रहेगा तो बेहतर रहेगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिवार कल्याण के कार्यक्रम का कोटा पूरा करने के लिए तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार पट्टा देने का लालच देकर लोगों की नसबन्दी करवा रहे हैं । जबकि पट्टा देने का अधिकार ग्राम प्रधान का है । तो क्या यह जो गलत तरीके से पट्टे दिए जा रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरीशंकर–

मानयवर, शासन के संज्ञान में ऐसी कोई चीज नहीं है । अगर ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में लायेंगे तो स्पष्ट रूप से देखा जायगा । भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर और अधिकारियों की देखरेख में भूमि आबंटन का कार्य होता है । यदि नसबन्दी के कार्य में कोई अपना योगदान देता है और नियमानुसार पट्टा पाता है तो यह तो अच्छी बात है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

एस0 डी0 एम0 गोण्डा ने पट्टा करवाया है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत तहसीलदार और परगनाधिकारी प्रेरणा देने जाते हैं तो इस प्रेरणा का खाता क्या है ? दूसरा सवाल यह है कि इन अधिकारियों के नसबन्दी के कार्य में लगे होने के कारण वादों के निस्तारण में जो ढिलाई हो रही है तो क्या किसी एक जनपद की जांच करवायेंगे कि एक साल में वहां पर कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ ?

श्री गौरीशंकर–

मान्यवर, जहां तक प्रेरणा की व्याख्या का सवाल है, तो उनको बताया जाता है कि परिवार बड़ा रखने में कष्ट होगा जनसंख्या इसी तरह से बढ़ेगी तो आदमी को एक दिन खड़े-खड़े सोना पड़ेगा, यह सब चीजें उनको बतायी जाती हैं । जहां तक दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा है कि कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ तो प्रश्न की व्यापकता को देखते हुए यह बताना सम्भव नहीं है कि एक साल में कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ । यह आप अलग से पूछ लीजिए जवाब दे दूंगा ।

मान्यवर, आप स्वयं इसकी गम्भीरता को जानते हैं कि जो लोग उसमें योगदान नहीं देंगे, तो उनकी प्रतिकूल प्रविष्टि दी ही जायगी और अच्छा काम करेंगे, तो उनकी सराहना की जायगी । तो जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनकी हम सराहना करते हैं ।

गोरखपुर जनपद की तहसील फरेन्दा विकास खण्ड धानी के अन्तर्गत ग्राम चौका टोला कोगर के निवासियों को बाढ़ से बचाने हेतु अन्यत्र बसाने का प्रस्ताव

*3–श्री हर्ष वर्धन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील फरेन्दा, विकास खण्ड धानी के अन्तर्गत ग्राम चौका के टोला कोगर के निवासियों को बाढ़ से बचाने हेतु अन्यत्र बसाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त टोले के निवासी कब तक अन्यत्र बसा दिये जायेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

जी हां ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर ने सूचित किया है कि प्रभावित परिवार वर्षा से पूर्व ग्राम नवाडीह में बसा दिये जायेंगे ।

श्री हर्षवर्धन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्नगत गांव के लोगों को लगभग 4 वर्ष पूर्व अन्यत्र बसाने हेतु शासन के पास प्रस्ताव आया था और शासन से विलम्ब से स्वीकृति मिलने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन गांवों के लोगों को वर्षा के पूर्व निश्चित रूप से रिहैबिलिटेट कर दिया जायगा । मान्यवर, इस ग्राम के 55 परिवारों की निकटवर्ती ग्राम नवाडीह में बसाने हेतु 2.38 एकड़ भूमि अर्जन हेतु धारा-4 की नोटिस की अधिसूचना दिनांक 10-9-83 के गजट में तथा धारा-6 की अधिसूचना दिनांक 20-7-85 को प्रकाशित कराई गयी, प्रतिकर भुगतान हेतु शासन द्वारा रु0 70,300 की धनराशि जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 2-5-87 को उपलब्ध करायी गयी थी । प्रभावित परिवारों को बसाने की कार्यवाही पूरा कराने के लिए जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 26-6-1987 को निर्देशित कर दिया गया था । अब जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में उक्त भूमि पर रबी की फसल खड़ी है और फसल कट जाने के पश्चात् अध्याप्ति भूमि का सीमांकन करके ग्राम चौका के टोला कोगर के प्रभावित परिवारों को ग्राम नवाडीह में वर्षा के पूर्व बसा दिया जायेगा ।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री ने प्रथम में तो यह कहा कि 1985 में जमीन उपलब्ध करा दी और 1987 में धन उपलब्ध करा दिया, तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक इन लोगों को वहां पर बसाने में क्या कठिनाई रही, विलम्ब क्यों हुआ ? जिन अधिकारियों ने यह कार्य नहीं किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ? धन उपलब्ध कराने के बाद उन ग्रामीणों को वहां पर न बसाने का क्या कारण है ? आप इस उपेक्षा के लिए, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? वर्षा से पूर्व आप कह रहे हैं कि उनको वहां पर बसा दिया जायगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्षा से पहले आप किस तारीख तक उनको वहां पर बसा देंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जिलाधिकारी ने शासन को सूचित किया है कि वर्तमान समय में उक्त भूमि पर रबी की फसल खड़ी है और फसल कट जाने के पश्चात् अध्याप्त भूमि का सीमांकन करके ग्राम चौंका के टीला कोमर के प्रभावित परिवारों को ग्राम नवाडीह में वर्षा के पूर्व बसा दिया जायेगा । आप स्वयं माननीय शर्मा जी इस बात से सहमत होंगे कि इस समय रबी की फसल खड़ी है और बरसात का महीना माना जाता है, जुलाई और बरसात के बीच उनको वहां पर बसा दिया जायगा ।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जमीन सुरक्षित करा दिया, हमारा कहना है कि उस जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें गेहूं की फसल खड़ी है, इसे माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कब्जा इनका हुआ नहीं, तो बरसात के पूर्व कैसे ये उन लोगों को वहां पर बसा देंगे, जबकि गेहूं की फसल खड़ी है और कब्जा इनका है नहीं, वे लोग बेचारे बाहर पड़े हुए हैं । उन्हें मान्यवर, किस तारीख तक अब बसा दिया जायगा ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, शासन की शक्ति पर इनको शक नहीं करना चाहिए, जब कह दिया कि बसा देंगे, तो बसा देंगे ।

[शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वेद विज्ञान संस्थान नामक के स्वामी महर्षि महेश योगी द्वारा अवैध रूप से भूमि पर कब्जा

*1–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सालारपुर खादर तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद की खसरा सं0 761, 779, 783, 848, 885, 887, 893 कुल रकबा 4-15 बीघा है, पर वेद विज्ञान संस्थान नामक के स्वामी महर्षि महेश योगी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो जिन हरिजनों को आवासीय पट्टे इस भूमि पर दिये गये थे, उनकी कोई अन्यत्र व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर–

खसरा नं0 779 रकबा 0-16-0, 848 रकबा 0-12-0, पर महर्षि योगी ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है जिसके विरुद्ध तहसीलदार न्यायालय दादरी में वाद संख्या-724/83 ग्राम सभा बनाम शम्तशेर गिल पुत्र श्री करनैल सिंह निवासी ई-9 डिफेंस कालोनी, नई दहेली (महर्षि आश्रम सालारपुर खादर नोएडा) विचाराधीन है। खसरा नं0-761, 783, 855, 887, 893 कागजात में रास्ता दर्ज है, जो मौके पर भी रास्ता है। महर्षि आश्रम का कोई अवैधानिक कब्जा नहीं है। हरिजनों के आवंटन के कब्जे की कार्यवाही उपरोक्त वाद के निस्तारण के तुरन्त बाद की जावेगी।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, नोएडा में महर्षि महेश योगी ने बिना शासन की अनुमति के 700 एकड़ जमीन खरीदी है और जिसको यह रास्ता बता रहे हैं, वह चहार दीवारी के अन्दर बन्द है। मान्यवर, शिड्यूल कास्ट के लोगों का, हरिजनों का पट्टा हुआ था 80 में जहां पर महेश योगी ने कब्जा कर रखा है उसके सम्बन्ध में यह किस धारा के अन्दर यह दादरी तहसील में मामला लम्बित है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में इस बात को बताया है, तहसीलदार दादरी के न्यायालय की वाद संख्या भी बताई और बताया कि मामला लम्बित है, अपने मूल उत्तर में। मान्यवर, जो रास्ता दर्शाया गया है उस पर महर्षि महेश योगी का कोई कब्जा नहीं है और जो जमीन का आंशिक भाग बताया उस पर उनका आंशिक कब्जा बताया गया। इस पर जितनी गम्भीर चिन्ता माननीय सदस्य को है, उससे कम शासन को नहीं है। इसकी गम्भीरता के अनुरूप हमने इसके उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दे दिये हैं और जैसे ही सारे के सारे तथ्य आ जायेंगे उसे आपके माध्यम से माननीय सदस्य गण को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि किस धारा के अन्तर्गत मामला दादरी तहसील में लम्बित है?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने विक्रमादित्य पाण्डेय जी को बुलाया है।

विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, इसी सत्र में लगभग 12 प्रश्न हुए जिसमें माननीय सदस्यों ने यह जानना चाहा कि किन कारणों से, जो जमीन किसानों की ले ली जाती है, उसका समय से भुगतान नहीं होता है, माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि हम कर दिये हैं या कर रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जैसे ही जमीन ली जाय ठीक उसी समय किसान को उसका भुगतान कर दिया जाय, अगर भुगतान समय से पहले नहीं होता है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और विलम्ब के लिए किसानों को उसका सूद दिलवायेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, हरिजनों के लिए भूमि का आवंटन हो और उन्हें जमीन मिले, इस बात की चिन्ता शासन को भी है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मेरा प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने जवाब दिया कि आप खड़े हो गये, यह मुनासिब नहीं है।

आप पाण्डे जी का प्रश्न सुन लें।

श्री गौरी शंकर–

यदि आप उसकी पुनरावृत्ति करा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब जमीन किसानों की ली जाती है तो उसका भुगतान समय के साथ नहीं हो पाता है। श्रीमन, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जैसे ही जमीन ली जाय, ठीक उसी समय किसानों को भुगतान करा दिया जाय ? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर भुगतान करने में विलम्ब होता है तो विलम्ब करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और विलम्ब के लिए किसानों को सूद दिलवायेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जिसने धीरज के साथ मेरे प्रश्न सुना उत्तर को भी कृपया उसी धीरज के साथ सुनवा दें। मान्यवर, यह नीति विषयक प्रश्न है, यद्यपि वह इसकी सीमा से अलग है। मान्यवर, जब जिसकी जमीन लेते हैं, यदि जमीन की तत्काल आवश्यकता होती है तो आप स्वयं अवगत होंगे कि धारा 17 के अंतर्गत हम उस जमीन को तत्काल ले लेते हैं और 15 दिन के अन्दर उसके 80 प्रतिशत कम्पेनसेशन का भुगतान दे देते हैं। यह तो हो गया धारा 17 के अन्दर और 20 प्रतिशत का जो प्रतिकर है, उसको सामान्य प्रक्रिया में देते हैं। यदि किसी परिस्थिति में धारा 4 होने के बाद, अभिनिर्णय करने की घोषणा के बाद कोई एजेंसी के द्वारा प्रतिकर को नहीं दिया जाता है तो शासन ने इतना एक क्रांतिकारी कदम उठाया है कि एक वर्ष तक विलम्ब के लिये 9 प्रतिशत ब्याज और उससे अधिक के विलम्ब के लिए 15 प्रतिशत ब्याज दिया जायगा और आगे के वर्षों में इसी तरह से 15 प्रतिशत ब्याज दिया जाता रहेगा और इसके लिए अतिरिक्त पूरे प्रतिकर का 30 परसेंट सोलेशियम उस एजेंसी को देना पड़ेगा। जिसकी जमीन जाती है, उसको पैसा मिलने में विलम्ब हो तो उसका पैसा और बढ़ जायगा और बढ़ता चला जायगा और इन्ट्रेस्ट बढ़ता चला जायेगा। शासन ने यह जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, इसकी सराहना विपक्ष की ओर से अवश्य होनी चाहिए।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो जमीन काश्तकार की ली जाती है उसका मुआवजा तो देर से मिलता ही है, लेकिन उसी के साथ-साथ काश्तकार के नाम लगी रहती है और उसका लगान 4-6-10 साल तक देना पड़ता है । क्या मा0 मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे कि भूमि अधिगृहण करते ही काश्तकार के नाम से जमीन खारिज करके लगान लेना बन्द कर दिया जाय?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मा0 विशारद जी इस सदन के बड़े ही वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं कदाचित अपनी बात स्वत: स्पष्ट नहीं कर सका अत: पुन: कहना चाहूंगा कि यदि किसी की जमीन तत्काल लेने की जरूरत होती है तो धारा 17/4 में लेकर 15 दिन में उसका 80 परसेंट पैसा दे देते हैं । सामान्य प्रक्रिया में जो जमीन ली जाती है तो जिस दिन एवार्ड घोषित किया जाता है उससे एक साल का विलम्ब होने पर 9 परसेंट और उससे अधिक के विलम्ब के लिये 15 परसेंट ब्याज दिया जाता है । इसके अतिरिक्त संबंधित एजेंसी को 30 परसेंट सोलेशियम भी देना होता है। इसकी विधिक व्यवस्था कर दी गयी है। यदि कोई विशेष मामला आपके संज्ञान में हो तो बतावें उसमें शासन की नीति के अनुसार विधिक कार्यवाही करेंगे और प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे।

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो महेश योगी ने 700 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीद ली है तो क्या जोत हदबन्दी नियम के तहत क्या उस योगी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । दूसरे मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं, तो जांच किससे करा रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि उच्च स्तरीय जांच सही ढंग से हो, उसको गम्भीरता से समझते हुए, मैं समझ रहा था कि इसकी जांच जिसके आर्डर आज ही दिये हैं, मैं सोच रहा था कि राजस्व परिषद् स्तर पर कराई जाय, यदि राजस्व परिषद् से भी अधिक सक्रिय जांच की आपको किसी से उम्मीद हो तो आप जिससे बतावें उससे करा लेंगे।

प्रदेश के निराश्रित एवं निर्धनतम व्यक्तियों को अन्न व वस्त्र मुफ्त देने की योजना

*2–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार ने प्रदेश के निराश्रित एवं निर्धनतम व्यक्तियों को अन्न व वस्त्र मुफ्त देने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है, कब से लागू की गई है और उससे कितने लाभान्वित होंगे तथा प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च किया जायेगा?

श्री गौरी शंकर–

जी हां। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक निराश्रित एवं असहाय व्यक्ति को प्रति माह 10 किग्रा0 गेहूं तथा वर्ष में एक बार 50 रु0 तक के मूल्य के वस्त्र निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। यह योजना नवम्बर 1987 से लागू की गयी है। इस योजना से प्रदेश के 61,810 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में रु0 97,64,200 की धनराशि जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि निराश्रित और असहाय की परिभाषा क्या है, यह परिभाषा सरकार ने क्या रखी है, किसको निराश्रित और असहाय मानते हैं और दूसरे इस प्रदेश में कोई सर्वे सरकार ने कराया कि कितने निराश्रित और असहाय व्यक्ति हैं, यदि कराया गया तो किसके द्वारा कराया गया?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, असहाय निराश्रित के बीच में परिभाषा और अंतर की बहुत पतली रेखा है, जिसे आप स्वयं समझते हैं, यही कारण है कि जब यह योजना लागू की गयी तो शासन ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया अपने जी0ओ0 में यह कहते हुए कि इससे पहले जो असहाय योजना में आने वाले लोग थे विधवा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन आदि उनको नहीं मिल रही है, उनको वरीयता दी जाय। यहां निराश्रित से आशय जिसका कोई धनी-धोड़ी नहीं है, न उसे कोई लड़का रोटी देता है, न बहू रोटी देती है, गांव में पड़ा-पड़ा बिलख रहा है, बदन से जर्जर है किसी वक्त मर न जाय, इसलिये इस योजना के अन्तर्गत अन्न और वस्त्र की व्यवस्था की गयी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मंत्री जी ने जो यह बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 97,64,200 रु0 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि जनपदवार कितना-कितना धन आवंटित किया गया है? और जनपद पौड़ी गढ़वाल चमोली गढ़वाल में अब तक कितना धन दिया है ?

श्री गौरी शंकर–

विभिन्न जनपदों में कितनी संख्या और धनराशि की बात माननीय सदस्य ने पूछी है, मान्यवर मेरे पास पूरे प्रदेश की सूची है, आपकी अनुमति हो तो बता दूं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने पर्वतीय अंचल का संदर्भ दिया तो सबसे पहले मैं वहां का जिक्र कर दूं। अल्मोड़ा में ऐसे व्यक्ति पाये गये 2114 धनराशि दी गयी 3 लाख 33 हजार चमोली में पाये गये 980 धनराशि दी गयी। लाख 55 हजार पिथौरागढ़ संख्या 193 धनराशि दी गयी 31 हजार, गढ़वाल 1086, धनराशि दी गयी, 1 लाख 72 हजार, टेहरी गढ़वाल संख्या 3382, धनराशि 5 लाख 33 हजार, देहरादून 32 धनराशि दी गयी 6 हजार। इसके अतिरिक्त दूसरे जनपदों की पूरे प्रदेश की सूची मेरे पास उपलब्ध है। मुजफ्फरनगर 2897 धनराशि 4 लाख 54 हजार, गाजियाबाद 661, धनराशि दी गयी, 1 लाख 56 हजार।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह तो पूरा भाषण करने लगे।

श्री गौरी शंकर–

मैं तो खुद कह रहा था कि सूची बहुत लम्बी है, लेकिन आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो बता रहा हूं।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस सूची की एक-एक प्रति माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों के पास भिजवा दें, तो उपयुक्त रहेगा।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैंने जानना चाहा था कि असहाय और निराश्रित की परिभाषा क्या है, बजाय उसके बताने के माननीय मंत्री जी लम्बा चौड़ा भाषण यहां पर देने लगे। मान्यवर, किसी भी योजना को लागू करने के पहले सरकार पूरे पूरे तथ्यों को पता लगाती है। मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने असहाय और निराश्रित लोग हैं, अगर आपने इस संबंध में सर्वे कराया है, तो वह किस एजेन्सी से सर्वे कराया है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जनपदवार सूची मेरे पास है पूरे प्रदेश की, उसका टोटल मैं बता दे रहा हूं 61 हजार 8 सौ 10, सर्वे कराने के बाद ही तो यह किया गया है। धनराशि दी गयी 97,64,200 रु0।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो कतिपय जिलों की संख्या और वहां आवंटित धनराशि का जिक्र किया उसके हिसाब से किसी जनपद में 200 व्यक्ति ऐसे पाये गये किसी में 300 ऐसे पाये गये। मैं यह जानना चाहूंगा कि किस वित्तीय वर्ष में इसका सर्वे कराया गया और क्या ऐसा भी है कि रुपया पहले आवंटित किया गया और सर्वे बाद में हुआ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसमें विधवा, विकलांग और वृद्धों को शामिल नहीं किया गया है इसमें आप कन्फ्यूज न हों। विकलांग, वृद्धा और विधवा वह अलग से पेंशन पाने वाले लोग हैं। जो लोग छांटे गये हैं, लेकिन धनाभाव के कारण उनको हम आर्थिक सहायता नहीं दे सके हैं इस योजना में उनको वरीयता दी गयी है और उनको सर्वे के बाद ही यह धनराशि दी गयी है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि मंत्री जी भाषण न दें। मैं जो पूंछ रहा हूं सिर्फ उसका उत्तर दे दें। मान्यवर, शासन की तरफ से विधवाओं, विकलांगों और वृद्धों के लिए पेंशन देने का प्राविधान है। यहां पर माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी बैठी हुई हैं, उनमें मैंने कई शिकायतें भी की हैं। परन्तु यह देखा जा रहा है कि यह जो पेंशन के लिये प्राविधान है, वह मिलती नहीं है बहुत से लोग बाकी हैं। इनके दफ्तरों में उनके प्रार्थनापत्र पड़े रहते हैं। उसका निस्तारण नहीं होता है और अगर इनमें से किसी को

पेंशन मन्जूर हो भी जाती है तो वह भी मिलती नहीं है। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम निराश्रितों को पैसा देने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो यह योजना बनाई है, वह स्थाई है या सिर्फ चुनावों तक के लिये यह योजना बनाई गई है?

श्री अध्यक्ष–

आप हरिजन समाज कल्याण मंत्री से पूछ रहे हैं या राजस्व मंत्री से ?

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री से पूछ रहा हूं।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय राज किशोर सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने प्रतिबंध लगाया है कि मैं भाषण न दूं। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात निवेदन कर दूं कि शासन की कोई भी नीति न कोई मंशा ऐसी है कि जो चुनाव के लिये लागू की गई हो, जैसा कि माननीय सदस्य को शंका है। शासन ने इन निराश्रित लोगों के लिए इस योजना को इसलिए बनाया है कि यह लोग भूखों न मरें और उनको किसी तरह का कष्ट न हो। इस योजना के अन्तर्गत 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है और 50 रुपये के कपड़े भी दिये जाते हैं। यह योजना शासन ने शुरू की है और जब तक कोई चीज अन्यथा आपके संज्ञान में न आये तब तक यह मानकर चलें कि यह योजना चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सुदामा रूपी दरिद्रों को यह सहायता दी है और इस सरकार ने भगवान कृष्ण जैसा काम किया है, इसके लिये आप लोगों को यहां पर मेजें थपथपाकर इस बात का स्वागत करना चाहिये और बधाई देनी चाहिये।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो असहाय और निराश्रित लोगों की आपने लिस्ट पढ़ी और आंकड़े यहां पर दिये हैं, इस चीज का सर्वे किस सन् में कराया गया था ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मेरी निश्चित जानकारी है कि बरेली जनपद में इस मद में कोई पैसा वितरित नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितना पैसा बरेली जनपद के लिये आवंटित किया है और उसमें कितना बंटा है और किस विभाग के माध्यम से इस पैसे को बांटा गया है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, बरेली में निराश्रितों व असहायों की संख्या 1099 है तथा यहां पर 1,74,000 रुपए दिये गये हैं। यह कहा गया है कि उक्त धनराशि बंटी नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्य की बात को सही मानकर इसको दिखवा लूंगा और यदि नहीं बंटी होगी तो इसके वितरण को सुनिश्चित करवाऊंगा।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 10 किलो राशन प्रत्येक निराश्रित व्यक्ति को दिया जाता है और 50 रुपए कपड़े के लिए दिया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जैसा कि सभी जानते हैं कि वहां पर शीत काफी पड़ती है, वहां पर 50 के बजाय 100 रुपए देने पर मंत्री जी विचार करने का आश्वासन देंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। मैं सोच रहा था कि माननीय सदस्य अनाज की बात करेंगे। मैं केवल यह कहूंगा कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से ही वहां के लोग इतने हार्ड एण्ड टैम्पर्ड हो गये हैं, शायद उन्हें 50 रुपए के कपड़े की आवश्यकता भी नहीं होगी।

*3–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

*4–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[दिनांक 18-3-88 को अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 2 एवं ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

शिवपुर दीयर एवं मोहन छपरा माधोमठ एवं नगवा में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित गांवों के निवासियों को सहायता दिया जाना

*5–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि बलिया विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 3-4-87 को शिवपुर दीयर एवं 6-4-87 को मोहन छपरा माधोमठ एवं नगवा में भीषण अग्निकाण्ड से सात व्यक्ति मरे, सैकड़ों खलिहान में रखे लगभग एक लाख बोझ एवं पूरा गांव जलकर नष्ट हो गया तथा वहां के लोग भूख से मरने की स्थिति में हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित गांव के 14 हजार व्यक्तियों के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री गौरी शंकर–

प्रश्नगत अग्निकाण्ड हुए थे और प्रभावित परिवारों को भुखमरी से बचाने व राहत प्रदान करने हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह सहायता तथा प्रधान मंत्री कोष से सहायता प्रदान की जा चुकी है और भुखमरी की स्थिति नहीं रह गई है।

प्रभावित परिवारों की सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी है और बैंक ऋणों के सम्बन्ध में उत्पीड़क कार्यवाही भी नहीं की जा रही है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, आप मेरे प्रश्न को देखने का कष्ट करें । उसमें मैंने साफ-साफ लिखा है कि खलिहानों में रखे लगभग एक लाख बोझ एवं पूरा गांव जलकर नष्ट हो गया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह सहायता तथा प्रधान मंत्री कोष से सहायता दी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खलिहान में जले हुए लोगों को जो नुकसान हुआ है, उनको आपने कोई सुविधा दी अथवा नहीं ? दूसरा यह कि 3-4-1987 व 6-4-1987 को जो अग्निकाण्ड हुआ, उसमें कितने हरिजन घर जले, जो आज भी खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 4 गांवों का उल्लेख किया है और 3-4-1987 व 6-4-1987 के अग्निकाण्ड का भी उल्लेख किया है। मान्यवर, शिवपुरी में 438 घर प्रभावित हुए हैं, जो इसमें दर्शाया गया है, अब हरिजन कितने थे, इसका पता तो है नहीं । वैसे भी मान्यवर, जब आग लगती है तो वह फिर हरिजन व दुर्जन को नहीं देखती है, वह सब को भस्म करती है। मोहन छपरा में 13, माधोमठ में 287 व नगवा में 442 लोग प्रभावित हुए हैं। मैं यह स्वयं मानता हूं कि काफी क्षति हुई है, जो क्षति हुई है वह 82 लाख 80 हजार के करीब है। आपको प्रसन्नता होगी कि 11 लाख 24 हजार रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है, व प्रधान मंत्री कोष से 3 लाख, 86 हजार रुपए, कुल मिलाकर 14 लाख 70 हजार के करीब धनराशि दी जा चुकी है। वैसे मान्यवर, आग से जो जनसंख्या प्रभावित होती है, उन्हें कम्पेनशेसन मिलने का तो कोई प्राविधान होता नहीं है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने तो सीधा सा प्रश्न किया था कि खलिहान में जले हुए लोगों को आपने सहायता दी अथवा नहीं दी ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी देने का कष्ट करें ।

श्री गौरी शंकर–

प्रत्येक ग्राम सभा में जितनी क्षति हुई उसका उल्लेख कर दिया, वितरित गृह अनुदान प्रति परिवार बता दिया, प्रधान मंत्री कोष से सहायता कितनी मिली, वह भी बता दिया, आप चाहें तो टोटल बता दूं। अलग से खलिहानों में जो क्षति हुई है, उसका कम्पेन्शेसन देने की कोई नीति नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इससे नीति सम्बन्धी मामला पैदा हुआ । क्या यह सही है कि सरकार के द्वारा अग्निकाण्डों में, जिसमें विनाश होता है, गृह अनुदान 500 रु0 और अहेतुक सहायता 200 रु0 दिये जाने का प्राविधान है, लेकिन अगर खलिहान जल जाय तो उसकी जो बर्बादी हुई है, उस हेतु कोई सहायता नहीं दी जाती है ? खलिहान जलने से भी काश्तकार बर्बाद हो जाता है, क्या इस पर भी विचार करने की कृपा करेंगे कि खलिहान जल जाने की दशा में कोई ऐसी सहायता दी जाय ?

श्री गौरी शंकर–

सच कहा माननीय गुप्त जी ने, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने स्थिति को और स्पष्ट करने का अवसर दिया । जो आपने कहा 500 रु0 प्रति परिवार गृह अनुदान दिया है, तो गृह अनुदान 1000 रु0 प्रति परिवार और अहेतुक सहायता 500 रु0 प्रति परिवार के हिसाब से दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ये समय नष्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा था कि क्या सरकार खलिहान के जलने के बारे में भी कोई व्यवस्था करेगी?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह समय नष्ट करने का आरोप गलत है, किसी सेन्टेन्स में कामा भी होता है, फुल स्टाप भी होता है सबजेक्ट भी होता है और प्रेडीकेट भी होता है। उत्तर देने में समय तो लगेगा ही

मैंने बताया कि यह तो दिया गया, लेकिन खलिहानों में रखी गयी जो फसल थी, उसकी क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है। आपने चिन्ता व्यक्त की, यह नीति विषयक मामला है, माननीय सदस्यगण की भावनाओं का आदर किया जायगा, जब विचार होगा तो इन बातों को भी संज्ञान में लिया जायगा ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, अग्निकाण्ड की घटना हुई, जो धन जिलाधिकारी, बलिया को भेजा, वह उन लोगों तक पहुंचा नहीं । क्या मेरी बात को सच मानते हुए कि जिलाधिकारी, बलिया ने अग्निकाण्ड में सरकार द्वारा भेजे गये पैसे को जले हुए परिवारों के लिए दिया था, उनको नहीं दिया गया, क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

यदि माननीय सदस्य ऐसी कोई जानकारी देंगे कि पात्र को न मिलकर अपात्र को मिला है, तो जांच करा लेंगे ।

श्री अचल सिंह–

जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है अग्निकाण्ड में, उनको मात्र 1000 रु0 दिया जाता है, क्या धनराशि और बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है और जो अभी तक की नीति है उसके अनुरूप और वित्तीय संसाधनों के अनुरूप इतना ही दे पा रहे हैं, जो कि हमारी भावनाओं का प्रतीक है कि हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं।

श्री हरदेव–

मुझे निश्चित जानकारी है कि माननीय मंत्री जी ने राहत की भावना से 2 लाख 50 हजार रु0 दिया है, जो गरीबों को दे देना चाहिए था। खुशी की बात है कि सरकार की ओर से और माननीय मंत्री जी की ओर से इसमें कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिलाधिकारी, बलिया ने उस पैसे को बांटा या नहीं, इसकी जांच कराके दिखवा लें?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य, हरदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य है, इसे हम दिखवा लेंगे, जिनको नहीं मिला होगा, उनको मिल जाय, यह जानकारी हम सुनिश्चित करवा लेंगे।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या एवं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर विचार

*6–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है ? साथ ही गैर पंजीकृत शिक्षित तथा गैर शिक्षित बेरोजगारों की अलग-अलग संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध सरकारी आंकड़े वर्तमान में क्या हैं? क्या सरकार इन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध न होने तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

दिनांक 31 दिसम्बर 1987 को उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों की सजीव पंजी पर उपलब्ध बेरोजगारों की कुल संख्या 29,58,793 है।

रोजगार कार्यालयों द्वारा गैर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या एकत्र नहीं की जाती है। अतः गैर पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत् प्रयत्नशील रही है और अब भी है। प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत कराकर उन्हें रोजगार दिलाने की कार्यवाही की जा रही है तथा श्रम विभाग (प्रशिक्षण प्रखण्ड) के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवायोजकता बढ़ायी जा रही है और स्वतः रोजगार योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जाती है।

इसके अतिरिक्त शासन के उद्योग विभाग द्वारा संचालित शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को पैकेज सहायता द्वारा अपना उद्योग लगाने, सेवा, उद्योग अथवा व्यवसाय/कारोबार प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित और इन्हें कार्यरत कराया जाता है।

बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के प्रयासों को तथा शासन के विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही स्वतः रोजगार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की नयी योजना चलाना शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्भव नहीं है।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि दिसम्बर, 1987 तक उत्तर प्रदेश में 29,58,793 लोगों का पंजीकरण रोजगार कार्यालय में था। तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को उनमें से रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्री सईदुल हसन–

पिछले तीन सालों में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है . . .

(मंत्री जी अपने पत्रादि में उत्तर को तलाशते रहे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप पूरा ही पढ़ दीजिये, जवाब आ जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, ये तैयार हो कर नहीं आये हैं।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

अभी आप कह देंगे कि प्रश्नों का समय समाप्त हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मैंने प्रश्नों का समय समाप्त नहीं किया है, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री सईदुल हसन–

32 हजार 436 को ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के दो पार्ट थे––एक बेरोजगार के संबंध में और दूसरा खेतिहर श्रमिक मजदूरों के सम्बन्ध में जो कि गैर पंजीकृत होते हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस स्पीड में यह रोजगार दिला रहे हैं उससे रोजगार मिलने वाला नहीं है। जो लोग गैर पंजीकृत हैं उनकी संख्या जानने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या उपाय कर रही है कि उनको रोजगार उपलब्ध हो जायं ?

श्री सईदुल हसन–

ग्रामीण योजना के अन्तर्गत और आर0 एल0 जी0 पी0 के जरिये उनको नौकरी दिलाने का काम किया जाता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं उनसे प्रश्न करने जा रहा हूं कि जो गैर पंजीकृत बेरोजगार हैं खेती आदि करते हैं, तो उसी क्षेत्र में उनको पंजीकृत कराने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? या इस तरह की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सईदुल हसन–

मान्यवर, ग्रामीण मजदूरों को पंजीकृत कराना बड़ा मुश्किल काम है। उनकी तादाद ऐसी है कि इसको नहीं किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*7–श्री कुशल पाल सिंह–

[7वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तरकाशी के नौगांव पुरवा एवं गौरी विकास खण्ड तथा टिहरी जिले के कुछ भाग को जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग

*8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरकाशी के नौगांव पुरवा एवं गौरी विकास खण्ड तथा टिहरी जिले के कुछ भाग को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाना शासन के विचाराधीन है ? क्या मुख्य मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त क्षेत्र की जनता अपनी इस मांग को लेकर जन आन्दोलन कर रही है ? यदि हां, तो इस मांग के बारे में शासन की नीति क्या है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

जी नहीं ।

जी हां ।

जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भारत सरकार को है, मांग के सम्बन्ध में शासन की संस्तुति भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। भारत सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है।

फिरोजाबाद, जनपद आगरा के विकलांगों द्वारा अनशन

*9–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि फिरोजाबाद, जनपद आगरा के विकलांगों ने माह नवम्बर, दिसम्बर, 87 में अपनी मांगों को लेकर अनशन किया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में अब तक निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासों का निर्माण

*10–श्री दीपक कुमार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र जानसठ में 1980 से अब तक किन-किन निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए कुल कितने आवासों का निर्माण किस-किस गांव में कराया गया है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

*11–श्री सुनील शास्त्री–

[8वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सूखा राहत के लिए इटावा को आवंटित धनराशि में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही

*12–श्री आसान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1987 सूखा राहत के लिए इटावा को आवंटित धनराशि में व्याप्त अनियमितताओं सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । पत्र में दिए गये सुझावों पर समुचित कार्यवाही करने तथा राहत योजनाओं के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों को भी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी, इटावा को दिनांक 17-11-87 को भेज दिए गये थे ।

तहसील सदर, लखनऊ के लेखपालों को देय बकाया (एरियर) पिछले वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर भुगतान

*13–श्री मनोहर लाल तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, लखनऊ के लेखपालों को देय बकाया (एरियर) जो पिछले वेतन आयोग की संस्तुतियों (जुलाई, 1979 से) के आधार पर भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक किया जायेगा ? क्या इस अप्रत्याशित विलम्ब करने वाले संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोण्डा जिले में नव सृजित तहसीलों के लिए विभिन्न तहसीलों में भर्ती

*14—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में नव सृजित तहसीलों के लिए विभिन्न तहसील में किस-किस पद पर कितनी-कितनी भर्ती की गयीं ? क्या इस भर्ती में विभिन्न स्तर पर आरक्षण नियमों का पालन हुआ है ? यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

समूह "ग" के लिपिकीय वर्ग के पदों पर गोण्डा जिले में नव सृजित तीन तहसीलों के लिए कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी । तहसीलों के पुनर्गठन/सृजन के कारण तीन अपर परगनाधिकारी एवं तीन अपर तहसीलदार न्यायालय समाप्त कर दिये गये थे, उनमें कार्यरत स्टाफ को नवसृजित तहसीलों में समायोजित कर दिया गया ।

समूह 'घ' चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नवसृजित तहसीलों के लिए 12 पद स्वीकृत ए थे जिसके लिए उपलब्ध अन्य रिक्तियों के साथ चयन की कर्यवाही की गयी। इस चयन में आरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार रही—

पद विवरण	सामान्य जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति/ जन-जाति	स्वतन्त्रता संग्राम से0 आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	विक-लांग
						2
चपरासी—45	..	24	4	12	1	1	1	.
माली—3	..	1	2	..	..	..	..	.
चौकीदार—4	..	1	2	1	..	..	..	.
योग—52		26	8	13	1	1	1	2

इन पदों पर चयन के सम्बन्ध में विभिन्न श्रोतों से शिकयतें प्राप्त हुयीं जिसके फलस्वरूप कोई नियुक्ति नहीं की गयी ।

बस्ती जनपद के विशाल चकबन्दी कार्यों हेतु संयुक्त निदेशक की नियुक्ति

*15—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विशाल चकबन्दी कार्यों को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक संयुक्त निदेशक की नियुक्ति की गई थी, जो पद अभी भी रिक्त है और अकेले उप संचालक, चकबन्दी के जिम्मे प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों कार्य हैं, जिसके फलस्वरूप गांवं के चकों के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है ? क्या तत्काल संयुक्त निदेशक के पद को भरने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, कुछ समय के लिए नियुक्ति की गई थी ।

जी नहीं, उनके स्थान पर दूसरे उप संचालक चकबन्दी की नियुक्ति कर दी गई है।

जी नहीं ।

संयुक्त निदेशक के रिक्त पद पर उप संचालक, चकबन्दी की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16—श्री जयदीप सिंह बरार—

[दिनांक 18-3-88 को अता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

*17—श्री किरन पाल सिंह—

[6वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 13 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

हरिजन छात्रावासों के निर्माण/हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का कार्य

*18—श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा श्री अचल सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि हरिजन छात्रावासों के निर्माण/हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति (जुनियर हाई स्कूल तक) दिये जाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ? क्या यह सही है यह कार्य उसी अधिकारी को दिया गया है जिसे वर्ष 1985-86 में सुल्तानपुर में प्रोग्राम अधिकारी का कार्य करते छः लाख रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा कार्य उसे सौंपने का क्या औचित्य है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्तमान समय में यह कार्य मुख्यालय स्तर पर श्री नवीन चन्द्र सिन्हा, अपर परियोजना प्रबन्धक द्वारा किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*19—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*20—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

तारांकित प्रश्न

तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के ग्राम ससपना के प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र

1—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के ग्राम ससपना के प्रधान के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा फर्जी पट्टों, ग्राम समाज की भूमि को बगैर पट्टों के पैसा लेकर कब्जा कराने, जोतवाने की शिकायत पर कोई जांच जिलाधिकारी के आदेश से चल रही है और उक्त संबंध में पूर्व विधायक प्रियदर्शी जेतली व मा0 सांसद आर0 पी0 सुमन ने भी शिकायती पत्र जिला अधिकारी व परगना अधिकारी को जनवरी, 1987 से माह अगस्त के बीच लिखे हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम ब्राहिमपुर मजरे बरौसा में ग्राम समाज की भूमि के पट्टे को एस0 डी0 एम0 द्वारा 4 बार अस्वीकार के बाद पुनः स्वीकृति

2—श्री बलवीर सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील-सदर, ब्लाक धनपतगंज के ग्राम ब्राहिमपुर मजरे बरौसा में ग्राम समाज की भूमि के पट्टे को एस0 डी0 एम0 महोदय सुल्तानपुर ने 4 बार अस्वीकृत करके उन्हीं व्यक्तियों के नाम पांचवी बार पुनः स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसे निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर तहसील सदर ब्लाक धनपतगंज के ग्राम ब्राहिमपुर मजरे बरौसा में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन

3—श्री बलवीर सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील सदर, ब्लाक धनपतगंज के ग्राम ब्राहिमपुर मजरे बरौसा में ग्राम समाज की भूमि का आवंटन कुछ व्यक्तियों को गोमती नदी की धारा में किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं अपितु जिन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है। वे गोमती नदी की धारा से काफी दूर हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिपिक वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की नियुक्ति

4—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट कार्यालय में श्रेणी तीन लिपिक वर्ग में दिनांक 1 जुलाई, 1987 तक स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आश्रितों को नियुक्ति दी गयी है ? क्या यह संख्या उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो इस कोटे को अविलम्ब पूरा करने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के किसी आश्रित को 1 जुलाई, 1987 तक नियुक्ति नहीं दी गई है । किसी अर्ह अभ्यर्थी द्वारा इस आरक्षण का लाभ उठाया नहीं गया है । भविष्य में घटित होने वाली रिक्तियों में यदि व्यापक प्रचार के बाद अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे तो उन्हें प्राथमिकता अवश्य दी जायेगी ।

जनपद पिथौरागढ़ में हाईस्कूल व इण्टर कक्षाओं में कृषि विषय खोलने हेतु तथा इन विद्यालयों के आस-पास की बंजर भूमि का आवंटन

5—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता के प्रश्नांक 592/85 दिनांक 18-12-85 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में हाईस्कूल व इण्टर कक्षाओं में कृषि विषय खोलने हेतु तथा इन विद्यालयों के आस-पास की बंजर भूमि का आवंटन बाहरी व्यक्तियों को तुरन्त रोकने एवं उसे विद्यालय को दिये जाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो इस विषय में दिनांक 8 जून, 87 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के गांव सभा शेरपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा धारा 52 का प्रकाशन

6—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के गांव सभा शेरपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा धारा 52 का प्रकाशन कब तक कर समस्त कागजात तहसील को सौंप दिए जायेंगे ? गांव में चकबन्दी का कार्य कब से किया जा रहा है और कब तक इसे पूर्ण करा लिया जायेगा ? चकबन्दी के कार्य में विलम्ब होने से गांव समाज की भूमि जो अपात्र व्यक्तियों के कब्जे में है, इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम शेरपुर तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 29-4-72 को हुआ है । 70 चक निगरानियां निर्णय हेतु अभी अवशेष हैं । निगरानियों का निस्तारण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है

जिससे यह बताना सम्भव नहीं है कि वह कब तक पूर्ण होगा । समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही धारा-52 का प्रकाशन सम्भव है ।

जी हां । जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग–3 की प्रतिलिपि ग्राम सभा तथा तहसील को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम करीमुद्दीनपुर में धारा 52 का प्रकाशन

7–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के ग्राम करीमुद्दीनपुर में धारा 52 का प्रकाशन करने के पश्चात चकबन्दी विभाग ने तहसील मुहम्मदाबाद में संबंधित समस्त कागजात सौंप दिये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त कागजात तहसील को कब सौंपे गये तथा तहसील मुहम्मदाबाद में किस तिथि में समस्त कागजात प्राप्त किए गये हैं ? इन कागजातों के अनुसार गांव सभा करीमुद्दीनपुर में किन-किन मदों में और कितनी-कितनी भूमि गांव समाज की है ? इनमें से आबादी और कृषि योग्य भूमि पात्र व्यक्तियों को कब तक वितरित कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

ग्राम करीमुद्दीनपुर में अभी धारा-52 का प्रकाशन नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद में ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति

8–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष 2 मई को हुई भयंकर ओलावृष्टि के कारण जनपद गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद के बार्ड सं0 1 लगायत 6 के पात्र व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने की सूची जांच उपरान्त तथा स्वीकृत होने के उपरान्त भी आज तक शासन द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाने वाला धन किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है ? कब तक पात्र व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का धन आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

के0 एल0 चतुर्वेदी बनाम ईस्टर्न रेलवे मुगलसराय के वाद का निस्तारण

9–श्री राजकिशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी एवं नियुक्ति प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के समक्ष निर्णित पी0 डब्लू0 वाद संख्या-82/82 और 103/83 जो श्रमिक श्री के0 एल0 चतुर्वेदी बनाम ईस्टर्न रेलवे, मुगलसराय, वाराणसी है और उक्त वादों का निर्णय उपरोक्त वर्णित प्राधिकारी ने श्रमिक के पक्ष में किया है और जिसके निर्णित/निर्देशित धनराशि

की वसूली हेतु उपरोक्त वर्णित प्राधिकारी ने अपने वसूलयाबी प्रमाण-पत्र संख्या 6112/बनाम पी0 डब्लू0 82/82 दिनांक 9-8-85 तथा पत्र संख्या-6111/बनाम-पी0 डब्लू0 103/83, दिनांक 9-8-85 जिलाधिकारी, वाराणसी को प्रेषित किया है, की वसूली की कार्यवाही सम्पन्न होकर निर्देशित धनराशि उपरोक्त श्रमिक को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन–

प्रादेशिक संराधन अधिकारी, वाराणसी एवं नियुक्ति प्राधिकारी अंतर्गत वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के समक्ष निर्णित पी0 डब्लू0 वाद संख्या 82/82 एवं 130/83-श्री एल0 के0 चतुर्वेदी (न कि पी0 डब्लू0 वाद संख्या 103/83-के0 एल0 चतुर्वेदी) बनाम ईस्टर्न रेलवे मुगलसराय वाराणसी में जारी निर्देशों के तहत उप श्रमायुक्त वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 9-8-85 द्वारा रु0 3630 तथा रु0 4153 की वसूली हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किया । इस बकाया धनराशि की वसूली हेतु तहसीलदार, चन्दौली, वाराणसी के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।

10–श्री राजित प्रसाद यादव–

[दिनांक 18-3-88 की अता0 प्र0 सं0 38 द्वारा उत्तरित]

ग्राम मुरका, बांदा के निवासियों को बंधुवा मजदूर बनाना एवं भयभीत ननकू कोल आदि को पुनर्वासित करने की कार्यवाही

11–श्री राम सजीवन–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की मऊ तहसील के ग्राम मुरका, मौजा पुरवा के रंजीत प्रसाद पुत्र बल्देव, नीलू पुत्र पंचम, सूरजदीन पुत्र गंगा आदि आदिवासी हरिजन कोल ने 19-3-86 को परगनाधिकारी मऊ से शिकायतें की थी कि उनको जबरदस्ती बंधुवा मजदूर बनाकर काम लिया जा रहा है, जिसकी जांच के लिए आर0 एस0 शुक्ला सब इन्सपेक्टर मऊ को भेजा गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सुरक्षा के अभाव में आतंकित ननकू कोल व ददुआ कोल अपना गांव मुरका छोड़कर मुरका मोटर अड्डे पर चले गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें पुनर्वासित करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री सईदुल हसन–

जी हां ।

श्री रंजीत प्रसाद आदि को अवमुक्त कराकर प्रत्येक को पुनर्वासन के लिए अनुमन्य धनराशि रुपये 6250 मूल्य की बकरियां दी गयी है ।

ननकू पुत्र दशरथ कोल अपने गांव मोजरा में ही रह रहा है । उसे किसी ने आतंकित नहीं किया है । ददुआ अपनी इच्छा से मुरका बस अड्डे पर गांव सभा द्वारा आवंटित आवासीय भूमि पर घर बनाकर रहने लगा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम भखरवार तहसील मऊ जिला बांदा के ग्राम समाज की जमीनों के चोरी-छिपे पट्टे

12—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भखरवार तहसील मऊ जिला बांदा में ग्राम समाज की जमीनों के पट्टे अभी हाल में चोरी छिपे प्रस्तावित किए गए हैं ? क्या उन प्रस्तावों की अवैधानिकता की शिकायतें गांव के ही भूतपूर्व उप प्रधान चुन्ना प्रसाद, शिव औतार, माता बदल, रघुवर एवं बाबू ने परगनाधिकारी मऊ एवं जिलाधिकारी बांदा से 11-11-86 को की हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

भूमि प्रबन्धक समिति भखरवार की बैठक दिनांक 1-9-86 को हुई थी । इस बैठक के लिये 24-8-86 को एजेन्डा समिति के सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से तामिल कराया गया था । इस बैठक की जानकारी सर्व साधारण को देने के लिए गांव में मुश्तहरी भी कराई गई थी । इसके बाद प्रधान की चौपाल में 1-9-86 को बैठक प्रधान की अध्यक्षता में हुई थी । इस बैठक में 9 (नौ) पट्टों का प्रस्ताव पारित किया गया था । इस प्रस्ताव के विरुद्ध श्री चुन्ना प्रसाद आदि का शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 11-11-86 का तहसील कार्यालय में जांच हेतु प्रेषित होना नहीं पाया जाता तथापि प्रस्ताव की विधि-अनिवार्य जांच की गई थी : प्रस्ताव नियमानुसार नहीं पाये गये थे । अतः यह प्रस्ताव दिनांक 8-12-87 के परगनाधिकारी, मऊ के आदेश से खारिज कर दिये गये । भूमि प्रबन्धक समिति को पुनः प्रस्ताव नियमानुसार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

श्रीमती विमला देवी, ब्राह्मणीपुरा-बहराइच द्वारा अपनी भूमि शासन की योजनान्तर्गत विक्रय हेतु आवेदन पत्र

13—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद ब्राह्मणीपुरा-बहारइच द्वारा अपनी भूमि शासन की योजनान्तर्गत विक्रय हेतु आवेदन पत्र कब प्रेषित किया गया था ? क्या यह सही है कि लगभग दो वर्ष पूर्व आवेदनकर्ता, जिसकी भूमि, अधिकारी द्वारा उपयुक्त पायी गई थी, को जिला हरिजन कल्याण अधिकारी द्वारा न क्रय करके उसको परेशान किया जाता रहा है ? यदि नहीं, तो इतनी लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उस पर निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 2-2-1987 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था । नवम्बर, 1987 तक किस्म जमीन, क्षेत्रीय दर, नजरी नक्शा इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी की गयी लेकिन नवम्बर, 1987 में ही इस योजना को शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया, इसलिये भूमि को क्रय नहीं किया जा सका । योजना समाप्ति की सूचना अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0) बहराइच ने अपने पत्र सं0 मेमो/एस सी पी/भूमि क्रय/87-88 दिनांक 1-12-87 द्वारा श्रीमती विमला देवी को भेज दी थी ।

ग्राम पचोखर ब्लाक तथा तह0 नरैनी जनपद बांदा के ग्रामीणों का पत्र सीलिंग की भूमि को भूमिहीन हरिजनों को वितरण के संबंध में

14—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ग्राम पचोखर ब्लाक तथा तहसील नरैनी जनपद बांदा के ग्रामीणों के पत्र के साथ सीलिंग की भूमि को भूमिहीन हरिजनों में वितरण के संबंध में दिनांक 13 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त गांव में कितने एकड़ सीलिंग की भूमि है और वह कब तक केवल हरिजन भूमिहीनों में वितरित हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

13 नवम्बर, 1986 दिनांकित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । ग्राम पचोखर में 6.92 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है । भूमि अनुसूचित जाति के 12 तथा अन्य जाति के 4 पात्र व्यक्तियों को वितरित कर दी गई है ।

ग्राम प्रधान द्वारा हरिजन भूमिहीनों पर रंजिशन 115 सी फर्जी चलाने के संबंध में पत्र

15—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र श्री ठाकुरदीन ग्राम हस्तम तहसील नरैनी (बांदा) के पत्र के साथ ग्राम प्रधान द्वारा हरिजन भूमिहीनों पर रंजिशन 115 सी फर्जी चलाने के संबंध में उन्हें दिनांक 13 नवम्बर, 86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । ग्राम प्रधान की रिपोर्ट के आधार पर 16 व्यक्तियों के विरुद्ध 115 सी की कार्यवाही की गयी थी जिनमें से 12 व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किये गये नोटिस 49 क, रिपोर्ट निराधार होने के कारण वापस ले लिया गया है । चार व्यक्तियों को भूमि से बेदखली के आदेश दिये गये तथा 18,100.00 रु0 हर्जाना लगाया गया ।

बांदा जनपद ग्राम खुहरन्ड स्टेशन तहसील नरैनी के हरिजनों का भूमि पट्टों के संबंध में पत्र

16—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र बांदा जनपद ग्राम खुहरन्ड स्टेशन (मऊवा पुरवा) तहसील नरैनी के हरिजनों का भूमि पट्टों के संबंध में उन्हें दिनांक 13 नवम्बर, 86 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूखा राहत कार्यों के लिए जनपद मुरादाबाद को स्वीकृत धनराशि

17–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखा राहत कार्यों के लिए जनपद मुरादाबाद को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा माह जनवरी के अंत तक कुल कितनी धनराशि कितने मदों के लिए अवमुक्त की जा चुकी है और किन-किन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार सूखा राहत कार्यों के लिए जनपद मुरादाबाद को स्वीकृत की गई धनराशि तथा माह जनवरी तक विभिन्न मदों के लिए अवमुक्त की गई धनराशि के विवरण संलग्न हैं ।

जनपद में जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके कार्यों की विभागवार सूची लम्बी होने के कारण सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है । माननीय प्रश्नकर्ता इन सूचियों को मेरे कार्यालय कक्ष में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के घंटों में, पूर्व सूचना देकर अवलोकित कर सकते हैं ।

(देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ 186 पर)

ग्राम सीगनखेड़ा रोड हेतु प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 मुरादाबाद द्वारा भूमि अर्जन के प्रतिकर के भुगतान के संबंध में पत्र

18–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या रजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सीगनखेड़ा रोड हेतु प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0 मुरादाबाद द्वारा भूमि अर्जन के प्रतिकर के भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-12-87 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ के ग्राम जैतीखेड़ा में 53 व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि को बिना किसी आदेश के खतौनी में फर्जी रूप से अंकित करा लिये जाने का प्रकरण

19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-तहसील लखनऊ के ग्राम जैतीखेड़ा में मोहम्मद अयूब खां, श्रीमती अजीज बानों आदि 53 व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की लगभग 625 बीघे भूमि को बिना किसी आदेश के खतौनी में फर्जी रूप से अंकित करा लिए जाने का प्रकरण वर्ष 1981 में परगनाधिकारी लखनऊ के समक्ष विचाराधीन था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या उक्त व्यक्तियों से भूमि मुक्त कराकर ग्राम सभा में निहित कर दी गई है और उसे गरीबों में आवंटित करने पर विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला अध्यक्ष भारतीय दलित पैंथर लखनऊ श्री छेदी लाल द्वारा भूमि स्कैन्डल के भण्डा-फोड़ के कारण जान-माल का खतरा

20—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को यह भी जानकारी है कि उक्त भूमि स्कैण्डल का भण्डा-फोड़ जिला अध्यक्ष भारतीय दलित पैंथर लखनऊ श्री छेदी लाल साथी द्वारा किए जाने के कारण उनकी जान-माल के लिए खतरा पैदा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जानकारी करके ग्राम सभा के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त भूमि स्कैण्डल में प्रधान द्वारा अपने परिवारजनों के नाम भी फर्जी तौर पर नाम दर्ज कराया जाना पाया गया ? यदि हां, तो उसे निलम्बित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र हल्द्वानी के अंतर्गत नियुक्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार

21—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या श्रम मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक श्रम/13-1-87 दिनांक 23-1-87 द्वारा श्री खीमाचन्द सनवाल (भू0 पू0 अध्यक्ष, छात्रसंघ महाविद्यालय, हल्द्वानी) निवासी सुभाष नगर, जनपद नैनीताल द्वारा मलेरिया अनुसंधान केन्द्र हल्द्वानी के अन्तर्गत नियुक्तियों में व्यापक भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है ? यदि हां, तो उपरोक्त विषय पर निदेशक, श्रम एवं प्रशिक्षण तथा सेवायोजन द्वारा प्रश्नकर्ता को भेजे गए पत्रांक 3658/ई-11/013/3-33 लखनऊ दिनांक 2 मार्च, 1987 के संदर्भ में नगर सेवायोजन कार्यालय हल्द्वानी से दिनांक 20 जून, 87 तक क्या-क्या सूचना प्राप्त हुई ? भ्रष्टाचार के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर उच्च स्तरीय कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये ? इस संबंध में अंतिम रूप से क्या-क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सईदुल हसन—

(क) जी हां ।

(ख) उपरोक्त के संबंध में नगर सेवायोजन अधिकारी, हल्द्वानी से निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुयी :—

1—रिक्तियां स्थानीय नगर सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित नहीं की गयी हैं । इस प्रकार नियोजक ने रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम-1959 (सी0 एन0 वी0 एक्ट-1959) की धारा-4(1) का उल्लंघन किया है, जिसमें यह प्राविधान है कि स्थानीय सेवायोजन कार्यालय के कार्य-क्षेत्र में आने वाले समस्त सार्वजनिक विभागों को अपने विभाग की किसी भी रिक्ति को भरने के पूर्व संबंधित सेवायोजन कार्यालय को उसे अधिसूचित करना होगा ।

2–नियोजक ने केन्द्रीय सरकार के रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित गृह मंत्रालय के शासनादेश का भी उल्लंघन किया है ।

3–नियोजक ने हरिजन अधिकारी के रूप में सवर्ण कार्यस्थ वर्ग के अधिकारी को मलेरिया अनुसंधान केन्द्र द्वारा गठित चयन समिति के सदस्य के रूप में रखा था ।

(ग) (1) क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा ने उक्त संस्थान के महानिदेशक, इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च, अंसारी नगर, नई दिल्ली को मलेरिया अनुसंधान केन्द्र हल्द्वानी जिला नैनीताल में नियोजक द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों को समाप्त कर स्थानीय नगर सेवायोजन कार्यालय, हल्द्वानी के माध्यम से ही रिक्तियों की पूर्ति हेतु लिखा है, जिससे सी0 एन0 वी0 एक्ट-1959 की धारा 4 (1) का अनुपालन सुनिश्चित हो सके ।

(2) मलेरिया अनुसंधान केन्द्र हल्द्वानी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(3) अतिरिक्त निदेशालय स्तर के महानिदेशक सेवायोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को लिखा गया है कि वे इस मामले को सेवायोजक के संबंधित मन्त्रालय की जानकारी में लाकर सेवायोजक के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें ।

(घ) महानिदेशक, इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च, अन्सारी नगर, नई दिल्ली तथा महानिदेशक, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशक नई दिल्ली को प्रेषित किए गए पत्रों का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप कोई अन्तिम निर्णय लेना सम्भव नहीं हो सका है।

राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों की रिक्तियों की संख्या

22–श्री पारस नाथ यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों की कितनी रिक्तियां हैं, जिसकी पूर्ति न होने पर सरकारी कार्य बाधित रहता है ? क्या इन रिक्तियों की पूर्ति शीघ्र करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश में इस समय विभिन्न पदों की 16 रिक्तियां हैं तथा भूमि अध्याप्ति निदेशालय में 21 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों को भरने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

23–श्री राजकिशोर सिंह–

[दिनांक 11-3-88 को अता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित]

ग्राम सभा बभनगवां रूपापुर, सुल्तानपुर के अन्तर्गत पुराने कब्रिस्तानों की संख्या

24—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बभनगवां, रूपापुर (कुड़वार) सुल्तानपुर के अन्तर्गत पुराने कितने कब्रिस्तान हैं ? उनका निर्धारित रकबा (एरिया) और नम्बर क्या है ? इस समय कुल कितने नए कब्रिस्तान अवैध रूप से बनाए गए हैं ? उनका नम्बर और रकबा क्या है ? क्या अवैध रूप से निर्माण किए गए कब्रिस्तान पर से संबंधित व्यक्तियों को सरकार बेदखल करने के संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय प्रमाणित संस्था, इलाहाबाद के कन्हैया लाल पर प्राणघातक हमला

25—श्री मित्रसेन—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामेश कुमार, संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय प्रमाणित संस्था, इलाहाबाद में 13-4-87 से 18-4-87 तक की गयी जांच के दौरान श्री कन्हैया लाल चौकीदार ने अपने बयान के दौरान उन्हें बताया था कि सच बोलने की सजा में उसे मारने पीटने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी या दी जा रही है और सच बोलने के परिणाम में उनकी जांच के बाद एक माह के अन्दर ही भिक्षुकों के माध्यम से कर्मचारियों ने उस पर प्राणघातक हमला कराया और उसे मरणासन्न जानकर छोड़ दिया गया जो आज भी स्वरूप रानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में मौत से संघर्ष कर रहा है ? यदि हां, तो इस पर शासन एवं निदेशक ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

दिनांक 30-4-87 की रात में चार भिक्षुकों ने श्री कन्हैया लाल पर हमला करके तथा उससे रुपए छीनकर संस्था से पलायित हो गए । श्री कन्हैया लाल को हमला करवाने में प्रत्यक्षतः किसी कर्मचारी का हाथ नहीं था ।

श्री कन्हैया लाल को दिनांक 1-5-87 को स्वरूप रानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में भर्ती कराया गया था जो इलाज के बाद 15-5-87 को मेडिकल कालेज से मुक्त हो चुका है ।

इस घटना के संबंध में थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद में मु0 अ0 सं0 466/87 धारा 333/224 भा0 दं0 वि0 का अभियोग दिनांक 3-5-87 को पंजीकृत कराकर पुलिस द्वारा विवेचना कराई गई तथा दिनांक 23-9-87 को अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

बरहा कोटरा जिला बांदा के पट्टेदार हरिजनों की जमीनों का कब्जा न मिलने के संबंध में

26—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम लोटन पुत्र पाले चमार, सूरजदीन पुत्र बिन्दा व पलवा पुत्र छोटा निवासी बरहा कोटरा तहसील मऊ जिला बांदा को पन्द्रह वर्ष पूर्व ग्राम समाज की जमीन खसरा नम्बर 2488 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा व नम्बर 2497 रकबा 11 बीघा 4 बस्वा व नम्बर 2900 रकबा 9 बिस्वा व नम्बर 2501/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा पचीस बीघा 2 बिस्वा के पट्टे किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पट्टेदार हरिजनों को उनकी जमीनों पर अभी तक कब्जा न दिलाये जाने के क्या कारण हैं? क्या इस सम्बन्ध में हरिजन पट्टेदारों ने जिलाधिकारी, बांदा के पास 18-11-86 को एक शिकायती पत्र भेजा है? यदि हां, तो हरिजन पट्टेदारों को कब्जा दिलाने तथा दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, प्रश्न में भूमि खसरा नं0 2900 गलत है, इसका सही नम्बर 2500 है तथा रकबा 9 बिस्वा है तथा खसरा नं0-2501/2 में रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा नहीं अपितु 3 बीघा 13 बिस्वा है। इस प्रकार खसरा नं0 2500, 2501/2, 2488, 2497, कुल चार किता का कुल रकबा 25-3-0 बीघा का पट्टा श्री सूरजदीन पुत्र बिन्दा, पलवा पुत्र छोटा को तथा वर्ष 1393 फसली में भूमि नं0 2080 रकबा-3 बीघा 11 बिस्वा श्री राम लोटन पुत्र पाले को पट्टा किया गया है। सभी पट्टेदारों को पट्टे किये जाने के समय ही पट्टे की भूमि नापकर कब्जा दखल दिया गया था, पुनः भूमि नापकर बता दी गयी है। पट्टेदार हरिजनों का पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है।

जी हां ।

श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव चकबन्दी अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध शिकायत

27—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, चकबन्दी अधिकारी (रिकार्ड आपरेशन) वाराणसी जो विगत 8 वर्षों से वाराणसी में ही कार्यरत हैं, के विरुद्ध राकेश कुमार शर्मा, ग्राम सुलेमपुर पो0 शिवरामपुर वाराणसी ने अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें की थी, जो मंत्री जी के कार्यालय से डाक सं0 8601 दिनांक 23-9-87 एवं डाक संख्या 1412 दिनांक 6-11-87 को राजस्व सचिव को भेजी गयी हैं? यदि हां, तो श्री शर्मा के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जांच हेतु चकबन्दी आयुक्त को भेजा गया। संदर्भित वाद के पत्र की शिकायतों की जांच पर श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा की गयी कथित कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा जनपद में सूखा राहत योजना हेतु धन का आवंटन

28—श्री आसान सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद में अब तक सूखा राहत योजना हेतु कितना धन आवंटित हुआ है? क्या राजस्व मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद इटावा को आवंटित धन किस विधान सभा क्षेत्र में कितना व किस कार्य में कितना खर्च किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

विशेष सूखा राहत रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद इटावा को शासन द्वारा अब तक 50,00,000 रुपया नकद एवं 1238 मी0 टन खाद्यान्न मूल्य 19.19 लाख रुपया अर्थात कुल रु0 69.19 लाख उपलब्ध कराया गया है । जिसमें से अब तक रु0 43.96 लाख का उपयोग किया जा चुका है। शेष का उपयोग 31 मार्च, 1988 तक कर लिये जाने के प्रयास जारी हैं। विधान सभा क्षेत्रवार ऐसे निर्माण कार्यों की संख्या व उन पर कुल अनुमानित व्यय का बांट निम्नवत है—

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित व्यय (लाख रु0 में)
1	जसवन्तनगर	48	11.51
2	भरथना	28	8.51
3	विधना	34	7.86
4	लखना	32	8.13
5	औरैया	27	8.71
6	इटावा	53	10.45
7	अजीतमल	103	13.63
	योग	325	68.80

कार्यवार व्यय के विवरणों की सूची लम्बी होने के कारण उसे सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, जिसे प्रश्नकर्ता किसी भी कार्यालय समय में मेरे कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी के ग्राम सुल्तानपुर बारह गांव व ग्राम दुबारी का चकबन्दी कार्य

29—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की तह0 घोसी के ग्राम सुलतानपुर बारह गांव व ग्राम दुबारी की चकबन्दी का कार्य जो करीब 10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था, सम्बन्धित स्टाफ के अभाव के कारण अब तक पूरा नहीं हो पाया है? यदि हां, तो स्टाफ बढ़ाकर उक्त ग्रामों की चकबन्दी का काम शीघ्र पूरा कराकर संबंधित किसानों को राहत दिलाने में शासन को क्या आपत्ति है?

श्री अम्मार रिजवी–

ग्राम सुल्तानपुर बारह गांव व ग्राम दुबारी में चकबन्दी का कार्य करीब 10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ किन्तु यह कहना सही नहीं कि स्टाफ के अभाव के कारण वह अब तक पूर्ण नहीं हो पाया ।

जिला स्तर पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ उपलब्ध है। कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद चमोली के स्थान पोखरी में नई तहसील खोलने का मामला

30–श्री बलराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के स्थान पोखरी में नई तहसील खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक वहां नयी तहसील खुल जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या 531 (1)/1-4/87-378 बी4/86 रा0-4 दिनांक 6-6-87 के अनुपालन के सम्बन्ध में

31–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 531 (1)/1-4/87-378 बी0 4/86-रा0-4, दिनांक 6-6-87 का अनुपालन जिलाधिकारी सुल्तानपुर द्वारा कर दिया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों और संदर्भित शासनादेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

उक्त शासनादेश दिनांक 6-6-1987 के प्राप्त होने के पश्चात इस प्रकरण से सम्बन्धित कुछ अन्य तथ्य जिलाधिकारी सुल्तानपुर के संज्ञान में लाये गये जिसकी छानबीन उनके द्वारा की जा रही है। सम्पूर्ण तथ्यों की छानबीन करने में लगभग एक माह का समय लगेगा और उसके पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो शासन को मार्ग दर्शन व आदेश हेतु सन्दर्भ प्रेषित किया जायेगा अन्यथा शासनादेश दिनांक 6-6-1987 का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जायेगा ।

32–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[दिनांक 22-3-88 को अता0 प्र0 सं0 126 द्वारा उत्सरित]

श्री जावेद अली विधायक की ग्राम डोमिनगढ़ तप्पा रेट, जनपद गोरखपुर की भूमि पर गलत आवंटन की शिकायत

33–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधायक श्री जावेद अली की आराजी स्थित ग्राम डोमिनगढ़ तप्पा रेट परगना हवेली तहसील सदर की भूमि रकबा 7 एकड़ 18 डि0 गलत ढंग से, सर्वे नायब तहसीलदार श्री शेषनाथ राय ने, दूसरे के नाम कर दिया है जिसकी लिखित शिकायत विधायक श्री जावेद अली ने दिनांक 12-5-86 व 24-5-86 तथा 28-6-86 को जिला प्रशासन व शासन को की थी? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग द्वारा बहराइच के ग्राम कन्जड़वा एवं सोगवा में भूमि का प्रतिकर वितरण

34–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम कन्जडवा एवं सोगवा परगना व तहसील नानपारा जिला बहराइच में अधिग्रहीत होने वाली करीब 350 एकड़ भूमि का प्रतिकर वितरण हेतु भूमि अध्यापित विभाग को धन उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। प्रश्नगत अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 332.664 एकड़ है जिसका अभिनिर्णय दिनांक 2 मार्च, 1988 को रुपया 47,37,819.51 का घोषित किया जा चुका है। अध्यापित निकाय (सिंचाई विभाग) ने उक्त घोषित अभिनिर्णय के विरुद्ध अब तक 42 लाख रुपया उपलब्ध कराया है। जिसका वितरण किया जा रहा है। अभिनिर्णीत शेष धनराशि की मांग अध्यापित निकाय से की गयी है, जिसके प्राप्त होने पर अन्तिम रूप से प्रतिकर वितरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

इलाहाबाद जनपद में विधवाओं आदि हेतु सहायता शिविर न लगाये जाने की शिकायत

35–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधवाओं, विकलांगों तथा निराश्रितों को सरकार द्वारा सुलभ करायी जा रही आर्थिक एवं अन्य सुविधाओं के निमित्त पूरे प्रदेश में शिविर लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो इलाहाबाद जनपद में उक्त प्रकार के शिविर न लगाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह फरवरी, 88 में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच में पाये गये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त पत्र दिनांक 15 फरवरी, 88 को जिलाधिकारी इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। उनकी आख्या प्रतीक्षित है।

ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत यूनियनें

36–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कर्मचारियों की कौन-कौन सी यूनियनें ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं? उनकी सदस्य संख्या क्या है तथा कौन-कौन से केन्द्रीय महासंघों से यह सम्बद्ध है ?

श्री सईदुल हसन–

उत्तर प्रदेश में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों की 42 ट्रेड यूनियनें दिनांक 17-12-87 तक ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। जिनकी सदस्य संख्या तथा केन्द्रीय महासंघों से संबद्धता की सूची "क" पर उल्लिखित है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 187-189 पर)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में वेतन पुनरीक्षण का मामला

37–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु श्रमिक संगठनों से वार्ता चल रही है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से श्रमिक संगठनों के साथ चल रही है ? अन्य श्रमिक संगठनों को वार्ता में सम्मिलित न करने का क्या कारण है ?

श्री सईदुल हसन–

जी हां । वेतन पुनरीक्षण के विषय पर गत दिनांक 3 नवम्बर, 1987 से परिषद् में कर्मचारी संगठनों/श्रमिक संघों से चल रही द्विपक्षीय वार्ता संलग्न सारिणी के उन सभी 28 यूनियनों के प्रतिनिधियों से की जा रही है जिनके नाम पूर्व में वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित "पन्त कमेटी" की रिपोर्ट में उल्लिखित हैं । इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य यूनियनों को भी जिन्होंने वार्ता में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की थी, वार्ता में सम्मिलित कर लिया गया है ।

†(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 190 पर)

पोलट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन गोपालखेड़ा, लखनऊ के कर्मचारियों के बकाया धन की वसूली

38–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पोलट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन, गोपालखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ के कर्मचारियों के बकाया धन की वसूली हेतु उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र द्वारा कोई 6 अप्रैल, 87 को वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे ? यदि हां, तो वह किन-किन कर्मचारियों से संबंधित है तथा उनकी धनराशि क्या है ? वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सईदुल हसन–

जी हां । वसूली प्रमाण-पत्र कुल 11 श्रमिकों सर्वश्री रघु, जगदीश, बृजपाल, रसीद अली, शंकर, राम सेवक, नन्हू, हनुमान, राम आसरे, शैलेन्द्र एवं रामकुमार के संबंध में जारी किए गए थे जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को रुपया 16,350/- देय था । वसूली हेतु यह प्रमाण-पत्र कलेक्टर, लखनऊ को इस निवेदन के साथ जारी कि गए थे कि वसूली प्रमाण-पत्र में विहित धनराशि मेसर्स कमाण्ड एरिया पोलट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन, गोपालखेड़ा, मोहनलालगंज, लखनऊ से भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल कर संबंधित श्रमिकों को भुगतान की जाय । कलेक्टर लखनऊ द्वारा आवश्यक कार्यवाही तहसीलदार के माध्यम से धन की वसूली हेतु करायी जा रही है ।

कानपुर जूट उद्योग कानपुर के बन्द होने व वेतन भुगतान के संबंध में

39–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर जूट उद्योग कानपुर अप्रैल, 87 से बन्द है तथा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सईदुल हसन–

जी हां ।

प्रतिष्ठान को पुनः चलाने के लिए शासन द्वारा नियमानुसार निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं तथा श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए शासन द्वारा माह अप्रैल, मई व जून 1987 के वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं जिनके आधार पर राजस्व विभाग द्वारा प्रतिष्ठान की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है एवं शेष महीनों के वेतन भुगतान के संबंध में वेतन रिकवरी हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रशान्त ग्लास वर्क्स वाराणसी में तालाबन्दी

40–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशान्त ग्लास वर्क्स, वाराणसी में तालाबन्दी चल रही है ? यदि हां, तो श्रम विभाग द्वारा कारखाना चालू करने के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सेवायोजकों द्वारा मेसर्स प्रशान्त ग्लास वर्क्स प्रा0 लि0, भुल्लनपुर, वाराणसी दिनांक 11-7-87 से बन्द कर दिया गया है। तालाबन्दी नहीं की गयी है वरन बन्दी की गयी है। सेवायोजकों द्वारा की गयी अवैधानिक बन्दी के लिए उनके विरुद्ध चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वाराणसी के न्यायालय में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-25 (ओ) के उल्लंघन के लिए परिवाद दायर किया जा चुका है जो न्यायालय के समक्ष लम्बित है। कारखाने की बन्दी समाप्त कराने के लिए उभय पक्षों के मध्य कई तिथियों पर वार्ता करायी गयी परन्तु उभय पक्षों में सहमति न होने के कारण कारखाना अभी भी बन्द है।

ग्राम भानपुर तप्पा छपिया, बस्ती की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

41–श्री राम शरण दास–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भानपुर तप्पा छपिया, परगना रसूलपुर, तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती में गाटा संख्या 378 ग्राम समाज की सम्पत्ति है जिस पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए ग्राम प्रधान प्रशासन व अधिकारियों से 11-5-87 से लगातार कार्यवाही किए जाने का अनुरोध कर रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम शिवदीन चौबे पुरवा जिला गोण्डा की भूमि का पट्टा

42–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज, मौजा सकरौर, ग्राम शिवदीन चौबे पुरवा के ग्रामवासियों को खलिहान लगाने के लिए एक एकड़ भूमि दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 86-87 में इसी भूमि का किसी के नाम पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह कौन व्यक्ति है ? इस संबंध में क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

सूखाराहत के लिए इटावा जनपद को आवंटित धनराशि

43–श्री आसान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सूखा राहत के लिए इटावा जनपद को आवंटित धनराशि में विधान सभा क्षेत्रानुसार कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? इसमें असन्तुलन बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूखा राहत विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इटावा जनपद को उपलब्ध कराए गए धन 50 लाख रुपए नकद तथा 19.19 लाख रु0 मूल्य के खाद्यान्न, कुल 69.19 लाख रुपए में से विधान सभा क्षेत्रवार आवंटन निम्नवत् किया गया है:–

क्रम-सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	आवंटन रुपयों में
1	जसवन्तनगर	11,50,850.00
2	भर्थना	8,50,912.00
3	विधूना	7,85,912.00
4	लखना	8,12,800.00
5	औरैया	8,71,000.00
6	इटावा	10,65,720.00
7	अजीतमल	13,62,950.00
	योग	68,80,144.00

उक्त आवंटन प्रत्येक क्षेत्र में सूखे की गम्भीरता, व्यापकता, गरीबी, बेरोजगारी की स्थिति तथा क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। अतः उक्त आवंटन करने में अधिकारियों द्वारा असंतुलन बरतने का आरोप सिद्ध नहीं होता है। तदनुसार उक्त आरोप के बारे में अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

पूर्वी बंगाल विस्थापित महिला टेलरिंग उत्पादन केन्द्र लखनऊ में श्रीमती सत्यरूपा के स्थायीकरण के संबंध में

44–श्री बदन सिंह–

क्या श्रम मंत्री जी को ज्ञात है कि शासन की श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश सं0 2419/36-6-85-118/टी/85, दिनांक 9-10-85, अर्द्ध शा0 प0 सं0 3261/36-6-85-118-टी/85, दिनांक 28-11-85 तथा अर्द्ध शा0 पत्र सं0 3571/36-6-85-118-डी/85, दिनांक 1-1-86 के बावजूद सेवायोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन चल रहे पूर्वी बंगाल विस्थापित महिला टेलरिंग उत्पादन केन्द्र लखनऊ में सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप खाली विगत 7/83 से स्थायी पद के समक्ष पिछले 10 वर्षों से अधिक कार्यरत अस्थायी सुपरवाइजर को स्थायी न घोषित करने के क्या कारण हैं जबकि अन्य सुपरवाइजरों को पूर्व में स्थायी घोषित किया गया है ?

श्री सईदुल हसन–

श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या 2419/36-6-85-118 (टी)/85, दिनांक 9-10-85 के अन्तर्गत पूर्वी बंगाल महिला शरणार्थी उत्पादन केन्द्र डालीगंज, लखनऊ में पर्यवेक्षक के पद पर अस्थायी रूप से कार्यरत श्रीमती सत्यरूपा के प्रार्थना पत्रों को, उन्हें पर्यवेक्षक के पद पर स्थायी करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक को भेजा गया था। निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश ही उक्त पद के नियुक्ति प्राधिकारी हैं। निदेशक ने सूचित किया है कि श्रीमती सत्यरूपा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है, इसी कारण इनके स्थायीकरण पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है।

झांसी जनपद के विद्यालयों, छात्रावासों व पुस्तकालयों को अनुदान

45—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि तीन वर्षों में जालौन एवं झांसी जनपद के किस-किस विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय आदि संस्था को किस-किस निमित्त कितनी-कितनी धनराशि किस-किस वर्ष में प्रदान की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जालौन एवं झांसी जनपद की स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित जिन विद्यालय, छात्रावास पुस्तकालय को गत तीन वर्षों में अनुदान दिए गये उनका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 191-192 पर)

46—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[6वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मेमोरा जिला लखनऊ में चकबन्दी प्रक्रिया

47—श्री शारदा प्रताप—

तृतीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार में निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम मेमोरा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में चकबन्दी अधिनियम की धारा-4 (2) के अन्तर्गत विज्ञाप्ति संख्या-6185/जी0-2-214/62, दिनांक 20 जून, 1987 के अनुसार चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने की कोई तिथि निर्धारित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

ग्राम मेमोरा परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में आयतीकरण कार्य प्रारम्भ हो गया है । उक्त कार्य पूर्ण हुए बिना चकबन्दी कार्य नहीं प्रारम्भ कराया जा सकता है ।

बलिया के ग्राम ताड़ी बड़ा गांव के भू-राजस्व अभिलेख के गायब होने के संबंध में

48—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के ग्राम ताड़ी बड़ागांव का भू-राजस्व अभिलेख लगभग 6 वर्ष से गायब है जिसको उपलब्ध कराने के लिए उक्त गांव के किसान लगातार जिलाधिकारी, बलिया से मांग कर रहे हैं और अक्टूबर, 1986 में इस प्रश्न को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन भी किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अभिलेख का पता-लगाकर किसानों को उपलब्ध कराया गया और गायब करने वाले लेखपाल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, किन्तु ग्राम ताड़ी बड़ागांव जनपद बलिया का भू-राजस्व अभिलेख लगभग साढ़े तीन वर्ष से गायब है न कि 6 वर्ष से।

ग्राम के अभिलेख के पुनर्निर्माण कराने की स्वीकृति दिनांक 1-6-87 को चकबन्दी आयुक्त द्वारा दे दी गई है। अभिलेख के पुनर्निर्माण हो जाने पर ही नियमानुसार दिया जाना सम्भव है।

सम्बन्धित लेखपाल, जिन्होंने अभिलेख गायब किया है, के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले में कोठिया, भूड़ा-बुजुर्ग, हसनगर, रमुआपुर आदि तहसील निघासन के पचासों ग्रामों की चकबन्दी पूर्ण होकर धारा 52 का प्रकाशन वर्ष 75 के आसपास हो गया परन्तु चकबन्दी अधिकारियों द्वारा अभी तक रिकार्ड अर्थात् जिल्द बन्दोबस्त, खतौनी आदि तहसील को वापस नहीं की गई जिससे काश्तकारों को बड़ी असुविधा हो रही है? कागजात वापस न करने का क्या कारण है तथा कागजात कब तक वापस कर दिए जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद खीरी के ग्राम कोठिया, एवं भूड़ाबुजुर्ग की जिल्द चकबन्दी क्रमशः दिनांक 23-1-1988 तथा 28-12-1987 को तहसील कार्यालय भेजी जा चुकी है। ग्राम हसनगर, रमुआपुर आदि ग्रामों में अभी धारा-52 का प्रकाशन नहीं हुआ है।

तहसील निघासन का कोई भी ऐसा ग्राम नहीं है जिसका धारा-52 का प्रकाशन वर्ष 1975 अथवा उसके आसपास हो चुका हो और उसकी जिल्द चकबन्दी अथवा अन्य अभिलेख तहसील को भेजना शेष हो।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी के ग्राम बरांवा में चकबन्दी प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत

50–श्री नत्था राम रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरावां परगना रुदौली, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान चकबन्दी अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता संबंधी श्री कृष्ण कुमार विधायक का शिकायती पत्र जिसकी प्राप्ति की सूचना राजस्व मंत्री कार्यालय के पत्रांक 319/वी0 आई0 पी0/88 दिनांक 6-2-1988 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गई है, पर जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांचोपरान्त कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

मामले में जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, बाराबंकी को सौंपी गयी है। जांच आख्या प्राप्त होने पर ही तथ्यों की स्थिति ज्ञात होगी।

51–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

52–श्री अशोक बाजपेयी–

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद सीतापुर के नवीनगर स्टेट की सीलिंग की भूमि का विवाद

53–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर नवीनगर स्टेट की सीलिंग की भूमि का विवाद क्या है और कब तक उसका निस्तारण कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र एतमादपुर जनपद आगरा में हरिजनों के विकास हेतु दुकानों का निर्माण एवं आवंटन

54–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र एतमादपुर में वर्ष 1986-87 व वर्ष 1987-88 में हरिजनों के विकास हेतु दुकान चलाने के लिए कितने कमरों का निर्माण किया है और यह दुकानें कहां-कहां पर बनायी गयीं तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई? क्या यह सच है कि इन दुकानों के निर्माण में घटिया किस्म का माल लगाया है तथा दुकानों पर गैर हरिजनों के अनाधिकृत कब्जे हैं? आंवलखेड़ा की दुकानें अब तक आवंटित नहीं की गई हैं? क्या मंत्री जी किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने तथा दुकानों को सही रूप से हरिजन पात्र व्यक्तियों को दिलाने की कृपा करेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वर्ष 1986–87 में एतमादपुर के अंतर्गत किसी भी दुकान का निर्माण नहीं कराया गया। वर्ष 1987-88 में इस क्षेत्र में 45 दुकानों का निर्माण हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। यह दकानें एतमादपुर नगरपालिका में खन्दौली रोड पर बनायी जा रही हैं शासनादेश के अनुसार प्रति दुकान रु0 10,000/- तक व्यय का प्राविधान है। दुकानें निर्मित हो रही हैं। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर निर्माण इकाई से व्यय विवरण प्राप्त हो सकेगा। अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) आगरा की रिपोर्ट के अनुसार निर्माण सामग्री निर्धारित मानक के अनुसार प्रयोग की जा रही तथा एतमादपुर में निर्मित दुकानों पर गैर अनुसूचित जाति का कब्जा नहीं है। आंवलखेड़ा में 10 दुकानों का निर्माण वर्ष 82-83 में कराया गया था। जिसका आवंटन वर्ष 1983 में किया गया था। आवंटियों द्वारा दुकानें छोड़ देने के फलस्वरूप कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है जिन्हें खाली करने तथा पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुनः आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

बुलन्दशहर तहसील में सीजनल अमीनों की भर्ती में अनियमितता

55–श्री किरन पाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील बुलन्दशहर में जनवरी, 86 से अब तक सीजनल अमीनों की नियुक्ति में अनियमितता की जा रही है? क्या यह सही है कि वरिष्ठता सूची को अनदेखी करके इस दौरान मनमाने ढंग से कुछ सीजनल अमीनों को रेगुलर कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं। केवल श्री चरन सिंह को कृषि विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी होने के कारण तत्कालीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया था। वर्ष 1986 में किसी भी सीजनल अमीन को रेगुलर नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सहकारी कताई मिल, महमूदाबाद, सीतापुर में श्रमिकों की संख्या

56–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी कताई मिल, महमूदाबाद, सीतापुर कब से उत्पादन कर रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मिल में श्रमिकों की कुल संख्या क्या है तथा इसमें से कितने श्रमिक स्थायी/अस्थायी तथा कैजुअल हैं?

श्री सईदुल हसन–

प्रतिष्ठान में 1 दिसम्बर, 1986 से उत्पादन हो रहा है। प्रतिष्ठान में कुल श्रमिकों की संख्या मार्च, 88 में 693 है जिसमें से 25 स्थाई 571 अस्थाई तथा 97 प्रशिक्षार्थी हैं। कैजुअल श्रमिकों की संख्या शून्य है।

सहकारी कताई मिल महमूदाबाद, सीतापुर में चिकित्सीय सुविधा के सम्बन्ध में

57–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी कताई मिल, महमूदाबाद, सीतापुर में प्रारम्भ से 23-11-87 तक श्रमिकों की देखभाल के लिये न कोई डाक्टर है और न कम्पाउन्डर और न ही एम्बुलेंस गाड़ी? यदि हां, तो इनकी व्यवस्था कब तक करा देंगे?

श्री सईदुल हसन–

प्रतिष्ठान में डाक्टर की अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। 1 जुलाई, 88 से 26 सितम्बर, 87 तक कम्पाउण्डर रहा। वर्तमान में कम्पाउण्डर का पद भी रिक्त है जिसकी नियुक्ति हेतु वांछित प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रतिष्ठान में एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में तुरन्त व्यवस्था करने हेतु सेवायोजकों को निर्देश दे दिये गये हैं।

58–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

तहसील नरैनी, जनपद बांदा में भूमि के पट्टों के सम्बन्ध में पत्रों पर कार्यवाही

59—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भवानीदीन हरिजन ग्राम सुदिनपुर, तहसील नरैनी, जनपद बांदा का पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ भूमि के पट्टों के सम्बन्धों में, दिनांक 13 नवम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या कार्यवाही हुई ?

60—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजाराम लोधौरा, तहसील नरैनी, जनपद बांदा का पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में दिनांक 13 नवम्बर, 86 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

61—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ए/56/राजस्व/87, दिनांक 14-10-87 बांदा जनपद की नरैनी तहसील के ग्राम करताल के श्री भोलानामदेव व श्रीमती पन्नी पुत्री श्री शम्भूनाथ देव व ग्राम बिल्हरा के श्री भूरा केवट के पत्र के साथ भूमि के पट्टों की नाम व कब्जा के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

62—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ए/55/राजस्व/87, दिनांक 14-10-87 बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम खसी के श्री कल्लू हरिजन व श्री अर्जुन हरिजन तथा ग्राम विल्हरका के श्री गणेश हरिजन व श्री बारा लाल हरिजन के पुत्र के साथ प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जनपद के ग्राम अतर्रा रूरल मजरा शब्दापुरवा के श्री निबुआ हरिजन के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

63—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग, 021741 दिनांक 19-10-87 बांदा जनपद के ग्राम सभा अतर्रा रूरल मजरा शब्दापुरवा के श्री निबुआ हरिजन के पत्र के साथ प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम रामपुर जिला बांदा में पट्टेदारों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

64—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रामपुर, तहसील व जिला बांदा में सन् 1985 में 89 हरिजनों एवं 10 अन्य निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के नाम आवासीय पट्टे किये गये थे? यदि हां, तो पट्टेदारों द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को कई बार प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद अभी तक कब्जा न दिलाये जाने के क्या कारण हैं? शासन स्तर से पट्टेदारों को कब्जा दिलाने की क्या कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। लेखपाल श्री शिवलाल द्वारा आवासीय भूमि के पट्टे से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अनियमित ढंग से अवश्य किया गया था, जो गम्भीर अनियमितताओं के कारण स्वीकृत नहीं किया गया। इस कारण कब्जा दिलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

65—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

[दिनांक 1-1-88 को अता0प्र0सं0 20 द्वारा उत्तरित]

पथरकट्ट (शिल्पकार) जाति के लोगों को अनुसूचित जाति आदि में शामिल करने की मांग

66—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पथरकट्ट (शिल्पकार) जाति के लोगों की गणना अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग में की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

पथरकट्ट कोई जाति नहीं है, शिल्पकार जाति के लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

रामपुर जनपद गाजीपुर के चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच

67—श्री किरन पाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी श्री राम दयाल गुप्ता क्षेत्र रामपुर तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का एक पत्र मा0 नेता विरोधी दल ने 27-7-87 को उन्हें भेजा है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री राम दयाल गुप्ता नाम का कोई चकबन्दी अधिकारी जनपद गाजीपुर में कार्यरत नहीं है। श्री राम नरायन गुप्ता, चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 27-7-87 प्राप्त हुआ है जो उप संचालक चकबन्दी, गाजीपुर को जांच हेतु भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

68—श्री राम सजीवन—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम सभा रया वाराणसी की भूमि के आवंटन की मांग

69—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रया ब्लाक भदोही, तह0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में ग्राम सभा व राज्य सरकार की कितनी जमीन उपलब्ध है ? उन जमीनों के आवंटन के लिए भूमिहीनों व हरिजनों द्वारा लगातार मांग करने के बावजूद उन्हें पट्टे पर न दिए जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त ग्राम सभा की जमीनों पर ग्राम प्रधान के सहयोग से अराजक तत्वों द्वारा नाजायज कब्जा किए जा रहे हैं और हरिजन बस्ती के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाकर रास्ते रोके जा रहे हैं तथा उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है ? यदि हां, तो आवंटन के लिए क्या त्वरित कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

70—मित्रसेन—

[6वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

मुजफ्फरनगर के धारीवाला शिवगढ़ टिकौला आदि ग्रामों को बन्दोबस्त की कार्यवाही व वहां के किसानों का तहसील हरिद्वार में पुनर्वासन

71—श्री महाबीर सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की तहसील हरिद्वार के अन्तर्गत धारीवाला शिवगढ़ टिकौला, दुर्गागढ़ गोविन्दगढ़, फूलगढ़, हरशीवाला आदि ग्रामों को जनपद मुजफ्फरनगर से इस क्षेत्र में सन् 1952 में पुनर्वासित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस उपरोक्त ग्रामों की बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

72—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धारी बाला शिवगढ़, टिकौला, दुर्गागढ़, गोविन्दगढ़, फूलगढ़, हरशीवाला के किसान मुजफ्फरनगर से बाढ़ के कारण जनपद सहारनपुर की तहसील हरिद्वार में बसाये गये थे, वह किसान सरकार द्वारा दी गयी भूमि पर भूमिधर अथवा पट्टेदार की किस हैसियत से काश्त कर रहे हैं ? उनकी वैधानिक स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम भरेउना जनपद सीतापुर के हरिजनों को पट्टे दाखिल-खारिज न करने का कारण

73—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भरेउना पो0 खैराबाद तह0 एवं जिला सीतापुर के जिन हरिजनों को हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा भूमि खरीद कर कृषि कार्य हेतु शासनादेश संख्या 55-67/26-7-78-38/77 दिनांक 20 नवम्बर, 1987 के अधीन दी गयी उनका अभी तक राजस्व विभाग द्वारा पट्टा एवं दाखिल खारिज न करने का क्या कारण है ? पट्टे तथा दाखिल खारिज कब तक कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, किन्तु प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 87 के अन्तर्गत नहीं बल्कि 20 नवम्बर, 78 के अन्तर्गत दी गई ।

पट्टा एवं दाखिल खारिज कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद के कटौना मटौना व खपराडीह में सीलिंग की भूमि का आवंटन

74—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर के ग्राम कटौना मटौना व खपराडीह में अब तक सीलिंग कानून के अन्तर्गत किस-किस की कितनी भूमि कब कब सरकार के कब्जे में आयी है ? उक्त भूमि में कितने लोगों को तथा किन-किन को कितनी भूमि कब आवंटित की गयी और कब्जा दिया गया ? क्या इस सबका अमल दरामद कागजात देही में कर दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के ग्राम कटौना मटौना व खपराडीह में अब तक सीलिंग कानून के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई भी भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है । भूमि अतिरिक्त घोषित न होने के कारण आवंटन, कब्जा तथा अभिलेखों में अमलदरामद का कोई प्रश्न नहीं है ।

ग्राम खानी कटीरी जनपद बुलन्दशहर का क्षेत्रफल कम किये जाने के संबंध में

75—श्री इम्तियाज मो0 खां—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खानी कटीरी (भगवानपुर) खादर जनपद बुलन्दशहर का क्षेत्रफल स्टोकर बन्दोबस्त फसली 1296 के आधार पर 4800 बीघा फिलिप्स बन्दोबस्त फसली 1323 के आधार पर 2300 बीघा तह0 बुलन्दशहर के राजस्व अभिलेख में पंजीकृत है? क्या चकबन्दी बन्दोबस्त फसली 1356 ने उपरोक्त ग्राम का क्षेत्रफल घटाकर फसली नं0 1356 राजस्व अभिलेख में 120 बीघे पंजीकृत किया है ? यदि हां, तो खानी कटोरी (भगवानपुर) खादर ग्राम एवं जनपद बुलन्दशहर के घटे हुये क्षेत्रफल की फिलिप्स एवं स्टोकर बन्दोबस्त के आधार पर पूर्ण कराकर तहसील बुलन्दशहर के राजस्व अभिलेख में दर्ज करायेंगे एवं उपरोक्त गंभीर अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक व दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी–

ग्राम खानी कटीरी खादर परगना स्याना तह0 बुलन्दशहर जिला बुलन्दशहर का क्षेत्रफल बन्दोबस्त स्टोकर 1296 फसली में 1244 बीघा 5 बिस्वा था तथा फिलिप्स बन्दोबस्त 1323 फसली में 533 बीघा था । फसली 1356 में इस गांव में चकबन्दी क्रियायें नहीं हुई है, किन्तु 1356 फसली में अभिलेखों में इस गांव का क्षेत्रफल 150 बीघा 7 बिस्वा ही अंकित है । वर्तमान अभिलेखों में भी यही क्षेत्रफल अंकित है । जहां तक रकबा कम होने का प्रश्न है यह गांव गंगा नदी से लगा हुआ है और नदी की मुख्य धारा का रूख बदलने के कारण इस गांव का रकबा धारधुरा होने के कारण कम होता रहा है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा बरांव, पुरेकलहंस, फिरोजपुर मखदूमी परगना रूदौली, जनपद बाराबंकी में मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन में की गयी धांधलेबाजी के संबंध में शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही

76–श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामफल पुत्र श्री रामसुफल पासी ग्राम सभा बरावं परगना रूदौली तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी की मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन में की गई धांधलेबाजी की जांच के सम्बन्ध में शिकायती पत्र द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 1317 दिनांक 25-11-1987 परगनाधिकारी रामसनेहीघाट बाराबंकी को एवं पत्रांक 36/एस0एम0आर0/जी0/88, दिनांक 4-1-88 मा0 राजस्व राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

77–श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्द्रा प्रसाद पुत्र श्री रामनाथ तथा भगवान दास पुत्र श्री बाबूलाल ग्राम सभा पूरेकलहंस परगना रूदौली तहसील राम सनेहीघाट जनपद बाराबंकी का आवंटित तालाब नं0-209 को दुरुस्त करने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 1316 दिनांक 25-11-87 परगनाधिकारी रामसनेही घाट बाराबंकी को एवं पत्रांक 35/एस0एम0आर0/जी0/88 दिनांक 4-1-88 माननीय राजस्व राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

78—श्री कृष्ण कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फिरोजपुर मखदूमी परगना रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के श्री अजय प्रताप सिंह के नाम मत्स्य पालन हेतु तालाब का 10 वर्षीय पट्टा करने के संबंध में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 6-3-86 अनुमोदन हेतु एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य बाराबंकी को पट्टा दिए जाने की संस्तुति विषयक पत्रांक 524-26 दिनांक 3-5-87 पत्रांक 2165-68 दिनांक 28-8-87 परगनाधिकारी रामसनेहीघाट बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर पट्टा दिए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा भखोली पूरे कुन्जल जनपद फैजाबाद की भूमि पर सवर्णों का अवैध कब्जा

79—श्री हरदेव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-भखोली पुरी कुन्जल, परगना-खण्डासा, तहसील-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद के सवर्णों द्वारा ग्राम समाज की भूमि आबादी की भूमि तथा अतिरिक्त भूमि एवं पूरबे से दक्षिण दिशा की ओर निकले हुए चकरोड आदि पर अवैध कब्जा किया गया है जिससे उक्त गांव के अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के समस्त लोग प्रभावित हैं? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि और गाटा संख्या पर अवैध कब्जा किया गया है ? उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए उनके विरुद्ध अब तक कौन-कौन सी दण्डात्मक प्रभावी कार्यवाही की गयी

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या—1484 मि0 में 6 बीघा 15 बिस्वा 1 बिस्वांसी भूमि पर तथा गाटा संख्या—1489 मि0 में 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है । जहां तक पूरे कुन्जल की आबादी से दक्षिण दिशा की ओर निकले हुए चकरोड का प्रश्न है, उक्त आबादी एवं चकरोड के बीच स्थित हरिबख्श सिंह आदि के चक से होकर कोई रास्ता भू-चित्र में नहीं है।

अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम रामपुर जनपद फतेहपुर में ग्राम समाज की भूमि हड़पने के संबंध में शिकायती पत्र

80—श्री अचल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी, परगना कोटिया गुनीर के ग्राम रामपुर में ग्राम समाज के लगभग 70 बीघे जमीन अदालतों के फर्जी आदेशों के जरिए कुछ लोगों के द्वारा हड़पने के संबंध में श्री शिव सिंह प्रधान, ग्राम रामपुर ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-10-85 को परगना अधिकारी बिन्दकी एवं दिनांक 14-10-85 को जिलाधिकारी फतेहपुर को दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या दोषी लोगों को दण्डित कर भूमि ग्राम समाज को वापस करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

कथित शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच चल रही है । अभी शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सिठेहरा जनपद गाजियाबाद के चकदारों को अन्यत्र चक दिए जाने के संबंध में

81—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिठेहरा, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में ऐसे कितने चकदार हैं जिनके वर्तमान चकों में मूल भूमि से 25 प्रतिशत अधिक भूमि है ? क्या इन चकदारों की भूमि को ग्राम सभा की भूमि की न्यूनतम कीमत लगाकर अन्यत्र चक दिए गए हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम चिटहरा, तहसील-दादरी, जिला गाजियाबाद में 49 चकदार ऐसे हैं जिनके वर्तमान चकों में मूल भूमि से 25 प्रतिशत अधिक भूमि है ।

जी हां ।

इस संबंध में जांच की जा रही है ।

बाराबंकी स्थित कताई मिल की भूमि के इन्द्राज से सम्बन्धित

82—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि नं0 90 रकबा 20-5-10 स्थित ग्राम उखौली प0 व तह0 नवाबगंज जनपद बाराबंकी जो कि पहले गांव सभा की सम्पत्ति थी को बाराबंकी स्थित कताई मिल हेतु अधिग्रहीत कर लिया गया था और उस पर पिछले 14 वर्षों से मिल लगा हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि का इन्द्राज भू-लेखों में कताई मिल के नाम नहीं किया गया और भूमि गांव सभा के ही नाम दर्ज है ? यदि हां, तो भूलेखों को कब तक ठीक कर लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, परन्तु पुनर्ग्रहण प्रस्ताव रद्द हो जाने के कारण भू-अभिलेखों में अमल-दरामद नहीं किया गया । पुनः भूमि नं0 90 मि0 40-11-10 के अर्जन की कार्यवाही की गई जिसमें से मात्र 20-6-0 रकबे पर ही काश्तकारों का स्वामित्व प्रमाणित होने के परिणामस्वरूप अर्जन हो सका । शेष रकबा 20-5-10 अब भी गांव सभा के नाम अंकित है । दुबारा पुनर्ग्रहण प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

तहसील बुलन्दशहर में ग्राम समाज की भूमि व पट्टों के सम्बन्ध में

83–श्री इम्तियाज मो0 खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के तहसील बुलन्दशहर के प्रत्येक गांव में कितनी ग्राम समाज की भूमि राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत है? उक्त तहसील में वर्ष 1985, 1986, 1987 में कितने ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों को पट्टों का आवंटन एवं कब्जा जिला प्रशासन द्वारा करा दिया गया है?

श्री अम्मार रिजवी–

तहसील बुलन्दशहर के ग्रामों में ग्राम समाजों की कुल पंजीकृत भूमि 39741-3-3-16 बीघा है। तहसील में वर्ष 1985 में अनुसूचित जाति के 10 व्यक्तियों को 8-17-0 बीघा भूमि, वर्ष 1986 में 180-18-17 बीघा भूमि 94 व्यक्तियों को तथा वर्ष, 1987 में 128-15-15 बीघा भूमि 99 व्यक्तियों को आवंटित की गयी है तथा उपरोक्त आवंटित भूमि पर सभी आवंटियों को मौके पर कब्जा दिला दिया गया है।

जहां तक तहसील के प्रत्येक गांव में कितनी ग्राम समाज की भूमि राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत है एवं तहसील में वर्ष 1985, 1986, 1987 में कितने ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों को पट्टों का आवंटन किया गया है के सम्बन्ध में ग्रामवार सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है। क्योंकि ग्रामवार सूचना काफी विस्तृत है जिसे पटल पर प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

तहसीलदार भोगनीपुर जिला कानपुर देहात की पदोन्नति के संबंध में

84–श्री अचल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में वर्तमान समय में कार्यरत तहसीलदार की पदोन्नति का आधार क्या है जबकि इनमें वरिष्ठ नायब तहसीलदारों की पदोन्नति नहीं की गयी है? क्या सरकार गलत ढंग से की गयी पदोन्नति को निरस्त करेगी, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 के आदेश दिनांक 16-7-87 द्वारा जनपद का तहसीलों में कार्यरत तहसीलदारों में तीन तहसीलदारों का स्थानान्तरण अन्य जनपद में कर दिया गया था परन्तु प्रतिस्थानी की नियुक्ति नहीं की गयी थी । अतः सूखा राहत एवं अन्य शासकीय कार्यों के हित में श्री शिवाकान्त त्रिपाठी, नायब तहसीलदार की नियुक्ति स्थानीय प्रबन्ध में तहसीलदार, भोगनीपुर के पद पर जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 4-8-87 को की गयी थी ।

इनसे ज्येष्ठ नायब तहसीलदार, श्री चन्द्र गुप्त अजय के विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं, उनका व्यवहार जनता एवं अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं है, उनमें प्रशासनिक क्षमता का अभाव है तथा श्री अजय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है और उनके स्थायीकरण का मामला लम्बित है। ऐसी स्थिति में श्री त्रिपाठी को स्थानीय प्रबन्ध में पदोन्नति दी गयी थी।

अब राजस्व परिषद् के आदेश, दिनांक 4-2-88 द्वारा जनपद में तहसीलदारों की नियुक्ति कर दी गयी है। अतः श्री त्रिपाठी को उनके मूल पद (नायब तहसीलदार) पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

ग्राम बैकुण्ठपुर जनपद देवरिया में सीलिंग से प्राप्त भूमि के पट्टे

85—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील पडरौना में ग्राम बैकुण्ठपुर में लगभग 325 एकड़ भूमि सीलिंग भूमि के रूप में अतिरिक्त घोषित करके उसे पात्र व्यक्तियों में पट्टे पर वितरण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त भूमि वितरित कर पट्टेदारों को कब्जा प्रदान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम सभा बैकुण्ठपुर के अंतर्गत 335.18 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी जिसमें से 196.40 एकड़ भूमि के आवंटन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था परन्तु आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के न्यायालय के स्थगनादेश के फलस्वरूप अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है।

केन्द्रिय जल संस्थान, नई दिल्ली की बाढ़ तथा सूखा समस्या के नियंत्रण पर विचार सम्बन्धी बैठक

86—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रिय जल संस्थान, नयी दिल्ली की तरफ से कोई बैठक दिनांक 14/15/16 जनवरी, 88 को उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों की बुलाई गई थी जिसमें, बाढ़, सूखा समस्या के नियंत्रण पर विचार किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने क्या विचार किये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद तहसील की अकबरपुर तहसील में ग्राम सभा की भूमि का आवंटन

87—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तहसील में कृषि योग्य ग्राम सभा की कितनी भूमिहीन खेत मजदूरों को आवंटित करने के लिए शेष रह गयी है ? इस भूमि का आवंटन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में कृषि योग्य ग्राम सभा की 95.94 हेक्टेयर भूमि, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित करने के लिए शेष रह गई है। इस भूमि का आवंटन इसी फसली वर्ष में पूरा हो जायेगा।

वर्ष 1986-87 में बांदा जनपद में अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों की छात्र-वृत्ति के भुगतान की स्थिति

88–श्री राम सजीवन–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों की 1986-87 के किन-किन महीनों की छात्र-वृत्तियों का भुगतान किन-किन तारीखों में किया गया ? मार्च, 1987 से 30 नवम्बर, 87 तक की छात्रवृत्तियों के बारे में भुगतान की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? छात्रों को कठिनाई में डालने के लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

वित्तीय वर्ष 1986-87 में प्रवेश तिथि में माह फरवरी, 1987 तक अनुसूचित जाति के छात्रों की कुल रु0 14,52,985/- तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को रु0 1,81,058/- की छात्रवृत्ति वितरित की गयी। छात्रों को किन-किन महीने की किन-किन तारीखों को छात्रवृत्ति दी गयी यह सूचना बहुत विस्तृत है और इसका विवरण माननीय सदस्य को अलग से उपलब्ध करा दिया जायेगा। अप्रैल 1987 से सितम्बर, 1987 तक कोई हरिजन समाज कल्याण अधिकारी नियमित रूप से जिले में तैनात नहीं रहा था और प्रभारी अधिकारियों को अपने कार्यभार के साथ-साथ हरिजन समाज कल्याण अधिकारी का भी कार्य करना पड़ा इन अधिकारियों के पास कार्य अधिक होने के कारण वे छात्रवृत्ति का भुगतान करने में कोई प्रगति नहीं कर सके। अक्टूबर, 1987 से नियमित रूप से हरिजन समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है और अब समस्त बकाया भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा फिरोजपुर जनपद गाजीपुर में बसी मुसहर आबादी के सम्बन्ध में

89–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में ग्राम सभा फिरोजपुर में मुसहर जाति (अनुसूचित जनजाति) के कुछ परिवार सौ साल से भी अधिक अवधि से बसे हुए हैं ? क्या जिन स्थानों पर यह परिवार आबाद हैं, उसी भू-भाग पर आज भी किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज है ? यदि हां, तो कब तक आबाद व्यक्तियों का नाम उस आबादी पर दर्ज कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद गाजीपुर की कथित ग्राम सभा में मुसहर परिवार लम्बे समय से बसे हुए हैं, निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि ये 100 साल से अधिक समय से बसे हुए हैं । ये मुसहर परिवार खसरा नं0 381 एवं 382 के 0-4-12 रकबे पर आबाद हैं जिसमें से 0-0-12 रकबे पर जो ग्राम सभा भूमि रही है, मुसहर आबादी दर्ज कर दी गयी है । शेष 0-4-0 व्यक्तिगत खातेदार की भूमि है जिस पर मुसहर आबादी दर्ज किये जाने हेतु बाद परगनाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम सभा खैरीशीतल प्रसाद तथा ढंबरुबा जिला बस्ती की बंजर भूमि विषयक मुकदमा

90–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खैरीशीतल प्रसाद तथा ढंबरुबा तहसील नौगढ़ जिला बस्ती के बंजर जमीन का कोई मुकदमा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, नौगढ़ के यहां चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त मुकदमें की पैरवी ठीक से हो सके इसके लिये कोई व्यवस्था सरकार करेगी जिससे ग्राम समाज की भूमि को बचाया जा सके ? क्या सरकार उक्त ग्राम सभा के प्रधान के खिलाफ भी जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कितनी जमीन पर मुकदमा चल रहा है तथा उसकी इस समय क्या कीमत है ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । मुकदमें की पैरवी समुचित रूप से शासकीय अधिवक्ता ग्राम सभा, उप प्रधान आदि कर रहे हैं । ग्राम सभा के तत्कालीन प्रधान को तत्कालीन परगनाधिकारी, नौगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 1-5-72 द्वारा प्रधान के पद से मुक्त कर दिया था । प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है । सम्प्रति प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही सम्भव नहीं है । मुकदमा 58 बीघा, 7 बिस्वा 19 धुर के सम्बन्ध में चल रहा है जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रुपये है ।

ग्राम सराय मानसिंह जनपद वाराणसी में चकबन्दी

91–श्री मूल चन्द–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सराय मान सिंह तहसील भदोही जनपद वाराणसी में चकबन्दी आरम्भ होने के पूर्व गरीबों को आवंटित 106 बीघा जमीन जिस पर माल कागजात में लोगों के नाम दर्ज हैं, उसकी भी चकबन्दी करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

ग्राम सराय मान सिंह परगना व तहसील-भदोही जिला वाराणसी की खतौनी पर दिनांक 25-6-86 के 106 बीघे के पट्टों का अमलदरामद अंकित है ।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ज्ञानपुर के आदेशों के अन्तर्गत पट्टों का अमलदरामद स्थगित है और उक्त पट्टों की भूमि को ग्राम सभा सम्पत्ति मानकर चकबन्दी की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर जिलाधिकारी, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी के न्यायालय में पट्टों से सम्बन्धित वाद

92—श्री मूल चन्द—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर जनपद वाराणसी के न्यायालय में, भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198/4 के अन्तर्गत कुल कितने पट्टा मन्सूखी के बाद लम्बित हैं और कितने दिन से और कितनों में स्टे आर्डर जारी किया गया है ? लम्बित वादों का निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्रामों की आवंटित भूमि पर कब्जों की स्थिति

93—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम आबादान उर्फ बैरान, फिरोजपुर, गोंडउर, मसौनी, चमरारी दुडिहां, कनुवान, अवथही में ग्राम की भूमि वितरित कर दी गई है? यदि हां, तो कितने को कब्जा दिलाया गया है और कितने आज भी उस पर काबिज हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा आवादान उर्फ बैरान, मसौनी, चमरारी, ढुढिया में ग्राम सभा की सम्पूर्ण ग्राम सभा भूमि का वितरण कर उन पर 128 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है जिन पर वे काबिज हैं । ग्राम सभा गौड़उर एवं अवथहीं अभी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है अतएव भू-अभिलेखों के अभाव में आवंटन सम्भव नहीं है । ग्राम सभा कनुवान में 13-10-2 भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है । यह गांव अभी हाल में चकबन्दी प्रक्रिया से मुक्त हुआ है, अतः उपलब्ध भूमि का आवंटन कर उन पर कब्जा दे दिया जायेगा ।

ग्राम फिरोजपुर में आवंटन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । अतएव आवंटन एवं कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर की भूमि पर अवैध कब्जे

94—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा करीमुद्दीनपुर में चकबन्दी कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है ? यदि हां, तो चकबन्दी में इस गांव सभा में कितनी भूमि ग्राम समाज के लिए सुरक्षित की है और किन-किन उपयोगों में लेने हेतु कागजात में इनका इन्दराज किया गया ? क्या तहसील मुहम्मदाबाद में गांव समाज संबंधी भूमि के कागजात उपलब्ध हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम समाज की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? कब तक नाजायज कब्जा समाप्त कराकर गांव समाज की भूमि और सीलिंग से निकाली गयी भूमि पात्र व्यक्तियों में वितरित करके उन्हें कब्जा दखल दे दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, अभी प्रश्न नहीं उठता ।

लेखपाल श्री राम सुभगलाल, तहसील फरेन्दा, जनपद गोरखपुर की बहाली के संबंध में पत्र एवं कृत कार्यवाही

95–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के फरेन्दा तहसील में लेखपाल श्री राम सुभगलाल हल्का नं0 52 सन् 1976 के वर्ष में निलम्बित हो गए थे और जिन्हें बाद में बरखास्त कर दिया गया ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता लेखपाल ने ए0 डी0 एम0 (प्रशासन) गोरखपुर के यहां अपने बरखास्तगी के विरुद्ध अपील संख्या 4 प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय ए0 डी0 एम0 ने 23-4-77 को देते हुए बरखास्तगी को गैर कानूनी माना और परगनाधिकारी को पुनः विचार करने हेतु वापस कर दिया ? यदि हां, तो इन सब तथ्यों के साथ प्रश्नकर्ता ने भी जिलाधिकारी, गोरखपुर अतिरिक्त आयुक्त गोरखपुर को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो परगनाधिकारी ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम मठिया नरईपुर, जनपद देवरिया के पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के विषयक कार्यवाही की मांग

96–श्री विष्णु देव–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि तहसीलदार पडरौना जिला देवरिया द्वारा दिनांक 22-1-85 में मैनेजर पुत्र तिलक रज्जू, पुत्र तिलक सुन्दर पुत्र तिलक ग्राम मठिया नरईपुर, परगना सिधुवा जोबना को गाटा संख्या 116/391 प्रत्येक को 0.02 डिसमिल भूमि पट्टे पर देने के आदेश के उपरान्त गरीबों को अभी तक कब्जा न मिलने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी दिए गए पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाकर सदन को अवगत करायेगें ?

श्री अम्मार रिजवी–

मैनेजर पुत्र तिलक, रज्जू पुत्र तिलक और सुन्दर पुत्र तिलक ग्राम मठिया नरईपुर तहसील पडरौना, जिला देवरिया को आराजी नम्बर–116/391/0-06 डि0 भूमि में से प्रत्येक को 0-02 डि0 भूमि आवास स्थल हेतु आवंटित की गई है, जिसके आवंटन का प्रस्ताव परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 24-3-83 को स्वीकृत किया गया है । पट्टे वाली भूमि पर पट्टेदारान का कब्जा नहीं है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पट्टे के निस्तारण की कार्यवाही जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । उक्त वाद मु0 सं0-443/85, मुंशी आदि बनाम सुन्दर आदि के रूप में पंजीकृत है जिसमें अग्रिम तिथि बहस हेतु 24-3-88 निश्चित है ।

जनपद फैजाबाद में सूखा राहत योजना के अधीन निर्माण कार्यों में आवंटित धन का विवरण

97—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में सूखा राहत योजना के अधीन इस समय हो रहे निर्माण कार्यों में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों को धन आवंटित करने में क्या मापदण्ड अपनाया जा रहा है तथा सभी क्षेत्रों को समान रूप से धन आवंटित न करने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी इस बारे में पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

सूखा राहत योजना के अन्तर्गत कच्चे तथा पक्के निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गयी धनराशि का वितरण विकास खण्ड को इकाई मानकर किया गया है, विकास खण्ड वार वितरण की सूची संलग्न है।

यद्यपि जनपद के 9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के 18 विकास खण्डों का विकास कार्यों की इकाई मानकर बराबर-बराबर धन आवंटित करने का मापदण्ड अपनाया गया है। फिर भी अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत पांच विकास खण्डों को 14—14 हजार रु0 की धनराशि अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा अधिक अवमुक्त की गयी। इन पांच विकास खण्डों में से विकास खण्ड कटेहरी एवं भीटी माननीय प्रश्नकर्ता श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के क्षेत्र के अन्तर्गत है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 193 पर)

नायब तहसीलदार जसराना, मैनपुरी की आख्या 27-7-77 के संदर्भ में भूमि की संस्तुति एवं बैनामा

98—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा स0 वि0 स0 के अता0 प्रश्न सं0 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि नायब तहसीलदार जसराना मैनपुरी ने अपनी आख्या 27-7-77 में 3-36 एकड़ क्षेत्रफल की संस्तुति की थी तथा चारों के हिस्से में अलग-अलग 0-59 एकड़ क्षेत्रफल के हिसाब से 2-36 की संस्तुति की थी? क्या यह सही है कि स्वीकृति के बाद एकड़ का शब्द बढ़ाकर बैनामा लिख लिया गया था? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन द्वारा जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

नायब तहसीलदार द्वारा 3·36 एकड़ की संस्तुति की गयी थी परन्तु आवेदकों के प्रार्थना पत्र में त्रुटिवश कुल प्रस्तावित विक्रय हेतु भूमि का क्षेत्रफल 2·36 एकड़ लिख दिया गया है इस त्रुटि के आधार पर ही चारों के हिस्से में 0·59 एकड़ भूमि का आकलन समान रूप से कर दिया गया था जबकि वस्तुतः इसे 0·84 एकड़ प्रति व्यक्ति होना चाहिए। इस त्रुटि में वस्तुतः कोई व्यक्ति दोषी नहीं है क्योंकि विक्रय हेतु प्रस्तावित 6 नम्बरान जिसका योग क्षेत्रफल 3·36 होता है को ही विक्रय करने की अनुमति दी गयी थी।

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा डोमनपुर, वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

99–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डोमनपुर विकास क्षेत्र भदोही तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप परगनाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा जांच कराये जाने पर सिद्ध पाये गये थे एवं परगनाधिकारी द्वारा उक्त प्रधान के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 22-3-84 तथा पूरक आरोप पत्र दिनांक 8-6-84 जारी किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त प्रधान के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

कथित ग्राम प्रधान के विरुद्ध जारी किए गये आरोप पत्र दिनांक 22-3-84 तथा पूरक आरोप पत्र दिनांक 8-6-84 की विधिवत जांचोपरान्त प्रधान को मात्र कागजातों का रख रखाव ठीक ढंग से न करने का दोषी पाया गया जिसके संबंध में उन्हें कठोर चेतावनी दी गई है। शेष आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में उसे दोष मुक्त पाया गया।

जौनपुर के मेहरांवा गांव में जमीन के पट्टे व नाजायज कब्जे

100–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज के मेहरांवा गांव में भूदानयज्ञ में कुल कितने जमीन के पट्टे ग्रामवासियों को दिये गये? अब तक कितने लोग पट्टा प्राप्त जमीन पर कब्जा पा चुके हैं? जो अब तक कब्जा नहीं पाये हैं उनको कब्जा दिलाने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उपरोक्त जमीन पर कब्जे के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

101—श्री पारस नाथ यादव—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

बलिया जनपद के आई0 टी0 आई0 स्कूलों में आरक्षण के संबंध में कथित शिकायतों पर कार्यवाही

102—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में आई0 टी0 आई0 बलिया व आई0 टी0 आई0 रसड़ा में आरक्षित स्थानों पर वर्ष 1985-86 व 1986-87 में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों आदि की भर्ती में क्या अनुपात रहा है? क्या इस सम्बन्ध में शासन को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सईदुल हसन—

बलिया जनपद में आई0 टी0 आई0 बलिया तथा आई0 टी0 आई0, रसड़ा में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित स्थानों के विपरीत भर्ती का अनुपात परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 194 पर)

ग्राम सखवनिया जनपद देवरिया में सीलिंग से प्राप्त भूमि के आवंटन के संबंध में

103—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सखवनिया परगना-सिधुवा-जोबना, तहसील-पडरौना, जिला-देवरिया में सीलिंग से निकली हुई भूमि है? यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल क्या है और उसे पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने में विलम्ब का कारण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। 5.27 एकड़ भूमि सीलिंग कार्यवाही में अतिरिक्त घोषित की गयी है परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2-4-1988 तक कार्यवाही स्थगित कर दिये जाने के कारण अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन पात्र व्यक्तियों को नहीं किया गया है।

ग्राम पापरा जनपद देवरिया में हदबन्दी से बचने के लिये फर्जी तौर पर इन्द्राज

104—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-पापरा थाना-कसया, परगना-सिधुवाजोबना, तहसील-पडरौना, जनपद-देवरिया में हदबन्दी से बचने के लिए राजा खगेन्द्र प्रताप बहादुर शाही तमकही स्टेट ने अपने ससुराल खदौली, आनापुर, इब्राहिमपुर जनपद-इलाहाबाद के अनेक लोगों के नाम फर्जी तौर पर इन्द्राज करा दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त राजा की ससुराल आनापुर है और ये फर्जी नाम वहां के कुछ नौकरों के हैं जिनका कभी भी इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है? यदि हां, तो इस भूमि हदबन्दी में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है।

ग्राम परसोही जनपद फैजाबाद में आवंटी हरिजनों को कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में

105—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फैजाबाद तहसील बीकापुर परगना पश्चिम राठ के गांव परसोही में जो भूमि (गाटा संख्या 424) 1975 में हरिजनों को आवंटित की गयी थी उस पर आवंटी हरिजनों को कब्जा मिल गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया तथा कब तक दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

मौके पर उक्त भूमि पर मंदिर, पेड़ तथा सरिया मौजूद है, जिस पर श्री सूर्य नारायण पुत्र माता प्रसाद निवासी परसुही अपना कब्जा बताते हैं और इसी आधार पर एक वाद संख्या 406 सूर्य नारायण बनाम अयोध्या आदि न्यायालय अपर जिलाधिकारी फैजाबाद में धारा-198 (4) ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन है। उक्त वाद में बहस हेतु पेशी दिनांक 15-3-88 निश्चित है। वाद के निर्णय के उपरान्त ही कब्जा दिलाने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रबंधक टैगोर बाल मंदिर, पुखरांया, कानपुर देहात के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

106—श्री अचल सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक टैगोर बाल मंदिर पुखरायां जनपद कानपुर देहात के भ्रष्ट आचरणों के विरुद्ध श्रम निरीक्षक पुखरांया कानपुर देहात को सम्बोधित श्री राम गणेश मिश्र ग्राम विरोहा पोस्ट भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात का कोई शिकायती पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 3-9-87 को प्राप्त कराया गया है? यदि हां, तो क्या आरोपी के विरुद्ध श्रम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सईदुल हसन–

जी हां। श्री राम गनेश मिश्र का शिकायती पत्र श्रम निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुआ था और उसमें उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत पर्यवेक्षक के पद पर टैगोर बाल मन्दिर पुखरांया कानपुर देहात की सह संस्था राष्ट्रीय समाज कल्याण समिति द्वारा कम वेतन दिये जाने का आरोप लगाया गया था। संबंधित समिति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी, क्योंकि उक्त मामला श्रम विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता दूसरे समिति के रिकार्ड के अनुसार श्री मिश्र को पूरा वेतन भुगतान होना पाया गया। शिकायतकर्ता को श्रम निरीक्षक द्वारा 8-9-87 को उत्तर भी भेज दिया गया।

सकरांडी गांव करहियां जनपद गाजीपुर की भूमि का उपयोग

107–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के करहिया गांव के समीप एक ऊंचा सा टीला है, जिसे सकराडी कहते है इसके अधीन कितनी भूमि है और किन-किन ग्राम सभाओं में है? यह भूमि वर्तमान समय में किस उपयोग में ली जा रही है? क्या यह ग्राम सभा की सम्पत्ति है? यदि हां, तो उक्त भूमि को पिछले 10 वर्षों की आय किसके द्वारा किस-किस उपयोग में लायी गयी, इसकी व्यवस्था और देख-रेख का कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या उक्त भूमि का उपयोग निजी स्वार्थों में किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम दौलतपुर कलां, बुलन्दशहर में व्यक्तिगत सम्पत्ति

108–श्री इम्तियाज मो0 खां–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड ऊंचा गांव दौलतपुर जनपद बुलन्दशहर में कितने क्षेत्रफल में व्यक्तिगत सम्पत्ति पंजीकृत है जो मौके पर कब्रिस्तान व ईदगाह है? क्या उपरोक्त भूमि की नौइयत परिवर्तन करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

विकास खण्ड ऊंचा गांव के ग्राम दौलतपुर कलां में खेत नं0 491/9-18-0 में से 0-10-0 बिस्वा भूमि में कब्रिस्तान व ईदगाह है, जो खातेदार की निजी सम्पत्ति है। असल कृषक की अनुमति के बिना नौइयत परिवर्तन सम्भव नहीं है। नौइयत परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग्राम प्रधान भदोखर, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

109—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम भदोखर परगना हवेली तह0 व जिला फैजाबाद द्वारा अपने पुत्रों को व अन्य पारिवारिक जनों के नाम दिये गये ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे के विरुद्ध श्री परवेज अख्तर ग्रामवासी द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को कोई शिकायती पत्र दिनांक 3-1-83 दिनांक 6-1-83 को प्राप्त कराया गया है? यदि हां, तो शिकायत के मुख्य मुख्य बिन्दु क्या है और संदर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, अपितु दिनांक 13-10-86 को श्री परवेज अख्तर से सम्पर्क करके उल्लिखित पत्रों की फोटो प्रतिलिपि प्राप्त की गई, जिसकी जांच करायी गयी। जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम प्रधान ने अपने पुत्रों व अन्य परिवारिकजनों के नाम ग्राम समाज भूमि का पट्टा किया जिनके सम्बन्ध में अनियमितता के आधार पर वाद मुख्य राजस्व अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें, पेशी हेतु दिनांक 8-4-88 नियत है। वाद के निर्णय के बाद ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है।

ग्राम भिटहा तथा फिदाईपुर, जनपद बस्ती में ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

110—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भिटहा तथा फिदाईपुर, परगना महुली पूरब, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती में गोमती प्रसाद चतुर्वेदी एवं सूर्य नारायण चतुर्वेदी द्वारा ग्राम सभा भूमि पर अवैध कब्जे कर लिये गये हैं ? क्या परमात्मा प्रसाद चतुर्वेदी एवं श्री कोदई प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर परगनाधिकारी, खलीलाबाद द्वारा कब्जा हटवाने तथा अवरुद्ध मार्ग, चक नाली चकरोड एवं ग्राम का मुख्य मार्ग एवं अवैध निर्माण को रुकवाने के विषय में एवं पैमाइश कराकर कब्जा हटवाने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो किन-किन तारीखों में पैमाइश करायी गयी तथा किन-किन तारीखों में कब्जा हटवाया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी हां ।

मार्च, 1986 में पैमाइश करायी गयी थी परन्तु कब्जा न छोड़ने के कारण अप्रैल, 1986 में बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । 21-11-87 व 21-12-87 को नियम 115 सी के अन्तर्गत उन्हें बेदखल कर दिया गया। दि0 14-3-88 को कब्जा हटाकर भूमि ग्राम सभा को प्रत्यावर्तित कर दी गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मिश्रीलाल लेखपाल, ग्राम भारीडीह, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध जांच

111—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टाण्डा तहसील में स्थित ग्राम भारीडीह के निवासियों ने लगभग दो वर्ष पूर्व परगनाधिकारी, टाण्डा और तत्कालीन जिलाधिकारी श्री इन्द्र कुमार पाण्डेय को एक प्रार्थना-पत्र दे कर तत्कालीन हल्का लेखपाल श्री मिश्रीलाल पर भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उसकी फर्जी कार्यवाही लिखने और उसी के आधार पर लोगों से पैसा लेकर ग्राम समाज की भूमि का पट्टा देने का आरोप लगाया था ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा की गयी और जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त लेखपाल को केवल स्थानान्तरित कर दिया गया है और स्थानान्तरित होने से पहले उसने अपने विरुद्ध दरख्वास्त देने वाले अधिकांश लोगों पर 122 बी0 ज0 उ0 एक्ट का फर्जी मुकदमा कायम कर दिया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । इसकी जांच भूलेख निरीक्षक द्वारा स्थल पर की गई। जांच में सभी शिकायतें सही नहीं पायी गयीं। भूमि आवंटन के प्रस्ताव के फर्जी होने का मामला सिद्ध नहीं हुआ तथा लेखपाल द्वारा पैसा लेने की शिकायत की भी पुष्टि नहीं हो सकी । आवंटन प्रस्ताव में कतिपय अनियमिततायें पायी गयीं । जिसके लिए स्थानान्तरण के कारण अतिरिक्त श्री मिश्रीलाल लेखपाल की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा ग्राम प्रधान को चेतावनी दी गई। लेखपाल ने धारा 122 बी0 उ0 प्र0 ज0 वि0 अधिनियम के अन्तर्गत 15 व्यक्तियों के विरुद्ध गांव सभा सम्पत्ति पर अनाधिकार कब्जा करने की रिपोर्ट की है जिसमें सभी शिकायतकर्ता नहीं हैं। ये सभी मामले अपर तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन हैं।

गांव सभा अवथही, गाजीपुर की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग

112—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तह0 मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा अवथही में गांव समाज की कुल कितनी भूमि है ? क्या उक्त गांव सभा में चकबन्दी प्रक्रिया की धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त गांव सभा में भूमिहीनों की संख्या कितनी है और कितने पात्र व्यक्तियों में अब तक गांव सभा की भूमि आवंटित की गयी है ? क्या गांव सभा की जमीनों पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है उनके विरुद्ध बेदखली की कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो कब तक गांव सभा की भूमि पर अवैध कब्जा समाप्त कराकर पात्र और भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

तहसील मुहम्मदाबाद स्थित गांव सभा अवथहीं में कुल 5 राजस्व ग्राम हैं इनमें से दो ग्राम चक्खली कहरिहरपाह एवं चकहकीम में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो गयी है और धारा—52 का प्रकाशन हो चुका है। शेष तीन ग्रामों में अभी चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अतएव पूरे गांव सभा की अपेक्षित सूचना दिए जाने का प्रश्न नहीं है।

जनपद बस्ती की नौगढ़ तहसील के ग्राम खुटवा आदि में किये गये पट्टों की जांच

113—श्री धनराज यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तह0 में ग्राम खुटवा, तप्पा, नगवा में 1 जनवरी, 84 से 31 दिसम्बर, 86 के बीच कोई पट्टा किया गया है और यह पट्टा तत्कालीन उपप्रधान के परिवार एवं भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों के नाम से किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि पट्टे की जमीन में मंदिर-साधू की कुटी 20 वर्ष से अधिक के पेड़ों का बाग एवं पोखरे का भीटा है? यदि हां, तो इस पट्टे का प्रस्ताव किस वर्ष एवं किस तारीख में किया गया था और कौन-कौन से सदस्य उपस्थित थे ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत पट्टे की जांच करवा कर पूरे तथ्य से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत अवधि में भू0 प्र0 स0 ग्राम खुटवा तप्पा नगवा ने पट्टा हेतु 3 प्रस्ताव पारित किया जिसमें दिनांक 20-2-86 का प्रस्ताव परगनाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया एवं शेष दो स्वीकृत किया गया । दिनांक 20-2-86 के प्रस्ताव में भू0 प्र0 स0 के अध्यक्ष श्री कोइल, सदस्य, श्री बहादुर एवं उनके भाई श्री सीताराम के लिए पट्टे का प्रस्ताव हुआ था जो नियमानुसार न होने एवं अपात्र व्यक्तियों के पक्ष में होने के कारण परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 25-2-86 को अस्वीकृत कर दिया गया । दिनांक 20-2-86 द्वारा पट्टे हेतु प्रस्तावित भूमि में आबादी 20 वर्ष पुराने पेड़ों का बाग एवं पोखरे का भीटा है। इस पट्टे का प्रस्ताव दिनांक 20-2-86 को किया गया था । इस प्रस्ताव हेतु श्री कोइल प्रधान, श्री दुलारे उप प्रधान एवं सदस्यों में शिवरतन, बहादुर मिठाई लाल उपस्थित थे । चूंकि गलत पट्टे का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, सरकार श्रमिकों के बारे में नीति की उपेक्षा कर रही है, इस संबंध में मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, मेरी व्यवस्था आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया प्रश्नों के संबंध में आप लोग व्यवस्था न उठाइये ।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, कल नेता विरोधी दल ने एक पत्रकारों का सम्मेलन किया और उसमें सदन की कार्यवाही को षडयन्त्र कहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में आपकी नोटिस आ चुकी है। उस पर विचार हो रहा है। आप अब इसे यहां पर न उठायें।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्नों के संबंध में तो नहीं है।

श्री राम शरण दास–

जी मान्यवर, प्रश्नों से ही संबंधित है, मेरा एक प्रश्न जो अतारांकित प्रश्न संख्या 41 पर है जो मुझे मिला है, जिस पर न तो राजस्व मंत्री का नाम लिखा हुआ है और न ही उस पर किसी के दस्तखत हैं, इसके ऊपर आप अपनी कृपया व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

दस्तखत होने चाहिए, भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, क्या यह जवाब माननीय मंत्री जी का माना जायेगा ?

*श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न पर भी माननीय नेता विरोधी दल का जवाब दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इसका उत्तर माननीय राजस्व मंत्री जी से दिलवा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो मैंने सुना है कि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसा प्रश्न पहुंचा है, जिसमें नाम नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो मुझे खेद है और भविष्य में इसका ख्याल रखा जायगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि जिस उत्तर में न नाम है और न दस्तखत हैं तो क्या यह उत्तर माना जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

माना जायेगा क्योंकि उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है, अगर वह खेद प्रकट न करते तो बात दूसरी थी, लेकिन जब उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है, तो माना जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, हमारे प्रश्न के सन्दर्भ में भी मा0 नेता विरोधी दल से खेद प्रकट करवा दें क्योंकि उन्होंने 23 तारीख को पत्रकार सम्मेलन में सदन की कार्यवाही को षडयन्त्र बताया है, जो उचित नहीं है. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठें मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

आज नियम 301 के अन्तर्गत 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं। जिनमें से पहली सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की, दूसरी सूचना श्री सुन्दर लाल की, तीसरी सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की, चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह, पांचवीं सूचना श्रीमती विजय लक्ष्मी की, छठी सूचना श्री सैय्यद अली अशरफी की और सातवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी की है और शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं। यह सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायं ?

नियम 301 की सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस में हम लोग बराबर देख रहे हैं कि जो यह सूचनाएं शलाका द्वारा स्वीकार होती हैं और सब की सब पढ़ी हुई मान ली जाती हैं, जबकि उनमें से कुछ मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी सूचना स्वीकार होकर पढ़ी हुई मान ली जाती है। एक तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें, दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि उसी विषय पर मैंने प्रश्न किया था और उसी विषय पर दूसरे माननीय सदस्य ने प्रश्न दे दिया, वह भी स्वीकार हो गया। उदाहरण के लिए मैंने आगरा जिले में नील गायों की बढ़ती हुई संख्या के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्या पर प्रश्न दिया था और उसी विषय पर अन्य सदस्य ने दे दिया, वह भी स्वीकार हो गया। एक विषय पर दो-दो सूचनाएं स्वीकार हो जाती हैं, तो यह बहुत गम्भीर मसला है इस सम्बन्ध में, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप अपनी व्यवस्था दें और क्या आप सहमत हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि राणा साहब ने जो प्रश्न उठाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग आज गैरहाजिर हैं उनकी सूचनायें स्वीकार कर ली गयी हैं। आपकी कार्यवाही में जिसके लिए इसको उठाया गया था वह इसलिए बनाया गया था कि जो ज्वलन्त प्रश्न हैं वह 301 में उठाये जायें। मान्यवर, जब वह कार्यवाही में आ जायेगा तो आप उनको गैरहाजिर कैसे मानेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उनको पढ़वाये लेता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है। जो लोग उपस्थित नहीं हैं उनको उपस्थित मान लिया। तो यह मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पढ़वाने की बात तो अलग है, वह उपस्थित तो हो गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो सदस्य उपस्थित हैं, वही तो पढ़ सकेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

आप उपस्थिति देख लें।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मैंने नियम 301 में सूचना दिया है उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री सुन्दर लाल एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना को पढ़ा हुआ माना गया)

जिला वाराणसी के सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय में एल0 टी0 प्रशिक्षण सत्र शून्य किये जाने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान जनपद वाराणसी के सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय में एल0 टी0 प्रशिक्षण हेतु लगभग एक सौ चयनित छात्रों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। ये छात्र वर्तमान सत्र के लिए चयनित किये गये थे, परन्तु पूरा साल भर प्रतीक्षा के बाद, शून्य घोषित कर दिया गया। अब इन छात्रों का भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। सरकार इन छात्रों के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध करना चाहती है?

मेरा आपसे अनुरोध है कि इन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार न्यायोचित निर्णय लेने का कष्ट करे।]

उन्नाव जिलान्तर्गत 'लोनी ड्रेन' की खुदाई में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल–

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत "लोनी ड्रेन" की खुदाई हेतु शासन ने 32 लाख रुपये सिंचाई विभाग, उन्नाव को दिया था जिसके घोटाले की ओर आकर्षित करता हूं लोनी ड्रेन से बरसात के दिनों में उन्नाव जनपद के सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं और यही नहीं काश्तकारों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होकर उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इस लोनी ड्रेन के निर्माण के लिए पिछले वर्ष 32 लाख रुपया स्वीकृत किया था जिसको सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता,

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहायक अभियंता एवं अवर अभियंताओं ने मिलकर एवं साजिश करके इस ड्रेन का निर्माण केवल कागजों पर दिखाया गया है और शासन द्वारा स्वीकृत धन 32 लाख रुपया उन्नाव के उक्त सिंचाई अभियन्ता हड़प गये हैं। जिससे उक्त ग्रामों के लोग जो इस ड्रेन से प्रभावित होते हैं, में भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि बरसात के पहले प्रदेश की टी0 ए0 सी0 (टेक्निकल कमेटी) द्वारा जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय और लोनी ड्रेन को उक्त धन से निर्मित कराया जाय ।]

इलाहाबाद जनपद के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[महोदय, इलाहाबाद जनपद के सड़कों की हालत खतरनाक हो गयी है। विश्व बैंक योजना में शहर की मुख्य सड़कों का निर्माण तो कराया गया किन्तु मुहल्लों की सड़कें बहुत ही टूटी-फूटी जर्जर हालत में हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। अल्लापूर, कचहरी कटरा, मम्फोर्ड गंज, साहेबतियाबाग, चांदपुर सलोरी, सादियाबाद, अलोपीबाग, बैरहना, तालाब नवलराय, कीटगंज, बाई का बाग, दरभंगा, अशोक नगर, तेलियरगंज, जौधवल, बड़ा-छोटा बघाड़ा, रामप्रिया रोड, मऊ सरैयां, नेवादा, बक्शी खुर्द, बक्शी कलां, रेलवे कालोनी स्मिथ रोड, चिल्ला, भुलई का पुरा, स्वराज्य नगर, कर्नलगंज, लाला की सरैयां, ओम गायत्री नगर, गणेश नगर, कमला नगर, नयापूरा स्टैनली रोड, मेंहदौरीगांव आदि की सड़कें या तो ध्वस्त हो गयी हैं या तो नामो-निशान ही मिट गया है। कुम्भ मेला आने वाला है। करोड़ों लोगों (यात्रियों) की बाहर से आने की भी सम्भावना है। करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल उपरोक्त मुहल्लों की सड़कों की मरम्मत व निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

नियम 301 की सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिन लोगों ने नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें दी हैं, वह तो अभी तक चालू परम्परा के अनुसार यही समझते होंगे कि इनको पढ़ा हुआ माना जायेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि आज इस नियम को शिथिल कर दिया जाये और आगे से लागू किया जाये ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

7 में से 3 ही उपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

जो नहीं हैं, उनकी सूचनायें अस्वीकार करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

विजय लक्ष्मी जी आ गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

उसको अस्वीकार करता हूं। जो कुछ होना था हो गया। अस्वीकार कर दिया है। अब निर्णय हो गया है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आपने ही एतराज किया था कि जो अनुपस्थित हों, उनकी सूचनाएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। इसलिए वह अस्वीकृत की गयीं। कृपया बैठ जायं।

पंजाब में इमरजेन्सी लगायी जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पंजाब में संविधान के अन्तर्गत जो इमरजेन्सी लगायी गयी है वह गैर-जनतांत्रिक है...

श्री उपाध्यक्ष–

वह पार्लियामेंट को अधिकार है, हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

वह गैर संवैधानिक है और संविधान के मूलभूत स्वरूप पर इसका असर पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो पार्लियामेंट की बात है। जब वह आपके पास आयेगा तो उस पर चर्चा कर लीजिये।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उठाया है, वह औचित्य का प्रश्न बनता है।

(व्यवधान)

*श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है..

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

पाण्डेय जी, आप बैठिये । वह मैं अस्वीकृत कर चुका हूं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

नियमों के परे आपकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये । अस्वीकार कर चुका हूं। वह दुबारा नहीं आयेगा । आप समय को बरबाद न करिये । समय आपका है। आप अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, शतरुद्र प्रकाश जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो 59वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है वह औचित्य के प्रश्नों की ग्राह्यता के तहत हमारी नियमावली के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। उसके सम्बन्ध में खासतौर से मुझे यह कहना है कि जो 59वां संशोधन विधेयक लाया गया है उसके अन्तर्गत जो आंतरिक सुरक्षा की भावना थी.... (व्यवधान) उसे ठेस पहुंच रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

जब वह हमारे पास आ जाय । तब कहियेगा । इस समय इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

उपाध्यक्ष जी, आप सिर न हिलायें । यह औचित्य का प्रश्न बनता है। आखिर आप इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं ? (व्यवधान) संविधान का हनन हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष–

इससे संविधान का कहां उल्लंघन हो रहा है। संविधान कहां टूट रहा है।

श्री सत्यपाल सिंह–

सन् 77 में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है... (व्यवधान) आन्तरिक सुरक्षा के प्राविधान को हटाया न गया होता । मान्यवर, वर्तमान सरकार ने बानगी के रूप में वहां पर आपात्कालीन स्थिति लागू की है और उसके बाद 60वां विधेयक वे लायेंगे । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न पर आप विचार कर लें।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

हम सब लोग इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, देश की सर्वोच्च संस्था जो कानून बनाने वाली है उसके बारे में यहां पर किसी भी तरह की चर्चा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

सदन की कार्यवाही अनियमित तथा अव्यवस्थित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न इस सन्दर्भ में है कि इस सत्र में मैं शुरू से यह देख रहा हूं कि जो हमारी नियमावली है, जो परम्परायें हैं उन्हें विखण्डित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि परसों उस आसन से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यह सदन अपने बिजनेस का मास्टर है। उसने बजट पास कर दिया, वह पास माना जायेगा । इसे मैं शिरोधार्य करता हूं । आपकी पीठ से जो व्यवस्था होगी उसे मैं चुनौती नहीं दूंगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर परम्पराओं की रक्षा, नियमों की रक्षा आपका आसन नहीं करेगा तो कौन करेगा ?

आप जब यह व्यवस्था देते हैं कि सदन अपनी बिजनेस का मास्टर है तो वहीं पर यह भी अन्तर्निहित है कि सदन की जो भी बिजनैस होगी वह नियमों के अन्तर्गत, संविधान के अन्तर्गत हो । अगर नियमों की अवहेलना करके, संविधान का उल्लंघन करके कोई बिजनैस हुआ तो मेरा निवेदन है कि आपकी पीठ से मान्यता नहीं दी जानी चाहिए । अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में व्यवस्था दे भी दी तो कम से कम ऐसी व्यवस्था मत दीजिये . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी आप तो व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं जो व्यवस्था हो गयी उस पर चर्चा का मौका नहीं है। आपने व्यवस्था के बारे में कुछ लिख कर नहीं दिया था । उसे अलग से उठायें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था हो गयी ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह हमीं तक महदूर नहीं रहेगी आज से 20 साल बाद रिसर्च स्कालर आकर जब प्रोसीडिंग को पढ़ेंगे और व्यवस्था को देखेंगे तो वह क्या कहेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो आदर्श हैं, जो परम्परायें हैं, हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे विशेषाधिकार हैं वह हमें कहां से मिलते हैं, हाउस आफ कामन्स से मिलते हैं । मैं आपसे सीखना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि आप एक दृष्टांत दे दीजिये कि "मे" पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में यह व्यवस्था है, या हाउस आफ कामन्स में बजट इस प्रकार पास कराया हो । इंग्लिश पार्लियामेंट जिसे हम आदर्शों के लिए निहारते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है कि "इट कैन मेक ए मैन आमन एण्ड वोमन मैन" तो उसके पीछे एक मंशा है कि वह सर्वोच्च है। उसकी सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए, इतिहास साक्षी है कि कितने ही अध्यक्षों ने फांसी के फंदों को चूमा है। इस तरह की एक पृष्ठभूमि है । [x x x] आपके कक्ष में जो वार्तायें होती हैं शालीनता का तकाजा है, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है उसमें उनका जिक्र यहां पर नहीं होना चाहिए । लेकिन उनका जिक्र यहां होता है। [x x x] मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

के साथ प्रार्थना करना चाहूंगा उसके लिए आपकी पीठ पर बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं। आपके कक्ष में जो वार्ता होती हैं जो समझौता होता है उसको लागू कराने की जिम्मेदारी आपकी है और शासन पक्ष में यह शालीनता होनी चाहिए कि वहां जो कुछ हुआ उसके अनुरूप घोषणा करें। यदि उसका पालन वह नहीं करते हैं तो पालन कराने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आपकी पीठ पर बैठे लोगों की होती है। कार्य मंत्रणा समिति में जब कोई बात जाती है तो उस पर चर्चा होती है तो वह भी नियमों के अनुरूप होनी चाहिए लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। हमें बजट पर 24 दिन बहस करने की अनुमति है नियमों के अन्तर्गत तो उसमें परिवर्तन करके 17 दिन कर देते हैं। तो वहां पर हम आपसे हस्तक्षेप करने की अपेक्षा करते हैं।

इसी तरह प्रश्नों के बारे में होता है जो प्रश्न नियम 28 की शर्तें पूरी करता है, 45 में स्वीकार कर लिया और 46 में दिन निर्धारित हो गया तो फिर सरकार द्वारा दबाव डाल कर कोई अधिकार नहीं है कि उसे अस्वीकार करवा ले। [x x x] मैंने उसके बारे में भी औचित्य का प्रश्न दिया है। मैंने पूछा था कि गन्ने का मूल्य बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से चीनी की मूल्य कई गुना बढ़ गये हैं उसमें एकरूपता लाने के लिए सरकार क्या कर रही है तथा चीनी के मूल्य ज्यादा कराने का क्या कारण है....

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी अब आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है उसके अलावा मैं कोई और बात नहीं कर रहा हूं। जब आप इस तरह से टोकते हैं वहीं से अव्यवस्था पैदा होती है। तो मैं कह रहा था कि जब एक बार स्वीकार हो गया, नियमों के अन्तर्गत उसका दिन निर्धारण हो गया तब वह एजेंडा पर आना चाहिए और उसमें से जितने का जवाब सरकार देना चाहे दे तथा बाकी के बारे में कह सकते हैं कि उत्तर देना जनहित में नहीं है। इसी तरह से पर कैपिटा इनकम के बारे में जिलों की मैंने पूछा था उसमें कहा गया कि यह हमसे सम्बन्धित नहीं है। अगर प्रश्न स्वीकार कर लिया तो उसकी जानकारी सरकार नहीं देगी तो कौन देगा ? मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप 1977 की विधान सभा की कार्यवाही देख लें वही प्रश्न हू-बहू मेरा था उसमें सरकार ने जवाब दिया था और उसमें आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार हुई थी। आज कहा जाता है यह सूचना भारत सरकार देगी। जिलों-जिलों में योजनाओं पर प्रति व्यक्ति परिव्यय क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में परकैपिटा इनकम क्या है, इन सूचनाओं के लिए भारत सरकार की ओर देखेंगे। इसी तरह नियमों में है कि एक बार से ज्यादा प्रश्न स्थगित नहीं किया जायेगा लेकिन दो बार स्थगित हुआ जो भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न है। यदि इस पर आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो क्या होगा। इसलिए एक निवेदन है कि जिस समय आप

नोट :– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

व्यवस्था दें, उस आसन पर बैठे लोगों को यह जरूरत है सोचने की कि इससे सदन के अधिकारों में कटौती होगी या हमारे अधिकारों, सदन के अधिकारों की रक्षा की जायेगी । यदि उस पैमाने पर आपको लगे आपकी व्यवस्थाओं से हमको संरक्षण नहीं मिलेगा तो आपको पुनर्विचार करना चाहिए । यदि विशेष परिस्थितियां हो गयी थी, इसलिए ऐसा हुआ, करा दिया । तो कम से कम उस पीठ से, अध्यक्ष की पीठ से व्यवस्था हो जानी चाहिए कि एक विशेष परिस्थिति पैदा हो जाये तो अलग बात है लेकिन भविष्य के लिए वह परम्परा नहीं बनेगी, इतना कम से कम आपकी पीठ से व्यवस्था होनी चाहिए ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैंने एक पृथक औचित्य का प्रश्न दिया था । आपकी पीठ द्वारा जब-जब व्यवस्था दो-तीन दिनों में दी गयी है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं लेकिन मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं, आये थे और आगे भी शायद आ जायं जिससे सदन में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाये जो संवैधानिक न हो, इसके लिए प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और आपका आसन, तीनों जिम्मेदार हैं। जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब सरकार जनहित के मामले में उचित होते हुए भी ध्यान नहीं देती तो विरोध पक्ष में उग्रता आती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हमारी नियमावलियों को आप देख लें कि सदन नियमावली के अनुसार, संविधान के अनुसार और माननीय अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर दिए गये निर्णयों के अनुसार चलेगा, इसलिए जब सदन अव्यवस्थित होता है तो उसको व्यवस्थित करने का आपका दायित्व है। नियमावलियों में व्यवस्था दी गयी है जिसकी दो बातें मैं पढ़ना चाहता हूं। नियम 299 को आप देखें–

299–सदन में शांति और व्यवस्था–(1) अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे, तो यह कार्यवाही करेंगे । (2) अध्यक्ष किसी सदस्य को इंगित कर सकेंगे । अन्तिम (6) सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिए जिसे वह निर्धारित करें, निलम्बित कर सकेंगे । तो यह सब आपको अधिकार हैं। लेकिन आप नियमावली, पूर्व दृष्टांतों को देखें, भारत सरकार के संविधान को और कौल और शकधर की पुस्तक को देखें तो कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे तो खोजने से नहीं मिला कि सदन को व्यवस्थित करने के लिए जो भी आपको अधिकार दिये गये हैं मैं चुनौती नहीं देता हूं, हमारी श्रद्धा आपके प्रति है, आप और संसदीय कार्य मंत्री जी हमें बतायें कि किस नियमावली में दिया गया है कि अव्यवस्थित सदन में सदन की कार्यवाही चलायी जायेगी ? श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने विस्तार से कहा कि बजट पास हो गया लेकिन कटौती के प्रस्ताव को रखने का समय नहीं दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमने गेहूं की कीमत के बारे में आपको कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचना दिया था लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि यह केन्द्र सरकार का विषय है। हर वर्ष इस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिए गये क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम राज्य सरकार करती है।

(व्यवधान)

आप सुन तो लें, उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया है, उस पर व्यवस्था हो गई है, सब नियमों से हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

भविष्य में जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो, आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, सद्बुद्धि से निर्णय करते हुए सदा इस बातों का ध्यान रखें और अव्यवस्थित सदन में कभी भी आप कार्यवाही चलाने की इस तरह से कृपा न करें।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, सुन लिया, अब बहुत हो चुका, आप बैठें। संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न अभी उठाया है, उसके कुछ अंश से मैं भी सहमत हूं। मान्यवर, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने बहुत ही विद्वतापूर्वक यह बताया कि क्या अधिकार है और आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जहां तक अधिकार का सवाल है और वह पीठ से मार्ग निर्देशन दे रहे थे, उसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे सदन में बैठे हुए लोगों का क्या कर्तव्य है, यह भी हमें देखना चाहिए। दोनों तरफ से जब कोई बात होती है, तब ही ऐसी कोई बात पैदा होती है। मैं दोनों सम्मानित सदस्यों से सहमत हूं कि जो सदन की परम्पराएं हैं, गरिमा है और जो आज बात होती है उसको इस तरह से करना चाहिए कि आगे वाले जमाने में जब कोई शोधकर्ता, छात्र, स्कालर या हिस्टोरियन इसके बारे में कुछ ऐसी बात लिखे तो जो लिखे ऐसा न हो कि उसे देखकर दूसरे कहें कि यह कैसी स्थिति वहां हुई थी। इसमें यह हमारा सबका कर्तव्य है, दायित्व है। इसमें सबकी गलती है, यह कहना कि कुछ की है, ठीक नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सदन ठीक से चले । बजट पर चर्चा में जो समय दिन की बात है, तो वैसे 14 दिन में बजट पास हुआ है और उससे भी कम दिनों में यह पास हुआ है, दिन कम है. इसे हमें मानने में कोई बुराई नहीं है । किन्तु क्या तिवारी जी हमें बताएंगे कि जो मूल्यवान समय हमें मिला, जिसके बारे में हमने बताया कि प्रश्नोत्तरकाल को छोड़कर , एक मिनट में साढ़े चार हजार रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का खर्च होता है, उसका सदुपयोग हम करते हैं। जो समय हमें मिला उसका क्या हमने सही उपयोग किया ? यह भी कहना कि अबकी बिलकुल चर्चा नहीं हुई, ठीक नहीं है । आप जानते हैं किसी भी दिन जो बजट लिया जाता है 3–4 घंटे से अधिक उसके लिए दिन नहीं होता है, किन्तु 10-10 बजे तक उसपर चर्चा चली है । बजट साढ़े नौ, नौ और दस घंटे तक चला है और 52-52 लोगों ने चर्चा में भाग लिया है । इसलिए यह कहना कि सरकार ने चर्चा नहीं कराई या कम समय चलाया, कहना न्यायपूर्ण नहीं होगा और जो समय हमें मिला उसका भी हमने सदुपयोग नहीं किया ।

कुछ अच्छी बात गुप्त जी ने कही है, आइये हम सब मिलकर इस पर विचार करें । मान्यवर, आप किसी भी कमेटी को बना दें, रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को रखें और उसमें मेरा यह सुझाव है कि आप उसके अन्दर यह देख लें कि कौन-कौन लोग सदन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। गलती सरकार की है तो उसको आप डांटिये, प्रताड़ित कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है । हम तो आपकी हर सजा, हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं । लेकिन क्या उसी तरह वह लोग यह मानने को तैयार होंगे जो पोडियम पर चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी साहब की मेज तक बढ़ जाते हैं और जो जिस गार्ड की कोई गलती नहीं है उनकी टोपी उछालकर आपकी ओर फेंकते हैं । मैं यह किसी गुस्से में, किसी जज्बात के तहत नहीं कह रहा हूं । क्या यह वास्तविकता नहीं है ? बाहर के लोग इसको देखकर कैसी टीका-टिप्पणी करते हैं? तिवारी जी ने हाउस आफ कामंस का उल्लेख किया।

(श्री राम शरण दास के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

उनकी बात सुन लें राम शरण दास जी ।

श्री अम्मार रिजवी–

विशेषकर आप माननीय राम शरण दास जी को ब्रिटेन, हाउस आफ कामन्स में भेजें यह वहां बैठकर देख लें, तो यह बतायेंगे कि वहां कैसे होता है ? यह स्वंय अनुशासित हैं लोग इनसे डरते भी हैं, यह बता देंगे कि वहां वेल में जाना या मार्शल के पास जाकर हाथ रख देना कितना मायने रखता है ? मान्यवर, हाउस आफ कामन्स की जब बात की जाती है तो एक पक्ष के लिए की जाती है और जो बातें हाउस आफ कामन्स में होती हैं उस पर यह नहीं जाते हैं। सरकार से भी कहीं-कहीं गलती होती है इससे हम इन्कार नहीं करते हैं बहुत से प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि उन पर सही उत्तर नहीं आ पाता है हम उसमें प्रयास करते हैं । आप भी हमसे कहिए कि उत्तर आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें रामशरण दास जी से ही इतना क्यों डरते हैं इनको ही क्यों भेजा जाए ?

श्री अम्मार रिजवी–

मैंने कोई भी कहा था इसमें बहुत से लोग आते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इसमें माननीय उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

इसमें गोपाल दास जी और शारदानंद अंचल हो सकते हैं हरदेव जी हो सकते हैं, सुरेन्द्र सिंह जी हो सकते हैं ।

(हंसी)

इन्होंने अच्छा औचित्य का प्रश्न उठाया है । मान्यवर आप एक फोरम ऐसा बना दें । मेरा माननीय शतरुद्र प्रकाश जी से और माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध है यह देखें वहां के सदनों में कैसे चर्चा होती है ?

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मुझे माननीय मंत्री के उत्तर पर न कोई टिप्पणी करनी है और न ही कोई सफाई देनी है । मैं एक-दो मिनट आपके लूंगा । माननीय अम्मार रिजवी जी बहुत विद्वान सदस्य हैं और यह संसदीय कार्यमंत्री भी हैं । यह सारी दुनिया घूम आए हैं । मैं तो बेलग्राद तक गया हूं । इन्हें और भी इच्छा है इनको आप भेज दीजिए । मुझे दूसरी दुनिया से सबक नहीं लेना है मुझे अपनी दुनिया से सबक लेना है । मान्यवर, जैसा इन्होंने भी कहा आप एक कमेटी बना दें, जो इस बात की जांच कर लेगी जो यहां व्यवधान हुआ है उसमें कौन दोषी है ? मैं चैलेन्ज के साथ कह देना चाहता हूं कि नम्बर एक के दोषी यह हैं । दोषी अम्मार रिजवी साहब हैं । . . .

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

इन्होंने तो मान्यवर, पहले ही बता दिया कि हम दोषी हैं । अब कमेटी बनाकर क्या होगा ?

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जो झगड़ा हुआ उसको कराने के जिम्मेदार माननीय अम्मार रिजवी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आपने कह दिया कि यह दोषी हैं तो कमेटी बनाने की क्या जरूरत है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जब 16 तारीख को नोटिस मिल गई, तो इन्होंने सत्यपाल यादव जी से क्यों नहीं कहा ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

इस बात को आप हाउस में न कहें ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

इन्हीं की करतूतों से यह सब हुआ है । [xxx] मान्यवर, आप इनका आचरण देख लें और हमारा आचरण देख लें यह हमको प्रीच करते हैं ।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर व्यवधान के मध्य)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इनका आचरण देख लीजिये । यह हमारे लोगों को कहते हैं लेकिन यह अपने लोगों का आचरण देख लें । सबसे ज्यादा अगर अव्यवस्थित करा रहे हैं तो अम्मार साहब हाउस को करा रहे हैं क्योंकि इनका कोई हुक्म नहीं मानता है । हुकुम सिंह जी ने तो अपना काम छोड़ दिया है लेकिन इनको तो सब लोगों ने रीजेक्ट कर दिया है, इनका कहना कोई नहीं मानता है । मैं चाहता हूं मान्यवर, आप एक कमेटी बना दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कमेटी का प्रस्ताव ले आइये ।

(संसदीय कार्य मंत्री के कुछ कहने पर)

श्री राम शरण दास–

आप शतरूद्र प्रकाश का मुकाबला हरदेव से करायेंगे? आप इतना मत गिर कर बोलिये।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने तो कहा है कि माननीय शतरुद्र प्रकाश और मैं, बी कैटेगरी में हैं ।

श्री राम शरण दास–

इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस संबंध में एक कमेटी बना दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रस्ताव ले आइये, मुझे कोई एतराज नहीं है । हाउस जैसा चाहे वैसा करे ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो विषय उठाया है, उनका कहना है कि बजट पास करने के दिन 24 हैं लेकिन हमारे वीर बहादुर सिंह की सरकार के जमाने में यह दिनों दिन कम होते चले जा रहे हैं । कभी इसके पहले इतने कम दिनों में बजट पास नहीं हुआ । 12 दिन के अंदर बजट पास हो रहा है । बहस के लिए इतना कम समय क्यों रखा जा रहा है ? कौन सा कहर ढह जाता अगर महीने का लेखानुदान ले लेते या बजट सत्र जो 23 से चलाया गया इसको एक महीने पहले शुरु कर देते ? न सरकार ने लेखानुदान लिया और न पहले सत्र चलाया हमें मजबूर कर दिया कि 29 तारीख तक बजट पास कर लें । इसके लिये सरकार साफ तौर पर दोषी है । मा0 अम्मार साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि दो दिन झगड़े में चले गये । सरकार सदन न चले इसके लिये रोज नये-नये बहाने लेती है ।

जैसा कि राम शरण दास जी ने कहा, मैं भी सहमत हूं, यह दो दिन झगड़े में चले गये तो पहले दिन का झगड़ा क्यों हुआ ? एक दरोगा का मामला था, मारा तो इल्जाम है, संसदीय कार्य मंत्री दोषी नहीं हैं दोषी इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह का है, यह उनका कर्म है, उनका पाप है जो केवल 12–14 दिन में पूरे का पूरा बजट पास करवा ले रहे हैं । जब जायज बात कही जाती है तो सरकार सुनना नहीं चाहती । एक दरोगा के मसले को लेकर 4 हजार 5 सौ रुपयों का यह हवाला देते हैं और कहते हैं कि हम सदन नहीं चलने देते हैं । 22 तारीख के लिए मैंने अपने कक्ष में संसदीय कार्य मंत्री जी से बात की और कहा चूंकि उनका धरना 22 तारीख को है इसलिए 23 तारीख को कर दिया जाय । मेरे पास कोई सूचना नहीं थी कि इनका धरना 23 को हो गया है । अगर आपके पास सूचना थी तो मुझे इंगित करते, मुझे बता देते कि 23 को है तो मैं 22 तारीख को सामान्य बजट रखने की बात कहता । 23 को क्यों रखा गया ? आप खुद झगड़े की शुरुआत करते हैं। आप आश्वासन जो यहां देते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं और बहाना लेते हैं । यहां पर अगर कोई व्यवधान होता है, विपक्ष के लोगों की ओर से होता है तो उसके मूल में, उसकी जड़ में आपकी सरकार है । आपके जरिये यह व्यवधान होता है । विपक्ष के लोगों को आपकी तानाशाही को रोकने के लिए व्यवधान खड़ा करने पर मजबूर होना पड़ता है। हमें आवश्यकता नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, हमारी भावना नहीं है कि सदन का समय बरबाद हो। हम चाहते हैं कि प्रदेश के विकास के लिये जहां के बहुमूल्य समय को लगाया जाय लेकिन सरकार नहीं चाहती है और कोई न कोई बहाना लेती है ।

मान्यवर, सरकार अगर अपनी तानाशाही पर अंकुश नहीं लगाती है तो मैं इतना कहूंगा कि सरकार से हम नहीं दबते हैं तो मान्यवर, आपको भी दबने की आवश्यकता नहीं है । मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर सरकार गलती करती है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अनेकों बार गलतियां कीं, लेकिन उनको कितनी बार सजा दी गयी ? हमको तो कई बार

सजा दी गयी । हम लोगों को तो सदन के बाहर तक निकाल दिया गया । हम लोगों को कई बार सजा दी गयी । मान्यवर, अगर इनकी गलती है और इनकी गलती स्पष्ट रूप से मालूम होती है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अवश्य सजा दी जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरदेव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी चेयर का बहुत सम्मान करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट का मुझे भी बोलने का मौका दे दीजिए । मान्यवर, अभी आपने व्यवस्था नहीं दी है, मुझे मान्यवर, दो मिनट सुन लें ।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, हरदेव जी एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निवेदन कर रहा हूं, हरदेव जी अभी आप बैठें।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी माननीय राम शरण दास जी बोल चुके हैं, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

हरदेव जी, आप बैठिए । हरदेव जी आपकी बड़ी हमदर्दी है, आपकी हमदर्दी के लिए बार-बार धन्यवाद । हरदेव जी आप आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, एक मिनट मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत की नागरिकता बदल कर विदेशों में बसे हुए भूतपूर्व विधायकों को पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न बहुत अहम है। मैं निवेदन करूंगा, रिजवी साहब से, हमारी तरफ गौर से सुनें । मान्यवर, विधान मण्डल दल के सदस्यों की उपलब्धि का नियम 1981 में बना था, जिसमें माननीय सदस्यों के अलावा वे सदस्य जो अब सदस्य न हों, यानि 5 साल का जिनका टेन्योरे पूरा हो गया हो, उनकी पेंशन का प्राविधान है, 1981 में इस पर नियम बना और लोकल एक्ट्स में इसका प्राविजन मौजूद है । मान्यवर, मुझे इसमें सूचना भी देनी है, क्योंकि यह नीति का मामला नहीं है, इससे कानून बनाना है, इत्तिफाक यह है कि इस पर हमारा कानून साईलेंट है । हमने उन लोगों को सहूलियतें दी हैं, जो पांच साल पूरा कर चुके हैं और जो प्रेसीडेंट आफ इंडिया नहीं हैं, एम्बेसडर नहीं हैं, वाइस प्रेसीडेंट नहीं हैं, फारेन सर्विसेज में नहीं हैं या ए क्लास की सर्विसेज में नहीं हैं, तो उनको पेंशन मिलेगी । लेकिन इसमें यह नहीं दिया गया है कि जिसको पांच साल पूरा हो गया है, वह अमरीका में है जापान में है या बंगाल में है, पाकिस्तान में है, अगर कहीं पर भी वह चला जाता है, तो राइट आफ पेंशन उसकी खत्म नहीं हो जाती है ।

हमारे देश से बाहर रहते हुए लोगों को अब तक पेंशन मिलती रही जिनको 5 साल पूरे हो गये । मान्यवर, अगर कोई भारत का प्रेसीडेन्ट हो, वाइस प्रेसीडेंट हो, राज्य सभा का मेम्बर हो, एम्बेसडर हो या (ए) क्लास सर्विस में हो तो उनको पेंशन नहीं मिल सकती ऐसा कानून है या किसी के पेंशन इतनी ज्यादा है, कि इस पेंशन से कई गुना ज्यादा है, तब पेंशन नहीं मिल सकती है । यहां के मेम्बर को (ए) क्लास माना गया है । मैं उन सदस्य का नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे यहां के हैं, रिट पिटीशन में जाना चाहते हैं, नाम जानकर नहीं ले रहा हूं ताकि उनकी पिटीशन में बाधा न आये । मान्यवर, चूंकि कानून में खामी है, हमने यह नियम तो बना दिया कि यह पेंशन किसको मिलेगी लेकिन यह नियम नहीं बना हुआ है कि पेंशन किसको नहीं मिलेगी । मेरा यहां हरगिज कहना नहीं है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों को जो यहां के सदस्य रह चुके हैं, पेंशन मिलेगी, यहां इस पर एक कानून बनाना चाहिए कि जो बाहर रहते हैं, या चले गयें हैं उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी । अगर उन्होंने अब तक पेंशन लिया है तो किस नियम या कानून के तहत ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह लिखी पढ़ी या कानून की बात है हो सकता है आपकी समझ में न आ रही हो ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात कह चुके हैं, बैठें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं अभी नहीं कह चुका, मैं किसी बात को दोहरा नहीं रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि जो कानून नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किस कानून के तहत पेंशन मिली है अगर नहीं मिली है तो उसका प्राविधान कब तक कर दिया जायेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, नियम 300 के अंदर तो संविधान के उन्हीं अनुच्छेदों का जिनसे कार्यवाही का विनियमन होता है, उनकी बात कर सकते हैं लेकिन मान्यवर, आजम खां साहब ने यह एक ध्यानाकर्षण किया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं लोकल एक्ट की बात कर रहा हूं, वोल्यूम 8 की ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया औचित्य में तो यह आता नहीं, यह दिखवा लेंगे अगर कोई कमी रह गयी है । वैसे बाहर जो हैं, जो भारत के नागरिक हैं जब हमारे यहां के देश में हैं या हमारे नागरिक हैं तो जो फैसिलिटीज मिलती हैं, वह नागरिकों को मिलती हैं, यह एक उसूल है, इसको दिखवा लेंगे कि क्या हो सकता है ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नागरिक नहीं है, जो हमारे यहां के नागरिक नहीं हैं जिनकी नेशनलिटी चेंज हो गयी है जो दूसरे मुल्क में रह रहे हैं उसको पेंशन पिछले कई वर्षों से मिल रही है लेकिन इधर मना कर दिया है । मान्यवर, इस मामले में बैंक ने ट्रेजरी आफिसर से रिपोर्ट मांगी डी0 जी0 सी0 सिविल ने रिपोर्ट दी है कि पेंशन मिलनी चाहिए । यह बैंक मैनेजर के पास जाती है रिपोर्ट तो इस पर दुबारा डी0 जी0 सी0 सिविल से रिपोर्ट मांगी गयी, डी0 जी0 सी0 सिविल ने फिर वही रिपोर्ट दे दी । मान्यवर, लेकिन एक्ट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि हम किसको पेंशन नहीं देंगे । जिसको अभी तक पेंशन मिलती रही है और इंडियन नेशनलिटी नहीं है, उसके लिए कानून बनायेंगे या नहीं बनायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह मामला जो है, यह काफी गम्भीर है और परीक्षण करने के बाद कोई उत्तर दिया जा सकता है क्योंकि यह नेशनलिटी के बारे में या पेंशन के बारे में या इलेक्टोरल रोल में किसी ने गलत तरीके से नाम दर्ज करा लिया है, अगर किसी

ने पेंशन इस तरह से लिया है यह सारी बातें, हमारी नेशनलिटी के बारे में, तमाम सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता हूं जो अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार का है, इन सीमाओं में रहते हुए, इसमें कौन सी कमी है कौन सी चीजों को होना है, इसको मैं दिखवा लूंगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा कहना है कि इंडियन नेशनलिटी नहीं है और यह सरकार जानते हुए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जानता है बैंक मैनेजर जानता है, ट्रेजरी जानती है और डी0 जी0 सी0 सिविल कह रहा है कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप क्या चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं यह चाहता हूं कि इस पर कोई समय निर्धारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

उनकी पेंशन रोक दी गयी है, दो महीने हो गये । उसका परीक्षण जारी है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

परीक्षण जारी है, लेकिन मेरे औचित्य के प्रश्न का कब तक जवाब देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं? यह आपका जवाब नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो आप चाहते हैं, बता दिया गया ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

इसके परीक्षण की सूचना हमें कब तक मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

परीक्षण हो जायगा तो आपको सूचना दे दी जायगी ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नियम 300 में मैंने जो प्रश्न उठाया है, उसका जवाब इस सदन में दिया जाता है या इस पर चर्चा होती है । इसके लिए कोई समय निर्धारित करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

समय निर्धारित नहीं होता ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

धन्य हो, मान्यवर, धन्य हो ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपकी बात को उदारतापूर्वक सुन लिया। आप कह रहे हैं तो क्या निर्णय मैं दे दूं? यह सम्भव नहीं है। अब आप बैठिए।

श्री मुहम्मद आजम खां–

आप इस कुर्सी पर बैठे हैं . . . ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें समय कैसे कोई निश्चित कर देगा, आप बता दें । यह कोई बात थोड़े हुई । आप समय बर्बाद न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमारा जवाब सरकार से कब तक आ जायगा ? मान्यवर, आपने इसको नियम 300 में स्वीकार किया है । आपने मेरी सूचना को सुना ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आजम खां साहब बैठ जांय तो आप कहें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं ।

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिए । राम गोविन्द जी आप बैठिए ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के बोलने में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

मान्यवर, इन्होंने जो कहा है, कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्यवाही से निकलवा देंगे ।

(घोर व्यवधान)

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, अभी मा0 तिवारी जी ने एक बात कही थी । यहां पर रोज-रोज ऐसा होता है । पीठ के बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी कुछ बोलते रहने तथा खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द जी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप दिन भर खड़े रहें । आप हाउस का समय ले रहे हैं । समय खराब कर रहे हैं, करते रहें । आप जो बोल रहे हैं, एक लफ्ज लिखा नहीं जायगा । (श्री राम गोविन्द चौधरी के निरन्तर बोलते ही रहने पर) इन्हीं को बोल लेने दीजिए ।

[x x x]

क्या यही हाउस की गरिमा की बात है ?

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अचल सिंह–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जब कोई मा0 सदस्य नियम 56 के तहत सूचना देता है, उसकी जो सूचना दी जाती है वह अविलम्बनीय होनी चाहिए, लोक महत्व की होनी चाहिए और तुरन्त की होनी चाहिए। उन्हें आप यह समझकर ग्राह्य करते हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देते हैं कि यह सूचना अविलम्बनीय है, लोकमहत्व की है, आवश्यक है। लेकिन, सरकार ने उस ध्यानाकर्षण पर क्या कार्यवाही की, इसकी सूचना माननीय सदस्यों के पास नहीं पहुंचती है? मान्यवर, मैंने 12 तारीख को मुख्य अभियंता सेतु निगम के भ्रष्टाचार आदि के संबंध में एक सूचना सदन के संज्ञान में लायी थी, आपने उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया था। लेकिन, आज 25 तारीख हो गयी है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी सरकार की ओर से, उसकी कोई भी सूचना मेरे पास आज तक नहीं आयी है। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जब कोई यहां कार्यस्थगन प्रस्ताव आये या कोई सूचना अन्य प्रस्ताव के माध्यम से दी जाय और उस पर पीठ से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया जाय, तो उसमें माननीय सदस्य को सरकार को सूचित तो करना ही चाहिए कि उस पर क्या एक्शन लिया, क्या कार्यवाही हुई? इस पर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें और अपना संरक्षण प्रदान करने का कष्ट करें।

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय आजम खां साहब ने नियम 300 के अंतर्गत जो एक अहम मसला उठाया है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उस पर जल्दी कोई व्यवस्था न दें। मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना है...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी यह काम तो मेरा है कि किस पर जल्दी व्यवस्था दूं किस पर न दूं। आप तो संसदीय प्रक्रियाओं के ज्ञाता हैं, कानून के ज्ञाता हैं। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि जल्दी दूं या मैं क्या करूं। आप मुझे सिखा रहे हैं। यह कोई बात नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं यह नहीं बता रहा हूं, इतना जरूर अनुरोध करता हूं कि आपकी जो व्यवस्था रही है, उससे ऐसी शंका हुई है कि आप सरकार के मातहत हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें। जो औचित्य की सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको मैं अस्वीकार करता हूं। जो माननीय अचल सिंह जी ने कहा है, उस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में सत्र के उपरान्त बैठक होगी, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बुलाया जायेगा और इस पर कोई निर्णय लेंगे कि जिन सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, उस पर क्या होना चाहिये ?

श्री अचल सिंह–

मान्यवर, इस सत्र में आपने अब तक जिन माननीय सदस्यों की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, उनका जवाब तो इसी सत्र में आप दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब तो सरकार भेजती है, मैंने यह कह दिया कि माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में सत्र के उपरांत एक बैठक होगी, जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाकर बात कर ली जायेगी इस संबंध में। अब आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय आजम खां साहब ने यहां एक औचित्य का प्रश्न उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय बाबू राम जी बैठें, इस तरह से बीच-बीच में खड़े होकर सदन का समय बर्बाद न किजिए।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि आपने माननीय आजम खां के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उस पर जवाब दिया, तो यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री चलायेंगे या आप चलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें। सदन को मुझे देखना है, आप लोग बैठें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं माननीय बाबू राम यादव जी को यह नियमावली की किताब भेज रहा हूं, इसका नियम 300 यह देख लें, उसके बाद जैसी उनकी प्रतिक्रिया होगी, बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी ने प्रश्नों के बारे में बात उठायी, माननीय अध्यक्ष जी कक्ष में पत्रावली मंगा लेंगे, उस पर जैसी आपकी संतुष्टि होगी, उसे देखा जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, कक्ष की जो परम्परा पड़ गयी है, ऐसा न करें, इसमें सरकार आप पर हावी होती जा रही है, जो न्याय होना चाहिये, वह होता नहीं है, जो नियम है, सिद्धांत है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी क्या हाउस में इस तरह से प्रश्नों पर ही चर्चा होती रहेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

इसमें सरकार आप पर हावी होती जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न दूसरा था, उसे भी आप देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह नियम 300 में नहीं आता । वह सदन के संज्ञान में नहीं था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वह सदन के संज्ञान में था । आप चाहें तो प्रोसीडिंग देख लें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, विचार की प्रक्रिया जारी है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, नियम 300 का प्रश्न जब आपके सामने आता है, तो आप कभी ग्राह्यता पर बोलने के लिए कहते हैं । कभी कहते हैं कि इसमें नियम 300 नहीं बनता । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी परम्परा डालें कि . . .

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री श्री भोला शंकर मौर्य के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के संबंध में जानकारी

श्री उपाध्यक्ष–

समय के अनुसार जैसा उचित होता है, वैसा किया जाता है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपने मद संख्या 7 बताई है । मान्यवर, मद संख्या–4 में मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री और श्री भोला शंकर मौर्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी थी, वह आपको मिल गई है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

सूचना मिल गई है और उसका परीक्षण हो रहा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 25-3-88 को नियम 56 के अंतर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । इसमें से पहली सूचना डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा की रनगवां बांध में सिंचाई विभाग के कर्मचारी एवं सुरक्षा पुलिस कर्मियों में हुई मारपीट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री मनोहर लाल, श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा की कानपुर में नकली दवाओं की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री अवनीश कुमार सिंह, डा0 दिनेश जौहरी, श्री नरेश पाल, श्री किशन पाल, श्री श्याम बिहारी सिंह तथा श्री किशन लाल दिलेर की प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव की भी प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री शत्रुरुद्र प्रकाश तथा श्री मूल चन्द्र की वाराणसी जनपद में दिनांक 18 मार्च, 1988 से चल रही वकीलों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । छठी सूचना श्री भगवती सिंह, श्री जवाहर सिंह तथा श्री फरीद महफूज किदवई की थानाध्यक्ष पडरी जनपद मिर्जापुर द्वारा तीन ग्राम प्रधानों की थाने में पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा की बाराबंकी नगर में एक प्रतिष्ठित एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर को पुलिस द्वारा पीटने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । आठवी सूचना श्री मयंकर सिंह, श्री आसान सिंह यादव, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री धनराज यादव की नगरपालिका बहराइच के प्रशासक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । नवीं सूचना श्री अचल सिंह की जनपद फतेहपुर के घाता थाने के ग्राम केटमई में श्री दयाराम तथा अन्य कई लोगों के घरों पर डकैतों द्वारा की गई लूटपाट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दसवी सूचना श्री राज किशोर सिंह की वाराणसी में फर्जी कागजातों के आधार पर फर्जी पेंशनरों को पेंशन दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी की दादरी नोयडा मार्ग पर स्थित महर्षि महेश योगी आश्रम में स्थाई रूप से निवास करने वाले विदेशियों से व्याप्त असुरक्षा की भावना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । बारहवी सूचना श्री राम शरण दास की हरिद्वार स्थित विष्णु भवन के मैनेजर द्वारा यात्रियों से लिये जा रहे किराये की विसंगतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । तेरहवी सूचना श्री नरेश पाल सिंह की विनको वेजीटेबुल इन्डस्ट्रीज काम्पलेक्स नितरोई, बदायूं के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौदहवीं सूचना श्री रमा शंकर कौशिक की मुरादाबाद के रजबपुर नामक स्थान पर किसान यूनियन द्वारा चलाये जा रहे जेल भरो आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पन्द्रहवी सूचना श्री देवतादीन की जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र में गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति के संबंध में है । सोलहवी सूचना श्री मुहम्मद आजम खां की रामपुर जनपद में

डकैती, लूट आदि की हो रही घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना श्री राम जनम यादव, श्री बलराम यादव तथा दुर्गा प्रसाद यादव की आजमगढ़ स्थित श्री गांधी डिग्री कालेज, मालतारी के 6 माह से बन्द होने एवं छात्रों द्वारा आमरण अनशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

अठराहवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की बस्ती जनपद के विकास खण्ड सुनियांव में पशुओं के गलाघोंटू बीमारी से मृत्यु हो जाने के संबंध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री हर्ष वर्धन, श्री राम गोविन्द चौधरी व श्री विष्णु देव जी की वन विभाग द्वारा बिड़ला उद्योग समूह को सस्ते दर पर लकड़ी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, बीसवीं सूचना श्री चन्द्र भान मौर्य जी की आगरा जनपद में लाखों बोरा आलू खेतों में पड़े रह जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की प्रदेश में पुलिस जुल्म तथा पुलिस की मनमानी बढ़ जाने से नागरिकों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, बाईसवीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल जी की बलिया जनपद में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तेइसवीं सूचना श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह व श्री सूर्य प्रताप शाही जी की जनपद जालौन के कालपी कस्बे की छात्रा कु0 रेहना खानम के घर में घुसकर असामाजिक तत्वों द्वारा की गई मारपीट एवं बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौबीसवीं सूचना श्री राम सजीवन जी की बुन्देलखण्ड मण्डल के सूखा पीड़ित जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है और पच्चीसवीं सूचना श्री काशी सिंह ऐरी जी की जनपद पिथौरागढ़ में विगत कई महीने से नरभक्षी शेरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि केवल दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, रनगवां बांध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया है, लेकिन 6 फरवरी को मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा वहां के फाटक बन्द कर दिये गये और बांदा जनपद की पूरी सिंचाई व्यवस्था ठप्प कर दी गई। 28 फरवरी को बांदा जनपद के वहां के सिंचाई विभाग के कर्मचारी जो कार्यरत हैं, जब उन्होंने फाटक खोलने का प्रयास किया तो मध्य प्रदेश के लोगों ने उनकी निर्ममता पूर्वक पिटाई की और वहां पर जो सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मी लगे हुए थे, उनकी भी निर्ममता पूर्वक पिटाई की गई और उनकी राईफलें छीन ली गई, जिसकी एफ0 आई0 आर0 श्री बहादुर सिंह ने मध्य प्रदेश में ही की है। इस मारपीट के कारण बांदा जनपद के रनगवां में सिंचाई विभाग के कर्मचारी कार्य न करने के लिए अपने संगठन को लिख कर दे रहे हैं, अब वहां फाटक बन्द होने से सिंचाई के लिए बांदा जनपद के किसान भविष्य के लिए चिन्तित हैं। किसानों में उत्तेजना, आक्रोश व तनाव व्याप्त है। यह झगड़ा हर साल का है, फाटक हर साल बन्द कर दिये जाते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा जनपद में ग्रेटर गंगऊ व केन बोर्ड न बनने से किसान बहुत परेशान हैं। जब तक ग्रेटर गंगऊ व केन बोर्ड नहीं बनेगा तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के लोग इसी तरह से वहां से नहरें निकालकर अपने यहां ले जा रहे हैं और जो बटवारे में हमें पानी मिलता था, वह भी उन्होंने ले लिया है, आज मान्यवर, पूरी तरह से वहां पर सिंचाई व्यवस्था ठप्प हो गई है। केन नहर भी बन्द है, आज किसान की फसल वहां पर सूख रही है, भविष्य में फसल न बोने के लिए किसान असहाय व चिन्तित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा करवाई जाय व केन बोर्ड तथा ग्रेटर गंगऊ को भी बनाया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। यह सिंचाई विभाग से संबंधित मामला है। पानी के बटवारे का मामला है है और कुछ सुझाव भी उन्होंने दिये हैं। मैंने सिंचाई विभाग से विस्तृत सूचना मांगी है और माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं मैं चाहूंगा कि सदन के बाद या सदन के बीच में ही किसी वक्त सिंचाई विभाग के अधिकारियों व माननीय सदस्य को बुलाकर इस पर बात कर ली जायेगी कि किस प्रकार इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। शासन द्वारा इस मसले पर पूरी तत्परता से कार्यवाही की जायेगी, लेकिन यह मामला कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में कबूल करने लायक नहीं है।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर कोई भी असली चीज नहीं मिलती है, जब कि मूल्य चरम सीमा पर है। इसकी तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करता हूं बल्कि केवल दवाओं के अन्दर मिलावट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूं।

मान्यवर, कानपुर के अन्दर, जो कि उत्तर भारत का एक औद्योगिक शहर है तथा जहां की आबादी 30 लाख है, से तमाम दवायें पूरे भारत में अहमदाबाद, कलकत्ता, बम्बई, गाजियाबाद एवं अन्य शहरों को जाती हैं। कानपुर में इस समय नकली दवाओं के बनाने के कारखाने जोरों पर चल रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोके लेकिन केन्द्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में जो कमी की थी, उसका असर यह हुआ कि जो थोक में दवायें बनाते हैं, उन्होंने दवाओं को अपने पास रोक लिया, नकली दवाइयां बनाने वालों को मौका मिल गया। खुले आम नकली दवाइयां बन रही हैं। अस्पतालों में और कैमिस्टों के यहां नकली दवाइयां मिल रही हैं। लोग यह सोचकर खरीदते हैं कि असली होगी लेकिन वह नकली निकलती है। एनलजीन, मैटासिन तथा अन्य एन्टी-बायोटिक घटिया किस्म के मिल रहे हैं। केवल कानपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

(श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा के बोलने से व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने एक विषय पर एक व्यक्ति को बोलने के लिए कहा है। अगर सबको सुनूंगा तो कैसे चलेगा ? नेता विरोधी दल कह देंगे तो सबको सुनूंगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है। यह आपके विवेक और विषय की गम्भीरता पर है। जैसा आप उचित समझें ।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

नकली दवाओं का गम्भीर मामला है, केवल पांच बिन्दु उठाऊंगा । नकली दवाओं की बिक्री और दवाओं की प्रमाणीकरण की संस्था, ये दोनों पर जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि जो दवाओं के प्रमाणीकरण की संस्था है, क्या जो निर्माता हैं ? बिक्री के लिए दवा बाजार में भेजते हैं, उसका परीक्षण सही ढंग से होता है या नहीं ? अगर परीक्षण सही ढंग से होता है तो बाजार में नकली दवा के आने का कारण क्या है ? यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 सबसे बड़ी निर्माता कम्पनी है। मेरी जानकारी है कि यह संस्था स्वयं दवा का निर्माण नहीं करती है बल्कि दूसरी कम्पनियों को ठेके दे देती है और उनसे क्रय करती है और उन्हीं क्रय की हुई दवाओं को सरकार को देने का काम करती है। मेरा निवेदन है कि जो सेवा शर्तें हैं और जो सम्बन्ध है सरकार का यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से उससे प्रश्न चिह्न पैदा होता है। प्रश्न चिह्न यह पैदा होता है कि दवा निर्माता कम्पनियां भी घटिया किस्म की दवा बनाकर ऊंची कीमत पर बेचने का काम कर रही है, जिससे लाखों रोगियों के जीवन को खतरा हो गया है। इससे सरकारी संस्था की भ्रष्टाचार की नीयत उजागर हो गयी है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को आप इस के लिए निर्देशित करें कि प्रमाणीकरण संस्था और यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 तथा दवा निर्माता कम्पनियों का सरकार से कौन सा लेने-देने का सम्बन्ध है जिससे घटिया किस्म की दवाइयां बिक रही हैं। मेरी मांग है कि दवा निर्माता कम्पनियों की दवाइयों को तत्काल जब्त किया जाय और दवा प्रमाणीकरण संस्था की उपेक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करें और उन दवाओं को जब्त करने के बाद घटिया किस्म की दवाइयों पर रोक लगायी जाय और जो इन दवाओं के क्रेता हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय । आप इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, हमारे यहां जो सरकारी अस्पताल हैं और वहां पर जो सरकारी डाक्टर बैठते हैं वह वहां पर नकली दवायें देते हैं और वही डाक्टर जब अपनी डिस्पेंसरी में बैठते हैं तो वहां पर वे सही दवाइयां देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह महत्वपूर्ण विषय है इससे जनता के जीवन और मरण का सीधा सम्बन्ध है इसलिए इस पर आप अवश्य चर्चा करा दें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अभी जो विषय माननीय मनोहर लाल जी ने उठाया है, यह सही है कि प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन से इसका सीधा सम्बन्ध है क्योंकि सब स्टैण्डर्ड

दवाइयां प्रदेश में चल रही हैं। मैं चाहूंगा कि इन बातों की पुनरावृत्ति न करके आप इस विषय पर सदन में दो घण्टे की चर्चा करा दें।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, शासन पूरी तत्परता से इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन अभी जो बात माननीय मनोहर लाल जी, माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी, माननीय विजय सिंह राणा जी और माननीय नेता विरोधी दल ने यहां उठायी है, यह जो नकली दवाओं का मामला है, यह बड़ी गम्भीर चीज है और इन्सान की जिन्दगी के साथ इसका संबंध है क्योंकि इस तरह से उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ देशों में ऐसी बातों पर कैपिटल पनिशमेंट है। कत्ल दोनों है। जिस मरीज के पास नकली ग्लूकोस जायेगा जिससे कि बजाय फायदा होने के उसे नुकसान होगा, तो कत्ल तो यह भी हुआ। इसमें सरकार को और समाज को मिल कर मुकाबला करना होगा केवल शासन ही इसे नहीं रोक सकता है।

मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं जो कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग इसमें आते हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। कानपुर के मामले में विशेष जांच करायी जायेगी। इसमें जन प्रतिनिधियों से भी मेरा अनुरोध है कि वे इसमें सरकार का पूरी तरह से सहयोग दें, चाहे वे डाक्टर हों, चाहे कैमिस्ट हों, या चाहे कोई और लोग हों, जब किसी को इंगित किया जायेगा तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। लेकिन इसमें हमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिलना चाहिए। मान्यवर, आप जानते हैं कि सामान्यतया हमारी तरफ से चर्चा कराने पर विरोध होता है लेकिन अगर कोई ज्वलन्त प्रश्न आ जाता है तो इसमें किसी को इन्कार नहीं है कि शासन इसके लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है और वह प्रयास करता रहेगा, लेकिन इसमें वह जनप्रतिनिधियों के सहयोग की भी अपेक्षा करता है। जब लोग इन्सान के जीवन से खेल रहे हैं, उनको इन्सान के जीवन से खेलने नहीं दिया जायेगा।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैंने कार्य-स्थगन के रूप में इंसफेलाइटिस जिसे मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, उसकी तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया है और उसी को मैं इस समय उठा रहा हूं। आशंका है कि यह मस्तिष्क ज्वर बहुत व्यापक रूप में प्रदेश में फैल जायेगा क्योंकि मच्छरों का बहुत प्रकोप है पूरे प्रदेश में। मच्छर दिन में भी तथा रात में भी, रात को तो वे सोने ही नहीं देते हैं। शाम से ही मच्छर घुस आते हैं, कमरों में। तराई एरिया में तो विशेष तौर से, हमारे जिले शाहजहांपुर में, पीलीभीत में, नैनीताल में तथा बस्ती में इस ज्वर का भीषण प्रकोप है। शाहजहांपुर में तो मार्च के महीने में ही 8 व्यक्ति इस ज्वर के कारण मर गये हैं तिलहर में और निगोई में। शाहजहांपुर और पीलीभीत के अस्पताल में जांच के वे उपकरण उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि इस ज्वर की जांच की जाती है, कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीलीभीत व शाहजहांपुर में इसकी जांच हुई थी, आपका स्वास्थ्य विभाग यद्यपि मना कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज भी इसके प्रकोप की बड़ी भारी आशंका बनी हुई है और स्वास्थ्य विभाग इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, मच्छरों के इस भयंकर प्रकोप और गन्दगी की ओर यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह बीमारी फैल सकती है, इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा अवश्य करायें।

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि इस समय उत्तर प्रदेश में आज मच्छरों का भीषण प्रकोप है और अभी तो जाड़े का मौसम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर बरसात और गर्मी में तो बहुत बुरी हालत होगी और जहां गन्दगी अधिक होती है, वहीं पर इनका प्रकोप भी अधिक होता है और हमारे जनपद बदायूं में बहुत अधिक गन्दगी है, इन्हीं कारणों से वहां पर मस्तिष्क रोग का प्रारम्भ हो गया है और स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई कार्यवाही करना नहीं चाह रहा है, इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इस पर आप सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान कार्य स्थगन के माध्यम से अपने जनपद.....

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

यह भी क्या उसी से संबंधित है, मस्तिष्क ज्वर से.....

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह मनऊजाईटिस से सम्बन्धित है, इस बीमरी के कारण भी मस्तिष्क ज्वर होता है और रोगी.....

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, दोनों मस्तिष्क ज्वर से ही सम्बन्धित हैं, कहिए.....

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बांदा, जालौन, हमीरपुर और इलाहाबाद जनपद में शंकरगढ़, जारी, बारा और मांडा आदि स्थानों में बुरी तरह से व्यापक रूप में यह मस्तिष्क ज्वर (सेरिब्रो स्पांयनल) फैल रही है और मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन स्थानों पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर इनके इलाज के लिए कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से मान्यवर, बांदा जनपद के मौदहा क्षेत्र में लगभग 24–25 लोगों की इससे मौतें भी हो गयी हैं। मान्यवर, इस रोग से निपटने के लिए इन केन्द्रों पर जो डाक्टर्स हैं, उनके पास कोई सुविधा न होने के कारण तमाम बच्चे भी ऐसे ही भगवान के सहारे पर डाले रखने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वजह से, अपने प्राण त्याग रहे हैं, इन सब के बावजूद भी वहां के जो सी0 एम0 ओ0 बांदा हैं, अभी तक कोई उचित उपचार हेतु व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। इसके साथ ही मान्यवर, शंकरगढ़ और बारा के जिला चिकित्सालय में जो रोगी हैं, वह काफी गरीब किसान हैं, उन किसानों को सैकड़ों रुपयों की दवायें बाजार से लानी पड़ रही हैं, जिला अस्पताल इन गांवों के गरीब किसानों की जो अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर पा रहा है, जो धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में सूखे के कारण सेरिब्रो इंस्पायनल नामक बीमारी फैल रही है, यह मान्यवर, बड़ा ही गम्भीर विषय है। इसलिए आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा अवश्य करायें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, ये सेरिब्रो इंस्पायनल (मस्तिष्क ज्वर) की बीमारी महामारी के रूप में पूरे पठारी क्षेत्रों में फैल रही है। उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड और मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर आदि जिले में यह बीमारी बुरी तरह से फैल रही है। मान्यवर, जैसा कि माननीय गोपाल दास यादव जी ने कहा कि हमीरपुर के मौदहा और राठ में भी इस बीमारी का बहुत प्रकोप है, जिससे यहां का जिला अस्पताल व आस-पास के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र इस प्रकार के मरीजों से भरे पड़े हैं, लेकिन यहां के सी0 एम0 ओ0 इस स्थिति को गम्भीर नहीं मान रहे हैं। इसी प्रकार से इलाहाबाद में जमुना पार कई गांव हैं जैसे शंकरगढ़ में 2, जारी में 1, बारा में 3 और इसी प्रकार से मांडा में 5 मौतें हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश के चिकित्साधिकारियों के अनुसार उ0 प्र0 और मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रयास से ही इस महामारी की रोकथाम सम्भव है, इस ओर वह लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन उ0 प्र0 शासन का सहयोग नहीं मिल पाने से इन क्षेत्रों में फैल रहे बैक्टिरिया को रोका नहीं जा पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस रोग को दूर करने के लिए उनकी मदद नहीं कर रही है। इस क्षेत्र के लाखों लोग परेशान हैं । यह जिन्दगी मौत का बहुत अहम सवाल है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें और इस क्षेत्र में पूरी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

उसको दिखवा लिया जायेगा । चिकित्सा सुविधा तेज करायी जायेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप पीठ से निर्देश दें ।

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)–

श्रीमन्, एक प्रश्न इस सदन में रखा गया है, और सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस मामले में जांच कराकर उचित कार्यवाही कर दी जायेगी । यह काम रोको का विषय नहीं बनता है। यह तात्कालिक घटना पर आधारित नहीं है। जांच कराकर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये क्योंकि यह निर्णय तो मुझे देना है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बनारस में 18 तारीख से वकीलों ने आन्दोलन शुरू किया है और आज तक चल रहा है, इस आन्दोलन में 75 वकील गिरफ्तार हुए हैं। अदालतों में काम काज बन्द है। जो बनारस के नागरिक हैं उनको इस आन्दोलन के कारण प्राकृतिक न्याय नहीं मिल रहा है। जमानतों का काम रुका हुआ है अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो जमानत की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको इन्तजार करना पड़ रहा है और जो वाक् स्वातंत्र्य है उस पर अतिक्रमण किया गया है जिससे एक गम्भीर समस्या सामने आ गयी है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस समय 18 तारीख से लेकर आज तक जो आन्दोलन चल रहा है उसके कारण पूरे बनारस शहर में कानून व्यवस्था ठप पड़ गयी है यह प्रश्न अविलम्बनीय एवं तात्कालिक महत्व का है प्रदेश सरकार तत्काल इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए पहल करे, ताकि बनारस के नागरिकों को न्याय मिल सके और जो हजारों मुकदमें लम्बित हैं उनका निपटारा हो सके और उन्हें न्याय मिल सके। इस समय स्थिति यह है कि न्यायाधीश कोर्ट में बैठ नहीं रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में चर्चा करा दें या सरकार कोई बयान दे जिससे आन्दोलन को तत्काल समाप्त किया जा सके।

श्री मूलचन्द–

सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह किसी की बात नहीं मानती है, पुलिस के बल पर चल रही है, वह वकीलों की बात को नहीं मानेगी, तो कैसे काम चलेगा इसलिए आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, जनपद मिर्जापुर के पड़री थाने की घटना है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं। 7 मार्च, की घटना है, पड़री थाने के थानाध्यक्ष पड़री थाने के अन्तर्गत आने वाले भगेशर के श्री छोटेलाल को फर्जी मुकदमें में पकड़ लिया और पकड़कर थाने में लाये। उसको नंगा करके बुरी तरह से पीटा और उसके बाद निर्वस्त्र अवस्था में जमीन पर लिटाकर थाने के सिपाहियों को ललकारा, उसके साथ दुराचार करने के लिये ललकारा। जब कोई सिपाही सामने नहीं आया तो उसके बाद ग्राम प्रधान की मोहर लेकर उसके नितम्बों पर लगायी। मान्यवर, यह घटना एक के साथ नहीं हुई। श्री कैलाशनाथ सिंह, प्रधान ग्राम सभा सिधारी तथा पन्ना लाल पांडेय ग्राम प्रधान, ग्राम सभा पिघौड़ा के साथ एक के बाद एक के साथ भी यही स्थिति हुई। जब पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से इस घटना की शिकायत की गई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तक एक आपातकालीन विशेष बैठक करके पडरी विकास क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति ने इस बात की निन्दा की। इस बात को लेकर जो वहां के ब्लाक प्रमुख थे उन्होंने 57 प्रमुखों और एक जिला परिषद् के सदस्य सहित सब ने इस्तीफा दे दिया। आज वहां पर कोई क्षेत्रीय समिति नहीं रह

गई है। वहां पर चारों ओर पुलिस का आतंक व्याप्त है । यह मामला बहुत ही अहम है और लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। इस तरह से पुलिस की ज्यादतियों पर रोक लगाकर इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा होना नितान्त आवश्यक है । आज जिस तरह से जन प्रतिनिधियों का अपमान किया जाता है अगर उन पर कार्यवाही नहीं होगी तो कैसे लोकतंत्र जीवित रहेगा ? इसलिए मान्यवर, इस पर आप चर्चा करायें और तत्काल सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा के आदेश दें ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है जो सदन के सामने आया है। पुलिस की इस तरह की बहुत सी बातों पर आये दिन यहां पर चर्चा हुआ करती है । उसी तरह का मामला भी है जिस तरह से किस्सा माननीय सदस्य ने अभी कहा है । मान्यवर, वहां के सारे ब्लाक प्रमुख और जनपद मिर्जापुर के समस्त प्रधान इस्तीफा दे दिये हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात हो गया है। जिलाधिकारी के पास सारे त्याग-पत्र आ गये हैं और आज भी वहां का पुलिस थाना बरबरतापूर्ण कार्यवाही कर रहा है। पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है । पुलिस दरोगा के खिलाफ कोई अधिकारी चूं तक नहीं कर रहा है। अभी तक उसको न तो हटाया जा रहा है, न उसे सस्पेंड किया जा रहा है और न उसके ऊपर कोई कार्यवाही की जा रही है। इसलिये मान्यवर, इस लोक महत्व के सवाल पर आप आज की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें ताकि पूरे सदन में इस कांड के बारे में माननीय सदस्यों की जानकारी हो सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह जो मामला है यह वहां के प्रधान बगेश्वर का झगड़ा उसी गांव के एक कुम्हार के साथ था। उनकी आपस में कहा सुनी हुई। उसने प्रधान के खिलाफ दफा 392 का मुकदमा दायर किया । पुलिस ने इसमें उसे दर्ज न करके 151 सी0 आर0 पी0 सी0 में मुकदमा दायर किया। प्रधान के साथ कोई दुर्व्यवहार करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। क्षेत्राधिकारी ने इसकी जांच की थी। उसमें पाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई । ये जो प्रधान कैलाश नाथ सिंह हैं इनके खिलाफ वहां की एक कुमारी शारदा विश्वकर्मा ने दफा 352 तथा 294 के तहत अश्लीलता के आरोप में मुकदमा दायर किया था लेकिन अभी कार्यवाही उसमें भी आगे नहीं बढ़ी है। मान्यवर, यह कहना कि पूरे जनपद के ब्लाक प्रमुखों ने और सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है जिलाधीश को, यह जांच से प्रमाणित नहीं हुआ है। पूरे जनपद के प्रधानों द्वारा त्याग-पत्र देने की पुष्टि नहीं हुई है। यह सूचना मिली है। अतः यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं है और न वक्तव्य और न चर्चा का ही प्रश्न बनता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरे जिले में वकीलों की हड़ताल के संबध में कोई जबाब नहीं आया। उसका जबाब दिलवा दें (व्यवधान) में बाकी मामलों में भी सुन रहा हूं जब तक कहेंगे सुनूंगा कोई परेशानी नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, माननीय भगौती सिंह और माननीय जवाहर सिंह यादव जी ने जो प्रश्न उठाया और जिस पर राज्य गृह मंत्री जी ने बताया वह वास्तव में निन्दनीय है प्रधान जो

अशलील हरकतें करते हैं यह ठीक नहीं है अखबार में छपा जाता है और उसके आधार पर विधान सभा में मामला उठा दिया जाता है । यह सच्चाई से परे है।

श्री उपाध्यक्ष–

बनारस के वकीलों के बारे में क्या कहना है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जो वकील गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के बारे में भी माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जो बनारस के वकीलों की हड़ताल के बारे में और उनकी गिरफ्तारी के बारे में बात कही। जो वकील गिरफ्तार हैं इसे ठीक से देख लेते हैं। एस0एस0पी0 से बात कर लेते हैं, तत्परता से इस पर कार्यवाही होगी और न्याय सुनिश्चित किया जायेगा और जो वकील गिरफ्तार किये गये हैं उनको निश्चितरूप से न्याय दिलवायेंगे।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर और पुलिस द्वारा की गयी निन्दनीय घटना को लाना चाहता हूं। बाराबंकी नगर में जो स्थिति है उससे जाहिर है कि बाराबंकी जनपद में एक तरह से पुलिस राज्य कायम हो गया है। बाराबंकी शहर में एक डा0 सोहनलाल, एम0 बी0 बी0 एस0 और बहुत सीनियर और प्रभावशाली डाक्टर हैं उनको 22 मार्च, 88 को उनके दवाखाने से जो धनोखर चौराहे पर नगर के मुख्य केन्द्र में है से घसीट कर वहां की कोतवाली के प्रभारी तीन-चार पुलिस के सिपाहियों के साथ दिन में पब्लिक प्लेस में उनको खूब मारा और फिर उठा कर जीप पर लाद ले आये और कोतवाली में 307 व आर्म्स एक्ट में उनके पास से एक देशी कट्टा दिखा कर रिपोर्ट दर्ज कर दी ।

इसमें कारण यह है कि डाक्टर साहब ने दो मुकदमें पुलिस के खिलाफ दायर किये थे एक मुकदमें में डिग्री रेगुलर सूट 130/78 था उसमें कोतवाली के भूतपूर्व प्रभारी के खिलाफ 10 हजार की डिग्री हो गयी है और दूसरे में आर्डर के लिये सिविल जज के यहां 19 अप्रैल की तारीख लगी हुई है । वहां की पुलिस का कहना है कि वह मुकदमें वापस ले लें।

दूसरी बात यह है कि बाराबंकी जिला अफीम की तस्करी के लिये बदनाम है वहां हीरोइन और अफीम की तस्करी के विरोध में कुछ पर्चे छपे थे जो वहां की पुलिस के खिलाफ थे जिसमें कहा गया है कि वर्तमान पुलिस स्मगलिंग करा रही है। पुलिस वालों को शक है कि यह पर्चा डाक्टर साहब ने छपाया है। यह उनका शक है लेकिन अगर यह असलियत भी हो तब भी पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिये था। डाक्टर सोहनलाल के साथ इस व्यवहार के खिलाफ पूरे शहर में आक्रोश है। पूरे नगर के डाक्टरों, विद्यार्थियों और दुकानदारों में यहां तक कि पूरे जिले की जनता में रोष है। डाक्टर साहब बहुत पुराने हैं करीब, 56-57 साल के हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इस तरह शहर के बीचों बीच उनको मारा गया है और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा गढ़ा गया है। इससे बाराबंकी शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग दुखी हैं और उनमें आक्रोश है। यह ऐसी घटना है कि पुलिस के खिलाफ कोई आदमी सच बात कहने में भी डरेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की सी0आई0 डी0 जांच कराई जाय क्योंकि इसमें कम्प्लेनेंट पुलिस है और उन्होंने फर्जी मुकदमा दायर कर दिया है। मेरी मांग है कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय और सी0 आई0 डी0 की जांच कराई जाय ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो राम चन्द्र बख्श सिंह ने मामला अभी उठाया है तो यह गम्भीर मामला है । डा0 सोहन लाल की गिरफ्तारी का सवाल नहीं है बल्कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है । उनकी आदत है कि यदि पुलिस किसी को परेशान करती है तो डाक्टर उसकी मदद करते हैं और पुलिस के खिलाफ एक-दो डिग्री तक हासिल कर लिया है । मान्यवर, अफीम तस्करी के मामले में बाराबंकी मशहूर है और यह तस्करी पुलिस करवा रही है, यह मेरा आरोप है पुलिस पर । मेरे क्षेत्र में अफीम की स्मलिंग का सबसे बड़ा अड्डा है । सफदरगंज और जैतपुर में गांफिया और अफीम बनाई जाती है और पुलिस वाले 50–50 लाख रुपये बड़े-बड़े तस्करों से रिश्वत के रूप में लेते हैं और लिया गया है तथा 100 लोगों का चालान किया गया है, यह चालान नारकोटिक्स एक्ट और गेंगस्टर एक्ट में फर्जी किया गया है। एक अखबार में आया था कि एक करोड़ 50 लाख रुपये की अफीम, हीरोइन पकड़ी गयी है । एक भी जांच करायें तो 2-3 परसेन्ट ही निकलती है क्योंकि वह तस्कर से मिले हैं और वहां से रुपया लेते हैं । बोगस पाउडर में थोड़ा मिलाकर चालान करते हैं और इस तरह पुलिस करोड़ों रुपया वहां पैदा कर रही है । एक-दो मामले में सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी हो रही है ।

मान्यवर, आपके पास एक पर्चा आया होगा जिसमें पुलिस के काले कारनामों का खुलासा किया गया है । इस पर्चे के संबंध में पुलिस ने सोचा कि डा0 सोहन लाल ने इसे छपवाया होगा, इसलिये पुलिस डा0 के खिलाफ है जबकि असलियत है कि डाक्टर सोहन लाल किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं लेकिन विरोध पक्ष की मदद करते हैं जिनको पुलिस परेशान करती है, इसलिये पुलिस को शक है कि डाक्टर ने ही पर्चा छपवाया है जिसमें पुलिस का असली चेहरा बेनकाब किया गया है, इसलिये डाक्टर को पुलिस ने दफा 307 और 342 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया । पुलिस का आरोप है कि डाक्टर, कट्टे से पुलिस पर फायरिंग दाहिने हाथ से कर रहा था जबकि मान्यवर, डाक्टर का दाहिना हाथ बेकार है । मैं चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में जो पुलिस राज कायम करने की साजिश की जा रही है उसे सरकार रोके और गृह राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं उनसे मांग है कि इस मामले में सी0 आई0 डी0 जांच करा लें तो साफ हो जायेगा, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, दो सम्मानित सदस्यों ने यह मामला उठाया है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वहां, बाराबंकी की, स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई उत्तेजनात्मक स्थिति वहां नहीं है। मान्यवर, लेकिन सम्मानित सदस्य लिखकर दे दें तो किसी उच्च अधिकारी से जांच करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य सी0 आई0 डी0 जांच के लिये कह रहे हैं, तो लिखकर देने की क्या बात है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

ठीक है सी0 आई0 डी0 से जांच करवा देंगे।

*श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, आपसे अनुरोध करूंगा कि यह मसला व्यक्तिगत रूप से मेरे और मेरे परिवार से जुड़ा है। बहराइच जिले में संत बली सिद्धार्थ अपर जिलाधिकारी हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि स्नातकोत्तर किसान डिग्री कालेज के 40 प्रवक्ताओं ने उनके खिलाफ दुर्व्यवहार करने की शिकायत की जिसकी फोटो स्टेट प्रति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास है, उन्होंने . . . । पत्रकारों का उत्पीड़न किया, वहां के सारे पत्रकारों ने इसके विरुद्ध अनशन किया। उसके खिलाफ तमाम इस तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला है। उसने अभी पिछले 18 मार्च की तारीख को वहां के निवासी श्री रफीउल्ला की जमीन पर जो उसकी अपनी जमीन थी, अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से जबरन कब्जा करके उस पर खड़ंजा बिछवाने का कार्य शुरू कर दिया। उसके तमाम समझाने पर यह प्रशासक नहीं माने। वह बेचारा भगा-भगा अपनी रक्षा के लिए हमारे घर भागा, जब हमारे घर पहुंचा तो मैं तो वहां उपस्थित नहीं था, उसे मेरे घर पर मेरा छोटा भाई जयंकर सिंह, जो किसान संघ का संगठन मंत्री था, मिला। वह दो जिलों का किसानों का काम देखता है। उसने टेलीफोन पर ए0 डी0 एम0 श्री सिद्धार्थ जी से इस बारे में स्थिति जाननी चाही। इस पर उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर पर 9 बजे चले आना मैं मामले को निस्तारित कर दूंगा। इसके अनुसार दिये गये समय पर वह उनके पास गया और डेढ़ घंटे तक उनसे मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह उसे उपलब्ध नहीं हुए। इस पर इस गम्भीर मामले को लेकर श्री जयंकर सिंह जिलाधिकारी से मिले कि मुझे ए0डी0एम0 ने बुलाया था और मेरे जाने पर वह डेढ़-दो घंटे तक हमसे नहीं मिले इस पर जिलाधिकारी ने उनसे कहा कि यह दो-घंटे तक आपकी प्रतीक्षा करते रहे और आप नहीं मिले, ऐसा आपने क्यों किया ? इस पर इन्होंने कहा कि मैं बाथरूम में था। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपना आदेश इस मामले में दे दिया कि इसका निर्माण रोक दिया जाए। जब जिलाधिकारी के आदेश से उनके द्वारा किये जाने वाला अनधिकृत निर्माण कार्य रूक गया, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सोचा कि कैसे हमारी मर्जी के खिलाफ जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य रोकने का आदेश कर दिया। इस पर वह बहुत कुपित हुए और उसके खिलाफ षडयंत्र करने की बात सोची। . . . (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। आप बैठें।

श्री मयंकर सिंह–

उसने जाकर वहां के लोगों को गलत ढंग से भड़काया और कहा कि यह हम लोगों का उसने जिलाधिकारी द्वारा अपमान कराया है, इसका हम बदला लेंगे। इस पर उन्होंने इसके विरुद्ध दुर्व्यवहार किया और उसने खुद जाकर अपने सामने खड़े होकर उच्चाधिकारी के आदेश के विरुद्ध खड़ंजा लगवाया और कहा जो कुछ होगा हम देख लेंगे। इसपर वहां की जनता और किसानों में बड़ा रोष व्याप्त हो गया। उस ए0डी0 एम0 के इस कुकृत्य के खिलाफ वहां पर 20 हजार लोगों-किसानों ने प्रदर्शन किया और उस सभा में हमारे भाई जयंकर सिंह ने भाषण दिया और उनका प्रतिनिधि मण्डल भी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिला। इस सबके बावजूद वह नहीं माना, कल मेरे गांव में घर पर छापा मारा गया, मेरे गांव के हर घर पर छापा मारा गया। बहराइच के हमारे घर पर छापा मारा गया और इतना ही नहीं हमारे फार्म पर छापा मारा गया। मान्यवर, इन छापों में किसको खोजा जा रहा था।

मान्यवर, मैं इस सदन में बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के किसी एक सदस्य को मेरे साथ आप वहां भेज दें या 4-5 लोगों को भेज दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसे जिले के प्रभारी हैं, एक प्रतिशत भी मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का इस मामले में अपराध हो, तो हम और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कड़ी से कड़ी सजा से जरा भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे अपमान के लिए यदि यह साजिश की गई है तो मेरा निवेदन है कि बहराइच के 7 विधायक कांग्रेस के हैं, उनमें से आप किसी को, या सबको भेज दें जांच करा लें, मेरा अपमान करने के लिए मेरे परिवार का घोर अपमान करने के लिए यह कुचक्र का महल खड़ा किया गया है और उसके नीचे मुझे ध्वस्त करने की साजिश की जा रही है, तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। श्रीमन्, मेरा घोर अपमान हुआ है। मैंने और मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी जीवन में किसी को एक अपशब्द तक नहीं कहा है। मेरा आचरण इस तरह का नहीं रहा है . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें, बहुत हो चुका है।

श्री मयंकर सिंह–

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें। मेरे साथ काफी दुर्व्यवहार और अपमान हुआ है और अभी हो रहा है . . .

(व्यवधान)

श्री रामशरण दास–

इस मामले को आप हल्कोफुल्के ढंग से न लेने का प्रयास करें। इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। यह वैसा लड़का नहीं है, यह बहुत अच्छा लड़का है। इनको वहां के अधिकारी ने बुरी तरह से अपमानित किया है। इस तरह से उसने इनको ही नहीं हम सबको एक तरह से अपमानित किया है। इसमें आप कड़ी कार्यवाही कीजिए।

श्री सतरुद्र प्रकाश–

यह मयंकर सिंह का बयान नहीं है । यह सारे सदन के सम्मान की बात है । आज अधिकारी दुर्भावनावश प्रभावित होकर अपने पद का दुरुपयोग करेंगे पुलिस ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया है । यह विधान सभा के सदस्य हैं इन्होंने कोई कार्य किया उससे नाराज होकर प्रशासन कोई कार्य करता है, तो वह अपने पद का दुरुपयोग करता है । ऐसी इजाजत सरकार को नहीं देनी चाहिए । उनके घर छापा डाला जा रहा है जबकि वह खुद सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं । उनके परिवार के लोगों को इस तरह से आतंकित किया जा रहा है । इसमें आपको संरक्षण देना चाहिए । इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाए । यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है ।

*श्री आसान सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है । यह सार्वजनिक मामलों को लेकर जिलाधिकारी से मिले, उस मामले को इन्होंने उठाया, इसलिए अपर जिला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इनके घर छापा डालने के लिए भेजा, यह परसों इस प्रकरण को लाए किसी कारणवश वह नहीं आ सका, कल भी इन्होंने इस मामले को उठाया लेकिन कल भी नहीं आ सका । यह बात अपर जिला मजिस्ट्रेट को पता चल गई इसलिए उसने इस तरह का कार्य किया । किस तरह से प्रशासन नाराज होकर नंगा नाच कर रहा है । किस तरह से छापा डलवा रहा है ? यह संसदीय परम्परा पर कुठाराघात है । यह विधायकों का अपमान है । इसमें मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे और दंडित करे । यह ऐसा गम्भीर मामला है इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है । प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है उसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं । मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को फोटो कापी दी, उसके बाद भी अपर जिलाधिकारी ने इस तरह का व्यवहार किया ।

माननीय सदस्य को सरेआम अपमानित किया गया और छापा डलवाकर उनके परिवार के लोगों को आतंकित किया गया । उन्होंने दिखा दिया कि हम शिकायत का क्या मजा चखा सकते हैं, तो जब प्रशासन इस तरह का कार्य करेगा तो हम लोगों का कार्य करना बहुत दुर्लभ हो जाएगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मयंकर सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है उसको आप गम्भीरता से लें इसमें तथ्यों के सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है उनके कथन में कोई संदेह नहीं है। इसको आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें ताकि सारा मामला साफ हो जाए और दोषी लोगों को दण्डित किया जा सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, श्री मयंकर सिंह विधान सभा की कार्यवाही के कारण यहीं हैं इनकी पत्नी भी गम्भीर रूप से बीमार हैं और वह मेडिकल कोलेज में हैं । मेरी पूरी सही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानकारी है। ए0डी0एम0 के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप हैं। वह पैसा लेकर अवैध निर्माण कराते हैं। इसी तरह का एक मामला है, यह किसी आदमी की जमीन पर पैसा लेकर अवैध निर्माण कराने जा रहे हैं। इससे हमें मतलब नहीं है। इसी जन असन्तोष के कारण माननीय सदस्य ने अपने संसदीय अधिकारों का उपयोग किया मान्यवर यह दो दिन से कार्यस्थगन की सूचना दे रहे थे। दो दिन किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण कार्यवाही नहीं चल सकी। इसकी सूचना किसी तरह उनको लग गई। जिले में पहुंचने का यह परिणाम हुआ कि ए0डी0एम0 ने कुपित होकर मयंकर सिंह पर दबाव डालने के लिये, प्रताड़ित करने के लिये उन्होंने यह सब किया है। मान्यवर, हमारे कुछ विशेषाधिकार हैं। हमारे किसी आपराधिक मामले में तो कोई कार्यवाही हो सकती है लेकिन जो हमारे संसदीय विशेषाधिकार हैं, विधान सभा के अंदर की उनकी कार्यवाही से कुपित होकर ए0डी0एम0 ने यह कार्य किया है। इसलिये ए0डी0एम0 के खिलाफ इस मामले को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करें। सदन में उनके द्वारा जो सूचना दी गयी उससे कुपित होकर उन्होंने यह घृणित और अमर्यादित कार्य किया है।

मेरी प्रार्थना है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर चर्चा करायें। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से इस मामले में 2-3 दिन से बराबर प्रयास किया जा रहा है लेकिन मुझे आश्चर्य है और दुख है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं उसके बावजूद भी माननीय मयंकर सिंह के घर की तलाशी ली गयी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घृणित और निंदनीय कार्य और हो नहीं सकता। इसलिये मैं इस कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मयंकर सिंह को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं वह बहुत ही अनुशासित और मीठे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी से तीखा बोलेंगे या सख्त बोलेंगे। उन्होंने इसके बारे में बताया था। मैंने तुरन्त जिलाधिकारी बहराइच से सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन वह हो नहीं पाया। मैंने उनको लखनऊ बुलाया है। आज शाम 6 बजे मीटिंग रखी है और माननीय मयंकर सिंह से निवेदन किया है वह उसमें रहें ताकि उस पर कार्यवाही हो सके। मुझे बहुत दुख है। किसी को इस बात का, अधिकार नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, किसी भी नागरिक के जो अधिकार हैं, जो उसको आजादी का हक हासिल है उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। माननीय विधायक के कामों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं या उनको कार्यवाही में हिस्सा न लेने देने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जायगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मयंकर सिंह और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले को मैं स्वयं देख रहा हूं। आज बैठक बुलायी है और इस सिलसिले में जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकेगी वह की जायगी।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

ए0 डी0 एम0 को बर्खास्त कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

इसका परीक्षण हो जायगा।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। श्री मनोहर लाल की सूचना को चर्चा के लिये स्वीकार किया है। डा0 दिनेश जौहरी और श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। मयंकर सिंह का हो गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मयंकर सिंह के मामले में नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है उस संबंध में व्यवस्था दे दें कि जो भी कार्यवाही संसदीय कार्य मंत्री जी करेंगे उससे सदन को अवगत करायेंगे ताकि सदन यह देखे कि समस्या का समाधान हो गया है या नहीं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, कोई चीज छिपानी तो है नहीं। मैंने मयंकर सिंह को स्वयं बुलाया है। कोई कमरे के अन्दर कार्यवाही थोड़े कर रहे हैं। जो चीज होगी सदन के सामने आ जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह मयंकर सिंह का निजी मामला नहीं है बल्कि यह सदन की मर्यादा का सवाल है। सरकार की कार्यवाही से हमारा समाधान होना चाहिये। यह सदन की संपत्ति बन गयी है। इसलिये आप व्यवस्था दें कि जो भी कार्यवाही हो उसको सदन में बताया जाय ताकि सदन उसके गुण-दोष पर विचार कर सके।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था. . .

श्री उपाध्यक्ष–

उसमें चर्चा लगी है आज।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, चर्चा मेरठ के बारे में लगी है, रजबपुर के विषय में नहीं।

(व्यवधान के मध्य श्री औसान सिंह सदन के फ्लोर पर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय औसान सिंह, आप अपने आसन पर जायें।

(कुंवर मानवेन्द्र सिंह के प्रयास से श्री औसान सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री औसान सिंह–

उपाध्यक्ष जी, आप अपनी व्यवस्था दे दें।

(शोर व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, अभी माननीय मयंकर सिंह के मसले पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है, मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उसमें आप माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप व्यवस्था दें।

(शोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप माननीय मयंकर सिंह के बारे में आप अपनी व्यवस्था दे दें।

(शोर व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि हमारे मुरादाबाद जनपद में (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करा दीजिएगा। इसमें क्या दिक्कत है?

श्री अम्मार रिजवी–

अवगत करा दूंगा, मान्यवर।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश–

मान्यवर, इसमें आप वक्तव्य के लिए कह दीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, 7 मार्च से रजबपुर में किसान यूनियन के तत्वावधान में जेल भरो आन्दोलन चल रहा है। मान्यवर, यह रजबपुर वही गांव है, जहां पर 15-16 फरवरी को सैकड़ों लोग घायल हुए थे और सैकड़ों लोग पुलिस की फायरिंग के शिकार हुए थे। मान्यवर, वहां पर चार हजार लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मान्यवर, वहां पर जिस प्रकार से सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, उनको मान्यवर, गिरफ्तार करके दूर-दराज के जिलों में भेजा जा रहा है। जेल ले जाते हुए उनको कई-कई वक्तों तक भोजन नहीं दिया जा रहा है और जो भोजन दिया जा रहा है, वह बहुत खराब भोजन दिया जा रहा है। उनको कई-कई दिनों तक मान्यवर, भूखों रखा जा रहा है। उनको मान्यवर, मुरादाबाद की जेल में न भेज कर दूर-दूर की जेलों में भेजा जा रहा है। मान्यवर, इससे वहां की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

इसमें मैं मान्यवर, सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि यह वही स्थान है जहां पर 15-16 फरवरी को गोली चली थी। मान्यवर, कहीं ऐसी बात न हो जाय कि वहां पर फिर गोलियां न चल जायं। मान्यवर, किसान यूनियन के मामले में सरकार क्यों प्रतिष्ठा की बात बनाये हुए है? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जनता के मसले हैं, जो किसानों की वास्तविक और उचित मांगें हैं, उनके संबंध में आपको बात करने में क्या कठिनाई है? इसको मान्यवर, प्रतिष्ठा की बात नहीं बनाना चाहिए। आप यह कहें कि हम किसान यूनियन वालों से बात नहीं करेंगे, तो यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। आपको उनसे बात करनी चाहिए।

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें चर्चा लगी हुई है, आप बैठिये।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह संभव नहीं है, सरकार के सामने यह मजबूरी है कि मान्यवर, 3-4 हजार व्यक्तियों को मुरादाबाद की जेल में हम लोग रख सकें, इतनी क्षमता ही नहीं

है। रहा इस बात का प्रश्न कि सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि बुरी तरह से ले जाया जाता है दूर-दराज स्थानों पर, मान्यवर, इस बारे में कहूंगा कि जब हमारे पास मुरादाबाद की जेल में स्थान नहीं रहेगा तो दूर-दराज की जेलों में ले जाना पड़ेगा। मान्यवर, कहा गया कि ले जाने में कठिनाई होती है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि ट्रक ठेलों में ले जा रहे हैं, परेशानी होती है तो ऐसी बात नहीं है। हम किसान आन्दोलनकारियों को बड़े सम्मानित तरीके से ले जा रहे हैं, पुलिस एस्कोर्ट में ले जा रहे हैं। ताकि कोई बीमार न हो जाय क्योंकि बहुत बूढ़े-बूढ़े 80–90 साल के लोगों को भेजा जा रहा है और वह कहीं हमारे ऊपर न आ जाय। इसलिए साथ में एक डाक्टर और पूरे उपचार की व्यवस्था आन्दोलनकारियों के साथ में रहती है।

मान्यवर, अभी हमारे सदन के सम्मानित सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जब आन्दोलनकारियों को दूरदराज के जेलों में ले जाते हैं तो साथ में उनके खाने-पीने की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। यह कहना कि उनको कोई परेशानी है या दिक्कत है जेल में, मान्यवर, जेल के जो माण्डण्ड हैं और जेल में जो सुविधा ऐसे आन्दोलनकारियों को दी जा सकती है, वह दी जा रही है। यह कहना सत्य से परे है कि जेल में कोई परेशानी है, दिक्कत है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त शाम को इस पर 2 घंटे की चर्चा है, इस पर जो बात होगी मैं सरकार की तरफ से उत्तर दूंगा, इस पर कोई अलग से चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्ता जी, शासन को अवगत करा दूंगा, आप बैठें।

श्री अचल सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री महेन्द्र भाटी, श्री राम शरण दास तथा श्री नरेश पाल सिंह वाले मामलों में शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

(मद संख्या–8 पुकारे जाने पर)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मैं इसे फाड़े देता हूं।

(श्री शारदा नन्द अंचल ने एक कागज फाड़कर फेंक दिया)

श्री उपाध्यक्ष–

फाड़िये, कौन मना करता है ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, पानी की समस्या है, इतनी गम्भीर बात है। बलिया जनपद में पानी का संकट है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वहां के जिला प्रशासन को शासन से पैसा गया है।

(श्री राज किशोर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने ध्यानाकर्षित कर दिया है, शासन को, राज किशोर जी, आप बैठें ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 47–पर्वतीय विकास विभाग

*पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,75,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(श्री शारदा नन्द अंचल के निरन्तर बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अंचल जी, मैं नहीं सुन रहा हूं, मंत्री जी आप भाषण जारी रखें ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मैं भी नहीं सुन रहा हूं, इतना भीषण मामला है।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मुझे पर्वतीय विकास विभाग का बजट रखने पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे प्रदेश के पर्वतीय अंचल की समस्यायें भौगोलिक दृष्टिकोण से विषम हैं, वहां की परिस्थितियां, वहां का वातावरण और वहां की भौगोलिक परिस्थितियां उनको देखते हुए हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वहां पर कुछ बजट में बढ़ोत्तरी की है। 1987-88 में हमारा प्रान्त परिव्यय 235 करोड़ का था जब कि वर्ष 88-89 का प्रान्त परिव्यय को बढ़ाकर 260 करोड़ रखा है।

मान्यवर, पिछले वर्ष की अपेक्षा 10.6 प्रतिशत हमने इस वर्ष खर्च करने की योजना बनायी है। पिछले वर्ष हमें केन्द्रीय सरकार से 129.45 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी, जबकि इस वर्ष हमें 140 करोड़ रुपये की सहायता मिली है । मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि मान्यवर, पर कैपिटा परिव्यय पिछले वर्ष 486 रुपये था, जबकि इस वर्ष 538 रुपये का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि सारे प्रदेश का परिव्यय 242 रुपये अनुमानित है, जबकि पर्वतीय अंचल में इस वर्ष 538 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से परिव्यय रखा है । मान्यवर, पर्वतीय अंचल की समस्याओं का जहां तक प्रश्न है, वहां की परिस्थिति के अनुकूल वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने कुछ निर्णय लिये हैं । हमने वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष तौर से बागवानी पर जोर दिया है ।

बागवानी के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बागवानी में हमने वहां पर फलों और सब्जियों के उत्पादन पर विशेष बल दिया है और साथ ही साथ फलों के लिये हमने एक नयी योजना बनाई है और इस वर्ष फलों के संबंध में सेब के वितरण के साथ ही आलू की समर्थन मूल्य क्रय योजना में सेब की भी योजना रखी है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वे क्रय एजेंसियों जो कुमायूं और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से बनी हैं, हमने मान्यवर, इस योजना के अंतर्गत कुमायूं मण्डल विकास निगम को 50 हजार रुपये तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को 50 हजार रुपये, फ्रूड ग्रेन को 10 हजार रुपये और हार्टिकों को 10 हजार रुपये की व्यवस्था की है। मान्यवर, इस संबंध में हमने साहिबाबाद मण्डी को चुना है जिसके माध्यम से हम अपने पर्वतीय अंचल के सेब, पर्वतीय अंचल की सब्जियां और वहां पर जो हमारी दूसरी फल सम्बन्धी चीजें पैदा होती हैं, उनके लिए साहिबाबाद मण्डी का चयन किया है और इस मण्डी के माध्यम से प्रदेश के दूसरे अंचलों की तरह, दिल्ली के नजदीक होने के कारण, हम चाहते हैं कि पर्वतीय अंचल के फल और सब्जी दिल्ली में पहुंच सकें जिससे कि पर्वतीय अंचल के कृषकों और बागवानों को लाभ हो सके। इस संबंध में हल्द्वानी और देहरादून में सेटेलाइट मण्डी विकसित करने का प्लान है।

हमने भण्डारण के लिये, पर्वतीय अंचल के सेबों और फलों के भण्डारण की व्यवस्था की है। इस संबंध में नौगांव, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ चम्पावत में एक-एक कोल्ड स्टोरेज बनाना प्रारम्भ कर दिया है। नौगांव का कोल्ड स्टोरेज बनने की कगार पर है। चम्पावत में दूसरे कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की है। इसी संदर्भ में हमने बहुत से कूल रूम्स बनाए हैं। उनमें वहां के फलों के रक्षण के साथ ही सब्जी के उपयोग का निरूपण करने जा रहे हैं। मान्यवर, हमने विश्व बैंक की सहायता से बागवानी के विकास की परियोजना को संशोधित रूप देने के लिये यूरोपीय देशों से वित्तीय सहायता की योजना बनाई है। फलों की प्रोसेसिंग के लिए हमने रामनगर, नैनीताल के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है और इसके अलावा मान्यवर, इस वर्ष हम इस पर एक करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। मान्यवर, जहां तक हार्टिकों का जो इसके रामगढ़ फल उद्योग का सवाल था, उसको लिये एक करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। मान्यवर, हमारे यहां पर्वतीय अंचल में सब्जी और फल दो एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से हम वहां के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं।

हमारा यह प्रयास है कि हम वहां के पर्वतीय अंचल के कृषकों को आधुनिक जो तकनीक हैं उनसे लाभांवित करायेंगे और साथ ही साथ इनको इस प्रकार से जागृत करने की चेष्टा करेंगे जिससे वे लोग फलों और सब्जियों के उत्पादन के संबंध में आगे आकर अपनी स्थिति मजबूत करें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। मान्यवर, हमने सेब के वितरण के लिये हिमांचल प्रदेश से काटन के एक लाख बीस हजार केसेस इस वर्ष मंगाने की योजना बनायी है। जो पेकिंग सिस्टम है, उसमें हमारे यहां के किसानों को काफी परेशानी होती थी। चूंकि हमारा वह पेकिंग सिस्टम जो था वह बहुत पुराना था उस पेकिंग सिस्टम की वजह से सेब के खरीददार जो दूसरी मंडी में खरीदते थे उनका आकर्षण नहीं रहा करता था, खरीददार के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता था, इसलिये इस साल हिमांचल प्रदेश से एक लाख बीस हजार पेकिंग केसेस मंगाने की व्यवस्था की है।

मान्यवर, फलों के संबंध में हमारा जो जैतून का कार्यक्रम है, ढकरानी में जो इटेलियन कोलाबेरेशन से चल रहा है, उसमें काफी प्रगति की है। मान्यवर, हमें

बड़ा फख्र है कि टकरानी में जैतून का कार्यक्रम इटीलियन कोलोबेरेशन से चलाया जा रहा है। वहां पर हमारे कृषि अनुसंधानकर्ताओं ने इतनी प्रगति की है कि वहां पर उन्होंने जैतून के अलावा दूसरे भी पौधों को उपजाने के लिये तमाम प्रक्रिया अपनायी है। वह कार्यक्रम हमारा बड़ा सफल है। उसके साथ ही साथ जैतून के दूसरे काश्तकारों को भी प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 40 किसानों को प्रोत्साहित किया है जो हमारे यहां से जैतून के पौधे ले जाते हैं और अपने यहां लगाते हैं। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में इस जैतून की खेती से भी काफी लाभ होगा। दूसरा आस्पेक्ट जो हमारे पर्वतीय विकास का है जिसके माध्यम से पर्वतीय अंचल के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है उसका निर्णायक बिन्दु पर्यटन है। पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने पर्वतीय अंचल के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काफी प्रोत्साहित करते हैं।

मान्यवर, यह वह पर्वतीय अंचल है, जहां केदार और बद्री धाम हैं, आदि काल से ही सम्पूर्ण भारत से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिये लोग वहां जाते रहे हैं। इसे कहने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि यह वह धाम हैं, यह वह स्थान हैं, जो हिन्दुस्तान की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए आज भी जीवन प्रदान कर रहे हैं। हिमालय से कन्याकुमारी सब एक है, हमारी एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें चुनौती दे सके। हमारे पर्वतीय अंचल इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ ही साथ मैंने पहले ही जिक्र किया कि बद्रीनाथ और केदार नाथ ऐसी जगहें हैं जहां बहुत पुराने समय से ही लोग वहां दर्शन के लिये जाते रहे हैं। हमने इनके यात्रा के रूपों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यात्रियों के साथ-साथ पर्यटकों को विशेष महत्व देने के लिए, ताकि पर्यटक अधिक से अधिक आकृष्ट हो सकें, हमने उस यात्रा रूट में अपने गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से तमाम डाक बंगले चलाये हैं और इन डाक बंगलों के माध्यम से आज हमारे यात्रियों को पर्यटकों को वहां किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। ऋषिकेश मुनि की रेती से प्रारम्भ होकर बद्रीनाथ में इस तरह के डाक बंगले बने हैं।

मान्यवर, कुमायूं क्षेत्र के विकास के लिये बागेश्वर, बिनसर, कोसानी, अल्मोड़ा और भुवाली-इन तमाम स्थानों पर हमने पर्यटकों के लिये आवास गृह बनाये हैं। पिछले वर्ष हमारा लक्ष्य पर्यटक गृहों का 3200 था, उसको हमने पूरा किया। इस वर्ष 66 विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं और इस वर्ष हमारे पर्यटक गृहों की संख्या 4822 तक पहुंच जायेगी। मान्यवर, मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमनें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये तमाम पर्यटक विश्राम गृह बनाये हैं और हमारे पर्वतीय अचंल में जो पर्यटक जाते हैं, इससे उनकी संख्या में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है। मान्यवर, यात्रियों की संख्या को देखते हुये जो हमनें वहां पर व्यवस्था की है और निकट भविष्य में भी हम इस बात के लिए जागरूक हैं कि इसमें निरन्तर वृद्धि होती रहे, जिससे हमारे यहां पर्यटकों की संख्या बढ़े और वहां के लोगों को जीवनयापन के लिये और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये परेशानी न हो और उनका जीवनस्तर सुधर सके।

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह भी बताना अपना कर्तव्य समझता हूं वैसे इसकी विशेष चर्चा उचित नहीं होगी क्योंकि इसका काफी विवरण पुस्तिका में दिया जा चुका है, लेकिन हमनें आदियोपति कुमायूं मंडल में भीमताल, सातताल, भुवाली, लोहाघाट, चम्पावत आदि अनेक स्थानों पर जो हमारे विश्राम गृह थे, वहां पर शैय्याओं की संख्या को बढ़ाया है। इसी तरह अल्मोड़ा में पौढ़ी, लोहारखेत, कोसानी, धाकुरी, खाती, फुरकिया, पिथौरागढ़ आदि अनेक स्थानों पर शैय्याओं को बढ़ाने की चेष्टा की गई है, ताकि वहां पर आने वाले पर्यटक किसी प्रकार की असुविधा महसूस न करें। और उनके रहने ठहरने की सुविधा समुचित रूप से हो सके। साथ ही हमारा यह भी उद्देश्य है कि हमारे जो पर्यटक वहां पर आयें, वह भली प्रकार हमारे पर्वतीय अंचलों में विचरण कर सकें और देखें, जो भी चीजें वहां पर देखने लायक हैं। मान्यवर, इससे हम चाहते हैं, कि लोग देखें और यह जानें कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहें देखने लायक हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कुमायूं में हमनें पूर्णागिरि नामक एक स्थान है, वहां सेन्ट्रल यू0 पी0 के तमाम यात्री जाते हैं, वहां पर भी हमने व्यवस्था को सुधारा है और 72 शैय्याओं के एक काम्प्लेक्स के निर्माण कार्य को शुरू करवाया है। मान्यवर, वहां पर अब तक 32 शैय्याओं का निर्माण कार्य कम्प्लीट हो चुका है। मान्यवर, वहां पर ईंट, गारा, सीमेंट आदि पहुंचाना अत्यन्त कठिन काम है, लेकिन हमने वायदा किया था, इसलिये हमनें इस काम को जैसे भी हो सका, कराने की प्रयास किया और बाकी कार्य भी वहां पर हमारा इसी वर्ष पूरा हो जायेगा। मान्यवर, हमनें पर्यटकों की परेशानी को देखते हुये वहां पर पानी की भी समुचित व्यवस्था की है और मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सेन्ट्रल यू0 पी0 के तमाम यात्री पिथौरागढ़ आदि स्थानों को देखने जाने लगे हैं। इसी के साथ हम पूर्णागिरि से चम्पावत, मुशीयारी तक अपने पर्यटक को ले जाना चाहते हैं, ताकि वह वहां भी देखने योग्य जगहों को जाकर देख सकें। इसके लिये भी हमनें व्यवस्था की है।

मान्यवर, मुशीयारी एक ऐसी जगह है, जहां मनुष्य स्वयं जाकर प्रभावित होता है। मान्यवर, मैं अपने पर्यटकों को वहां तक ले जाना चाहता हूं। इस संबंध में भी मान्यवर, हमारी योजना चल रही है और हम इसके लिये सतत प्रयत्नशील हैं कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस तरीके की योजनायें बनायी जायें और उनको क्रियान्वित किया जाये कुछ योजनाओं को हम कार्यान्वित कर चुके हैं ताकि हमारे पर्वतीय अंचल में पर्यटक दिन-दूना रात चौगुना बढ़ सके और वहां की आर्थिक विषमताओं को दूर कर सकें। चमोली जनपद के गौचर और पिथौरागढ़ के नैनी स्थान पर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि सुदूर अंचलों में जो लोग रहते हैं और यहां आने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें काफी सुविधा मिलेगी। मान्यवर, हमने अमली स्कीम चालू की थी, पिछले वर्ष काफी प्रगति इसमें हुई है। निकट भविष्य में यह एक ऐसा पर्यटक स्थल बन जायेगा, जहां काफी लोग आयेंगे, इस वर्ष भी काफी लोग वहां पर बाहर से आये। वहां पर निकट भविष्य में हम एक ट्राली लगाने जा रहे हैं, जिसका कार्य प्रारम्भ हो गया है, कुछ हट्स का भी

हमने निर्माण कराया है, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं और रहने में परेशानी होती है, वह दूर हो सके ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, पर्यटन को हमने इण्डस्ट्री का रूप दिया है, इसी कारण इस पर निरन्तर कार्य चल रहा है । हमने एक ऋण उपादन की योजना भी लागू की है । इस योजना के तहत हम चाहते हैं कि वहां पर जो हमारे नवयुवक बेकार हैं, वे सड़कों के किनारे कुछ ऐसा कार्य प्रारम्भ करें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके । इस क्षेत्र में कुछ कार्य हुआ भी है । पर्यटक वहां पर रुककर निकटवर्ती स्थानों का भ्रमण भी कर लेते हैं । वैसे विषय बड़ा लम्बा है, पर्यटन ही एक ऐसा विषय है, इस पर जितना कहा जाय, कम है ।

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ हमने लघु सिंचाई में भी कुछ काम किया है। 1987-88 में हमने 19 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन किया था, छोटी नहरों, हाईड्रम व नलकूपों के माध्यम से भी हमने वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की है । यद्यपि नलकूप हमारे तराई क्षेत्र में ही लग पाते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में हमारे हाई-ड्रम काफी सक्सेसफुल रहे हैं । निकट भविष्य में हम वहां पर और हाई-ड्रम्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि वहां पर जो काश्तकार हैं, उनको पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में खेती के साधन बहुत कम हैं । वहां लोग नालियों में खेती करते हैं मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा वहां पर खेती योग्य भूमि बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहां पर खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खाद के छोटे-छोटे पैकेट्स बनवाकर किसानों को वितरित करवायें हैं, साथ ही साथ वहां पर हम किट्स भी देते हैं, वहां पर अच्छे बीज भी हमने किसानों को प्रोवाइड करवाये हैं ।

इसके साथ ही मान्यवर, टिहरी में हमारा जो रानीचौरा स्थान है, वहां पर उन्नत बीजों का भी हमने प्राविधान किया है, जो काफी ऊंचाई के स्थान है, जहां पर पंत नगर का बीज सक्सेसफुल नहीं होता है, इस बार इस बात का प्रयास किया गया है कि हम अपने काश्तकारों को उन्नतिशील बीज उपलब्ध करवायें और उसे हम स्वयं परचेज करें, उनको अच्छे दाम भी मिलें, वहां पर इसकी बहुतायत हो, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा ।

मान्यवर, ऊर्जा हमारे यहां का एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि बिजली के बिना आजकल कहीं कोई नहीं रह सकता है । बिजली के क्षेत्र में भी हमने काफी काम शुरू किया है । लक्ष्य है कि बिजली अधिकता से उत्पादित करें । कुछ गांवों में बिजली नहीं लग पायी है, कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक बिजली दें । हमारा यह भी प्रयास है कि हम वहां पर माइक्रो-हाइडिल के जो स्टेशन्स हैं, उनको बनावें। पिछले वर्ष इस बात का प्रयास किया था । निरन्तर प्रयत्नशील हैं कि ज्यादा से ज्यादा माइक्रो-हाइडिल के काम को चालू करें जिससे कि हमारे यहां छोटी-छोटी जगहों पर जो माइक्रो-हाइडिल बन सकते हैं और लोगों को लाभ हो सकता है, उसका लाभ उठा सकें । इसी संबंध में हमारी राज्य विद्युत परिषद् की ओर

से 10 नयी माइक्रो-हाइडिल योजनायें भारत सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी गयी हैं, जिनकी क्षमता 15600 किलोवाट होगी । निगम की तरफ से 5 लघु विद्युत परियोजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं, जिनकी 15 करोड़ रु0 की लागत आयगी । विद्युत कार्यक्रमों के लिये हमने वर्ष 88-89 में 29.50 करोड़ रु0 का प्राविधान किया है ।

इसके बाद जो सबसे अहम् प्रश्न है वह "वन वन" के बिना आज जितनी दैविक आपदायें हैं वह आ रही हैं, वनों का बहुत बड़ा रोल है । निरन्तर वनों का कटान होने की वजह से प्रकृति समयानुकूल नहीं चल रही है । वैज्ञानिकों का कहना यह है कि यही कारण है कि वर्षों में जो विषमता आ रही है । वर्ष 1988-89 में 7500 हैक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक महत्व की शीघ्र उगने वाली प्रजातियों और ईंधन की प्रजातियों के संबंध में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी वन को महत्व दिया गया है । 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायगा । मैंने इस बात का प्रयास किया है कि बजाय इसके कि वन विभाग की तरफ से नर्सरियों से लोग वहां पर पौधे लें, इस बात की व्यवस्था है कि हम अपने यहां के जागृत जो किसान हैं, उनको प्रोत्साहित करने जा रहे हैं कि वे छोटी-छोटी नर्सरियां बनायें, हम सहायता देंगे, निकटवर्ती लोग उनसे पेड़ ले जायं और लगायें ।

वनों का बहुत महत्व है और इसके लिये हम जागरुक हैं । पर्वतीय क्षेत्र में वन सम्पदा का महत्व इसलिये भी हो जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति का वनों से वैसा ही संबंध है जैसा पिता का पुत्र से होता है या पुत्र का माता से होता है । अपने दैनिक जीवन में वहां का व्यक्ति बिना वनों के रह ही नहीं सकता । वहां की महिलायें जितना काम करती हैं, लकड़ी बीनना, ईंधन का इन्तजाम करना, चारे का इन्तजाम और पशुओं की देखभाल, इसके बिना वहां का व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। और यही कारण है कि हमारी वन सम्पदा में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिससे वहां के रहने वाले लोगों को भी फायदा हो रहा है और इसके साथ ही साथ वनों का भी हम वनीकरण कर सके हैं, इस तरह से हम पर्यावरण को भी इसमें कवर कर रहे हैं । पर्यावरण के संबंध में जो वनों की महत्ता है उस पर हमने बहुत महत्व दिया है और उस पर पूरा परिव्यय करने की हम सोच रहे हैं । हमारा प्रयास है कि निरन्तर वनों की प्रगति पर जो बाधा है, उसको दूर करना होगा ताकि जो वनों की कमी होगी वह न हो और वन ज्यादा से ज्यादा बढ़े । इसके साथ ही वहां के लोगों का जो वनों के साथ अपने जीवन में लगाव है उसको भी हम आगे बढ़ा सकें ।

मान्यवर, इस संबंध में हमने एक योजना बनायी है जलागम योजना जो कि एक कमैंड एरिया के लिए बनायी गयी है । इसे हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि वहां पर मण्डी लगायी जा सके । आपको मालूम ही है कि पर्वतीय अंचलों में चारे की बड़ी कठिनाई हो रही है, चूंकि ऐसी परिस्थितियां हैं, वनों के रेजर्वेशन के लिये, जो वहां पर वनों का रेजर्वेशन है उसकी वजह से वहां चारा इकट्ठा हो रहा है, इसके लिये हमने यह व्यवस्था की है कि इस वर्ष से वहां पर जलागम योजना को हम काफी प्रोत्साहित करने जा रहे हैं । उसके माध्यम से जितने विभाग उससे संबंधित हैं, हमने सबको एक में ही जोड़ दिया है ताकि वह सभी विभाग जो कि जलागम योजना

से सम्बद्ध हैं वह उसमें कार्य करे और उसके लिए हमने कुछ ऐसा निर्णय लिया है जिनसे एक ही व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी डाल दी जाय ताकि वह पूरी योजना सभी विभागों के माध्यम से जैसे कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, पशु पालन, वैकल्पिक ऊर्जा तथा डेरी आदि विभागों से जो कि इसमें आते हैं, हम उन सब विभागों को उसमें समायोजित करके एक ही आदमी के माध्यम से अपनी उस जलागम योजना को चलायें। यह सब एक कम्पेक्ट एरिया में बनाया जायेगा उसमें तीन हजार एकड़ जमीन इस कम्पैक्ट एरिया के लिए हम ले रहे हैं और यह योजना पर्वत के दो जिलों--एक पौड़ी और एक अल्मोड़ा के लिये की गयी है। यह योजना 1983 में शुरु हुई थी और इस योजना का काल 1990 में समाप्त होने वाला था जिसमें दो-तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गयी है और अब यह योजना 1992-93 तक समाप्त होगी। इस योजना के समीकरण से 1/3 भाग में चारा और 2/3 भाग को हम डेवलप करेंगे ताकि साईट वाई साईट 1/3 भाग में चारा उपलब्ध रहे और 2/3 भाग को हम डेवलप करके हम उसको प्रगति में लाने की चेष्टा कर रहे हैं।

मान्यवर, जलागम योजना के साथ ही साथ जहां तक पर्वतीय अंचलों का विषय है, हमारे माननीय सदस्यों को उसकी भूमिका के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं रखते हैं। पर्वतीय विकास के माने अकेले हैण्डलूम नहीं है कि सिर्फ वहां पर सूती धागे का काम होता है। पर्वतीय विकास में सारे विभागों का काम उसी तरह से होता है जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में कोई विभाग काम करता है। अब मैं पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारा पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में क्या दृष्टिकोण है? पर्वतीय क्षेत्र में पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से हमने बहुत से पुल बनाये हैं। हमें फख्र है कि इस विभाग के द्वारा हमने पुल बनाने का रेकार्ड स्थापित किया है। चौबट्टाखाल-गवाडी, खुरमोला गाड़ पर, बदल नदी पर, सूर्यो प्रयाग के पास, जखोल सावली, बलखिल नदी पर इस तरह से हमने बहुत पुल बनाये हैं।

मान्यवर, हमने सड़कों को भी बनाया है, इस वर्ष 1988-89 में हमारा लक्ष्य सड़कों के बारे में जो है, वह 150 कि0 मी0 मोटर मार्ग, 20 कि0 मी0 हल्के वाहन मार्ग, 200 कि0 मी0 पुरानी सड़कों में सुधार तथा 7 मोटर मार्ग तथा 45 कि0 मी0 पैदल चलने वालों के लिए मार्ग में पड़ने वाले पुलों का निर्माण हो रहा है और इसकी अनुमानित लागत इस वर्ष 33.77 करोड़ रु0 रखी गयी है। इसके साथ-साथ हमने जो सबसे बड़ा काम करने का प्रयास किया है वह है मनीस पर पुल बनाना प्रारम्भ कर दिया है, इसके बनने से मान्यवर हिमाचल प्रदेश और देहरादून की दूरी में ढाई घंटे का फर्क पड़ेगा और मान्यवर इस पुल के बनाये जाने की कल्पना लगभग 10 वर्षों से की जा रही थी, लेकिन मान्यवर हमारा यह प्रयास अपने कुछ सहयोगियों के सहयोग के कारण अभी करीब दो माह पहले पूरा हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इसका शिलांयास भी हो चुका है और इसी संदर्भ में मैं यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री वीर बहादुर सिंह पर्वतीय अंचल के विकास के लिए बहुत चिंतित हैं और वह इसीलिए समय-समय वहां जाते रहते हैं और वहां के जन-प्रतिनिधियों व अधिकारियों के सहयोग से वहां की मूलभूत समस्याओं का निराकरण भी करते हैं और हमारी समझ से पर्वतीय अंचल का जितना भ्रमण

माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, वह अपने में अद्वितीय है, और इसीलिए उन्हें वहां के बारे में काफी अनुभव भी है और शायद ही मैं समझता हूं कि कोई स्थान बचा हो जहां वह गये न हों और जितने भी विकास कार्य उनके सामने आए हों और उसे न किया हो उन्होंने। साथ ही मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर आवागमन के साधन भी अधिक होने चाहिए, इसी दृष्टि कोण को सामने रखते हुए हमने इस वर्ष जो लक्ष्य रखा है सड़कों का और इस मार्ग में जो पुल बाधक होते हैं, कहीं झूला पुल चाहिए, तो कहीं सामान्य प्रकार का, तो कहीं मोटर मार्ग आवश्यक है तो कहीं पैदल मार्ग, इस ओर वहां पर बड़ी समस्याएं हैं, जो लोग पर्वतीय आंचल को गए हैं, उन्होंने वहां की समस्याओं को निकट से देखा होगा ।

मान्यवर, अब विषय आता है शिक्षा का। पर्वतीय अंचल में हमारा जो शिक्षा का काम चल रहा है, वह भी मान्यवर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वहां इस ओर बड़ी समस्याएं हैं। सुदूर आंचल में टीचर्स जल्दी जाने को तैयार नहीं होते हैं, परन्तु अब वहां पर इस ओर काफी गति लाए हैं । साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षा की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है और इस ओर जो समस्याएं आती थीं, उन पर विचार कर उनको दूर करने के प्रयास किये गये और वहां जो बी0 टी0 सी0 के कालेजेज हैं, इनकी तादाद भी टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी और देहरादून आदि में की गयी है और हमारे जो अध्यापकगण हैं, वह इन सुदूर अंचलों में जाना नहीं चाहते थे, इसलिये यह व्यवस्था वहां पर हो रही है कि जो बी0 टी0 सी0 कालेजेज हैं या स्कूल हैं, उनमें टीचरों की संख्या बढ़ाई जाए. ताकि वहां पर हमारे जो शिक्षक गण हैं और वह बी0 टी0 सी0 पास हैं, उनको वहां भेजा जाए । साथ ही वर्ष 1986-87 और 87-88 में 69 नये राजकीय स्कूल खोले गये । इसी प्रकार से वर्ष 1988-89 में 102 नये प्राइमरी स्कूल तथा 30 जूनियर हाई स्कूल खोलने का हमारा लक्ष्य है । भवन रहित 101 प्राइमरी स्कूलों तथा 59 सीनियर बेसिक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु अनुदान वर्ष 1987-88 में स्वीकृत किया गया है । वर्ष 1988-89 में भवन रहित 50 प्राइमरी तथा 40 सीनियर बेसिक स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु अनुदान का लक्ष्य है ।

मान्यवर, जहां तक माध्यमिक विद्यालयों का सवाल है, उनकी हालत बहुत जीर्ण-शीर्ण है। चूंकि विज्ञान कक्षायें अनिवार्य हो गयी हैं और बहुत से विद्यालय जीर्ण-शीर्ण हैं, इस कारण हमारे सामने समस्या आ गयी है। इस कारण इस वर्ष हमने उन भवनों के लिए जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और जहां पर विज्ञान की कक्षायें खुलनी हैं और जहां पर लैबोरेटरी का निर्माण नहीं है, निर्माण कराना है, ऐसे लगभग 300 विद्यालय हैं और इन 300 विद्यालयों में 150 विद्यालयों को हम इस साल बनवाने जा रहे हैं और जिसके लिये 4 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ताकि जीर्ण शीर्ण भवनों का निर्माण कराया जा सके और जहां पर विज्ञान कक्षायें नहीं हैं, वहां पर विज्ञान कक्षायें खुल सकें और जहां पर लैबोरेटरी नहीं है वहां पर लैबोरेटरी बन सके ।

मान्यवर, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं इस संबंध में पर्वतीय अंचल वंचित रह गया है । वहां के लोगों का सदैव इस बात का प्रयास रहा है कि

वहां पर भी इसका प्रबन्ध किया जाये । वहां के लोग कहते रहे हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय है और जो एक जाना माना विश्वविद्यालय है, लेकिन वहां पर कोई इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है । किसी भी इन्टरमीडिएट कालेज में कृषि विषय की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता रहती है । इस चीज को देखते हुए इस बात का प्राविधान किया गया है कि जो कृषि फार्म हैं, या हार्टीकल्चर फार्म हैं, उनको इन विद्यालयों के साथ सम्बद्ध किया जा रहा है, इन फार्मों को शिक्षा के प्रकरण में सम्मिलित किया जायेगा, ताकि जो पर्वतीय क्षेत्र के बच्चे हैं, वह कृषि विषय लेकर पढ़ सकें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम की घंटी बजाई जाये ।

(घंटी बजाई गयी तथा कोरम पूरा होने पर भाषण पुनः आरम्भ हुआ)

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, जहां तक इन्टरेस्ट का सवाल है, आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस विधान मंडप के नीचे किन-किन बातों में इन्टरेस्ट रखते हैं । दिवाकर विक्रम सिंह जी इसको अच्छी तरह से जानते हैं और जो कार्य कलाप हैं, जिन्हें हम लोग रोज देखते हैं, उसमें कितना इन्टरेस्ट होता है । इन्टरेस्ट की एक सीमा है और हमारे मित्र इससे भलीभांति परिचित हैं । जहां तक पर्वतीय क्षेत्र का संबंध है, लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्र के विधायक यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि यह उनका विषय है लेकिन यह दुर्भाग्य है कि मैदान के लोगों को उसमें रुचि नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि यह पर्वतीय अंचल है जहां से गंगा और जमुना नदियां निकलती हैं और मैदानों को जीवन प्रदान करती हैं । हम पर्वतीय अंचल के ऋणी हैं और पर्वतीय अंचल का हमारे ऊपर ऋण है और हम उससे उऋण नहीं हो सकते हैं

श्री अधिष्ठाता–

आप खुद ही इसको देख रहे हैं, आप भी मैदान से हैं ।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, हमने वैकल्पिक ऊर्जा के सम्बन्ध में भी बहुत काम किये हैं । वहां पर ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा 100 कि0 वा0 तक क्षमता की लघु विद्युत योजना की स्थापना का कार्य किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र में 6 हजार उन्नतशील चूल्हों का निर्माण कराया जा रहा है और 16 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इस तरह से इस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। विशेष रूप से चूल्हा कार्यक्रम हमने चलाया है जो वहां की महिलाओं के सामने ईंधन की कठिनाई होती थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया है । इन चूल्हों से कम धुंवा होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा । इस तरह से हमने 9 हजार से अधिक चूल्हे वितरित किये हैं और इस वर्ष भी हम ज्यादा से ज्यादा चूल्हे वितरित करेंगे जिससे वहां के लोगों को लाभ हो सके और वहां की महिलाओं के सामने जो ईंधन की समस्या है, उसका सम्यक उपाय हो सके ।

एक विशेष बात मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि हमने इस वर्ष एक आयोग का गठन किया है जिसका नाम उत्तर प्रदेश पर्वतीय वस्त्र, शिल्प, लघु उद्योग, जड़ी-बूटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विकास आयोग । इसका गठन इसलिये किया गया है कि इसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारी निधि है, जड़ी-बूटियां हैं, शिल्प उद्योग को बढ़ाया जा सके । इससे एक जमाने में वहां की शिल्प कला जो अपना एक स्थान रखती थी वह लुप्त होती नजर आ रही थी, उससे वहां के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके । इसी दृष्टिकोण से इस आयोग का गठन किया गया है । इस आयोग के माध्यम से हम उन स्थानों को सम्मिलित करने जा रहे हैं जो एक हजार मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित हों । इससे वहां की शिल्प कला, जड़ी-बूटी और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इस ओर हम प्रयत्नशील हैं । इसकी हमने संरचना कर ली है । इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इस विकास आयोग का गठन हो गया है । इसका मुख्यालय श्रीनगर में होगा ।

मान्यवर, हमारे सामने और भी समस्यायें हैं जिनको हम यहां पर रखना अपना कर्तव्य समझते हैं । विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक्स विकास के लिये एक अपहिल कारपोरेशन बनाया गया है जिसके माध्यम से हमारे जो जिज्ञासु लोग हैं वे वहां पर लघु उद्योग की दृष्टि से काम कर सकें । पर्यावरण की दृष्टि से जो मध्यम और बड़े उद्योग हैं वे इसके माध्यम से अपना उद्योग वहां पर स्थापित कर सकें। इसी कारण वहां पर सन 85 में अपहिल कारपोरेशन का गठन किया है। इसमें 14.7 लाख रुपये की अंश पूंजी विनियोजित की गई है । इसमें 15 लाख रुपया छोड़ शेष सब पैसा ट्रांसफर कर दिया है । इस दृष्टि से हम अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, चमोली और देहरादून आदि जिलों में काम काम करने जा रहे हैं । हमने इलेक्ट्रोनिक्स के संबंध में बहुत जगहों पर स्थल भी बनाये हैं जहां पर हम काम करेंगे ।

मान्यवर, मैं ऐसे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि कहां पर हमने इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के कार्यक्रम चलाये हैं—जैसे अल्मोड़ा में फोटो वोल्टाइक मोड्यूल्स एन्ड सिस्टम तथा टू इन वन कैसेट रिकार्डर टेहरी में टी0 वी0 फैक्टरी आदि की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास के लिये पर्वतीय क्षेत्र में 7 औद्योगिक आस्थानों तथा दो इलेक्ट्रानिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर की स्थापना की की जा रही है । जिसके माध्यम से हम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं क्योंकि इस संबंध में हमारी जो साहिबाबाद में इलेक्टानिक फैक्ट्री है उनसे वार्ता हुई है उनका कहना है कि अगर ट्रेण्ड व्यक्ति उन्हें हम दें तो वह उनको एबजार्व कर सकते हैं। इससे हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवकों की समस्या का समाधान होगा । इसलिये भीमताल में हम कुछ ट्रेण्ड लड़कों को हम भेज भी चुके हैं । इस तरह का कार्यक्रम न्यू टेहरी में भी चलाने का हमारा है ताकि वहां भी लड़के सीख सकें और उनको काम दिलाया जा सके । इसी तरह निकल कैडियम सेल्स बैटरीज कोटद्वार में रेडियो टू-इन वन कैसेट रिकार्डर देहरादून में नाइट विजन डिवाइसेज का कारखाना लग रहा है रक्षा मंत्रालय से भी हम बात कर

रहे हैं इसी तरह से एक इलैक्ट्रानिक्स कम्प्लैक्स बनाया जा रहा है जिसकी परियोजना प्रारम्भ हो चुकी है। पिथौरागढ़ में इलैक्ट्रानिक्स क्वाटर क्लौक, इमरजेंसी लाइट एण्ड रिचार्जेबुल टारचेज फैक्ट्री की स्थापना हम कर रहे हैं । अभी तक उत्तर काशी में कोई काम हम नहीं कर पाये थे लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में उत्तर काशी में भी कोई न कोई प्रोग्राम निर्धारित करने जा रहे हैं जिससे वहां के लोगों को उद्योगों में लगा कर उनका विकास कर सके ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र खनिज संपदा से भरा पड़ा है, हिमालय की खनिज संपदा हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियां में बिख्यात है । इस वर्ष हमने पौड़ी में सोना निकालने का काम प्रारम्भ किया है । इस काम को हम सुनियोजित तरीके से करेंगे । इसके अलावा तांबा जस्ता आदि भी वहां निकल रहा है । हम चाहते हैं कि खनिज पदार्थ निकालने में विकास के बदले विनास न हो इसका भी हम ध्यान रखे हुये हैं । विकास को विनास के साथ बिना जोड़े ही हम वहां काम करेंगे ताकि पर्वतीय अंचल का विकास भी हो और पहाड़ों को विनास से भी बचाया जा सके ।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र कुमायूं और गढ़वाल अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिये हिन्दुस्तान में अपना एक स्थान रखते हैं । वहां के फोक डांससेज, वहां की संगीत कला हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । गढ़गाल और कुमायूं को संस्कृति, कला और साहित्य संगीत के विकास के लिये विशेष रुचि ली गयी है । वहां की संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये हम पौड़ी में एक आडोटोरियम स्थापित करने जा रहे हैं । विगत वर्ष में भी इसकी व्यवस्था थी लेकिन कुछ कारण वस वह नहीं हो पाया लेकिन इस वर्ष उसमें काम प्रारंभ हो जायेगा ।

पर्वतपुत्र पं0 गोविन्द बल्लभ पंत की जन्म शताब्दी समारोह इस वर्ष हम मना रहे हैं । इसी संदर्भ में मुझे भी उनके जन्म स्थान खूंट जाने का मौका मिला था । हम कुमायूं और गढ़वाल दोनों जगहों पर उनके नाम से संगीत विद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं । ताकि उस पर्वत पुत्र के नाम पर जो वहां की कल संगीत है वह जीवित रह सके और दिनों उस पर्वत पुत्र को हम याद कर सकें ।

मान्यवर, एक समस्या वहां पेयजल की है जिसके समाधान के लिये हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं और इस संबंध में प्रयास भी किया है। वहां छोटे-छोटे बच्चे, मातायें, बहिनें सुदूर अंचलों से पानी लाने का काम करती थीं, श्रोतों से, इस काम में प्रगति किया है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त कर ली है लेकिन प्रयत्नशील हैं कि इस समस्या का समाधान करें क्योंकि यह जीवन्त समस्या है और इसके लिये प्रत्येक सरकार को चिन्ता होनी चाहिए और यह चिन्ता का विषय भी है, हम इसके लिये निरन्तर प्रयास कर रहे हैं । वर्ष 1988-89 में 722 गांवों में पेयजल व्यवस्था जल निगम द्वारा कराने का लक्ष्य रखा है और 674 अभावग्रस्त गांवों को सम्मिलित किया है । गढ़वाल और कुमायूं जल संस्थान में पुरानी जो कुछ हमारी योजनायें थीं जिनके श्रोत सूख गये थे, योजनायें खराब हो गयी थी, इसलिये जल संस्थान के माध्यम से कुछ योजनाओं को लिया है। मान्यवर, पिछले वर्ष जब कुछ योजनायें खराब हो गयी थीं तो इसके लिये हमने लखनऊ से एक टीम कुमायूं और गढ़वाल भेजी जो निरीक्षण करें

और उसकी रिपोर्ट के आने पर उसके आधार पर जो त्रुटिपूर्ण योजनायें हैं उनको अलग और जो ठीक हैं उनको एवं नई योजनाओं को अलग-अलग रखा है ताकि इन त्रुटिपूर्ण योजनाओं में सुधार हो सके ।

मान्यवर, कुछ नगरीय समस्यायें हैं जैसे देहरादून, मसूरी, नैनीताल पौड़ी इनमें पानी की समस्या है जिसके समाधान के लिये हम निरन्तर सजग और प्रयत्नशील हैं । विश्व बैंक के माध्यम से और दूसरे बैंकों के माध्यम से इसके लिये योजनायें बनवा रहे हैं ताकि जो शहर हैं उनमें पीने के पानी की असुविधा न हो, इस सम्बन्ध में कई योजनायें शासन के विचाराधीन हैं और कुछ योजनाओं पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया है और कुछ योजनाओं पर निकट भविष्य में जब बैंकों से ऋण मिल जायेगा तो कार्य प्रारम्भ कर देंगे ।

मान्यवर, खादी ग्रामोद्योग को भी पर्वतीय अंचल में विशेष महत्व दिया गया है । इस उद्योग के माध्यम से वहां के लोगों को कुछ काम दिलाने का कार्य कर रहे हैं । इस संबंध में दो योजनायें चलाई गयी हैं । एक अंगोरा खरगोश होता है जिससे ऊन उपलब्ध होता है जो 800 रुपये प्रति किलो की हिसाब से बिकता है । इस वर्ष इस ऊन की योजना पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली आदि स्थानों में प्रारम्भ की गयी है और वहां के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अंगोरा खरगोश को पालें और उसका ऊन निकालें और कारीगरों को उपलब्ध करायें ताकि कारीगर दस्तकारी का परिचय दें और शाल बनायेंगे जो देश के और दूसरे स्थानों को उनके हाथों की बनी चीजें उपलब्ध हो सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी अब पर्वत के बन्धुओं को भी बोल लेने दें और बाद में कुछ कहना है तो कह लेंगे ।

श्री राम अौतार दीक्षित–

इसमें बहुत से पर्वत के विभाग आते हैं । मैं तो मान्यवर, बहुत सी चीजें धीरे धीरे याद कर रहा था ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे सहमत हूं ।

श्री राम अौतार दीक्षित–

सारे विभाग इसमें आते हैं, हमारे सदस्य नौटियाल जी इसे अच्छी तरह जानते हैं । इनका अनुभव रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं तो आपसे सहमत होते हुए भी आपसे यह कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम अौतार दीक्षित–

अब मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं । हमने पर्वतीय अंचल में 4 निगम बनाये हैं । गढ़वाल विकास निगम, कुमायूं विकास निगम, कुमायूं अनुसूचित जाति निगम और कुमायूं अनुसूचित जनजाति निगम । इन चारों

विकास निगमों के माध्यम से हम वहां पर विकास का कार्य कर रहे हैं और अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से अनुसूचित जातियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कुमायूं निगम के माध्यम से भी हम काफी काम कर रहे हैं—जैसे कैलाश मानसरोवर मार्ग है, यह यात्री मार्ग पर पैसेन्जर बुक करने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ गैस का काम भी इसके माध्यम से शुरू किया गया है, ताकि उनकी ईंधन की लकड़ी की समस्या का निदान कर सकें। हम इसके लिए भी प्रयत्नशील हैं और अपने निगमों के माध्यम से हम इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जिससे पर्वतीय अंचल के लोग लाभान्वित हो सकें। मान्यवर, अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भी हमारा अलग से एक कार्यक्रम है और इन जातियों के लोगों की प्रोन्नति के लिए वहां आश्रम पद्धति के स्कूल खोले गये हैं और उनके लिए होस्टल्स भी हैं। आश्रम पद्धति के स्कूलों के माध्यम से जनजाति के लोगों को विकसित करने की हम निरन्तर चेष्टा कर रहे हैं और उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे पढ़-लिखकर हमारे समाज के लिए एक सफल नागरिक बनकर इस देश का भाग्य निर्धारण कर सकें। अभी बहुत सी समस्यायें रह गई हैं, फिर भी हमारा प्रयत्न है जैसा आपके माध्यम से सदन में मैंने पहले भी कहा है, यदि हम गंगा-यमुना के ऋण से मुक्त हो सकें तो यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हम पर्वतीय अंचलों के, पर्वतीय अंचल के निवासियों के उत्थान और उनकी आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए काफी प्रयत्नशील हैं और हमारे मुख्य मंत्री का भी यह प्रयास रहा है कि पर्वतीय अंचल विकसित हों और वहां के लोगों का विकास हो और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं—अनुदान संख्या—47—पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण मांग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के एक घण्टे के भाषण के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पर्वतीय अंचलों के लिए केवल हवाई किले बनाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पर्यटकों के लिए पानी व्यवस्था पर बहुत जोर शोर से अपने भाषण में. हम से कम आधा घंटे में जिक्र किया, किन्तु पर्वतीय अंचल में जो प्यासे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सही रूप में एक शब्द भी योजनाबद्ध रूप से उन्होंने नहीं कहा। चार निगमों की बात कहकर उन्होंने बहुत शाबाशी लेने की कोशिश की है, लेकिन इन निगम का यदि नि निकाल दें तो केवल गम बचता है और यही गम पर्वतीय अंचल के निवासियों को इनसे मिला है। यह उनके लिए गम बनकर ही रह गये हैं। इनमें कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला है। देहरादून के द्रोण होटल में चले जाइये, यहां आने वाले पर्यटक रोते हुए आंसू बहाते हुए वापस जाते हैं। आपके जो प्रबन्ध निदेशक हैं, उनकी रंगरेलियों के कारण समस्त पर्वतीय अंचलों के कालिख लग गयी है।

आपने पर्वतीय अंचल के लिए कहा । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल के लोगों के लिए आर्थिक रूप से उनको बनाने के लिए आपने क्या सुझाव दिया। नहीं है कोई सुझाव आपके पास । पर्यटक आयेंगे तो आपकी दुकानदारी होगी ! मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं पर्वतीय क्षेत्र के गढ़वाल निगम और कुमायूं निगम की स्थापना इसलिए नहीं हुई कि मोटर चलाई जाए । आपको देखना चाहिए कि विकास करने के लिए वहां के गरीब लड़कों को औद्योगिक रूप से किस तरह की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, इसके पहले का प्रारूप आप देख लें कि क्या है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए इसको अड्डा बना लिया है। पहले जितने डाइरेक्टर होते थे वह विधायक होते थे वह इसलिए होते थे कि अगर कोई कमी होगी तो वह आकर यहां बतायेंगे, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने वहां विधायकों का प्रवेश बन्द कर दिया है, इससे बहुत अनियमिततायें हो रही हैं। मान्यवर, औली के बारे में कहना चाहूंगा औली का बड़ा नाम है। मैं पूछना चाहता हूं क्या वहां सड़क बन गई है ? 16 किलोमीटर की सड़क अभी तक नहीं बनी है। 1978 में इस सड़क को बनाने के लिए रुपया दिया गया था । लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ ।

मान्यवर, गढ़वाल मंडल विकास निगम के लोग संवाददाताओं को जाने क्या खिला पिला देते हैं, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि वहां सड़कें नहीं हैं। रोप-वे का नाम नहीं है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने ठेकेदार को पहले पैसा दे दिया, उसने कोई काम नहीं किया । क्या आपने इसको देखा ? गढ़वाल विकास के लिए जो रुपया दिया गया उससे कोई कार्य नहीं हुआ । कोई विकास गढ़वाल का नहीं किया गया । आपने भी इस पर अंकुश लगाने की कोई चेष्टा नहीं की । जो हमारे गढ़वाल के कर्मचारी थे, आपके प्रबन्ध निदेशक ने उन्हें बाहर कर दिया और जो बाहर के कर्मचारी थे उनको कमेटी के अन्दर ले लिया । अगर विधायक उसमें होते तो गढ़वाल के विकास का रास्ता होता । कुमाऊं के विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे माननीय सदस्य बतायेंगे। वहां क्या हो रहा है? आपको मालूम होगा कि कुमाऊं निगम 10 साल पहले बना था। कुछ अधिकारियों की वजह से यहां कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष हैं। मान्यवर, मेरी जानकारी है दिल्ली में एक कैलेरिज होटल है। वह ऐय्याशी का अड्डा बना हुआ है, उसको बतलाया नहीं जा सकता है। पर्वतीय विकास के सचिव यहां से लेकर अमरीका तक घूम आये हैं । आपने मार्केटिंग की बात कही । आपको याद होगा कुमाऊं निगम इसलिए बनाया गया था कि हमारे यहां की मार्केटिंग सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए । लेकिन उसका क्या उपयोग हो रहा है उसकी गाड़ी कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसका इन्ट्रेस्ट कौन ला रहा है इसके बारे में आपको नहीं मालूम है ? आप गढ़वाल और कुमाऊं के नाम पर रुपया वसूल कर हमारी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। आपने कहा एक योजना बनाई है जलागम की, तो यह अच्छी योजना है।

मैं आपको चुनौती देता हूं कि या तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा नहीं, तो आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दें हमारे यहां जो योजनायें आप चला रहे

हैं चाहे वह भूमि संरक्षण की हो, चाहे लघु सिंचाई की हो, चाहे वह वानिकी हो या अन्य कोई योजना हो पोखरा ब्लाक पौड़ी गढ़वाल में केवल वानिकी के अलावा किसी और योजना पर काम हुआ होगा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो आप मंत्रिपरिषद् से इस्तीफा दे दें। इस तरह से हमारे यहां लूट मार की जा रही है। वन विभाग की योजना के अन्तर्गत वहां कुछ पौधों के अलावा कुछ नहीं है। आपने लूट मार करने के लिए योजनायें बना दी हैं और कहते हैं कि पर्वतीय अंचल के लिए अरबों रुपया बिछा दिया है। मैं आपसे दर्द भरे शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज पहाड़ का आदमी लुट रहा है। यह जो वन हैं इनसे हमारा जितना सम्पर्क है उतना किसी और का हो नहीं सकता है। हम पेड़ों को बच्चों की तरह पालते हैं कि एक दिन ऐसा आयेगा जब इसकी लकड़ी हमें जलाने के लिए मिलेगी, मकान के लिए खिड़की बनाने के लिए काम आयेगी और घरेलू उपयोग के लिए काम आयेगी। लेकिन आपका जो वन अधिनियम लागू है उसके कारण कोई आदमी पेड़ नहीं काट सकता है।

आपने पर्यावरण की बड़ी सिफारिश की है। मानव से ज्यादा पर्यावरण है। पहाड़ के लोगों को आप मार देंगे और पर्यावरण की गाथा गायेंगे। यह कैसा पर्यावरण है? क्या वन ही पर्यावरण में आते हैं क्या उसमें रहने वाले जंगली जानवर नहीं आते हैं और तमाम चीजें नहीं आती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1890 में वन अधिनियम बना था जिसके अंतर्गत पहाड़ के लोगों को हक हुकूक दिए गए थे। उसमें यह व्यवस्था थी कि अपने घर के बनाने के लिए लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी पेड़ों से मिलेगी। लेकिन 1890 में जिस गांव में 5 लोग थे वहां पर अब 150 लोग हो गये हैं और हक हुकूक केवल एक पेड़ का है। आप मंत्रि परिषद् में रहकर इन समस्याओं को नहीं देखेंगे और इनका निराकरण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम मकान बनाने के लिए लकड़ी नहीं ले सकते, हल बनाने के लिए लकड़ी नहीं ले सकते तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? अगर एक पेड़ हमने काट दिया तो कैद। आप हमारी समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा कीजिये अरबों खरबों रुपया मत दीजिये। हमारे यहां कुछ करके दिखाइये हम रुपया नहीं चाहते हैं।

आप हमारे यहां की पानी की समस्या हल कर दीजिये, शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिये, यातायात की व्यवस्था कर दीजिये, हमारे बच्चों का जो भविष्य अंधकारमय है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दीजिये तो हम रुपया नहीं चाहते हैं। आपने कहा कि हमने अंशकालिक अध्यापकों की व्यवस्था कर दी है। मैं आपसे वायदा करता हूं कि यह जो अंशकालीन अध्यापक हैं इनको रेगुलर कर दीजिये। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चे कहां भटकेंगे। एक आपके बेरी नाम के प्रबन्ध निदेशक हैं उन्होंने बाहर के लोगों की नियुक्तियां कर दी हैं। इसी तरह से कृषि विभाग के एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमारे यहां के ई0 टी0 सी0 पास लड़कों को स्थान नहीं दिया और 300 लड़के नीचे से भर्ती कर लिये। हम बाहर के लोगों का विरोध नहीं करते हैं लेकिन हमारे यहां तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के जो स्थान हैं उनके लिए यदि हमारे लड़के योग्य हैं तो आप उनको न चुनकर उनके साथ इस इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं? कितने ही बच्चे एक साल के अन्दर ओवर एज हो जायेंगे।

मेरा निवेदन है कि आप अंशकालीन अध्यापकों को रेगुलर नियुक्ति दें। आपने स्कूलों के बारे में जिक्र किया । मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले साल हमारे यहां पर जो हाईस्कूल और जूनियर हाई स्कूल आपने दिए क्या आपको जानकारी है कि वह खोले गये हैं? नहीं खुले हैं, आज वह स्कूल हम नहीं खुलवा पाये हैं। आप एक साल का बजट मुफ्त चाट गये । मान्यवर, अभी हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के जी0 ओ0 नहीं निकले हैं। माननीय मंत्री जी आपके पास हाई स्कूल और इण्टर-मीडिएट के जी0 ओ0 आज आपके पास हों, तो उसे हाउस में पेश कर दीजिए । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट तक स्कूल खोलने का जी0 ओ0 हो गया हो, तो स्कूल कब खोलेंगे?

हमने भी बहुत यात्राएं की हैं और माननीय मुख्य मंत्री ने भी बहुत यात्राएं की हैं। मान्यवर, वहां पर गंगा, यमुना, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा सभी लोग करते हैं । लेकिन मान्यवर, हमारे लिए रास्ता बन्द, हमारे लिए चलना बन्द, हमारे लिए खाना बन्द और हमारे लिए पानी पीना बन्द, जिसके लिए अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं झगड़ा पैदा कर रखा है जल निगम और जल संस्थान का । जल निगम के पास इतनी सुविधायें हैं कि एक-एक असिस्टेन्ट इंजीनियर के पास गाड़ी है और जल संस्थान के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास एक भी गाड़ी नहीं है, अगर किसी के पास है भी तो, उसमें धक्का लगाना पड़ता है। जल निगम के पास पैसा इतना है कि उसने अपनी कालोनी बना लिया है और जल संस्थान के पास अपनी कोई कालोनी नहीं है। मान्यवर, हमारे यहां पर 60 प्रतिशत पेय जल की समस्या है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, माननीय मंत्री जी इसका भी तो इन्तजाम करिये?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखिये ।

श्री राम अवतार दीक्षित–

माननीय सत्यपाल सिंह जी की इच्छा नहीं है, वह पानी नहीं पियेंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पानी पीने जाना चाहते हैं, उन्हें मान्यवर, जाने दिया जाय ।

(व्यवधान)

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा जल निगम की योजना है, अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा जल निगम की योजना है, पौड़ी में सबसे ज्यादा जल निगम की योजना है, टेहरी गढ़वाल में सबसे बड़ी योजना जल निगम की है, तल्ला नागपुर का पानी तो वहां स्वयं जल निगम वाले पी गये। वहां पर पानी ही नहीं है और योजना के नाम पर करोड़ों रुपये डकार गये और कुछ नहीं हुआ।

गांव की स्थिति तो यह है कि वहां पर पानी ही नहीं है, यह मैं मानता हूं कि सूखा पड़ा, सूखे से स्रोत सूख गये, लेकिन जहां का हैड नीचे डाल दिया, तो वहां पर पानी कैसे आयेगा, इस तरह की इंजीनियरिंग है, इस तरह का काम है। मार्केटिंग के लिए कहा गया और सेब के बारे में कहा गया, मान्यवर, हमारे यहां के सेब हिमांचल के नाम से बिक रहे हैं। मान्यवर, पहाड़ में केवल सेब ही नहीं पैदा होते हैं, वहां पर नारंगी आदि भी पैदा होती हैं। मान्यवर, वहां के सेब में तो अब कीड़े लगना शुरू हो गये हैं। इन कीड़ों के कारण पहाड़ के लोग यह सोचने लगे हैं कि अब हम कौन सी व्यवस्था करें? तो हमारा सेब ही एक आधार नहीं है, हमारे यहां आलू भी पैदा होता है लेकिन उसकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि गाजियाबाद में हमने कर दिया है लेकिन कौन गाजियाबाद ले जायेगा, खेत से कौन उठाएगा? पिछले साल जोशीमठ में 5 रुपये क्विंटल तक आलू नहीं उठा, लोगों ने उसको जमीन में गाड़ दिया, यह मेरी आंखों देखा हाल है। आप अगर वहां के आदमियों के लिए काम के साधन नहीं जोड़ेंगे तो मैं कैसे कह सकता हूं कि पर्वतीय विकास में आप हमारे लिए कोई काम कर रहे हैं?

आपने सड़कों की बात की, पी0 डब्लू0 डी0 को सबसे ज्यादा रुपया दिया जाता है। यहां मान्यवर, हो क्या रहा है जो मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूं उसका नाम अलग कहना चाहता हूं, जिसकी मेरे पास जानकारी सुनी सुनाई है, उसको नहीं कहूंगा। गढ़वाल और कुमायूं में 51 ऐसी सड़कें हैं, जो स्वीकृत हैं इसमें से मान्यवर, पैठारानी, चाकीसैंण, थलीसैंण, बूंगीधार, देघाट एक रोड, दूसरी बैजरो-उफरैखाल, बूंगीधार, मैहलचौरी, देवपुरी, तलवाड़ी ग्वालदम तीसरे पर खिर्सू, पिठुड़ीखाल, मौजखाल, बरसूडी, पीड़ा, हरियाली, डांडाखाल, धनपुर, नौटी, आदि बदरी मोटर मार्ग। मान्यवर, जो रोड मैं बता रहा हूं यह अंतरजिला मार्ग हैं वाह बन गयी है 60 प्रति शत से ज्यादा केवल 2-2, 3-3 कि0 मी0 रह गयी है। इसी तरह से मान्यवर, सिद्धखाल-बीरोखाल-जोगीमढ़ी-ढौंड-गवनी-थलीसैंण मोटर मार्ग पौड़ीगढ़वाल, बिजौरापानी-कुणजखाल-सैंधार-बूंगीधार, पाबो-ताल-दमदेवल, दमखेल-चमगांव-कलगड़ी-बिडोली-चौवट्टाखाल खिर्सू तथा चमोली में सोनाला-नैनीसैंण, नारायणपगण, बगोली-जैंटा-दिवालीखाल, सिमली-केदारखाल-दिवालीखाल। ये मान्यवर, ऐसी सड़कें हैं जो पूरी बन चुकी हैं एक एक दो-दो कि0 मी0 फरेस्ट के कारण रुकी पड़ी हैं उनमें काम नहीं हो रहा है। सारी सड़कों के लिए रुपया पहुंच गया है लेकिन उसके लिए कोई रुपया नहीं है। इसी तरह से एक और भी उदाहरण है हनूमाखोंग जहां पर जंगल की जमान आ गयी है वहां पर रोक दिया है। दो सड़कें ऐसी हैं जहां पर एक जगह भी भूमि जंगल की नहीं है 3 कि0मी0 से ज्यादा बन गयी है और आगे से बन्द कर दिया। अल्मोड़ा में तैनीताल में ऐसी सड़कें हैं वहां हमें याद नहीं है, गढ़वाल का हम बता रहे हैं कांडई-कमोल्डी-मौजखाल पौड़ी गढ़वाल सिमली रतूड़ा-केदारखाल-दिवालीखाल चमोली में। यह तीन तीन कि0 मी0 बना है उसके बाद काम ठप्प पड़ा है जिन लोगों के खेत थे वह तो काट दिये गये। इसमें आपकी क्या मजबूरी है, उधर तो आपकी वन अधिनियम की मजबूरी समझ सकते थे। जो सड़कें स्वीकृत हैं जिसको अभी मंत्री जी बता रहे थे वह कर्णप्रयाग-नैनी सैंण मार्ग यह 12 कि0 मी0 बन गया है और आगे कोई उसका वन अधि-

नियम नहीं है उसका रिवाइज इस्टीमेट 3 महीने से आपके दफ्तर में पड़ा हुआ है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इसी तरह से अन्य सड़कें हैं जिनका रिवाइज इस्टीमेट है, उसमें आपको क्या दिक्कत है ?

इसी तरह से मान्यवर, जो हमारा ऊपर से पैसा आ रहा है उसमें भी आप खा रहे हैं, बताऊं कौन सा पैसा है, मान्यवर, एस0 आर0 एम0 डी0 का पैसा वह पैसा होता है जो बरसात के दिनों में स्लिप पड़ जाती है, वाइडिन करने के लिए, सड़कों को ठीक करने के लिए, मंत्री जी भी जानते होंगे हमारी कुछ मदद कर दीजिए, तो मान्यवर, 2 साल से एस0 आर0 एम0 डी0 का पैसा नहीं मिला है। जो पैसा केन्द्र से मिलता है उसका भी आपने भोजन कर लिया और कहते हैं कि हम पहाड़ के बड़े हितैषी हैं, जो सड़कें बन गयी हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा नहीं है 2 साल से हम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और इंजीनियर से कहते हैं वह कहते हैं कि क्या करें, मजबूर हैं, पैसा नहीं है। अब उनसे क्या कहें। आप कोई रास्ता बतावें। यही नहीं बड़े गजब का किस्सा है वहां तो। सड़कें बन गयीं और जिन लोगों की जमीनें ली गयीं, मान्यवर, उनका मुआवजा आज 10–10 साल तक नहीं दिया है। आप कहते हैं बहुत पैसा है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है पौड़ी निर्माण खण्ड, गोचर निर्माण खण्ड, प्रान्तीय खण्ड निर्माण खण्ड, कर्ण प्रयाग निर्माण खण्ड; थराली निर्माण और श्रीनगर निर्माण खण्ड की पिछली जितनी भी सड़कें हैं, वहां के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजे तीन तरह के होते हैं। एक भूमि कटान का, दूसरा दबान का और तीसरा एक फसल का, लेकिन 10-12 साल हो गये, वहां मोटर चल रही है।

कुमाऊं में 15 साल हो गये, आप कहते हैं बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आप कहते हैं पुल बना दिये। आप कह रहे हैं, आप बद्रीनाथ कई बार गये होंगे, देवप्रयाग का पुल आज तक क्यों नहीं बना ? 10 साल से जो स्वीकार है। सुनते हैं कि कहीं रेलवे से बनवाया जा रहा है। पी0 डब्लू0 डी0 नहीं रेलवे से बनवाएंगे। रेलवे पर्वतीय लोगों ने देखी नहीं, उसको उलझा रहे हैं। आप कहते हैं कि यह देखेंगे, वह देखेंगे, जो हो चुका उसको तो करावें। मैंने अभी बताया कि पिछले साल जो स्वीकृत हुए प्राइमरी स्कूल थे, जूनियर हाई स्कूल थे, वहां आज भी अध्यापक नहीं गये हैं, साल भर यह खा लिया और अब भी क्या भरोसा है। उस पर खर्च पर खर्च हो रहा है। कहते हैं कि एक सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है शिक्षा विभाग के लिये। मैं तो आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग बैठ जायं, सारे मा0 विधायक बैठ जायं, जिलाधिकारी बैठ जायं और तय करें कि कहां स्कूल होना चाहिये। और जब आपको अपनी मर्जी से करना है तो क्यों सर्वेक्षण अधिकारी का सहारा लेते हैं ? मुख्य मंत्री का कोई आदेश है कि किसको करना है, आप जानते हैं। आपको अपने मन से करना है तो इन अधिकारियों को क्यों कष्ट देते हैं ? हमारा एक स्कूल आया है, हमारी सड़क आयी है, कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने लिखा है कि कहां करना है, मुख्य मंत्री जी जिसको कमरे में कहेंगे, उसको आप करेंगे। ऐसी व्यवस्था है तो क्यों प्रजातंत्र की बात करते हैं, क्यों मानक की बात कहते हैं, क्यों शिक्षा विभाग की बात कहते हैं ?

कितने पैसे का खर्च है, आपका स्पेशल मैसेन्जर जाता है. पौड़ी से कितना खर्च हो रहा है।

आप हमें तीन बातें करके दिखा दीजिये। एक तो प्राइमरी की शिक्षा आठों जिलों में पूरी कर दीजिये। प्राइमरी के जो स्कूल, विद्यालय चल रहे हैं, उनको पूर्ण करके एक बार दिखा दीजिये कि इस बजट में पहाड़ के तमाम प्राइमरी विद्यालयों की समस्या हल कर देंगे। भवनों की दशा के बारे में कहा, जहां भवनों के लिये भूमि नहीं है, वहां की बात तो समझ में आती है, लेकिन जहां पर रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री कर दी गयी है डिपार्टमेंट के नाम पर, वहां पर भवन क्यों नहीं बनते। अगर आप ऐसे उदार हैं कि आर्ट साइड में कहीं भी प्राइवेट इक्जाम दिया जा सकता है, लेकिन साइन्स के लिये कर्णप्रयाग, चौबाटाखाल, सियालदह, लोहाघाट, पिथौरागढ़ आदि के लिये कहा गया कि जहां पर विज्ञान की कक्षाएं हों तो लड़के रुक सकते हैं, लेकिन विज्ञान के लिये पैसा नहीं है। इस बात पर पर्यटन के नाम पर लोगों को गुलछर्रे उड़वाने के लिये पैसा है, उपाय के नाम पर सरकारी खर्च पर इंग्लैण्ड और अमेरिका घूमने के लिये पैसा है, लेकिन उपाय नदारद है। हमारे यहां बच्चों के बैठने के लिये चटाई नहीं है। वाह क्या है पर्वतीय विकास। मैं आपसे चेलेंज करके कहना चाहता हूं कि हमारे यहां प्राइमरी पाठशालाओं में विद्यार्थियों के बैठने के लिये चटाई नहीं है, भवन की बात तो छोड़ दीजिये। 1985-86 में चमोली में भवन निर्माण के लिये जो पैसा गया था, वहां काम नहीं हो रहा है, किस कारण से कार्य रुका हुआ है भवनों के निर्माण का ? कोई पी0 एल0 ए0 है, आपने कोई चिट्ठी भेजी हुई है कि उस रुपयों का इस्तेमाल न करें। 2-3 साल से वह रुपया आपने वहां भेज रखा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप अरबों रुपये खरबों रु0 बजट के रूप में ले जाइये, कहां क्या हो रहा है, कुछ न कर सकें तो प्राइमरी पाठशालाओं में टाट तो पहुंचा दीजिये ? कैसी दर्दनाक बातें करते हैं, आप जमीन में काम दिखाइये। पहाड़ों में चलने के लिये रास्ता दीजिये, पीने के लिये पानी दीजिये। जो ऐय्याशी करने वाले पर्यटक हैं, वह अपना इन्तजाम खुद कर लेंगे, उनके पास बहुत पैसा रहता है। आपने पूर्णागिरी में 40 शैय्यायें कर ली, पिथौरागढ़ के लोगों को क्या मिला। चाकरी भी नहीं मिली। जो बोझ उठाने का मौका है, उसको भी नहीं दिया जा रहा है। हम वहां की कितनी दर्दनाक कहानी बतायें।

मान्यवर, मुझे तो माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास नहीं रहा। दो साल पहले आपने इसी सदन में कहा कि हम कमेटियां बनायेंगे, विधायकों की कमेटियां बनायेंगे। विधायकों की पहले कमेटियां होती थीं, हर विभाग का निरीक्षण करते थे, परीक्षण करते थे, कहीं कमी आती थी, अधिकारियों से मिलकर बात करते थे और उन कमियों को दूर कराने का प्रयास करते थे और वहां पर अपनी संस्तुति देते थे। मान्यवर, वी0 पी0 सिंह की सरकार ने उनको तोड़ा, माननीय चन्द्रमोहन सिंह के मंत्रित्व काल में यह कमेटियां खत्म हुईं। हम तो विपक्ष के तीन लोग हैं, गिनती के 3 हैं, आप के 16 हैं. आप उन 16 को ही उन कमेटियों में रखें, लेकिन पहले जो कार्यों पर नियंत्रण करने के लिये कमेटियां होती थीं, उनको पुनः बनवायें। उससे सारे विभागों पर नियंत्रण होगा जो कमियां हैं वह दूर होंगी।

मान्यवर, अब तो इसका नक्शा ही उल्टा हो गया। पहले पर्वतीय विकास परिषद् हुआ करती थी, दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय मंत्री जी ने बड़ा कष्ट करके हम लोगों को भी उसमें अपने दीदार करवाये थे, उसके बाद से उनके भी दर्शन नहीं हुए। आपका आश्वासन था कि हर तीन महीने में बैठक करेंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हम हर महीने में इसकी समीक्षा करेंगे। अब दो साल में वह एक महीना नहीं आया, आपका तीन महीने नहीं आया। पर्वतीय विकास परिषद् का गठन मैं जानता हूं किस उद्देश्य से हुआ था, मैं उस समय विधायक था। वह इसलिये हुआ था कि पर्वतीय अंचल की समस्यायें भिन्न भिन्न हैं। कहीं अगर किसी विभाग में ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो इस समिति के द्वारा दूसरी तरफ इसका रुपया डाइवर्ट करेंगे। जैसे मान्यवर, मेरा आक्षेप है, हाइड्म्स की योजना पर आपने बहुत जोर दिया, हाइड्म्स को चलाकर आप पहाड़ों का सत्यानाश कर रहे हैं। वह कितनी सफल है योजना हाइड्म्स से तमाम समस्या पहाड़ के गले अटकी हुई है। अब पहाड़ के लोग उसमें सोचते समझते, जो पैसा व्यर्थ खर्च कर रहे हैं, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करते।

पहले मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् में योजनायें आती थीं, तब हाउस में बजट आता था। अब विधायकों की आवश्यकता है नहीं, पर्वतीय विकास का न कोई काम। आखिर क्यों इस तरह से आप हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? आपने पर्वतीय विकास परिषद् के उपाध्यक्ष पद पर जिसे बैठाया है, वह क्या काम करते हैं? अगर आप कोई काम नहीं करा सकते तो बेकार के भजसम हवलदार क्यों रखे हुए हैं? मान्यवर, जब आपके पी0 डब्लू0 डी0 में काम नहीं है तो इतने डिवीजनों के खोलने की क्या जरूरत है? मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि 2-3 डिवीजनों के अलावा किसी में भी कोई काम नहीं है। सारे वर्ष भर में एक डिवीजन को केवल एक पुल बनाना है और उसके लिए एक्ज्यूटिव इंजीनियर, 4 असिस्टेंट इंजीनियर और 16 जे0 ई0 और तमाम सारे क्लर्क, इतनी सब चीजें आपने बना रखी हैं और बनाना केवल इनको एक पुल है। आप इस तरह का खर्चा क्यों करते हैं? आप इन फालतू खर्चों को घटायें और सही रूप में पर्वतीय अंचल में जो धन खर्च होना चाहिए, वह खर्च करें, धन का दुरुपयोग इस तरह नहीं होगा। इसी के साथ मान्यवर, पशु-पालन की बात आती है।

श्री अधिष्ठाता–

नौटियाल जी, अब समाप्त करें।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने एक घन्टा अपना नक्खासी भाषण दिया और मैं जो तथ्य कह रहा हूं तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

मान्यवर, पहाड़ पर पशुपालन विभाग का कर्णप्रयाग से 26 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जर्सी गाय केन्द्र है उसका नाम भराड़ी सैंण है। मान्यवर, वहां पर विदेशों से गायें आई हैं लेकिन इन्होंने उनके चारे का कोई इन्तजाम नहीं किया है। चारे का इन्तजाम इन्होंने किसके लिए किया है मान्यवर, जो जलागम प्रबन्ध योजना में बड़े-बड़े डाइरेक्टर और बड़े-बड़े प्रबन्ध निदेशक हैं,

उनके लिए चारे का इन्तजाम किया है लेकिन उन बेचारे पशुओं के लिए कोई इन्तजाम नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से एक दर्दनाक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। दिवाली खाल से लेकर भराड़ी सेण तक वन विभाग की सड़क है, लेकिन वन विभाग वाले उसको इसलिए पी0 डब्लू0 डी0 को नहीं दे रहे हैं कि हमारे पेड़ कट जायेंगे। वह सड़क बनायेंगे, तो पेड़ नहीं कटेंगे। पी0 डब्लू0 डी0 वाले सड़क बनायेंगे, तो पेड़ कटे जा रहे हैं। मान्यवर, इस प्रकार भराड़ी सेण का दूध कहीं भी नहीं जा पाता है। मान्यवर, वहीं पर कुमायूं रेजीमेंट का दफ्तर है, उन्होंने कहा कि हमको इस दूध को दे दिया करें, लेकिन मान्यवर, सड़क न होने के कारण वह दूध उन तक भी नहीं जा पाता है। तो मान्यवर, वन विभाग का इस तरह का रवैया है, कि न तो वह खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कोआपरेटिव कोआपरेशन की बात करते हैं। मान्यवर, आप स्वयं देख लीजिये यह विभागों का कोआपरेशन है। योजनायें बन जाती हैं, दूसरे विभाग उसमें सहयोग ही नहीं करते हैं। मान्यवर, मैंने हिमांचल में देखा है, सड़क बन रही है लेकिन विभाग वाले वहां पर जाकर बैठते हैं और जहां-जहां सड़क कटती है, उसको वह ठीक कराते हैं।

मान्यवर, इस सरकार ने निगमों को तो बहुत बना दिया लेकिन व्यवस्था किसी की भी ठीक नहीं है। वन निगम की ही बात को लें, उन्होंने तमाम पहाड़ों के जंगल को काट दिया है और आज आप गोडाउन में जाकर देखिये, लकड़ी सड़ रही है। जो उनको काटने के लिए कहा जाता है वह उसको छोड़कर और भी तमाम जंगल को काट डालते हैं। हम अगर एक टहनी काट लें, तो हमें सजा और वन विभाग सारे जंगल को काट दें, तो कोई सजा नहीं होगी। मान्यवर, आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। रामनगर-धुमाकोट की तरफ जब जाते हैं, तो वहां पर लीसा निकालने के लिए सारे के सारे पेड़ बिल्कुल पड़े हुए हैं। इसी तरह से रानीखेत से कौसानी की तरफ भी जायें, वहां भी पेड़ के पेड़ गिरे हुए हैं एक नहीं सैकड़ों पेड़ गिरे हुए हैं। हम उनको उठा भी नहीं सकते हैं, न उस लकड़ी को ले जा सकते हैं और न ही वन विभाग उसे ले जा रहा है। हम उसे ले जाते हैं तो सजा मिलती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को आप पैसा नहीं देते, पेयजल के लिए आप पैसा नहीं देंगे, जल निगम व जल संस्थान को आपस में लड़ायेंगे, यह आपका कैसा रवैया है ?

मान्यवर, अब उद्योगों की बात आती है। अभी मंत्री जी ने कहा कि यहां पर यू0 पी0 हिल इलेक्ट्रोनिक्स का एक बहुत बड़ा जादू वाला काम किया है। मान्यवर, मैं आपके विवेक का इस्तेमाल करना चाहता हूं और आमंत्रित करता हूं कि 1985 में इस कारपोरेशन की स्थापना हो गई थी और आज 1988 हो गया है, इस कारपोरेशन ने एक काम भी नहीं किया है, तो फिर इसको बनाने का औचित्य क्या है ? वहां लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। यदि आपने इतनी योजनायें बना रखी हैं तो उनको रखिये। 4 लड़कों को वहां पर नौकरी से बाहर कर दिया है, आपको तो 40 सौ आदमियों को नौकरी पर रखना चाहिए था। इसकी जानकारी तो मंत्री जी

को भी होगी । यह जो इलेक्ट्रोनिक का आपका जादू है, वह कहां छिपा रखा है ? इलेक्ट्रिक से तो हमें प्रकाश मिलता है, यह अन्धकार वाला आपका इलेक्ट्रोनिक की ऊर्जा 8 पहाड़ के जनपदों में कहां है, इसे आप बतायें।

मान्यवर, मैं बिजली के बारे में बताना चाहता हूं। लकड़ी के खम्भे लगे हुए हैं, परन्तु वे सड़ गये हैं, पता नहीं उनके तार कहां चले गये, एक गांव में एक बल्ब लगा दिया और बीच के दो गांव छोड़ दिये गये । जिन्होंने आरा मशीन लगाई है आदि उनको आप बिजली नहीं देते, बगैर मीटर रीडिंग के उनको आप बिल भेज देते हैं। उद्योग के नाम पर आपने पहाड़ को तबाह कर दिया है। आपने उत्तरकाशी में एक उद्योग-धन्धा लगवाया था और लोगों से कहा था कि हम आपको जंगल से लकड़ी देंगे । नैनीताल में, अल्मोड़े में और पिथौरागढ़ में लोगों ने कर्जा निकलकर मशीनें लगवाईं, अब आप कह रहे हैं कि हम लकड़ी नहीं देंगे । वहां पर उद्योग धन्धा किसका बढ़ रहा है, जिनका पहाड़ से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि कोटद्वारा में जो लोग एसेम्बलिंग कर रहे हैं उनमें गढ़वाली कितने हैं । बाहर से जाकर कोटद्वार के नाम पर एसेम्बलिंग कर रहे हैं ताकि उनको सब्सिडी मिल जाय। आज आपने पहाड़ का सत्यानाश कर दिया है। माननीय मंत्री जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कर रहे थे । पोखार में 10 किलोमीटर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत केवल 5 छपरे बना रखे हैं, जो नदी के किनारे बीरान जगह पर हैं, जहां आदमी तो क्या जानवर भी नहीं रह सकता है । हरिजनों के नाम पर बंटवारा हो रहा है। अधिकारी उसमें हिस्सा ले रहा है भछवाड़ योजना में वन विभाग के काम के अलावा और किसी विभाग का कोई काम वहां पर नहीं है। आप इसे दिखवा लें, यदि मेरी बात गलत निकल जाय तो मैं एम0 एल0 ए0 पद से इस्तीफा दे दूंगा । माननीय मंत्री जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

आपका आर0ई0एस0 का काम पूछ लीजिये, दीवार का पता ही नहीं है । पहले तो भवन के लिए रुपया है ही नहीं, लेकिन अगर कहीं कृपा दृष्टि हो गयी तो भवन दूसरे साल जमीन में आ जाता है । पहाड़ की जरूरत को अगर समझना है तो समस्याओं से जूझना पड़ेगा। केवल पर्यटन का दिखावा करते और उदाहरण देते हैं कश्मीर का, लेकिन कश्मीर की स्थिति को किसी ने देखा है? वहां पर पर्यटन उद्योग सैकड़ों सालों से चल रहा है। अभी भी हमारे यहां पहाड़ के आदमी में किसी बाहरी आदमी को घर में रखने का मानस नहीं बना है। आप कहते हैं कि अपने घरों में कोठरियां बनवा लें और उसी में यात्री रखें। आप ही बता दें कि पूर्णागिरि में कहां कोठरियां बनायेंगे? गोविन्द घाट से घंघरिया में कहां कोठरियां बनायेंगे? वहां से गांव भी 10 कि0 मी0 नीचे है। पर्यटन का आपके पास नक्शा ही नहीं है। अगर पहाड़ के सौन्दर्य को देखना चाहते हैं तो देवरिया ताल देखें, सहस्त्रताल देखें, सात तालों का धरती और आकाश की सुन्दरता को मिलाने वाला सौन्दर्य और कहीं है? आप अगर नहीं भी जायेंगे तो हमारे यहां के पण्डे खुद ले जायेंगे बुलाकर। बाहर से भी लोग आ हैं, आपका कोई एहसान नहीं है इसमें। गरीब लोग भी जाते हैं, गरीब के लिए आपने क्या बना रखा है वहां पर? हमारे यहां पहले चट्टियां हुआ करती थीं और चट्टियों में लोग नमक, तेल और कढ़ाई देकर स्वागत करते थे। यदि ऐसा ही

पुन्य कमाना है तो गरीबों के लिए भी सोचें। वहां पर आप कहते हैं कि मंदिर हैं, लेकिन उन मन्दिरों को भी आपने भ्रष्ट करवा दिया है। अब लोग वहां पर ऐयाशी करने जाते हैं।

(श्री हरदेव और श्री सन्तान बड़थ्वाल के खड़े होने से व्यवधान)

मैं मंत्री जी के लिए कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, भाई सन्तान जी को पता नहीं क्यों बुखार चढ़ रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नौटियाल जी। अभी उत्तर भाषण भी होगा, आपको 45 मिनट हो गये हैं।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, पर्वतीय विकास के लिये मैंने कहा था कि पूरा दिन दीजिये, लेकिन बाद में एक घण्टे के लिये पर्यटन लगा दिया गया है। एक घण्टे माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है, एक घण्टा ही कटौती के लिये समय दें। जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे उन्हें दो-दो मिनट का समय न देकर पूरा समय दें चाहे कितने भी समय तक बैठना पड़े।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही है, मैं तो यह समझता हूं कि सदन में सभी लोग हिस्सा लेना चाहते हैं इस चर्चा में, लेकिन हम भी समय से बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसमें हिस्सा ले सकें।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, इसमें डाक्टर नौटियाल साहब को आप बोलने के लिये समय दे दें, पर्यटन में तो कुछ होना नहीं है, केवल देखना ही देखना है।

श्री अधिष्ठाता–

फिर भी मैं कहूंगा कि समय सीमित रखें और कृपया शान्ति बनाये रखें।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, अगर मेरे कहने से अन्यथा कोई भाव पैदा हो रहा है तो मैं क्षमा चाहता परन्तु मान्यवर, यह समस्या केवल मैं कटौती के रूप में आलोचना के लिये नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं पहाड़ों की समस्या को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, इसलिये कह रहा हूं कि जब तक आपको वहां की समस्या में नहीं आयेगी, आप निर्णय नहीं ले सकेंगे। आप समझते हैं कि पर्यटन हमारे लिये अर्थ का साधन है परन्तु इसमें अभी तक वहां पर कुछ काम नहीं हुआ है, उससे हमारे यहां के लोगों को कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ है। यदि आपको वहां के लिये पर्यटन जोड़ना ही है तो आप हमारे यहां के लोगों को भी उसमें जोड़िये।

आपने अभी चाहे भावावेश में कहा कि मान सरोवर यात्रा होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे यहां सीमान्त के लोग यात्रा करते ही थे वहां के रास्ते भी जानते हैं, वहां के खान-पान के बारे में जानते हैं, वहां के इतिहास से परिचित हैं, लेकिन आप उनको कोई मौका नहीं देते हैं। आप ट्रेकिंग की भी अगर व्यवस्था करते हैं तो दिल्ली की सीता ट्रेविल एजेन्सी से और उससे ही समझौता करते हैं और थोड़ी मैनेजिंग डाइरेक्टर से गप-शप होती है इस संबंध में मधुवन होटल में बैठ करके। आप यह वार्ता द्रोण होटल में बैठ करके क्यों नहीं करते जो कि चू रहा है? वहां के गांव के लोगों को रोजी-रोटी देने के लिये आपने क्यों नहीं इसमें शामिल किया? या क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं, कोई कमरा नहीं है बैठने के लिये वहां के लोगों को आप क्यों नहीं तैयार करते कि तुम यहां भवन बनवाओ? क्यों नहीं वन विभाग को सन्देश देते कि तुम मकान बनवाओ, भवन बनवाओ? वन विभाग में भूमि है जहां आसानी से ठहरने के लिये भवन बनवाये सकते हैं? आप फारेस्ट के चीफ कंजरवेटर को बुलवाइये और कहिये कि हम भूमि लेंगे और लीज देंगे। जब हमारे यहां के लोगों को कुलीगीरी भी नहीं मिलती है, कुली भी दिल्ली से ही आयेगा तो हम क्या करेंगे?

इसलिये मान्यवर, आपने जो कह दिया कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, गोपेश्वर, केदारनाथ जैसे स्थल पर्यटन के लिये बनाये गये हैं तो इसमें आपको क्या श्रेय जाता है? आपने क्यों नहीं क्यूरी पास, कंवाली कांटा का नाम लिया? औली के पास अद्भुत फूलों की घाटी है, रुद्रनाथ के बहुत अच्छी फूलों की घाटी है, उसका क्यों नहीं आपने नाम लिया? आप ही बतलाइये कि है इसका कोई नक्शा आपके पास? आपके पास केदार कांठा, क्वारी कांठा, पवाली ताल, सहस्त्र ताल, मसर ताल के शोभनीय दृश्यों का कोई नक्शा है? बस आप कहेंगे कि हां, है और वह है बस बद्रीनाथ और केदारनाथ का। अरे, वहां की बात आप क्या बतलायेंगे? वहां तो हर हिन्दुस्तानी घूमता है। मैं बेअदबी के साथ कहना चाहता हूं कि पर्यटन के नाम पर उसकी परिभाषा का भी ज्ञान आपके विभाग को नहीं है। फलों के उत्पादन और वनों के संबंध में मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपका इससे संबंधित जो विभाग है वह केवल फलों के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दे रहा है और सब्जियों की ओर ध्यान उतना नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए और इनके लाने और ले जाने की व्यवस्था आपने क्या की है एक आलू ही ले लीजिए। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ आदि स्थानों से ढोने की क्या व्यवस्था आपने की है? यह सारे कार्य उपाय से हो सकते हैं और इस पर लाखों रु0 का इन्ट्रेस्ट आता है और फिर यह जो उपाय नाम की संस्था है उसके पास टेलीफोन और गाड़ी आदि है, तो यह उसके सारे खर्चे कहां से मिल रहे हैं जब हमारे पास पहले से ही एक निगम है, तब दूसरा गम पालने की क्या आवश्यकता है (हंसी) दूसरे मान्यवर इनकी भूमि संरक्षण की जो व्यवस्था है, उसमें भी बहुत कमियां हैं, जिसे आप कहते हैं हम एक सुनियोजित योजना बनाकर काम कर रहे हैं, उन्हीं में से एक जलागम वाली योजना भी है। पर्वतीय विभाग में "मथुरा योजना" देखने गये, जो सिंचाई विभाग की नहर योजना है, जिसे सिंचाई विभाग बना भी रहा है, लेकिन जलागम वालों ने यह कहा कि यह योजना हम बना रहे हैं, तो मान्यवर, जब सभी संस्थाओं को एक ही काम दे दिया जायेगा, तो वह कैसे ठीक से होगा?

इसी प्रकार से वन विभाग भी पेड़ लगाएंगे, तो सहकारिता वाले और पी0 डब्लू0 डी0 वाले भी लगाएंगे और जहां कोई पेड़ सड़क के किनारे आता है तो पी0 डब्लू0 डी0 कहते हैं कि यह हमारा है और सहकारिता वाले कहते हैं यह हमारा है । मैं इसी लिए बार-बार यही कहना चाहता हूं कि यह भूमि संरक्षण का काम ठीक न होने के कारण आज कर्ण प्रयाग शहर डूब रहा है और ईडाबधाणी गांव जो है, वह 4 साल से धंस रहा है, लेकिन भूमि संरक्षण वाले अभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं यह कहने पर मजबूर होता हूं कि यह जो पर्वतीय विकास विभाग है यह आकाश पर बना है अर्थात् इसकी कोई जड़ नहीं है, अगर यह यूं कहा जाए कि इस विभाग के जो भी अधिकारीगण हैं, सचिव से लेकर अनु सचिव तक इन्हें आज कोई पूंछने वाला नहीं है, यह सब शक्ति विहीन हैं, इन्हें कोई प्रशासनिक शक्ति दी नहीं गयी है इसीलिए इस पर कहीं कोई नियंत्रण नाम की बात ही नहीं है, तो मेरा इस ओर यह सुझाव है कि जब तक आप पर्वतीय विकास बोर्ड को गठित करके सजग न बनाइएगा और उनमें जब तक क्षेत्रीय विधायकों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आपका काम उस गति से और उस सफलता के साथ चल नहीं सकता है, जैसा कि चलना चाहिए और जब तक इनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा तब तक इसको यूं समझिए जैसे "एरे-गैरे और नत्थू खैरे" (सूक्ष्म हंसी) इसी प्रकार से निगमों की बात है, मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे किसी निगम से जोड़ दीजिए, लेकिन इन निगमों में उत्तरदायित्व ऊपर का विधायक में से हो, जैसे कि पहले था, जैसा कि डायरेक्ट्रेट्स में आपने बनाया है, अगर इस प्रकार से इस ओर भी किया जायेगा तो हर प्रकार का सहयोग आप ले सकेंगे इनसे और फिर यही नहीं विभागों में जो गड़बड़ी चल रही है, उन पर आपका कंट्रोल भी रहेगा । और यह पर्वतीय विभाग जो है, इसका सीधा संबंध मा0 मुख्य मंत्री से होता है, लेकिन इस संबंध में हमारे मुख्य मंत्री जी सीधे दीक्षित जी हैं, पूरे अधिकार इन्हीं को हैं, कैबिनेट स्तर के जो मामले होते हैं, वह भी वहीं नहीं जाने पाते, वह भी सारे के सारे इन्हीं के स्तर से तय होते हैं, सारे निर्णय इन्हीं के स्तर से हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वहां पर काम न हों, अगर हमको लकड़ी चाहिए तो हमको जंगल जाना पड़े । चमोली में तीन पेड़ों के कारण सड़क बनने से रोकी गयी पैसे दिए जा सकते थे, और जब लोग उस पेड़ को काटने को गये तो उन लोगों को जेल जाना पड़ा । मान्यवर, हमारा कहने का तात्पर्य केवल यह है कि चाहे कोई भी विभाग हो मैंने जो देखा कि जो कठिनाईयां हो रही हैं, वह इस लिए हो रही है कि जो पैसा देने की आवश्यकता है, वह दिया जा रहा है फिर भी काम करके नहीं दिया जा रहा है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं पर्वतीय विकास के बजट का समर्थन करते हुये माननीय डा0 शिवानन्द नौटियाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । डाक्टर साहेब बड़े कुशल वक्ता हैं और वह विरोध में बैठे हैं, अगर वह सत्ता पक्ष में होते तो शायद इतनी तेजी से और कुशलता से उनका समर्थन करते । मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास में धीरे-धीरे तेजी आ रही है । इंदिरा गांधी जो हमारी विश्व विख्यात नेता व प्रधान मंत्री थी, उन्होंने

पर्वतीय विकास के लिये हिमांचल प्रदेश के बराबर बजट दिया था । पर्वतो के विकास की प्रक्रिया आरम्भ की लेकिन हिमांचल केन्द्र शासित देश था उसका समुचित विकास करके उसे राज्य का दर्जा दिया गया आज हिमांचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना करना उचित नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी दूसरे से बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य के सुझावों को सुन नहीं रहे हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अगर कोई महिला से बात करता है, तो वर्मा जी उसका एतराज करते हैं, पता नहीं क्यों ?

श्री राम शरण दास–

एतराज इस बात से है कि बारी जी की किताब है, फिजूल बारी ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, हिमांचल में 68 विधायक हैं और 20 से ऊपर वहां पर मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से 19 विधायक हैं और उनमें सिर्फ एक मंत्री है तो मान्यवर जितना ध्यान शासन को पर्वतीय क्षेत्र की ओर देना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है । माननीय दीक्षित जी पर्वतीय विकास मंत्री हैं वे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए चिन्तित हैं । उनके श्रीमुख से बहुत सारी योजनायें सुनीं, भगवान करे वे सफल हों सकार हों और उनसे पर्वतीय क्षेत्र का विकास होगा । मान्यवर, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो काला पक्ष और दूसरा सफेद पक्ष, डाक्टर साहेब ने केवल काला पक्ष देखा है, सफेद पक्ष नहीं देखा है ।

हि हैज सीन ओनली डार्क साइड आफ दि सिलवर लाइनिंग डाक्टर साहेब ऐसा सोचते हैं कि पहाड़ों पर सभी नंगे और भूखों हैं और वहां पर कुछ नहीं हो रहा है । उन्होंने जो बहुत सारी बातें कही हैं, वह सही भी हैं, मैं उनको मानता हूं, जितना काम पहाड़ों पर होना चाहिये, उतना नहीं हुआ है । जितना पैसा पर्वतीय विकास के लिये जाता है, उससे उतनी खाद नहीं बन पाती है, जिससे विकाश का अच्छा बृक्ष उगे और फल फूल सकें आज बहुत सारी योजनायें जो चल रही हैं, वह त्रुटिपूर्ण हैं । पेयजल और सड़कों की समस्या वहां पर है । जो पैसा 7वीं पंचवर्षीय योजना में खर्च किया जाना चाहिए, वह सारा का सारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खर्च कर दिया है । इनका आज ऐसा करेक्टर हो गया है । उंगली एक आदमी पर नहीं उठायी जाती है, सारे समाज पर उठ जाती है, पर्यावरण के संबंध में आदमी बहुत स्वार्थी हो गया है । वह समझता है कि प्रकृति ने दुनिया ही नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं के लिये बनाया हुआ है । गाय है तो दूध उन्हीं के लिये है, मुर्गी है तो अण्डा उन्हीं के लिये, पेड़ है तो लकड़ी और फल उन्हीं के लिये, यहां तक कि अन्तरिक्ष है तो स्टार वार के लिये । हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे लिये ही सुरक्षित है । लेकिन प्रकृति ने जो अन्य चीजों को बनाया है उनके प्रति अपने दायित्व का बोध नहीं करते हैं ।

मान्यवर, मैं कुछ अपने क्षेत्र जनपद टेहरी गढ़वाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । वहां की कुछ समस्यायें हैं । वहां पर महिलाओं के लिये विकास योजनायें बनाई जांय उनको संरक्षण दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जांय ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, दो मिनट में कैसे सम्भव हो सकेगा ?

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

*श्री कमल किशन पांडेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य टेहरी बोल रहे थे और जब माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो माननीय सदस्य ने इंदिरा गांधी का नाम लिया । उनकी बात से मुझे एक आब्जरवेशन याद आया जो उन्होंने सिक्स्थ फाइव इयर प्लान इन्ट्रोड्यूस होते समय दिया था । उन्होंने कहा था –"दि मेजर आफ ए प्लान इज नांट इनटेंशन वट एचिवमेंट नांट एलोकेशन वट वेनीफिट"

यानी किसी भी प्लान का सार इसमें नहीं है कि उसकी मंशा क्या है, इसमें नहीं है कि उसका परिव्यय क्या है लेकिन इसमें है कि उससे हासिल क्या हुआ है ? माननीय नौटियाल जी ने बताया कि हासिल कुछ नहीं हुआ है । आपकी जो मंशा है उसमें भी अब शंका होने लगी है क्योंकि जो मौजूदा बजट है उसमें बहुत से ऐसे बुनियादी परिवर्तन आपने किये हैं जिनसे ऐसा लगता है कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करना इस सरकार का उद्देश्य नहीं है । हम लोग बेकवर्ड एरियाज के लिये, उसके एडवान्समेंट के लिए कहते हैं कि वहां का इन्फ्रास्ट्रकचर सुदृढ़ किया जाय ताकि वहां का आर्थिक विकास हो सके । वहां की ग्रोथ इस तरीके से की जाय ताकि वहां इम्प्लोयमेंट शुरू हो सके । किन्तु आपके बजट से लगता है कि उससे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता । श्रीमन् चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं पंच वर्षीय योजनाओं में सबने माना है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये वहां पर सड़कों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है ताकि वहां पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो सके जब तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता । यह माना गया था कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें ज्यादा बननी चाहिए लेकिन इस बार भी नई नीति इस प्लान में इस सरकार ने जो घोषित की है उसमें यह कह दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनेंगी । जो आपने इसमें लक्ष्य रखा है वह यह है कि मैदानी क्षेत्रों में 80 कि0 मी0 सड़क प्रति 100 वर्ग कि0 मीटर तक सन्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

2001 में हो जायेगी जब कि पर्वतीय क्षेत्रों में 40 कि0 मी0 सड़कें ही 100 वर्ग कि0 मी0 एरिया में होगी। मैदानी क्षेत्रों का आधा आपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कर दिया। जब कि आप स्वयं कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा सड़कों की आवश्यकता है। मैदानी क्षेत्रों में डेंसिटी आफ पापुलेशन ज्यादा है और पर्वतीय क्षेत्रों में कम है। वहां पर गांव भी बहुत दूर-दूर हैं। इस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों का आधा भाग ही सड़कों के लिये देंगे तो वहां की समस्याओं का समाधान कैसे हो पायेगा।

आपने एग्रीकल्चर की बात कही। आपने कहा कि वे सब्जी और फल उगायें। सड़कें नहीं होंगी तो उनका क्या होगा। मैदानी क्षेत्रों में तो औवियसली बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिए एक अच्छा साधन है। मैदानी क्षेत्र में कृषक को अपनी उपज को क्रय केन्द्र तक पहुंचाने में कोई व्यय नहीं करना पड़ता है क्योंकि वह अपनी उपज बैलगाड़ी से पहुंचा देता है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में यदि कृषक कोई चीज पैदा भी करता है तो उसको क्रय केन्द्र तक पहुचाने के लिये, रोड हैड तक लाने के लिये घोड़ा या खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर वह 6, 7 कि0 मी0 दूर है तो कम से कम 10 रुपया घोड़े वाला लेता है जिसमें 80 और 85 कि0 तक ही सामान जा सकता है तो इसके माने यह हुये कि एक क्विंटल सामान पर 10 रु0 खर्च करने पड़ते हैं।

यहां पर श्रीमन् रोज हल्ला होता है कि गन्ने के मूल्य क्या हो अगर उस पर दो सौ रुपया बैलगाड़ी का और देना पड़े क्रय केन्द्र तक ले जाने में तो आज किसान कमिश्नर आफिस के बाहर धरना दे रहे हैं फिर तो वह अंदर तक चले जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी कृषकों की इस समस्या पर भी ध्यान दें और सड़कों के संबंध में जो मौजूदा तरीका अपनाया है इसे समाप्त करें। बम्बाई प्लान के हिसाब से वहीं लक्ष्य रखे कि कोई भी गांव साढ़े 6 कि0 मी0 दूर मेन सड़क से नहीं होना चाहिए और उसी के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़कों का विकास होना चाहिये।

मैं एक मिनट में खतम करता हूं। यहां पर एक दलील इकोलाजी की भी दी जाती है। यहां पर कहा जाता है कि टेहरी डैम से इकोलाजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अगर हमारे यहां सड़कें बनेंगी तो इकोलाजी में डिस्टरवेन्स हो जायेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर आप विचार करें और जो लक्ष्य में परिवर्तन किया है इसे समाप्त करें।

(श्री संतन बड़थ्वाल का नाम पुकारने पर)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गैर पहाड़ी लोगों को भी इसमें बोलने का मौका दिया जाय।

श्री सन्तन बड़थ्वाल–

मैं इसका समर्थन करता हूं बिना सब के सहयोग के वहां का विकास नहीं हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

समय बचेगा तो जरूर समय दूंगा ।

श्री संतन बड़थ्वाल–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के बजट पर बोलने के लिये काफी कम समय दिया जा रहा है । कम से कम 7, 8 मिनट जरूर दें। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

5 मिनट का समय दे रहा हूं अगर कम होगा तो एक मिनट और दे दूंगा ।

श्री संतन बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट का समर्थन करने का समय दिया। जो घोषणा हमारे पर्वतीय राज्य विकास मंत्री जी ने की है कि वहां के बजट को बढ़ा दिया गया है और जीर्ण-शीर्ण भवनों के सुधार के लिए 4 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं जिस बद्रीनाथ और केदारनाथ की माननीय सदस्य दुहाई देते हैं मुझे उसी क्षेत्र से आने का गौरव प्राप्त हुआ है । मैं माननीय विधायकों को आमंत्रित करता हूं कि वह आने वाले समय में दर्शन के लिये वहां आये । लेकिन एक बात साफ कहना चाहता हूं कि यहा से बड़ी-बड़ी कमेटियां वहां जाती हैं और आश्वासन दे आती हैं लेकिन यहां लखनऊ में आकर भूल जाते हैं और वह समस्यायें ज्यों की त्यों रह जाती हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों के विकास की जो भावना माननीय मुख्य मंत्री जी की है कि वहां का द्रुतगति से विकास होगा उसको ध्यान में रखकर इस समय वहां का असंतोष दबा पड़ा है । मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी की घोषणा के बाद जो उन्होंने नैनीताल में पर्वतीय विकास परिषद् घोषणा की थी कि पहाड़ों के विकास में वन अधिनियम बाधक नहीं बनेगा मैं इस पक्ष का अनुशासित व्यक्ति होने के नाते कहना चाहता हूं कि उसमें केवल 20 से 25 प्रतिशत तक ही सुधार आया है । अभी भी भारत सरकार का पर्यावरण विभाग और उत्तर प्रदेश का वन विभाग विकास के कार्यों में अपनी हठधर्मिता में अड़ा पड़ा है । आज भी हमारी नहरें, स्कूल, सड़कें, बिजली की लाइनें, अस्पताल इन दोनों विभागों की झोली में लटके पड़े हैं । अगर इसका निवारण नहीं होगा तो पहाड़ों में जो जन आक्रोश है वह भयंकर हो जायेगा । हमें मकान बनाने के लिये और जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलेगी, दिन भर काम करने के बाद महिलाओं को घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी लोगों में असंतोष नहीं होगा तो और क्या होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन परिस्थितियों में भारत सरकार से आप आग्रह करें कि पहाड़ों के लिये विशेष रूप से खाना बनाने की गैस में सबसिडी दें, सीमेंट और सरिया में सबसिडी दें। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमारे पर्वतीय के लिए एक सेल गठन करें जब तक ऐसा नहीं करेंगे वहां की समस्यायें हल नहीं होंगी।

पहाड़ों में केवल सब्जबाग दिखाकर गंगा एवं जमुना की दोहाई देते रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे वैज्ञानिक युग में संसार में आज भारत पांचवां स्थान प्राप्त कर चुका है लेकिन पहाड़ों में आज भी गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक मोटर सड़क आरम्भ नहीं हुई है । राष्ट्र के हजारों लोगों को वहां आने जाने में कठिनाई उठानी पड़ती है। आज आजादी के 40 वर्षों बाद भी कोटद्वारा तथा ऋषिकेश से एक किलोमीटर भी रेल लाइन आगे नहीं बढ़ पायी है । आज भी वहां गरीब जनता मोटरों के महंगे भाड़े से आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर जीवन यापन करती है ।

मान्यवर, एक बात मैं बताना चाहता हूं अब केवल पर्वतीय मंत्रालय रह गया है, पर्वतीय विकास परिषद् नहीं रह गयी है । कई आयोग अब बना दिए जाते हैं लेकिन परिषद् में हम लोगों से सम्पर्क नहीं होता है । जड़ी-बूटी संस्थान के लिए मुझे उम्मीद थी कि मंत्री जी गुप्त काशी के लिए आज घोषणा कर देंगे क्योंकि दो वर्षों से आश्वासन के बाद भी यह मामला लटका हुआ है, किन्तु एक आयोग बना कर यह सब मामले कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए हैं जिस पर मुझे घोर आपत्ति है । इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि वह जड़ी बूटी संस्थान की गुप्त काशी में स्थापना की आज घोषणा करें । आयोग पर्वतों में गठित करना है तो जल निगम, सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण की अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार में सुधार के लिए आयोग का गठन कर दें जिससे विकास के कार्यों को बड़ी गति मिलेगी और पर्वतों का उत्थान होगा । लेकिन सरकार पर्वतों का उत्थान तो चाहती है किन्तु सारा रुपया वन अधिनियम और भ्रष्टाचार के कारण बरबाद जा रहा है ।

मान्यवर, इलेक्ट्रानिक के मामले में एक हिल इलेक्ट्रानिक बना है, 6 महीने से कह रहा हूं कि उसको स्वतंत्र कर दें लेकिन चार करोड़ रुपये पिछले वर्ष अपट्रान ने पहाड़ों का लैप्स करवाया है । मेरे जनपद चमोली में इलेक्ट्रानिक का कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति का निर्णय लेकर मुख्य मंत्री जी ने सराहनीय कार्य किया है । जिसके लिए मैं आभारी हूं । वहां की कठिन आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इनका नियमितीकरण शीघ्र करने की कृपा की जाय । गोपेश्वर और अगस्त मुनि महाविद्यालय के छात्रों की वर्षों से चली आ रही मांगों को जिन पर मुख्य मंत्री जी ने छात्रों के शिष्ट मण्डल को आश्वासन दिया था उन्हें शीघ्र पूरा किया जाय । पिण्डर घाटी के महाविद्यालय की वर्षों से चली आ रही मांग को भी पूरा करने की कृपा की जाय ।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व गरीब विद्यार्थियों के लिए आवासीय भत्ता दिया जाता था उसे आज जब विधायकों तक के भत्ते बढ़ा दिए गए हैं तो उन गरीब विद्यार्थियों का भत्ता बढ़ाने की कृपा की जाय ।

पहाड़ों में तहसीलों और विकास खण्डों का क्षेत्रफल कम करके उनका पुनर्गठन जब तक नहीं किया जायगा तब तक करोड़ों और अरबों रुपये खर्च करके भी वहां विकास को गति नहीं मिल सकेगी । रामनाथ पोखरीन तहसील को शीघ्र खोलने की कृपा करें । इसलिए इस पर ध्यान दें । विष्णु प्रयाग परियोजना वर्षों से पड़ी है, इसे शीघ्र पूरा किया जाय । बद्रीनाथ और केदार नाथ के संबंध में . . . ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त, आप बैठ जायं ।

श्री सन्तान बड़थ्वाल–

बद्रीनाथ केदार नाथ के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां सुधार के नाम पर उक्त धामों का राष्ट्रीयकरण न किया जाय क्योंकि स्थानीय जनता की धार्मिक भावना, परम्पराएं और उन धामों से बद्री की जनता आर्थिक समस्याओं के संबंध पर आंच नहीं आनी चाहिए ।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र के हरिजन एवं निर्बल वर्ग के लोगों का पांच वर्ष पूर्व का दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ कर दिया जाय ।

अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप भी इस तरह करेंगे तो समझिये कि आप अपने साथियों का समय ले रहे हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया । माननीय मंत्री जी ने बजट पेश करते हुए यह याद दिलाया कि पर्वतीय क्षेत्र हमारे भारतवर्ष की सुन्दरता और संस्कृति की अनुपम धरोहर हैं, और इसमें हमारा कहना यह है कि पर्वतीय अंचल के बारे में न तो पर्वतीय क्षेत्र की और न वहां के लोगों को किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है । वह इस हिन्दुस्तान की एक महान् धरोहर थे और भविष्य में रहेंगे । यह ऐतिहासिक तथ्य है । हमारे वेद-पुरान और इतिहास सभी इस बात के साक्षी हैं । पर्वतीय क्षेत्र ने भारत को और विश्व को कई महान् निधियां अनेकानेक क्षेत्रों में दी हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपने कहा–बड़ी विषम भौगोलिक स्थिति है, मैं उनका आभारी हूं और मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो आपका दृष्टिकोण है, हमारा जो दृष्टिकोण है पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए, तो उसमें भारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । पर्वतीय क्षेत्र के लिए और वहां के निवासियों के लिए कोरी भावना से और कोरी संवेदना से हमारा काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सही भावना अपनानी पड़ेगी और उसके तहद हमें विकास कार्यक्रम का नियोजन करना पड़ेगा । अन्यथा आज तक जैसा पर्वतीय विकास हुआ है, जो डा0 नौटियाल जी ने सुनाया है, वैसे ही होगा । आजादी के 40 वर्ष बाद भी आज भी वहां की महिलाओं को पानी के लिए 10-15 किलोमीटर चलकर जाना होता है । वहां आज भी ऐसे विद्यालय हैं, जहां पेड़ के नीचे, बिना खड़िया चाक के और बिना ब्लैक बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं । आजादी के 40 वर्ष बाद भी वहां पर बिना अध्यापकों के स्कूल हैं और बिना डाक्टरों के अस्पताल हैं । यह आजादी के 40 साल बाद की तस्वीर है । यदि हमने यही नजरिया रखा तो आने वाले समय में भी उसके विकास के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे । इसलिए मैं अपने कुछ सुझाव मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन में मंत्री जी को देना चाहूंगा । पर्यटन

विकास में आपने कई योजनाओं का जिक्र किया, मैं मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि कश्मीर, जिसकी तुलना पर्यटन के लिए की जाती है, में पर्यटन से आय राज्य की कुल आय का 40 प्रतिशत है ।

मैं आपके द्वारा यह भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर से अधिक नहीं तो कश्मीर के बराबर और मैं तो कहूंगा कि पर्यटन का जो पोटेंशियल है वह हमारे क्षेत्र का उससे अधिक है । चारों धाम हमारे यहां हैं । फूलों की घाटी हमारे यहां है और तीन-तीन विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर्स पिण्डारी, नामिक, मिलम हमारे यहां हैं और कैलाश मानसरोवर वहां पर हैं, फिर भी वहां पर केवल नैनीताल, मंसूरी, लैंस डाउन, रानीखेत और कौसानी पर्यटन स्थल माने जाते हैं। यह वही स्थान है जिनका ब्रिटिश शासकों ने अपने रहने के लिए विकास करवाया था । वही पर्यटक स्थान बने और उन्हीं तक सरकार का ध्यान केन्द्रित रहा और जो हमने पहले पर्यटक स्थलों का जिक्र किया, जिसको प्रकृति ने और भगवान ने बहुत कुछ दिया था उस पर्यटन विकास के लिए कुछ नहीं किया गया । इसके अलावा इस सरकार ने क्या किया, यह आप स्वयं और एक एक सदस्य जान सकते हैं । कहने का मतलब यह है कि आपने पर्यटन के नाम पर कुछ नहीं किया है। चौकड़ी बेरीनाग में एक गेस्ट हाउस बना दिया और कहा कि बहुत कुछ हो गया, इससे काम चलने वाला नहीं है । उसके पहले वहां तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, उसके आगे जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, खाने की कोई सुविधा नहीं और कम्युनिकेशन की कोई सुविधा नहीं। इससे पर्यटन का कोई सुधार नहीं होगा । हमारे यहां इन दिनों पूर्णागिरि यात्रा चल रही है । सारे भारतवर्ष से यात्री वहां जाते हैं । इस यात्रा के लिए यात्री जब टनकपुर नगर पहुंचते हैं, तो न जाने कितनी मुश्किलें उसे उठानी पड़ती हैं । यह बात अपनी जगह है, लेकिन वहां पर समीप में श्यामलाताल, चम्पावत और विवेकानन्द आश्रम एबटमाउण्ट आदि भी है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूल तथा अन्य स्थानों पर जहां वह जाना चाहता है उसे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। पर्यटक आपने खतरे पर जा सकता है। पर्यटन विभाग उसको कोई जानकारी नहीं दे सकता है। जो योजनाएं बनाई गई हैं वह आंकड़ों में हैं । कोई विकास कार्य नहीं हुआ है । कोई योजना ऐसी आपने नहीं बनाई कि पर्यटन से वहां के लोगों को जोड़ा जाए, जिससे पर्यटन का ज्यादा विकास हो सके। औद्योगीकरण की बात कही गयी, तो मान्यवर, जब नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे मैंने उनसे कहा था कि आपने जगह-जगह कारखाने खोल दिए हैं । हमारे यहां तो थाने खोले हैं कोई कारखाना नहीं खोला है । अगर खोले हैं तो सिर्फ सब्सिडी खाने के लिए खोले हैं । वहां उद्योग लगाने वाले लोगों को सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिल रहा है । दूसरे कारखाने ऐसे हैं जो कच्चे माल पर आधारित कारखाने थे । वन अधिनियम लागू हो जाने से कच्चा माल नहीं मिल रहा है । जितनी भी छोटे स्केल पर इकाइयां थीं वह बन्द पड़ी हैं । जिससे एक विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, डाक्टर नौटियाल जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सारी चीजों को मद्दे-नजर रखते हुए इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना के लिए अपहिलट्रान इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन खोला गया । मैं आरोप लगाना चाहता हूं यह केवल पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए नहीं बना है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अपहिलट्रोन को पर्वतीय विकास से 1 करोड़ 47 लाख रुपया दिया गया, लेकिन इसका 51 परसेंट शेयर अपट्रान ने ले लिया इस तरह 1 करोड़ 47 लाख रुपए में से 51 परसेन्ट अपट्रान के पास आ गया । मान्यवर, अपहिलट्रोन का कोई बोर्ड आफ डाइरेक्टर भी नहीं है और यह अपट्रान के अन्तर्गत ही है इसलिए इसका विकास नहीं हो पा रहा है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें । मैं सबको समय दूंगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, दो शब्द शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको मैं अब और ज्यादा समय नहीं दे सकता । मैंने आपकी जरूरत को देखते हुए काफी समय दे दिया है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

एक मिनट में कहना चाहता हूं । मान्यवर, दो दिन पहले अंशकालिक शिक्षकों ने धरना दिया । अंशकालिक शिक्षक जितने पर्वतीय क्षेत्र में हैं उनको साढ़े 12 रुपया रोजाना के हिसाब से वेतन मिलता है । आप उन शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं । इतने कम पैसे में वह कैसे गुजारा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐरी जी आप बैठें ।

*श्री पूरन सिंह माहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पर्वतीय क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। अभी वर्तमान और पूर्व के पर्वतीय विकास मंत्रियों के भाषण को सुना। आपका समर्थन करना मेरी मजबूरी है, लेकिन इनके समर्थन में मैं इनकी बात से जुड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में आज बने संरक्षण अधिनियम के लागू होने के कारण भीषण समस्या है। वन संरक्षण अधिनियम के कारण वहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी चाहे कितना ही उत्साह के साथ कहें लेकिन वन संरक्षण अधिनियम से पर्वतीय क्षेत्र में विनाश का वातावरण हो गया है। जो भी विकास के कार्य माननीय सदन द्वारा पारित किये जाते हैं चाहे वह सड़कें हों, चाहे पेयजल योजनायें हों या चाहे विद्युत की लाइनें बिछाने का काम हो वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वन संरक्षण अधिनियम के कारण । मेरा निवेदन है कि सदन के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम में शासकीय कार्यों के लिये सरलीकरण किया जाना चाहिये। मैं जिस दुर्गम क्षेत्र से चुनकर आया हूं वहां पर पेयजल की भीषण समस्या है। मेरे क्षेत्र में एक-एक ब्लाक में जल निगम के 6-6 डिवीजन काम कर रहे हैं जिससे जन धन का दुरुपयोग हो रहा है। इससे कांक्ट रूप से जल निगम को काम नहीं सौंपा जा सकता है जिससे पेयजल समस्या शोचनीय है इस ओर मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

मान्यवर, शिक्षा की बात अभी यहां पर की गयी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस मार्च के महीने में, पिछले साल जो प्राइमारी और जूनियर हाई स्कूल बांटे गये थे वह अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यहां पर बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। इसी तरह से पी0 डब्लू डी0 के लिये एस0 आर0 एन0 डी0 तथा ए0 आर0 का पैसा अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे वहां पर मलवे के ढेर पड़ा है। पर्यटन की बात है। वहां पर कमायूं में जितने डाक बंगले हैं उनमें से प्रत्येक में एक-एक कमरा चीफ इंजीनियर के लिये हमेशा बुक रहता है इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इसी तरह से विद्युत के संबंध में कहना चाहता हूं। इसी सत्र में मेरे प्रश्न का जवाब मिला कि अल्मोड़ा जनपद में 3 करोड़ 71 लाख रुपया विद्युत की योजनाओं के लिये स्वीकृत है। इसमें से दिसम्बर माह तक कुल 14 लाख रुपया अल्मोड़ा जनपद को दिया गया है और मार्च में कुल 64 लाख रुपया दिया जायगा। इससे वहां पर बिजली की क्या तरक्की हो सकती है। आपने गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमायूं मंडल विकास निगम का गठन पर्वतीय क्षेत्रों के लिये किया है। कुमायूं मंडल विकास निगम के जो कार्य कलाप हैं उसके कारण इसको हमारे यहां कुमायूं मंडल विनाश निगम के नाम से जाना जाता है। यह वहां पर जो छोटे-छोटे लोग हैं उनसे कंपटीशन करता है। बजरी और रेत की ठेकेदारी करता है। गरीब आदमी और जो ले-मैन हैं जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है उनके साथ कंपटीशन करता है। और मोनोपोली करके उद्योगों को बंद कर रहा है। इस तरह के कुमायूं मंडल विकास निगम की कल्पना इसके स्थापित करने वालों ने कभी नहीं सोची थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्वतीय विकास परिषद् का जब गठन हुआ था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 7 सब कमेटियां बनायी गयीं थीं जिनके चेयर मैन विधायकों में से होते थे। इससे अंकुश रहता था लेकिन आज व्यवहारिकता के नाम पर इसको खत्म कर दिया गया है। पर्वतीय विकास के नाम पर प्रधान मंत्री चाहेंगे वह चीज होगी। 2 साल हुये हैं इसकी सब कमेटी की कोई बैठक नहीं हुयी है। हम पर्वतीय लोग हर बात के लिये कहां तक प्रधानमंत्री के पास जायं। हमारे वीर बहादुर सिंह जी की दिली ख्वाहिश है कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो और यह बात सही है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के कोने-कोने में जाकर हमारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। लेकिन अधिकारीगण उनके द्वारा की गयी घोषणाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में उन्होंने उल्मरा के पुल की घोषणा की थी। बड़ियाली मोटर मार्ग की घोषणा की थी। चौखुटिया और बामसू में आई0 टी0 आई0 खोलने की घोषणा की थी तथा बमोड़ा में जो हाई स्कूल है उसको इंटर मीडिएट तथा सालीखेत में जूनियर हाई स्कूल को हाईस्कूल बनाने के उन्होंने घोषणा की थी लेकिन शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणायें की थीं उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया है। तो हम कैसे कह दें कि वहां का विकास हो रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूं लेकिन शर्म नहीं आती है।

मान्यवर, उद्योगों की बहुत बात की जाती है। अपट्रान जिसके नीचे अपहिलट्रान बनाया गया है तो उसको एक आदमी की जागीर बना दिया गया है 9-9 हजार रुपयों पर सचिवों के घर लखनऊ में किराये पर ले रहा है और अपहिलट्रान में जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। एक मि0 टी0 सी0 जोशी हैं जो विंग कमांडर थे, उनको सैनिक सेवा मेडल द्वारा पुरस्कृत किया गया जो पद्मश्री के बराबर का दर्जा था श्री जोशी को उनके पद से हटवा दिया है। अपहिलट्रान को ऐसे व्यक्ति की जागीर बना दिया गया है। इसलिये अपट्रान से अपहिलट्रान को अलग किया जाय। ऐसी सूचना है कि इस जागीरदार की तरफ से प्रलोभन दिये जाते हैं। किसी के घर में इंटरकाम लगा दिया है, किसी के घर में टी0 वी0 लगा दिया है और किसी के घर में फ्रिज भेज दिया है। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है जो शर्म की बात है।

मान्यवर, भूमि संरक्षण का काम हमारे यहां जो कृषि विभाग के द्वारा हो रहा है, वह निश्चित तौर पर अच्छा हो रहा है। लेकिन उस पर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।

श्री लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, हमें शिक्षा के संबंध में कहना है। वहां पर जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने अंशकालिक टीचरों के लिए व्यवस्था कर दी है, यह मान्यवर, हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं की गयी, वहां पर 3800 टीचरों के पद रिक्त

हैं, उनको दूर से रोटी दिखाई जा रही है कि जब चाहेंगे, निकाल देंगे । यदि आपकी मंशा सही है, तो उन्हें पक्का क्यों नहीं करते हैं ? उन्हें यह अपर निदेशक और उनके नीचे के अधिकारियों के रहमों और करम पर छोड़ दिया गया है । उन्हें पूर्णकालिक अध्यापक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है ? मान्यवर, मैं यातायात के संबंध में कहना चाहता हूं कि यह हमारी वेलफेयर स्टेट है, लखनऊ से काठगोदाम 100 किलो मीटर के लिए जो किराया देना होता है, वही पर्वतीय क्षेत्र में 100 किलोमीटर के लिए डेवढ़ा देना पड़ता है, इसे मान्यवर, समान होना चाहिए ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, इनको और समय दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

वह खुद समय मांगेंगे, आप उनके लिए समय क्यों मांग रहे हैं?

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं ऋषिकेश वगैरह जाया करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको और समय दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, सहकारिता की बात करते हैं, पिथौरागढ़ सहकारी बैंक में अभी एक आजमगढ़ से और एक एटा से और एक हरदोई से तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भेजे गये हैं। मेरे क्षेत्र धारचूला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश दिये हैं, दो साल से आज तक पूरे नहीं किये गये हैं। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीय पाण्डेय जी ने कहा कि हमें देखना है कि हासिल क्या होता है, हासिल होता है, तभी तो टेहरी के सदस्य को इस वर्ष तीन हाई स्कूल और अल्मोड़ा क्षेत्र को दो हाई स्कूल दिए गये हैं और विधान सभाई क्षेत्र में हरी झण्डी दिखा दी गयी है । अन्त में मुझे निवेदन करना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणाओं को अविलम्ब पूरा करवाया जाय, ताकि वहां की जनता में शासन के प्रति विश्वास बना रहे । आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद । जयहिन्द, जय भारत ।

श्री देवेन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी पर्यटन विभाग का भी बजट है और माननीय सदस्यगण आज अपने-अपने घर भी जाना चाहते हैं, इसलिए इसे संक्षिप्त कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

(श्री हरी शंकर तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, जब पहाड़ के लोगों से समय बच जायगा, तब आपको मौका दिया जायगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, आपने माननीय हरी शंकर तिवारी जी को बुला लिया है, उन्हें समय दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कौशिक जी, आपकी बात समझ में नहीं आयी ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपने हरी शंकर तिवारी जी का नाम पुकार लिया था, उनको बोलने दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पुकारा नहीं था, पहाड़ के लोगों से समय बच जायेगा तो अवश्य समय दिया जायेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, यह उचित नहीं होगा, आपकी पीठ से ऐसी व्यवस्था उचित नहीं होगी । पर्वतीय विकास के मामले में जितने वे लोग चिन्तित हैं, उतना ये लोग भी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

तड़ागी जी, आप बैठ जाइये, इधर के हमारे माननीय सदस्य बोल लें, आपको 2 मिनट अवश्य दूंगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, इसके पूर्व भी चर्चा के समय मैंने यह ध्यान आकर्षित किया था पिथौरागढ़ जनपद में धारचूला का । हमारे, पर्वतीय विकास मंत्री बड़ा गर्वतोन्मुखी भाषण पढ़ रहे थे जो जमनोत्री गंगोत्री भारतीय संस्कृति की धरोहर है उसकी चर्चा कर रहे थे। मान्यवर, जब मानसरोवर भारतीय यात्री जाते हैं, पिछले वर्ष भी मैंने चर्चा किया था बजट भाषण के समय, वहां पर जाने का कोई मार्ग नहीं है और 7 दिन पैदल चलकर भारतीय यात्री मानसरोवर पहुंचते हैं। चीन में जो भारतीय सीमा से लगा हुआ इलाका है वहां चीन की गाड़ियां खड़ी रहती हैं भारतीय यात्रियों को ले जाने के लिए, लेकिन 7 दिन चलकर भारतीय यात्रियों को तिब्बत की सीमा पर पहुंचना पड़ता है। मान्यवर, आज उत्तराखण्ड जो अपने बंटवारे की चर्चा कर रहा है यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ।

मान्यवर, शिक्षा की यह स्थिति है कि एक तरफ तो शिक्षित बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों में शिक्षकों का अभाव है। यह सरकार की गलत मन:स्थिति के कारण हैं । एक तरफ शिक्षित बेरोजगार तमाम भरे हुए हैं और दूसरी तरफ शिक्षकों का अभाव है। मान्यवर, बंधुवा मजदूरों की समस्या पहाड़ में मुंह बाये हुए खड़ी हुई है। आप देखें बंधुवा मजदूर को जो लोग बंधक रखे हुए थे उनके बजाय वह अपने चन्द नौकरों को बंधुवा मजदूर की लिस्ट में दिखाकर धन अर्जित

करते हैं और बधुवा मजदूर जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। इस पर भारत सरकार ने अपना सर्वेक्षण गत वर्ष कराया था और उसकी रिपोर्ट आयी थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जरा भी ध्यान उस पर नहीं दिया है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में गलत प्रजातियों का वृक्षारोपण हो रहा है। बांज प्रजाति के पेड़ों को काटकर समाप्त किया जा रहा है। इस वृक्ष में पानी धारण करने की क्षमता होती है लेकिन इसे समाप्त करके अन्य पेड़ों को लगाया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 40 साल बीतने के बाद इन पहाड़ों की समस्या जैसे की तैसे है। आज भी वेश्याओं की जो समस्याएं हैं उनकी एक शर्मनाक स्थिति है। उनके लिए कम से कम आश्रम व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि उनको शिक्षा दी जा सके और उनका आर्थिक सहयोग किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं शिवानन्द नौटियाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि पहाड़ के लोग इस पर बोलें, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर की जो पहाड़ियां हैं वह पहाड़ के अंतर्गत आती हैं या नहीं आती हैं?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

वह बिल्कुल पहाड़ के अन्दर नहीं आती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं, जितने पहाड़ के जिले हैं, उनमें से एक कोई बुलवाने के बाद अन्य लोगों को बुलवाऊंगा।

*श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, जो बजट अभी पर्वतीय विकास विभाग के माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में कहना चाहता हूं और माननीय नौटियाल साहब के जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में कहना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय मंत्री जी पर्वतों के बारे में बहुत व्याकुल हैं और वह चाहते हैं कि किसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो। उन्होंने तरह-तरह के क्षेत्रों के बारे में कहा इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतों के प्रति उनका काफी लगाव है और वहां के लोगों की कठिनाइयां जो होती हैं, चलने में, पानी लाने की और बाजार में सामान लाने और ले जाने में तो मैं मा0 मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने जो यह योजनाएं आज के इस बजट में प्रस्तुत की हैं, वह बिल्कुल सराहनीय हैं। बागवानी का जहां तक सवाल है, मा0 मंत्री जी ने यह जरूर कहा है कि पर्वत में फलदार पेड़ लगवाने चाहिए और सब्जी की व्यवस्था करनी चाहिए, किन्तु उन्होंने कहीं भी अपने बजट में यह नहीं कहा है कि यदि ओला पड़ जाता है और फलों का नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो फल खासतौर से मई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ओला पड़ने से जो काफी नुकसान हो जाता है, तो जिस प्रकार से गेहूं और अन्य फसलों का लोगों का नुकसान वहन करते हैं, सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में लोग फलों को लगाते हैं और बाजार में लाते हैं, वह उनका एक साधन होता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनका इंश्योरेंस किया जाय । दूसरे वन अधिनियम लागू होने से पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो गया है। जो सड़कें कई सालों से बनी हैं, ठप हैं। बीच में केवल एक दो किलोमीटर बन आने से सड़क रुक गई है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से वन अधिनियम सड़कों के बनने में बाधक न हो क्योंकि इससे सरकार का और अन्य लोगों का बहुत नुकसान होता है। दूसरे जल निगम और जल संस्थान का जो घपला होता है, जल निगम ऐसी व्यवस्था करता है कि पानी ठीक ढंग से लोगों को नहीं मिलता है। खास तौर से बरसात के दिनों में वह योजना बनाता है, जबकि बरसात में पानी के स्रोत फूट आते हैं, हमेशा टंकी ऊपर बनाते हैं और जब बरसात समाप्त हो जाती है और मई जून का समय होता है, उस समय पानी के स्रोत नीचे आ जाते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम इस जगह मई और जून के महीने में यह देखते हुए कि कम पानी मिलता है, ताकि लोगों को ठीक ढंग से पानी मिल सके, आप ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों विभाग आपस में न लड़ें।

दूसरे स्कूलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पहाड़ पर बहुत से स्कूल सैंक्शन हुए थे, लेकिन उनकी स्वीकृति आज तक नहीं मिली है, जो तुरन्त देनी चाहिए । बहुत सी सड़कें जिनका रुपया स्वीकृत होकर जिलों से आता है, यहां पहुंचने पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जाता है और काफी दिनों तक वहीं पड़ा रहता है। मेरा निवेदन है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट पर्वतीय विभाग के अन्तर्गत आना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द उसका निपटारा हो सके और सड़क, स्कूल और अस्पताल जल्द से जल्द बन सकें । इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आने लायक दोस्त नौटियाल साहब के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था जानना चाहता हूं कि अभी मा0 सदस्य गौरी भइया ने यह प्रश्न उठाया कि मिर्जापुर पर्वतीय विकास में आता है या नहीं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात उठायी और मंत्री जी ने कह दिया कि मिर्जापुर पर्वतीय विकास में नहीं आता । मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय विकास की तरह से जो पूर्वांचल है जो पिछड़ा, गरीब और बेरोजगार है, क्या पर्वतीय विकास की तरह से पूर्वांचल विकास परिषद् गठित करके उसको राहत देने का काम करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, कल हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार राम नवमी है। बहुत से विधायक रामनवमी का अनुष्ठान करते हैं और रात में विंध्याचल पहुंच कर अनुष्ठान करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको ध्यान में रखकर बजट पर जल्दी विचार समाप्त कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

सबको अपनी बात कहनी है। समय का ध्यान रखा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर विपक्ष के लोग तैयार हो जाय, तो पहाड़ के इधर के जो सदस्य रह गये हैं, वह बोल लेंगे ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मान लिया ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, हमने मान लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । अब श्रीमती सरस्वती देवी जी बोलेंगी ।

श्रीमती सरस्वती देवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय पर्वतीय विकास राज्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करती हूं और विपक्ष के भाई डा0 शिवानन्द नौटियाल साहब जी के कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं।

मान्यवर, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने पर्वतीय विकास के लिये केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक धन प्राप्त करवाया है। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय पर्वतीय विकास राज्य मंत्री जी के प्रयासों से आज हम पर्वतीय विकास के मामले में, विकास के दरवाजे तक पहुंच पाये हैं। हमारी भू0 पू0 प्रधान मंत्री स्व0 इंदिरा गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी कि पर्वतीय क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो, इसी उद्देश्य को लेकर 1972 में पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना की गयी थी । लेकिन, जो उनकी परिकल्पना थी, उनकी पूर्ति आज तक पूरी तौर से नहीं हो पायी है। मेरा यह कहना है कि इसमें प्रशासनिक सुधार लाने हेतु इसका निदेशालय पर्वतीय क्षेत्र में हो, वहां पर न्यूडल अधिकारी ही रहें । सारे कार्यों का सर्वेक्षण करें, अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करें, तब ही हमको इसमें आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि पर्यटन को तो उद्योग का दर्जा दिया गया है और हमारे यहां के लोग पर्यटन में रुचि लेने लगे हैं, वहां अंगोरा खरगोस पालन का काम भी अच्छा हो सकता है, उसको भी उद्योग का दर्जा दे दिया जाय। मान्यवर, शिक्षा विभाग ने हमारे यहां सराहनीय काम किया है। अध्यापकों के पद, हेड मास्टर

के पद, प्रिंसिपलों के पद जो रिक्त पड़े हुए थे, सबकी प्रोन्नति आदि करके, वह रिक्त स्थान भर दिये गये हैं। मान्यवर, मेरा इसमें एक यह भी कहना है कि हमारे यहां जो अध्यापकगण रिटायर होते हैं उनको पेंशन आदि मिलने में काफी विलम्ब होता है, इसलिये पेंशन आदि की प्रक्रिया जो है, वह रिटायरमेंट से एक साल पहले से ही शुरु कर देनी चाहिये, ताकि रिटायरमेंट के बाद तुरन्त ही पेंशन का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे बड़ी अहम समस्या है।

श्री अधिष्ठाता–

अब एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सरस्वती देवी–

पानी की समस्या का मैं जिक्र कर रही थी, पानी ग्रेविटी से आता है, स्रोत छोटे हैं, इस लिए उन स्रोतों को जोड़ दिया जाय और गांवों तक पानी पहुंचाया जाय । मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अति शोचनीय है। सुबह से शाम तक घास, लकड़ी में ही उनका दिन निकल जाता है। इसमें मेरा कहना यह है कि एक तो उनको ईंधन की सुविधा दी जाय, दूसरे चारे-घास इत्यादि की सुविधा दी जाय और फालतू समय में काम करने के लिये उनके लिये छोटे-छोटे उद्योग वहां लगा दिये जांय, ताकि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़े । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुये, मैं माननीय नौटियाल साहब से कहूंगी कि वे कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और सर्वसम्मति से इस महत्वपूर्ण बजट को पास कर लेने दें । धन्यवाद ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग का सृजन इस भावना से हुआ था कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी क्षेत्र से भिन्न हैं उसी को दृष्टिगत रखते हुए वहां की योजनाओं को अलग ढंग से जन उपयोगी बनाने के लिए इसका सृजन किया गया था । मान्यवर योजनायें तो बनी, लेकिन उनके क्रियान्वयन में कमी के कारण जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि सभी साथियों ने यह भावनायें जाहिर की। योजनाओं पर कार्यान्वयन ठीक ढंग से न होने के कारण, जन आक्रोश व जन असंतोष है । यही वजह है कि जितना पैसा परिव्यय के रूप में जाता है उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है हमारे वहां पेयजल की योजनायें, सड़कों का निर्माण, पाठशाला भवनों का निर्माण का चिकित्सा भवन सिंचाई आदि महत्वपूर्ण निर्माण के कार्य मात्र वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने से बन्द पड़े हैं जिस कारण पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है अतः वन संरक्षण अधिनियम को पर्वतीय क्षेत्रों में जहां करीब 60% वन हैं में प्रगति के कार्यों में शिथिलता प्रदान न करें यदि वनों को आग लगने से 10 सालों तक के लिये बचा लिए जाय तो वनों की कोई कमी नहीं रहेगी। न ही वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पड़ेगी वहीं आग लगने से उत्पन्न धुवें को रोक कर कई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं पेड़ों की संख्या स्वतः ही काफी अधिक हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं अपनी निश्चित जानकारी के अनुसार कुछ सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा। जो स्वीकृत होने पर इस नियम के कारण रुकी व अधूरी पड़ी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं कोड़िया से किमसार, कटिद्वार से कालागढ़, पौखाल से करुणाश्रम, स्यालन्यूटांडा से खिमाखेत, कोढ़ला से वाडाडांडा, मैदावन से हंदूखाल, नालीखास से बन्चुकी गट्टूघाट, सिलन्डी से सतपुली के बीच, कुंजखास से कोटा। यह सड़कें स्वीकृत होने के बावजूद आज तक इनका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जैसा कि अन्य साथियों ने कहा कि खेत तो कट गये, लेकिन यातायात की सुविधा जो स्थानीय जनता को मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही है। इससे स्वाभाविक है कि लोगों में असन्तोष पैदा होगा। मान्यवर, मंत्री जी ने हिमांचल और गढ़वाल मंडल को जोड़ने के लिए एक मिनस पुल बनाने की घोषणा की है, क्या ही अच्छा होता कि हिमांचल के बराबर तरक्की भी पर्वतीय क्षेत्र करता जबकि बजट प्राविधान करीब-करीब बराबर है। इसी संबंध में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में बागवानी का काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है इसका कारण यहां के सम्बन्धित अधिकारी हैं जो बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हिमांचल, काश्मीर से अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलायें और उनके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी करायें तब ही कुछ सफलता इस क्षेत्र में मिल सकती है। शिक्षा के संबंध में कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में प्राइवेट प्रबन्धकीय विद्यालय ज्यादा हैं, लेकिन उन्हें जो कुछ शुल्क के 15% से 20% क्षति पूर्ति अनुदान मिला करता था, वह वर्ष 1979-80 से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन विद्यालयों में बड़ा गम्भीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है और यह संस्थायें लोग बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अशासकीय (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में आमदनी का कोई भी अन्य स्रोत न होने से विद्यालयों को चलाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

इसी तरह से जो अशासकीय विद्यालय प्रान्तीयकृत हुए हैं उनमें जो अध्यापक हैं वर्षों से एक पद पर बने हैं उनको सेलेक्शन ग्रेड आदि सुविधायें मिलना चाहिए किन्तु नहीं मिल पा रही हैं। दूसरी समस्या पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों की है। इनकी संख्या पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 2800 है। मान्यवर, आप उनकी मानसिक स्थिति स्वयं समझ सकते हैं, उनको एक पीरियड का 12 रुपया मिलता है और वह भी नियमित व निश्चित नहीं वह अपने आप में इस बात को लेकर हीन भावना महसूस करते हैं कि अध्यापक होने के बावजूद भी अध्यापक का दर्जा उन्हें नहीं है अतः अंशकालिक और जिस कार्य के लिए उनको लगाया गया था, उसको वह नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षकों को विद्यालय के हितों को रखते हुए शीघ्र नियमित करने के आदेश दें ताकि शिक्षक अपना काम ठीक से कर सकें। इसी तरह से विद्युत की बात है। यद्यपि विद्युत पर बजट के दिन काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा। मान्यवर, जहां गांव में एक बल्ब भी लग गया उसको विभाग द्वारा विद्युतीकरण मान लिया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जनता ने सिक्यूरिटी का पैसा जमा कर रखा है, लेकिन उन लोगों को आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया, और जो

लाभ उनको मिलना चाहिए, वह नहीं मिला । मैं चाहता हूं कि विद्युत के संबंध में व्यवस्था ठीक कराई जाये व विद्युत आपूर्ति हेतु अधिक व समय पर धन आवंटन किया जाय ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पर्वतीय विकास राज्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस बात से तो इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पर्वतों में कुछ काम नहीं हुआ है। मान्यवर, काम तो हुआ है ही और हमारे कदम भी आगे बढ़े हैं। किन्तु एक बात मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिस रकिशयों से, जिस अनुपात से रुपया दिया गया है, उस अनुपात से काम नहीं हुआ है, उसकी मानीटरिंग नहीं हो रही है उसके क्रियान्वयन में कहीं गलती है, उसे आपको देखना होगा । हमारे पर्वतीय प्रदेश में 66 फीसदी जंगल है, उन्हीं की आप रक्षा कर लें। पूरे प्रदेश का 2/3 भाग जंगल वहां पर्वतों पर है। हमारे बुजुर्ग लोग अपने जानवरों को घास, पत्ती व ईंधन इन्हीं जंगल से उपलब्ध करवाते थे और स्वयं का लालन-पोषण इन्हीं जंगलों से करते थे । अभी-अभी मुझे ज्ञात कराया गया है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी व माननीय वित्त मंत्री जी केन्द्र ने हमारे दूर-दराज के कुमायूं व गढ़वाल मण्डल में कुकिंग गैस का प्रबन्ध कराया है और उसके लिए जो किराया देना पड़ता था, उसको भारत सरकार ने स्वयं वहन करने के लिए कहा है इससे ईंधन की बचत होगी । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी व माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो योजनाएं बनाई जायं, वे समय, काल, भौगोलिक स्थिति व अनुभव के आधार पर बननी चाहिए। मैंने मान्यवर हमारे कुमायूं व गढ़वाल में खनिज के विपुल भण्डार हैं। हमारे यहां पूरे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या की करीब-करीब दुगुनी है। हमारे यहां 54.06 प्रतिशत शिक्षित लोग हैं जबकि पूरे प्रदेश में केवल 27.86 प्रतिशत पढ़े-लिखे लोग हैं। हमारे यहां औषधियों का विपुल भण्डार है, खनिज के भण्डार हैं। हमारी योजनायें उन पर आधारित होनी चाहिए, जिससे हमारे शिक्षित बेरोजगारों को उनसे जोड़ा जा सके, उनको काम में लगाया जा सके। आज ऐसा न होने से वहां लोगों में असंतोष व्याप्त है। अभी वहां जड़ी-बूटी के लिए 90 आदमियों को यहां से भेजा गया है, जिससे वहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हमारे यहां के लोगों को तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में भी नहीं रखा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप यहां से वहां जड़ी-बूटी के लिए भेज रहे हैं, उसे क्या मालूम कि किस जड़ी-बूटी की क्या उपयोगिता है और किस हाईट पर कौन सी जड़ी मिलती है ? यह ज्ञान तो हमारा पैत्रिक ज्ञान होता है कि किस जड़ी की क्या उपयोगिता है और वह कहां पर मिलेगी।

मान्यवर, पर्यटन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पर्यटन के बारे में माननीय मंत्री जी हमारे यहां कुछ करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह हमारे यहां छोटे-छोटे हट्स होटल की योजनायें पर भी बनायें। वैसे मान्यवर,

जितने भी आशय-पत्र उद्योग के दिये गये हैं, यदि आप देहरादून में जाकर देखें तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि उद्योग के नाम पर केवल दिवालें खड़ी हैं, केवल सब्सिडी लेने के लिए आशय पत्र ले लिये हैं। मान्यवर, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के समीप धनोल्दी में बहुत अच्छा पिकनिक स्पाट है वहां हट्स होटल टाईप का काम कराया जाना चाहिए और छोटे-छोटे लोगों को इसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि क्रियान्वयन के तरीके में कुछ तब्दीली होनी चाहिए, जिससे पर्वत का विकास हो सके। और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का व माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष तौर से आभारी हूं कि उन्होंने इस साल पर्वतीय विकास के परिव्यय में वृद्धि की है। कटौती का प्रस्ताव रखते समय माननीय श्री नौटियाल जी ने दो महान हस्तियों–श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व श्री चंद्र मोहन सिंह नेगी का नाम लिया, जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए अपने कर्तव्यों का जिस तरह से निर्वहन किया सौभाग्य से आज वह उन्हीं के साथ हैं। ऐसे लोगों की न तो कांग्रेस में आवश्यकता थी न है और न रहेगी। मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि पर्यटन, कृषि सिंचाई, उद्योग, स्कूलों व अन्य सभी विभागों की प्रगति को हमारे सामने रखा है लेकिन वास्तव में क्या यह जो धन आवंटन हुआ है, इसका सही उपयोग हुआ है?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने वी0 पी0 सिंह और चन्द्र मोहन सिंह नेगी का नाम लिया है।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। यह भी दुर्भाग्य है कि जहां सरकार और हम लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है, उद्योग लगाने में परेशानी है, वहीं देहरादून और गढ़वाल मण्डल का उदाहरण रखें तो पता लगेगा, बिक्रीकर विभाग, यू0पी0एस0आर0टी0सी0, सहकारिता विभाग तथा उद्योग विभाग ने तमाम नियुक्तियां की हैं, कोई उद्योग नहीं लगा सकता, तमाम विकास व योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आप क्लास-3 क्लास-4 में उनको नौकरी क्यों नहीं देते हैं? यहां से नियुक्तियां की जाती हैं, 6 महीने पहाड़ पर रहने के बाद वापस आ जाते हैं। सरकार इसको गम्भीरता से समझे और वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दे। जल निगम सफेद हाथी हो रहा है। सरकार का करोड़ों रुपया बेकार जाता है। विकास योजनायें बेकार हो जाती हैं उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। पहाड़ों पर बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिये आपने आवास-गृह बनवाये लेकिन वहां पर नलों में पीने का पानी नहीं है। इसी प्रकार जैसा हमारे साथियों ने कहा, हाई डम्स

की जो स्कीमें बना रही हैं, सब बेकार हैं। टेहरी डैम है, ढकरानी है, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन पहाड़ के लोग आज भी बिजली से वंचित हैं। पीने के पानी से वंचित हैं, सिंचाई के साधनों से वंचित हैं।

मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए जितना पैसा आवंटित हुआ था और आज वह पैसा कहां है? करोड़ों रुपये की बात करते हैं विकास के नाम पर, होता कुछ नहीं है। शिक्षा के नाम पर विभिन्न विधायकों के क्षेत्र हैं, अनेक जनपदों में स्कूल स्वीकृत हुए हैं लेकिन देहरादून का तो नाम ही नहीं है। न तो किसी स्कूल का उच्चीकरण ही हुआ और न कोई विज्ञान विषय ही खुला। यदि यही मापदण्ड रखेंगे तो, जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं करेंगे तो विकास काम नहीं चलेगा। गढ़वाल विकास निगम में, कुमायूं विकास निगम में वहां के अधिकारी विकास के लिए क्या कर रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देहरादून में यू0पी0 कैल्सियम कार्बाइड वहां का उद्योग है, जिसमें विद्युत खर्च लगभग 4 करोड़ रु0 के आता है। जो लोग इसमें रोजगार पाये हुए हैं, लगे हुए हैं, अगर इसको बिजली पर्वतीय क्षेत्र की छूट की सुविधा नहीं दी गयी तो यह बन्द होने की स्थिति में है। हमारे पालीटेक्निक हैं ब्वाइज पालीटेक्निक हैं, महिला पालीटेक्निक में टीचर्स वेतन ले रहे हैं, कोई क्लास नहीं हो रहे हैं, बैठने की जगह नहीं क्योंकि भवन नहीं बने हैं। जो अव्यवस्थायें फैल रही हैं। सुझाव देना चाहूंगा कि जो हिल कैडर बना था वह इसीलिये बना था कि इसे लागू किया जाय। देहरादून ही नहीं अपितु पर्वतीय क्षेत्र में विकास प्राधिकरण समाप्त किये जाने चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में कुल बिजली का 12% ही आवंटित हुआ है। देहरादून में बगीचों का कटान बन्द हो, इलेक्ट्रानिक उद्योग लगे, रेशम फैक्ट्री का विस्तार हो तथा सरकार स्वयं चलाये। पेयजल को प्राथमिकता पर समाधानकरें। चिकित्सा सुविधा हेतु चिकित्सालय खोला जावे।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप अपने सुझाव लिखकर भिजवा दें।

श्री हीरा सिंह विष्ट–

हमें मिलने वाली सारी सुविधायें हमें मिलनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपने सुझाव मंत्री जी को लिख कर दे दीजियेगा। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हीरा सिंह विष्ट–

खेल के लिये हमारे यहां स्टेडियम स्वीकृत हुआ था लेकिन इस बात को सात वर्ष व्यतीत हो गये हैं, जब पूछो तब कह दिया जाता है कि निर्माणाधीन है, पता नहीं कहां पर वह निर्माणाधीन है, सिर्फ कागजी डाटा सदन में रख कर लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं मांग करता हूं कि पहाड़ों के लिये समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाय और जो समय पर कार्य पूरा न करें, उसे दण्डित किया जाय। मैं चाहूंगा कि इस पर पर्वतीय विकास के धन के उपयोग के लिये समय-समय पर मानिटिय-रिंग की जाय और इस संबंध में वहां के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जायें। इसी के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

[समय 5 बजकर 35 मिनट]

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पर्वतीय विकास का बजट जो कि माननीय मंत्री जी द्वारा रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। मैं विशेष मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास परिषद् बनी पर्वतीय विकास सचिवालय अलग बना लेकिन काम क्या हुआ ? मेरा सुझाव है कि जब तक पर्वतीय विकास में व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जायेगी, वित्त के किस स्पेशल सेक्रेटरी या ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के लेविल का कोई अधिकारी वहां पर नहीं बैठेगा, जब तक हमारा डाइरेक्ट्रेट अलग नहीं होगा, जब तक पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे विकास खण्ड नहीं बनाये जायेंगे, जब तक पर्वतीय क्षेत्र और विधान सभा क्षेत्र नहीं बनाए जाएंगे, वहां की तहसीलें छोटी नहीं होंगी तब तक विकास की जो बात हम कर रहे हैं, यह सपना साकार नहीं हो सकता है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जिस गति से पर्वतीय क्षेत्रों में इस समय विकास का काम प्रारम्भ कराना चाहा है वह निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन नियोजक के सही प्रारूप के अभाव में कहीं इसका सही रूप में कार्यान्वियन नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि ऋषीकेश से दिल्ली 225 किलो मीटर है और इसी लगभग पौने दो सौ विधायक हैं और वहां यातायात के साधन सुलभ हैं। और मेरा निर्वाचन क्षेत्र जो कि 270 कि0 मी0 लम्बा और 152 कि0 मी0 चौड़ा है वह भी यातायात से रहित है। इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पर्वतीय क्षेत्र की जनता अधिकारियों के तो दूर, अपने जनप्रतिनिधि के दर्शनों से भी वंचित रहती है और प्रतिनिधि को भी परेशानी है अगर वह एक गांव को एक बार भी छुए तो इसमें आठ वर्ष का समय लगता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के लिये मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब तक पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों का जाल नहीं बिछा और जो अधिकारी/कर्मचारी वहां हैं, उनके लिये आपने विशेष रूप से उनके वेतन में वृद्धि की व्यवस्था नहीं की तथा उनके लिये कार्य के आधार पर पुरस्कार और दण्ड दोनों की अलग-अलग व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की, यदि आपने पर्वतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में स्थानीय लोगों को न लेकर वाह्य को भरा तो सही विकास नहीं हो सकता हमारे यहां जो अध्यापक ग्रामीण सेवा में हैं, ग्राम्य विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और पटवारी हैं जो कि वहां की व्यवस्था देखते हैं, जिन पर वहां का प्रशासन निर्भर करता है, उन्हीं लोगों को वहां के लोग पहचानते हैं। आपके बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनके अधिकारियों/कर्मचारियों को वहां की जनता पहचानती तक नहीं है।

मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज फिर कह रहा हूं कि यदि आप सही रूप से पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो हमको निर्धारित करना होगा कि पर्यटन के माध्यम से वहां का विकास हो। लघु उद्योग के माध्यम से हो, हार्टिकल्चर के माध्यम से हो भेड़पालन व ऊन उद्योग के माध्यम से, पशुपालन और वनों के विकास के माध्यम से वहां का विकास हो और कृषि और बागवानी के माध्यम से विकास हो, जब यह सारी चीजें होंगी तो सही विकास होगा। मान्यवर, सामाजिक

वानिकी के अन्तर्गत जितने पेड़ लगाए जा रहे हैं, उन पेड़ों का 1/1000 वां हिस्सा भी वहां बाकी नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पेड़ किस किस्म के, कितने और कब लगाए जाने चाहिए इसकी जानकारी वहां के अधिकारियों को होनी चाहिए कि वहां की मिट्टी के अनुरूप ही पेड़ लगाएं तभी इस ओर वहां सही विकास हो सकेगा । अभी जैसा कि मैंने और हमारे साथियों ने बातें कहीं उनसे आप लोग नाराज हुए होंगे मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अंशकालिक स्वयं सेवी शिक्षकों को रेगुलर करने की बात का आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं वहां पर प्राइमरी एजुकेशन में भी बहुत सारे अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिस प्रकार से आपने उर्दू टीचर्स के विषय में शासनादेश किया है अन-ट्रेण्ड शिक्षकों की भर्ती की है उसी प्रकार से वहां पर भी अनट्रेण्ड लोगों को लगाया जाए और बाद में उन्हें ट्रेण्ड किया जाए और जब तक यह नहीं होता तब तक बी0 एड0, सी0 पी0 एड0, डी0 पी0 एड0 आदि ट्रेण्ड लोगों को प्राइमरी में नियुक्त किया जाय दूसरी बात वहां पर मान्यवर पेयजल की आपूर्ति में बहुत अव्यवस्था है, इसके स्थायी रूप से निराकरण के लिए पम्पिंग सेट योजनाएं बनाएं जाए जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र में इसी प्रकार की एक पेयजल योजना है, जो बहुत बड़ी है, मैं समझता हूं कि ऐसे ही वहां नहरों से नहीं बल्कि सिंचाई भी बड़े-बड़े नलों द्वारा कराई जाए तो ज्यादा कारगर होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने सुझाव जो हैं, उन्हें लिखकर दे दीजिए और कृपया पधारें ।

श्री सूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पर्वतीय विकास की ओर यदि सही रूप में कदम उठाये जायें तो अवश्य विकास हो सकता है। वहां की तमाम योजनाओं का प्रारूप बनाते समय यदि क्षेत्रीय विधायक और ब्लाक प्रमुखों आदि को जब तक शरीक नहीं किया जायेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकेगा, इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र करायी जाये ताकि द्रुतिगति से विकास हो सके और वहां की जनता का रोष रोका जा सके । अन्त में मैं पर्वतीय क्षेत्र के लिए मंजूर इस भारी धनराशि को बजट के रूप में प्रस्तुत करने पर मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री पुष्कर सिंह–

मा0 अधिष्ठाता महोदय आज मा0 पर्वतीय विकास विभाग के मंत्री जी ने जिसे प्रभावशाली ढंग से बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और जो बजट उन्होंने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय नौटियाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं यह आज की नहीं हैं बल्कि बहुत पुरानी हैं और अधिकांश समस्याएं जो मा0 नौटियाल जी ने उठायी हैं, वह इतनी पुरानी हैं कि उनके कार्य-काल से भी अधिक पुरानी हैं और कुछ अव्यवहारिक कठिनाइयां वहां पर हैं और जिन कारणों से यह उत्पन्न हो जाती है, उन सब को दूर करने का प्राविधान इस

बजट में किया गया है और दूसरी बात जिस तेज गति से समस्यायें बढ़ी हैं उसी तेजी से इन क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान का प्रयास भी हुआ है, माननीय नौटियाल जी से मैं बड़ी शालीनता के साथ पूछना चाहता हूं कि जब वह पर्वतीय विकास मंत्री थे तो पर्वतीय क्षेत्र का कितना विकास हुआ ? यह समस्याएं पहले भी थी तब उन्होंने क्यों समाधान नहीं किया उन्होंने अपने रहते समाधान क्यों नहीं निकाला ?

आपने एक बात कही कि पर्वतीय विकास विभाग केवल पैसा देता है, उसका कार्य करने वाले विभागों पर कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, यह सही बात है । यह आपके समय में भी थी, अगर आपने निदेशालय की स्थापना कर दी होती, तो अब यह कहने की बात न होती । मान्यवर, मेरा कहना है कि पर्वतीय विकास विभाग का कार्य केवल पैसा ही देना नहीं होना चाहिये, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी होना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जलागम परियोजना में इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि उसके प्रशासनिक ढाचे में परिवर्तन हो और जो दोहरी जिम्मेदारी की व्यवस्था है, वह समाप्त हो । इस प्रकार से पर्वतीय विकास विभाग का भी प्रशासनिक कार्य करने वालों विभागों पर नियंत्रण होना चाहिये, इस तरह बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है । माननीय नौटियाल साहेब ने गढ़वाल मंडल विकास निगम के बारे में कुछ कहा, द्रोण होटल के टपकने की बात उन्होंने कही, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें अब इस तरह की कोई बात नहीं रह गयी है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि औली का नाम विश्व पर्यटन के नक्शे पर बड़ी तेजी से उभर रहा है । मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में इसका नाम विश्व के पर्यटक मानचित्र पर उभर कर आ जायेगा । यह स्थान हमारे लिये बड़े महत्व का है । जिस प्रकार से प्राचीन काल में बद्री नाथ और केदार की स्थापना हुई और ब्रिटिश काल में मंसूरी और नैनीताल की स्थापना हुई, उसी प्रकार से वर्तमान समय में औली का महत्व बढ़ रहा है । इसके विकास से पर्वतीय क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश का नाम विश्व में पहुंचेगा । जो विकास योजनायें चल रही हैं वह प्रारम्भिक स्टेज पर हैं और उनके जल्दी पूर्ण होने की आशा है । अगर कोई कमी है, तो आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि इसके लिये प्रयास करना चाहिये कि इस क्षेत्र का जल्दी विकास हो । मान्यवर, मैं अब स्थानीय समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने सुझाव मंत्री जी को लिख कर दे दें ।

श्री पुष्कर सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं । अगर वहां पर जो योजनायें बनायी जाती हैं, उनके बनाते समय वहां के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये तो बहुत अच्छा हो । एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर जो वन संरक्षण अधिनियम है, उसका सरलीकरण किया जाये और विकास का आधार ब्लाक और जिला रखा जाना चाहिये और उसी के अनुरूप विकास का बटवारा किया जाये । विकास का ठीक से बंटवारा किया जाय । जब विकास का ठीक तरह से

बंटवारा किया जायेगा तभी वहां के हर क्षेत्र में विकास संभव है । मैं इतना ही कहते हुये माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब 20 मिनट आप लें और 20 मिनट मंत्री जी लेंगे ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, आपने देखा होगा कि मेरे भाषण में कटौती शब्द को अगर निकाल दिया जाय तो आप पायेंगे कि सभी माननीय सदस्यों ने वही भावनायें व्यक्त की हैं, वही पीड़ा, वही व्यथा-कथा कही है जो मैंने कहा है । उसमें मुझे जरा आश्चर्य तब हुआ जब भाई रौथाण ने अपना भाषण दिया । उनके भाषण से लगता है कि जब से वे चेयरमैन बन गये वैसे ही उन्होंने अपने विभाग की ओर से सिफारिश करना शुरू कर दिया । मान्यवर, आपने देखा और सुना भी है मैंने कहीं पर भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया है। जो व्यक्ति कुर्सी पर होता है उसी से बात कही जाती है। यह बात ठीक है कि मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा । लेकिन यह भी ठीक है कि जिन उसूलों और सिद्धान्तों पर पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था, उनका हमने पालन किया उनको पूरा किया । जितनी कमेटी पहले बनायी जाती थीं, उनकी संस्तुतियों को मानकर हमने पर्वतीय विकास की समस्याओं को पूरा करने का कार्य किया । हमने उसमें पर्वतीय विकास परिषद् के अन्य घटकों को भी सम्मिलित किया, पहाड़ों की योजनाओं का क्रियान्वयन किया, हमने जिले-जिले में जाकर अधिकारियों और कर्मचारियों को जैसा कि भाई सजवाण जी कह रहे थे प्रत्येक को सामूहिक रूप से संगठित करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया ।

अभी माननीय सदस्य वी0 पी0 सिंह को लेकर गुस्से में आ गये थे । मैंने कहा था कि जो परम्परायें उनके समय में चल रहीं थी वे टूट गई हैं । उनमें सत्यता थी । उन्हीं सत्य बातों के आधार पर भाई रौथाण जी को बुरा लग गया । अगर हम किसी कार्य को नहीं कर सके और कुर्सी से हट गये दूसरे दिन आप आ गये तो फिर आपको वे कार्य करने चाहिए थे जो हम अधूरे छोड़ गये थे । मैं तो सिर्फ 6 महीने मंत्री रहा और आप तो 5-5 और 10-10 साल मंत्री रहे । आप पर्वतीय अंचल के लिये कुछ विकास के कार्य करके दिखायें । वहां की जनता का आप पर अहसान होगा । अगर वहां पर कोई सड़क नहीं बनी है तो आप उसे बनायें, आपको यश मिलेगा । मंत्री जी रुपये की बात कर रहे थे । मैं कह रहा था कि आप खर्च ही नहीं कर सकेंगे । कौन मांगता है । आपके स्कूल पिछले साल से अभी तक नहीं खुले हैं, आपका कोई विद्यालय अभी तक नहीं चला । आपने उसके लिए पिछले साल भी यश लिया कि हमने वहां पर स्कूल खोल दिया और इस साल भी यश ले लिया कि हमने वहां पर खोल दिया है । अगर यह गलत हो तो देख लीजिए । जब आपने काम ही नही करना तो हर साल इस बात का ढिंढोरा क्यों पीटते हो । वहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, स्कूल भवन नहीं है, कोई तरक्की नहीं हो रही है और योजनायें बनाते चले जा रहे हैं । टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है । तो फिर हो क्या रहा है ।

माननीय रौथाण जी औली के बारे में कह रहे थे । मान्यवर उसके लिये रोप वे हमारे मंत्रित्वकाल में स्वीकृत हुई थी और उसके लिये रुपया भी उसी समय दे दिया गया था । त्रिवेणी स्ट्रकचरल को रुपया दे दिया गया लेकिन आज आप कहते हैं कि प्रारम्भिक स्थिति में हैं। मैं कब कहता हूं कि हमें गर्व नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि रुपये का दुरुपयोग हो रहा है, उसका पेमेंट हो चुका अच्छी बात है लेकिन काम भी तो हो । आप चेयरमैन हो गए हैं अब कुछ काम तो करिये और जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको दंडित करिये तो मैं आपका लोहा मान लूंगा ।

औली की जो बात आप कह रहे हैं उसमें कौन कह रहा है कि अच्छा नहीं हुआ है । लेकिन हम तो और भी स्थान बता रहे हैं जिसका नाम माननीय सदस्य को मालूम नहीं होगा । हम तो पर्वतीय अंचल को आगे बढ़ाने के सुझाव दे रहे हैं उन सुझाओं को आप आलोचना क्यों मान रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां कुछ काम हो इसको देखने की जरूरत है । चूंकि समय ज्यादा नहीं है मैं सूत्ररूप में कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

सबसे पहली मांग जो हमारी है कि पर्वतीय क्षेत्रों का तेजी से विकास हो उसके लिए पर्वतीय विकास विभाग को आप कुछ शक्ति प्रदान करने की कृपा करें जब तक उस शक्ति नहीं प्रदान करेंगे तब तक विकास के कार्य नहीं हो सकते हैं ।

दूसरी समस्या हमारे यहां अंशकालिक टीचरों की है उनको अविलम्ब नियुक्ति देने की कृपा करें । नहीं तो उसके दुष्परिणाम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि पर्वतीय जनता का असंतोष उन अध्यापकों के साथ जुड़ जायेगा। हमारे यहां एक परम्परा सी हो गयी है कि यहां देवरिया और गोरखपुर ने टीचर्स भेज दिये जाते हैं । उसमें आपकी कोई परिस्थिति रही है । मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं सुझाव दे रहा हूं वह टीचर्स गढ़वाली और कुमावनी नहीं समझते हैं छोटे बच्चे जो पहली वर्णमाला का अक्षर पढ़ते हैं जिसमें अ, ब पढ़ाया जाता है टीचर्स भोजपुरी में बोलते हैं और बच्चे गढ़वाली समझते हैं तो इस तरह उनके क्या समझ में आयेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

तो एक नयी जुबान बनेगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

आप फरमाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन बच्चों की समझ में तो वह नहीं आता है ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

आप तो अच्छी जुबान बोल रहे हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

लेकिन बच्चे तो नहीं समझते हैं । मेरा कहना है कि स्थानीय युवक बी0 एड0 करके बेकार घूम रहे हैं या जो इंटर पढ़े हुये बेकार घूम रहे हैं उनको रैफ्रसर्स कोर्स कराकर बच्चों को पढ़ाने का काम दीजिए और जो बाहर के हाईस्कूल या इण्टर पास अध्यापक जाते हैं उनका अ, आ का उच्चारण वहां के बच्चों की समझ में नहीं आता है ।

तीसरी बात वहां के वन अधिनियम के बारे में गंभीरता से सोचें । आज हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है । वहां लोगों को हक हकूक नहीं मिल रहे हैं 1890 में जो हक हकूक मंजूर हुए थे आज भी वही हैं उस समय किसी गांव में 50 लोगों की जनसंख्या थी आज हजार दो हजार की आबादी हो गयी है लेकिन हक हकूक के नाम पर एक ही पेड़ पूरे गांव को मिलता है । तो इस ओर ध्यान दें और जनसंख्या के हिसाब से उसे बढ़ायें ।

अगली बात यह है कि आज कोई नयी सड़कें नहीं बन रही हैं अगर कोई नयी सड़क होती तो आप जरूर कहते । लेकिन जो मंजूर पड़ी हैं उनको तो पूरा कर दीजिये उसके लिए वहां के वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर बात करने में कोई अपमान होने की बात नहीं है कोई रास्ता निकाल कर उन अधूरी सड़कों को पूरा करा दें । बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो दोनों तरफ से बनी हुई हैं लेकिन बीच में कहीं एक कि0 मी0 और कहीं आधी कि0 मी0 छूटी पड़ी है । इसलिये यह व्यावहारिक बात है कि वह सड़कें पूरी होनी चाहिए । जो सड़कें पहले स्वीकार हुई हैं लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया उनको आप पूरा कराइये जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा ।

मान्यवर, दूसरी बात जहां वह विभाग की भूमि नहीं आ रही है उसको आगे बढ़ाने में, अनुमति देने में क्या कमी है यह भी संभव है । मान्यवर, एक महत्वपूर्ण आग्रह आपसे करूंगा कि दो साल पहले इस सदन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम कमेटियां विधायकों की बनायेंगे तो कम से कम अब आप उस आश्वासन को तो पूरा कर दें । यह आपके हित में होगा ताकि विधायकों के सहयोग से पर्वतों में होने वाली अनियमितताओं, अभद्र व्यवहार, दुराचार, भ्रष्टाचार जो वहां होता है उसमें आप कमेटियों द्वारा कुछ कमी करायें ।

मान्यवर, अब मैं संक्षेप में जल संस्थान और जल निगम के बारे में कहना चाहता हूं कि पानी की समस्या पहाड़ों में बहुत है । इसलिये पेयजल योजनाओं के लिये आप पर्याप्त धन उपलब्ध करायें । मान्यवर, पहाड़ों में पम्प योजना सफल नहीं हो रही है । पौड़ी में पम्प योजना सफल नहीं है लेकिन भैंसवाड़ा योजना जो पाईप डालकर बनाई गयी है वह सफल हुई है, यदि यह योजना पाईप लाईन की यहां नहीं होती तो पौड़ी में पानी नहीं मिलता । इसी तरह पिथौरायढ़ अल्मोड़ा में पम्प योजना सफल नहीं हुई है । इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि पेयजल योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो पहाड़ों में पम्प के बजाए पाईप लाईन डालने पर महत्व दें तभी वहां पेयजल समस्या हल हो सकती है ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

पहाड़ों की छवि तो अन्तर्राष्ट्रीय है और आपके इलाके में जनरल और कर्नल बहुत रहते हैं उनका तो आप कम से कम जिक्र कर दें ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बिलकुल ठीक कहा है । यह बात सही है कि गढ़वाल के सैनिकों और कुमायूं के सैनिकों ने गढ़वाल और कुमायूं का मान रखा है और भारत का मान रखा है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । हमारे यहां तो

मनीआर्डर इकोनामी है, यदि रुपया वहां से न लायें तो भूखे मर जांय । विकास के नाम पर हमारे यहां तो कुछ है ही नहीं, उद्योग धंधे तो हैं ही नहीं, इसीलिए हम जनरल और कर्नल के आभारी हैं । जो उद्योग धंधे वहां चल रहे हैं उसके लिए केन्द्र सरकार के हम अभारी हैं और वह केन्द्र सरकार के बल पर ही चल रहे हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं मंत्री जी से शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुस्तकालयों के खोलने की योजना है । उसमें जिला स्तर पर तो सब जगह पुस्तकालय खुल गये हैं और ब्लाक स्तर पर भी खोलने की योजना है । पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी में तो हैं, जमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल में ब्लाक स्तर पर खोलने की बात कही थी, यहां पर काट दिया और जो पढ़ने को मिलता है वह भी आपने छोड़ दिया । पुस्तकालय जैसी स्वाभाविक चीजें तो मिलनी ही चाहिए । कुछ सुधार की बातें हैं, इसमें किसी का ऐसा भाव नहीं है, हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम आपके साथ चलने को तत्पर हैं और विकास कार्यों में सहयोग देना चाहते हैं । पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को आधार मानकर उसमें यदि आप हम लोगों का भी मार्गदर्शन ले लें तो मैं समझता हूं बुरा नहीं है । जो कमेटियां पहले से बनी हुई हैं, उसको फिर से बना दिया जाए तथा पर्वतीय विकास परिषद् का पुनर्निर्माण कर दिया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी का आगामी पर्वतीय विकास विभाग का नया बजट नई क्रान्ति, नई शान्ति, नई चेतना और नई स्फूर्ति के साथ आएगा और वह हमारे कटौती के प्रस्ताव को मान लें ।

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, हमारे पर्वतीय अंचल के सहयोगियों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये, मैं उन सुझावों की किन शब्दों में सराहना करूं, वह शब्द तो मेरे पास है नहीं, फिर भी जो कुछ बातें आपने कहीं हैं, उनके संबंध में मैं कुछ बातें कहूं, यह भी मेरा पुनीत कर्त्तव्य है । सर्वप्रथम तो नौटियाल जी ने तथा कुछ नौजवान साथियों ने अंशकालिक टीचर्स की बात कही । मान्यवर, माननीय नौटियाल जी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनको प्रक्रिया का भी अच्छा ज्ञान है कि अंशकालिक टीचर्स को कैसे हम रेगुलर करें । एल0 टी0 ग्रेड के बाद माध्यमिक शिक्षा में उनकी की जाती है और उसका माध्यम लोक सेवा आयोग है । हमने जब पिछले दिनों पर्वतीय अंचलों का भ्रमण किया, तो वहां कुछ समस्या थी हमारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी और उस व्यवस्था से हमारे बच्चे सफर कर रहे थे और कहां कुछ शिक्षित नौजवान भी थे, तो उस समस्या को तत्कालिक रूप से हल करने के लिए हमने एक प्रक्रिया को वहां अपनाया । उन्हें हमने नियुक्ति नहीं दी है, उनको हमने मानदेय देकर कुछ सेवाभाव के लिए रखा है, जिससे कि पर्वतीय अंचल के लोगों की वह सेवा कर सके और जो हमारे छोटे-छोटे बच्चों के पढ़ने के साधन नहीं हैं, उसमें उनकी उपयोगिता सिद्ध हो सके । मान्यवर, नौटियाल साहब ने . . .

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

लेकिन उनका भविष्य क्या होगा । माननीय मुख्य मंत्री ने इन पर वहां आश्वासन दिया था ।

श्री राम औतार दीक्षित–

हमारे लायक दोस्त के सज्ञान में है, माननीय मुख्य मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है। मुझको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन शब्द से चिढ़ है, मैं कभी आश्वासन नहीं देता। दूसरी बात जो मेरे आश्वासन की बात मेरे लायक दोस्त ने कही . . (व्यवधान) अभी हमारे एक मित्र, जिन्होंने काफी आत्मीयता के साथ नौटियाल जी की बात कही, मैं उनको फिर आश्वस्त करता हूं कि मैं उन कमेटियों को बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आश्वासन से आपको चिढ़ है, लेकिन फिर वही आश्वासन की बात करते हैं।

श्री राम औतार दीक्षित–

(व्यवधान) मैं उनमें लगा हुआ हूं और फिर आज आश्वासन देता हूं कि निकट भविष्य में (व्यवधान) अधिष्ठाता महोदय, गुप्त जी आश्वासन की बात कर रहे हैं, जिस चीज का आश्वासन देता हूं उनको पूरा करता हूं।

हमारे रानीखेत के जो मेम्बर हैं इन्हें इस बात का ज्ञान है मैं उन कमेटियों को बनाने के लिए प्रयत्नशील हूं या नहीं। मैं इस बात के लिए सहमत हूं लेकिन जिस काम को राजा वी0 पी0 सिंह बिगाड़ गये हैं। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र से वह विधायक हैं, मंत्री जी भी रहे हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया को समाप्त किया। अब इस प्रक्रिया को बनाने में समय लग रहा है। दूसरी बात हमारे मित्र नौटियाल साहब जी ने कही कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि डिप्लोमाधारियों की नियुक्तियां क्या मैदान से की गई हैं ? तो मैं आश्वस्त करता हूं कि 124 व्यक्ति पहाड़ के रखे गये हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, 300 में से 124 की नियुक्तियां पहाड़ से की गई हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित–

अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे मित्र ने कहा कि पहाड़ों पर डाक्टरों की कमी है। मैंने वहां अंशकालिक डाक्टर रखे हैं। जो कोटा पहाड़ का फिक्स होता है जैसा मैंने कहा कि जो पहाड़ों के डाक्टर मैदान में आ गये हैं, वह भी पहाड़ों पर सेवा करने के लिए जाना नहीं चाहते हैं। मुझे एक भी डाक्टर ऐसा नहीं मिला, जिसने आकर कहा हो कि मैं पर्वतीय क्षेत्र में सेवा करना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पर्वतीय अंचल के जो डाक्टर हैं उनसे आप अनुरोध करें कि वह पर्वतीय अंचल की जो डिस्पेंसरी है वहां जाकर जनता जनार्दन की सेवा के लिए आगे आयें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

जितने पर्वतीय अंचल के डाक्टर हैं उनकी नियुक्ति आप पहाड़ में करें, फिर हम एक की भी सिफारिश करें तो आप कहिएगा।

श्री राम औतार दीक्षित–

मैंने सिफारिश की बात नहीं कही। सेवा की बात कही। मेरे तमाम मित्र विदेशों में हैं सब पत्रों के द्वारा लिखते हैं कि मैं फलां एरिया में रहने वाला हूं।

वहां देखिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां सेवा करें। मैं चैलेंज की बात नहीं करता हूं ...,

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री राम औतार दीक्षित–

मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि यह कम अब आरम्भ होने जा रहा है कि गढ़वाल में मूल्य समर्थन देकर सेब की खरीद की जा रही है। पिथौरागढ़ में बौना सेब खरीदा। स्क्रेप की बीमारी के संबंध में धन की व्यवस्था की गई है इस बीमारी को रोकने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। कुछ सड़कों के बारे में हमारे माननीय नौटियाल साहब ने कहा कि वन अधिनियम के कारण सड़कें नहीं बन पाती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वन अधिनियम के कारण कुछ जगहों पर सड़कें बनाने में असुविधा हो रही है। लेकिन इस वर्ष हमने निश्चय किया है कि उनका एलाइनमेंट चेंज करके उनको दूसरे रूट से ले जायेंगे और जो उनका पैसा हमारे पास है उसका उपयोग उन सड़कों के लिए किया जायगा। इसी तरह से जहां वन अधिनियम की बात आड़े आती है तो अगर कहीं जमीन वन अधिनियम के अलावा मिल रही है तो मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदन को और नौटियाल जी को कि उन सबको इसी वर्ष पूरा करायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्षमा कीजियेगा। मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वन अधिनियम के कारण यदि जमीन नहीं मिलती है तो एलाइमेंट चेंज करेंगे। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना आपके हाथ में है या आपको इसके लिये भारत सरकार की अनुमति मिल गयी है।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, एलाइमेंट चेंज करने का अभिप्राय यह है कि अगर कोई सड़क ऐसी है जिसको दूसरी जगह से लिंक कर सकते हैं और वहां वन अधिनियम आड़े नहीं आता है, तो इस तरह से एलाइनमेंट चेंज करें, उसके बारे में विधिवत् अपने अधिकारियों से वार्ता कर ली है और आदेशित किया है यह काम किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं सदन को पुनः आश्वस्त करता हूं कि हम पर्वतीय विकास के लिये निरंतर प्रयत्नशील हैं और भविष्य में हमारी आकांक्षा है कि हम पर्वतीय विकास करें। मान्यवर, बहुत सी बातों को मैंने मान लिया है तो उन्होंने जो कटौती का औपचारिक प्रस्ताव रखा है मुझे आशा है कि वह वापस लेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

नहीं। ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आपका स्पष्टीकरण पहला और आखिरी होगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी की दशा देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ । उन्होंने कहा कि पहाड़ के जो डाक्टर नियुक्त होते हैं वह पहाड़ पर जाते नहीं हैं । यानी उनके आदेशों का पालन नहीं होता है । तो क्या माननीय मंत्री जी अपने आदेशों का पालन नहीं होता है । तो क्या माननीय मंत्री जी अपने आदेशों को सख्ती से लागू करेंगे और जो स्थान रिक्त हैं यदि कमीशन से उनकी पूर्ति नहीं होती है तो तदर्थ रूप से उन पदों पर नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे ।

श्री राम औतार दीक्षित–

यह दीन दशा बस्ती में है, यह दीन दशा हरदोई की नहीं है । प्रश्न दूसरा था माननीय पाण्डेय जी समझ नहीं पाये । मैंने अंशकालिक जो टीचर थे उनके संबंध में यह बात कही थी ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47-पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47 पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,08,75,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

(पर्यटन विभाग का बजट प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती प्रेमीला गद्धवार के खड़े होने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आज पहली बार बोलने के लिए खड़ी हुई हैं । यह उनकी माडर्न स्पीच है, इसलिए मैं बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीया मंत्री जी अपने व्यक्तित्व में जिस भव्यता, रमणीयता, कमनीयता और सरसता को धारण किये हुए हैं, उससे पर्यटन विभाग को तो विभूषित करेंगी ही, पर मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव हमारे बड़े भाई माननीय बदन सिंह रख रहे हैं, माननीय मंत्री जी उनकी व्यथा को समझें मैं उनकी व्यथा का आपके सामने दो पंक्तियों में रखना चाहता हूं :–

"पतझड़ था झाड़ खड़े थे,
सूखी सी फुलवारी में ।
किसलय नव-कुसुम बिछाकर,
आये तुम इस क्यारी में ।।"

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

उप मंत्री पर्यटन (श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,05,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण जब कोई माननीय सदस्य पहली बार स्पीच देता है, तो मैं यह समझता हूं कि यह परम्परा है कि आप सब शांतिपूर्वक, धैर्य से उसको सुनें ।

मान्यवर, पर्यटन विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसमें मैं समझती हूं कि इसमें तो कटौती का कोई प्रस्ताव आता ही नहीं है, क्योंकि यह सबकी सुविधा के लिए है । मान्यवर, पर्यटन एक ऐसा विभाग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस विभाग से सबको सुविधा मिल सकती है । मान्यवर, मैं आपके सामने दो-तीन विषय रखना चाहती हूं, जो मैं पर्यटन विभाग में करना चाहती हूं । सबसे पहले हम यह बताना चाहती हैं कि पर्यटन एक ऐसा विभाग है, जिसे अगर अच्छी तरह से चलाया जाय, तो यह अच्छा रेवेन्यु दे सकता है ।

(श्री प्रमोद कुमार के कुछ बोलने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह गलत बात है, माननीय प्रमोद तिवारी बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं ।

श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा–

मान्यवर, टूरिज्म इण्डस्ट्री डिक्लेयर होने जा रहा है, हम चाहती हूं कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें । इसमें आपको तरह-तरह की सुविधायें मिलेंगी । इसकी शुरुआत मैंने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से की है । अगर आप कोई चीज लगाना चाहते हैं, तो इन्डस्ट्री के तौर पर उसे लगा सकते हैं । दूसरी बात है बुद्धिस्ट सेंटर की, यहां पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, बर्मा, थाईलैंड, जापान, सीलोन से लोग यहां पर आते हैं । इसे मैं अधिक डेवलप करवा रही हूं । इसमें ज्यादा रेवेन्यु भी आयेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग आते हैं । इसके बारे में विशेष रूप से सोचा जा रहा है, ताकि इसको और ज्यादा डेवलप किया जा सके । मैं यह चाहती हूं कि पर्यटन विभाग से हर वर्ग के लोगों को हर तरह की सुविधा मिले । जगह-जगह पर हम लोग पर्यटकों को सुविधा दे रहे हैं । अपने पर्यटन केन्द्रों की हम लोग खूबसूरती बढ़ा रहे हैं । हिन्दू-मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई हर वर्ग के लोग हमारे पर्यटन केन्द्रों पर आते हैं । हम अपने पर्यटन केन्द्रों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देते हैं । हम यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपने पर्यटकों को सस्ते रूप मे ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें, ताकि लोग वहां पर आकर रह सकें । खास तौर से बुद्धिस्ट सेन्टर में जब मुझे एक मौका मिला प्रिंसेस थाईलैंड आई थी तो सबसे बड़ा जोर यह दिया गया कि मेडोटेशन सेंटर मनाइये, मेडीटेशन सेंटर बुद्धिस्ट सेंटर पर डेवलप कराया जाय तो इंसान जो मेडीटेशन करता है, वह कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हम दूसरे-दूसरे देशों से ला सकते हैं और वह इसको मान सकते हैं

और वह चाहते हैं कि इस तरह की चीज डेवलप हो ताकि हमारे हिन्दुस्तान में आये और हमको ज्यादा लाभ मिले । मान्यवर, हमारे 19 टूरिस्ट सेन्टर चल रहे हैं और हमारे कम से कम 12 टूरिस्ट सेन्टर और खुलने वाले हैं और हम यह चाहते हैं कि हरेक क्षेत्र में कोई ऐसी सुविधा हो जाय जिससे लोगों को वहां पर सुविधा मिले जहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं । हम चाहते हैं कि हर जगह पर खाने पीने की सुविधा हो ताकि कोई भी पर्यटक जाय तो उसे खाने पीने की सुविधा हो और हरेक वर्ग के लोगों के लिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सुविधा हो ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो और जो भी लोअर केटेगरी के लोग हैं वह भी उसका इस्तेमाल कर सकें और उनको कम कास्ट पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंच सके ।

मान्यवर, आगरा आप जानते हैं, एक ऐसी जगह है जहां हर पर्यटक आकर देखना चाहता है वहां पर हमारा कार्पोरेशन एक कांफ्रेन्स हाल और एक नेशनल पार्क बनाने जा रहा है और इसके लिए 349 एकड़ जमीन ली जा चुकी है । वहां पर कांफ्रेस हाल डेवलप किया जा रहा है ताकि वहां लोग आयें । मान्यवर, एक ही कांफ्रेस हाल है दिल्ली में विज्ञान भवन । अगर इस कांफ्रेन्स हाल का डेवलप किया जायेगा तो मैं समझती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आयेंगे और आस पास की जो जगह हैं भरतपुर है तो वहां भी लोग जाकर देख सकेंगे और आगरा को फायदा मिलेगा क्योंकि अगर लोग रुकेंगे तो होटल को ज्यादा फायदा मिलेगा । अगर कांफ्रेस होगी तो लोग वहां रूक सकते हैं । जो दिल्ली चले जाते थे, अब नहीं जायेंगे ।

मान्यवर, इन्डीपेन्डेन्ट यूनिट कार्पोरेशन को हम सेटअप करने जा रहे हैं मैं चाहूंगी कि कार्पोरेशन को उसमें फायदा पहुंचे । हमारा इंडीपेन्डेन्ट यूनिट सेटअप होगा तो सर्विस में जो भी यूनिट बनी हैं, उसमें लाभ पहुंचेगा । मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूं ज्वाइन्ट वेन्चर्स की । मैं चाहूंगी कि बाहर से जो भी लोग आयें और हिन्दुस्तान में पैसा लगायें तो हम लोग इससे फायदा उठा सकते हैं । अगर विदेशी लोग आयें और टूरिस्म में पैसा लगायें ज्वाइन्ट वेन्चर्स को सेटअप करें तो इससे हम लोगों को फायदा पहुंच सकता है । स्माल इन्टरप्रिन्योर के लिए वह कुछ करना चाहते हैं तो इससे फायदा पहुंच सकता है । अगर माननीय सदस्यों के और भी कोई सुझाव हों तो उसे मैं सुनूंगी । अगर लिखित रूप से भेजेंगे तो देखूंगी. धन्यवाद ।

(मेजों की थपथपाहट)

(श्री बदन सिंह के पुकारे जाने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर कटौती का प्रस्ताव न हो और माननीय बदन सिंह जी कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं । यह विषमता चावल और चने के साग जैसी लगती है, इसलिये अच्छा हो कि यह कटौती का प्रस्ताव न प्रस्तुत करें ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी

जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस विभाग का बजट रखा गया है, उसका बजट केवल 1 करोड़ 5 लाख 48 हजार रुपये का रखा गया है, लेकिन मान्यवर, इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस विभाग में 3-3 मंत्री हैं । यह विभाग स्वयं मुख्य मंत्री जी के पास है और इसके राज्य मंत्री माननीय तिवारी जी हैं और उप मंत्री मा0 बद्धवार जी हैं, लेकिन मंत्री स्तर के मंत्री के पास और राज्य मंत्री के पास इस पर्यटन विभाग को रखने के लिए कोई सामग्री नहीं है । उनके पास सबसे ज्यादा सामग्री उप मंत्री उन्होंने यह समझ कर रखी है कि उनमें सबसे ज्यादा कमनीयता है और वे ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को प्रदेश में रोक सकेंगी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी की वजह से पर्यटक आगरा से भाग जाते हैं, इसलिये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को रखना आवश्यक है ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव में इस बात का बड़ा ध्यान रखूंगा कि इनकी कमनीयता के ऊपर और पर्यटकों की संख्या के ऊपर कोई कड़ा प्रहार नहीं करूंगा और बड़ी नरमी से काम लूंगा ।

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाएं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, पर्यटन विभाग सन 1972 ईस्वी में अन्य विभागों से अलग होकर एक अलग स्वतंत्र विभाग के रूप में कायम किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय बहुत गम्भीर है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसकी गम्भीरता आप ही समझ सकते हैं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, हमारे मा0 सदस्य इतने विह्वल हो गये हैं कि अनुदान के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । वे चाह रहे हैं कि कोई कड़ा प्रहार न करा जाय, लेकिन मैं आश्वासन दे चुका हूं कि कड़ा प्रहार करूंगा ही नहीं । मान्यवर, यह पर्यटन विभाग 1972 ईस्वी में स्थायी रूप से स्वतंत्र विभाग बना, लेकिन मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग का हमारे प्रदेश में बहुत प्राचीन समय से स्थान रहा है और प्राचीन भारत वर्ष में बहुत से विदेशी पर्यटक यहां आए थे जैसे फाह्यान, ह्वेनसांग, इब्न बतुता आदि । वे हमारे इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिये, हमारे देश के ऐतिहासिक भवन और स्थापत्य कला को जानने के लिये, धार्मिक सहिष्णुता को समझने के लिये हमारे देश में आए और

आज जो पर्यटन विभाग का बजट रखा गया है, उसमें इन सब चीजों को ध्यान में न रख-कर इस बात का ध्यान रखा गया कि इस विभाग को औद्योगिक बना दिया जायगा और ज्यादा से ज्यादा इससे कमाया जायगा । लेकिन मान्यवर, मुझे दु:ख है कि हमारी राज्य मंत्री की कमनीयता ने यह नहीं बताया कि हमारे प्रदेश में कितने पर्यटक विदेशों से आते हैं । मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या भारत वर्ष में 2.16 लाख है, जबकि देशी पर्यटकों की संख्या 297.57 लाख है । इसलिये मान्यवर, मैं उनको यह बताना चाहता हूं आप अपने पर्यटन विभाग को यदि ज्यादा धन की प्राप्ति का साधन बनाना चाहते हैं, तो प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़नी चाहिये । क्योंकि देशी पर्यटकों की अपेक्षा विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ही कम है और इस तरह से किसी भी प्रकार से विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं हो सकता ।

मान्यवर, इन्होंने यह नहीं बताया कि विदेशी मुद्रा का कितना अर्जन इस पर्यटन विभाग से होता है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को पर्यटन विभाग से अट्ठारह सौ करोड़ की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है प्रतिवर्ष । माननीया मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि प्रदेश में पर्यटन विभाग के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष अर्जित होती है । इनका विभाग एक तरह से निष्क्रिय विभाग है, जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक की पुस्तिका विभाग की ओर से दी गयी है, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि इस विभाग का प्रदेश के अन्य विभागों से क्या सम्बन्ध है ? अन्य प्रदेशों में कितने पर्यटक आते हैं, हमारे यहां कितने पर्यटक आते हैं, अन्य प्रदेशों का पर्यटन विभाग का कितना बजट है, अन्य प्रदेशों से पर्यटन विभाग को कितनी आमदनी होती है, इसका कहीं तुलनात्मक अध्ययन का जिक्र नहीं है । माननीय राज्य मंत्री पर्यटन भी यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अगली बार जब इस विभाग का बजट आये, तब पुस्तिका में तुलनात्मक अध्ययन का जिक्र अवश्य होना चाहिये । ताकि दूसरे प्रान्तों की स्थिति भी पता चल सके ।

मान्यवर, इस पर्यटन विभाग का कोई महत्व इस दृष्टि से भी नहीं लगता कि जो हम लोगों को डायरियां दी जाती हैं, माननीय सदस्यों को जो सांख्यकी डायरिया दी जाती हैं, इसमें इस विभाग का कोई विषय नहीं दीखता, उसके संबंध में कोई सूचना नहीं उपलब्ध होती है । मान्यवर, माननीया मंत्री जी जिन्होंने यह बजट आज यहां पेश किया है, आगरा से बहुत प्रेम रखती हैं, क्योंकि वह मुगल शेर्टन होटल में स्वागती के पद पर थी । मैं आपके माध्यम से आगरा की कुछ बातें कहूंगा । आगरा में सबसे सुन्दर जगह संजय काम्पलेक्स है । सन् 1982 में, जिस वक्त पर्यटन मंत्री विद्या भूषण जी थे, तो वहां पर पर्यटक आवास के लिये एक शिलान्यास किया गया था । लेकिन, उस शिलान्यास की हुई जगह को इन्होंने व्यक्तिगत पार्टियों को दे दिया और उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया । जबकि 40 लाख रु0 की लागत से 200 (दो सौ) शैय्याओं वाले पर्यटक आवास गृह के लिये निर्माण निगम को आदेश भी कर दिए गए थे । वह जगह दे दी, उसके पास हरिपर्वत थाने के कोने के पास पौने दो एकड़ की जमीन थी, आगरा विकास प्राधिकरण इसको पर्यटन विभाग को देने के लिए स्वीकृति भी दे चुका था, उसके लिए रिजर्व कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त

के सचिव पर्यटन ने बहुत बड़ी रकम लेकर उस जगह को भी दूसरी व्यक्तिगत पार्टी को दे दिया । जबकि यह जगह बहुत अच्छी थी, राष्ट्रीय मार्ग पर थी, शहर के बहुत ही उपयुक्त स्थान पर थी वहां पर पर्यटक आवास स्थल बना दिया जाता तो पर्यटकों की संख्या वहां बहुत बढ़ सकती थी अब जो जगह ली गयी, माडर्न डिमांस्ट्रेशन सेन्टर के लिये जो जगह ली गयी आगरा छावनी में ली गयी, श्रीमती मिश्रा से नौ लाख रुपये में ली गयी, उस जगह पर निर्माण आज तक नहीं है, क्योंकि उस पर छावनी बोर्ड ने कुछ आपत्ति कर दी है, उस मामले की जांच हो रही है । मान्यवर, बड़े-बड़े अधिकारी उसमें शामिल हैं, इसकी स्पष्ट जांच करवायी जानी चाहिये । मैं चाहूंगा कि माननीया मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में अवश्य इस मामले पर प्रकाश डालेंगी और बतायेंगी कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है । मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला रखी है, उसको तो बन्द कर दीजिये अभी मुझे थोड़ा ही समय हुआ है बोलते हुए ।

श्री अधिष्ठाता–

तय यह हुआ था कि अगर 10 मिनट में बजट पेश करें तो 10 मिनट में आप अपनी कटौती रख लेंगे ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी को आगरा से बहुत प्रेम है, वहां पर आगरा के लिये कोई भी ऐसी रेलगाड़ी नहीं है, जो आगरा में रुकती हो और न आगरा से अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान सेवा है, वायुदूत सेवा है, जिससे वहां अधिक से अधिक पर्यटक पहुंच सकें ।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे सुन्दर इमारत जो है, वह ताजमहल है और भारत की धरती पर जो पर्यटक कदम रखता है, वह आगरा जरूर जाता है और ताजमहल को जरूर देखता है। लेकिन मान्यवर, आगरा में ताजमहल में पुलिस की चौकी कायम करके उसको पुलिस की छावनी बना दिया गया है और एक सिपाही के 2–4 आदमी वहां पर पर्यटकों के साथ लग जाते हैं और कंठी माला बेचने के बहाने से उनको ठगते हैं, इस बात का हमारे पर्यटकों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, इन्होंने यह बात कही कि आगरा में हम काम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, जिससे आमदनी बढ़े। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी में जो 50 शैय्याओं वाला काम्प्लेक्स पर्यटन निगम बना रहा है, उसको आप क्यों नहीं बनाते हैं? मान्यवर, भारतीय पर्यटन निगम ने वहां पर जल आदि की व्यवस्था के लिए धन भी दे दिया है करीब साढ़े 9 लाख रुपया। लेकिन जल निगम ने अभी तक वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन निगम जो है, वह बहुत निकम्मा और निष्क्रिय विभाग है और यह इस वजह से है कि इस उत्तर प्रदेश का जो निगम है, उस पर यह विभाग हावी है और उत्तर प्रदेश की सरकार के रहते हुए भारत सरकार का पर्यटन निगम ने इस पर अपना अधिकार कर लिया है। मान्यवर, राजस्थान के पर्यटन निगम की तरह उन्होंने सब बिल्डिगों को हस्तान्तरित कर लिया है, जिनको भारत सरकार का पर्यटन निगम बना रहा था।

श्री अधिष्ठाता–

बदन सिंह जी, अपनी बात समाप्त करें। एक घन्टे का बजट है। दस मिनट में मंत्री जी ने अपनी बात कही और आप 15 मिनट ले चुके हैं, अब समाप्त करें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, अभी तो मैंने कोई चोट नहीं की है, आप मुझे और समय दें।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस तरह कभी पर्यटकों की संख्या नहीं बढ़ सकती, जब तक आगरा में काम्प्लेक्स और पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं कर दी जाती। इसके साथ ही साथ मान्यवर, आगरा में और भी जो ऐतिहासिक भवन हैं, जैसे सिकन्दरा में अकबर का मकबरा है, वहां पर इनके पर्यटन निगम की कोई भी बस रुकती नहीं है, जिससे वहां पर पर्यटक कुछ देख ही नहीं पाता है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त आगरा विकास प्राधिकरण ने डेढ़ रुपया प्रति पर्यटक के हिसाब से पैसा वसूली कर रखी है और वहां पर बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां पर टिकटों को चेक करते हैं, लेकिन उन टिकटों को फाड़ते नहीं हैं और पुनः उन टिकटों को बेचकर शेयर लिंक कर देते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचार को रोक दिया जाये तो इनकी आमदनी अपने आप ही बढ़ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

बदन सिंह जी, अब समाप्त करें, बाद में कुछ समय और ले लीजियेगा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इसके साथ ही साथ, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें बौद्ध स्थानों के विषय में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। हमारे बौद्ध पर्यटक जो इन्डो चीन, जापान और दूसरी-दूसरी जगहों से आते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और न बौद्ध पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

बदन सिंह जी, अब बिल्कुल समाप्त करें।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मुझको समय कम मिल रहा है, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे और समय बाद में देंगे।

श्री प्रेमपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उपमंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव जो बिल्कुल आंख मूंद कर रखा गया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, हमारा देश सोने का देश रहा है, हमारे शासन ने पर्यटन स्थल बनाने की काफी योजनायें बनाई हैं। हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी व मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में, चाहे वह बनारस हो, चाहे आगरा हो, चाहे गोरखपुर हो नैनीताल पर्वतीय क्षेत्र चाहे श्रावस्ती हो और चाहे कपिलवस्तु हो, उन्हें पर्यटक स्थल बनाने की योजना बहुत पहले से है, दूसरा यह कि साईबेरिया, न्यूयार्क व सिडनी से जो पक्षी यहां आते हैं पर्यटक स्थलों पर, उसके लिए भी हमारे शासन की नीति है कि 30 एकड़ व 20 एकड़ के तालाब बनाये जायें।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र जनपद एटा के जलेसर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वहां पर एक पटना झील है पर्यटक स्थल हेतु जो भरतपुर बर्ड-सेन्च्यूरीज के बराबर है और यह 50 एकड़ के लगभग है। यहां पर लगभग 15 फिल्में भी बन चुकी हैं और जी0 टी0 रोड से 15 कि0 मी0 की दूरी पर है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे नया रूप पर्यटक स्थल का दिया जाय, यदि वह ऐसा कर देंगे तो उससे उत्तर प्रदेश की गरिमा और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री फजलुल बारी जी को बुलाये जाने पर)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, क्या आज आपने तय कर लिया है कि केवल दाड़ी व साड़ी वालों का ही दौर रहेगा? उधर आपने श्री प्रेम पाल सिंह जी को बुला लिया और इधर श्री फजलुल बारी जी को बुला लिया, और उप मंत्री जी को तो आप देख ही रहे हैं।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, माननीय श्री बदन सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। झांसी में पर्यटन विभाग ने एक होटल बनाया है, उसका नाम बीरांगना रखा है। 3 साल पहले ही उसका उद्घाटन होना था, यद्यपि उसका कामर्शियल उद्घाटन हो चुका था और होटल चल भी गया था, परन्तु 3 साल गुजरने के बाद 6 फरवरी, 1988 को एक मंत्री जी को शौक चढ़ा है और वह वहां भागे उसका उद्घाटन करने और जो डिप्टी मिनिस्टर थी, वह अपना मेक-अप करती रही, उन्हें पता ही नहीं था। उस भाषण में माननीय मंत्री जी ने यह तकरीर फरमाया कि लोग तकरीर इसलिए करते हैं कि विपक्षी दल तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं, छपवाना चाहते हैं, ऊट-पटांग हरकतें करते हैं, साम्प्रदायिकता फैलाते हैं, इनसे सतर्क रहना चाहिए। पता नहीं वहां उन्होंने किस कनटेक्सट में यह बात कही। मैं खुद माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। यह एक सिक्यूलर स्टेट है और पर्यटन विभाग एक विकासशील देश के लिए सबसे बढ़िया इण्डस्ट्री है फारेन एक्सचेंज अर्न करने के लिये। एक मिसाल देना चाहता हूं। दुधवा नेशनल पार्क है, वहां पर कोई इन्तजाम नहीं है। इनको चाहिए कि इस इण्डस्ट्री को और डेवलप करें। हैण्डीक्राफ्ट को बढ़ावा दें। लेकिन ये तो मंदिर में पैसा लगायेंगे, मस्जिद बनवायेंगे, गुरुद्वारा बनवायेंगे, चर्च की पुताई करायेंगे, यह कैसा सिक्यूलर स्टेट है। इस तरह से धर्म के नाम पर गरीब किसान की कमाई का, गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद न करें। ऐसा काम करें जिससे मुल्क तरक्की कर सके।

आखिरी बात कहना चाहता हूं। असल में यह डेवलप तो बहुत कर सकते थे लेकिन इस विभाग में घोर भ्रष्टाचार है और जितना पैसा एलाट होता है उसका 50 प्रतिशत अफसरों की जेब में चला जाता है। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमिताभ लवानिया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। माननीय पर्यटन मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, बड़ा ही सारगर्भित और परिमार्जित शैली का परिचय देने वाला है। इसके द्वारा पर्यटन विभाग में जो विकास करने जा रहे हैं उसका

उद्घोष सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों तक पहुंचाया है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य श्री बदन सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

जहां तक माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में आगरे का जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है। एक सभा कक्ष और एक नेशनल पार्क बनाने जा रहे हैं लेकिन विश्व प्रसिद्ध शाही मुहब्बत के प्रतीक ताजमहल में ऐसी लकीर पड़ गयी है जो बरसात के दिनों में पानी चूता है। मैंने नियम 301 में प्रश्न उठाया था कि यह खूबसूरत इमारत बरबाद हो सकती है। ऐसी अद्भुत चीज इतिहास के पृष्ठों से जमीन पर फिर मिलने वाली नहीं है। ताजमहल की बात तो हो जाती है लेकिन एतमादुल्ला का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, बुलन्द दरवाजा, रामबाग, पुड़िया ताल और शेरशाह सूरी मार्ग पर कीठम झील ऐसी जगहें हैं, जिनकी तरफ पर्यटन विभाग का ध्यान अभी तक आकर्षित नहीं हुआ है। अगर चाहें तो रामबाग का विकास कर सकते हैं, एतमादुल्ला (एतमाउद्दौला) जैसी जगहों पर विकास कर सकते हैं। जहां तक फतेहपुर सीकरी का सवाल है, आगरा में जो पर्यटक आते हैं उनको फतेहपुर सीकरी तक पहुंचाने के लिए परिवहन की बस या डीलक्स बस या और सस्ते साधन उपलब्ध करायें ताकि वे उसे देख सकें। आगरा में हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं लेकिन उनको सस्ता खाना नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सस्ता रहन सहन और सस्ते खाने की व्यवस्था करवायें। शेरशाह सूरी मार्ग पर कीठम झील है, पर्यटन के क्षेत्र में इसका विकास किया जा सकता है और सैलानियों को आकर्षित किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप अपने सुझाव लिखकर भेज दें।

श्री अमिताभ लवानिया–

और उससे रेवन्यू में वृद्धि हो सकती है। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि आगरा में पेय जल के लिये बैराज बनाने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह बैराज ताजमहल के आस-पास बनाया जाय ताकि वहां पर नावें चलायी जा सकें और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। वहां झील बन जाने से उसका और सौन्दर्यीकरण हो जायेगा और ताजमहल भी अधिक अधिक सुन्दर प्रतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे पर्यटन विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में मखौड़ा नाम का एक स्थान है जहां पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिये बैठ कर यज्ञ किया था। प्रथम पंच वर्षीय योजना में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में उसके लिए जब प्रस्ताव हुआ तब उसके लिये कोई धन नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जिला योजना से पांच लाख रु0 उसके जीर्णोद्धार के लिये स्वीकृत हुआ परन्तु पता नहीं क्या हुआ कि वह पैसा उसके लिये पहुंचा नहीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में मखौड़ा के लिये जिसकी कि उपेक्षा हुई है, यह अयोध्या से मिला हुआ है और वहां से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से आवागमन का रास्ता नहीं है, यहां पर नैपाल से, गुजरात से और बाहर से यात्री लोग यहां आते हैं। माननीया मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे सुन्दर ढंग से स्वभाविकता से उन्होंने सारा बजट प्रस्तुत किया है, मैं उनका आभारी हूंगा यदि वो हमारे क्षेत्र में मखौडा स्थान का जीर्णोद्धार करा दें और वहां पर हवन कुण्ड को ठीक करवा दें। यदि आप यह कार्य करा देंगी तो यह बात इतिहास में लिखी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी सुझाव आप लिख कर भेज दें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

यह स्थान अयोध्या से जुड़ा हुआ है अतः वहां की सड़क का निर्माण कराया जाय, पुल का निर्माण कराया जाय। आज इतनी अच्छी डायरी माननीया मंत्री जी ने दिया, इतनी सुन्दर शायद किसी ने नहीं दिया था। इसके लिये मैं माननीया मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। दोनों मंत्री आपस में बात कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सोन–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है। आगरा पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है और यहां देश से और विदेश से और विभिन्न धर्मों के लोग आगरा आते हैं और ताजमहल तथा धार्मिक स्थलों को देखते हैं। इसीलिये बार-बार आगरा की तरफ माननीया मंत्री जी का ध्यान लोगों ने आकर्षित किया है। अभी आगरा में 4 और 5 फरवरी को मा0 मंत्री जी ने एक सेमिनार आयोजित किया था जिसमें बड़े-बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आये और निर्णय लिये गये आगरा के विकास के लिये और उच्च स्तर पर कदम उठाये गये कि आगरा के विकास के लिये और उच्च स्तर पर कदम उठाये गये कि आगरा का विकास किया जाय। इसके लिये मैं मा0 मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करूंगा और चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करते हुए आगरा पर्यटन विकास के कार्य किये जायं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा एक ऐतिहासिक नगर है। ताजमहल के पास जमीन खरीद कर पर्यटन केन्द्र बनाया जाय और यह कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाय ताकि आगरा की भव्यता में चार चांद लग सकें। यहां विदेश से पर्यटक लोग आते हैं आगरा में होटल के लोग उनके साथ कैसे लूट-घसोट करते हैं सारे वहां पर थ्री स्टार और फाइव स्टार्स होटल हैं, लेकिन छोटे-छोटे होटल कम हैं, इसलिए विभाग द्वारा छोटे-छोटे होटलों की अधिक से अधिक संख्या बढ़ाई जाए जिससे वहां के पर्यटकों को खाने-पीने और रहने की कम पैसों में भी व्यवस्था हो सके। आज मान्यवर, आरक्षण की क्या स्थिति इस विभाग में है, आज तक यहां आरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों का 2 परसेंट भी पूरा नहीं किया गया है, लेकिन कहा यही जाता है कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं जो हम पूरा कर सकें। जबकि स्थिति कुछ और है। इसी विभाग में पच्चीसों अधिकारी उच्च

जाति के मौजूद हैं और न मालूम कितने अनुसूचित जाति के पढ़े-लिखे योग्य अभ्यर्थी आज मारे-मारे घूम रहे हैं, इसलिए मान्यवर आपके माध्यम से मेरी जोरदार शब्दों में मांग है कि इस मामले की जांच कराई जाए कि कितने विभाग ऐसे हैं जहां कोटा पूरा नहीं है और इस ओर अब तक उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं और मा0 बदन सिंह जी द्वारा रखें गए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि आप इस काबिल नहीं थे कि आप इस प्रस्ताव को रखते एक महिला मंत्री के सामने एक महिला को ही रखना चाहिए था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने जिस भोले अंदाज से बजट को प्रस्तुत किया है, मैं तो समझा था कि यह ऐसे ही पास हो जायेगा, लेकिन यह देखकर निराशा हुयी कि सत्ता पक्ष के लोगों में भी इनकी आलोचना और इनके विरोध में बोलना शुरू कर दिया। इसलिए मैं भी ज्यादा न कुछ कहकर केवल 2-3 बातों पर ही कहूंगा एक तो यह पर्यटन विभाग आज केवल फर्जी आंकड़ों पर ही आधारित है, यह बात सही है कि यहां पर पर्यटक स्थलों की भरमार है, जिससे आकर्षित होकर लोग बहुत आना चाहते हैं, आते हैं लेकिन इन पर्यटकों को रजिस्टर्ड करने का आधार क्या है, इनके गिने जाने का आधार क्या है, अगर हरिद्वार स्टेशन एक गाड़ी रूकी और उसके यात्रियों को अगर आपने गिनना प्रारम्भ कर दिया तो यह उचित न होगा, उसमें न मालूम कितने लोग ऐसे भी होंगे जो एम0एस0टी0 बनवाए हुए होंगे और रोज वहां पर आते-जाते होंगे, इसी प्रकार से बस स्टेशनों और टैक्सी स्टेशनों की यदि संख्या दर्ज कर ली जाती है तो यह तो काल्पनिक संख्या हुयी, इसलिए पर्यटकों की निश्चित संख्या जानने का और सही आंकड़े दिए जाने की ओर ध्यान दिया जाए।

दूसरी बात मान्यवर, पिछले दो बजट भाषणों में से एक ही बात सुन रहा हूं कि इस क्षेत्र में हमारे प्रदेश में यह विकास हो रहे हैं, वैसे यह बात तो अपनी जगह सही है कि पर्यटन विभाग को हम उद्योग विभाग के रूप में घोषित करने जा रहे हैं और इस बार कर भी दिया गया, लेकिन इसके माध्यम से जनता को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जायं, इसका कोई भी मानक आज तक नहीं बनाया गया है? जिसका परिणाम दो वर्षों के अंदर ही आ जायेगा, इस नीति की भी घोषणा तो कर दी लेकिन आज तक इनका पालन भी नहीं हो सका है, साथ मान्यवर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आप लखनऊ से बाई रोड मोटर द्वारा सीतापुर होते हुए दिल्ली जांय तो कमलापुर पर एक पत्थर पर लिखा हुआ देखते होंगे जब मा0 विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उनके द्वारा किये गये शिलांयास का पत्थर लगा हुआ है इसके बाद भी वह यहां रहे और चले भी गये, लेकिन आज तक वह योजना जो "वे साइड एम्यूनिटी" की थी अब समाप्त कर दी गयी, जबकि इसके लिए मुझे बराबर आश्वासन मिलते रहे और मैं भी पत्र-व्यवहार बराबर करता रहा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ और अन्त में यह कह दिया गया कि इसका स्थान बदल जाने से वहां नहीं हो सका।

इसी प्रकार से एक दूसरी योजना हरगांव तीर्थ स्थान की योजना जो 82-83 में बनी थी और जिसका सन् 1987 तक काम समाप्त हो जाना था, लेकिन आज तक यह योजना

भी खटाई में पड़ी हुई है और अगर मान्यवर कहीं बरसात आ गयी तो जो कुछ थोड़ा बहुत बना है, वह भी सब ढह जायेगा इसलिए कृपा पूर्वक उसको दुरुस्त करें इसके साथ ही साथ इसी के साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर में श्याम नाथ मंदिर है, खैराबाद में मंदिर है, जहां पर राम ने निवास किया था, उनको विकसित किया जाये। मान्यवर, आगरा के सदस्य बोले और पर्यटन की बड़ी-बड़ी बातें की गयीं, लेकिन उससे निराशा हुई। पर्यटन विभाग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, उसकी स्थिति सोचनीय है, जब पानी गिरता है, तो उसमें बैठने की जगह नहीं रह जाती है। ऐसी निराशा अवस्था में वह है। इन शब्दों के साथ माननीय बदन सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री फजलुल बारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ी अहमियत होती है, वह ही सदन के आंख नाक कान हैं और उनके यह सभी अंग दुरुस्त होने चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की एक आंख कमजोर हो गयी है, उन्होंने एक शेर लिखकर भेजा है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरे में सर सरोवर झील है जो 7.3 किलोमीटर में फैली हुई है, उसका विकास किया जाना चाहिए और उससे पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। मान्यवर, बटेश्वर में 101 शिव मन्दिर हैं, उसको आकर्षक बनाया जाये। चंदवा आर्य एक ऐतिहासिक स्थल है, उसका विकास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ पर्यटन विभाग के निदेशक और पर्यटन निगम के जो प्रबन्ध निदेशक हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस कारण पर्यटन निगम ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। पूरा निगम अलग प्रबन्ध निदेशक को दिया जाना चाहिए। मान्यवर, टूरिस्ट विभाग में सैलानियों की जितनी संख्या है, उसके अनुरूप उनके पास बसें नहीं हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पर्यटन विभाग के पास जो बसें हैं, उनकी संख्या बढ़ायी जाये और इसके साथ ही साथ उनको नेशनल परमिट भी जारी किया जाये क्योंकि जो स्थान शहर से 20—30 किलोमीटर दूर होते हैं, वहां पर वह जा नहीं पाती हैं। एक और सुझाव है कि जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है, और जो चयन समिति बनायी जाती है, उसमें अल्प संख्यक अधिकारी को नहीं रखा जाता है। एक अल्प संख्यक अधिकारी को चयन समिति में रखा जाना अनिवार्य है और इसके लिए 25 दिसम्बर, 1986 का शासनादेश भी है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। उसमें नियम यह है कि अगर उस विभाग में वह अधिकारी नहीं है तो जिलाधिकारी से नाम मांग लेना चाहिए और जिले में भी नहीं है तो मंडलायुक्त से नाम मांगना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया जाता है। इस विभाग को आगरा में अच्छे 2 होटलों की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे जो पर्यटक आयें वह यहां पर रुकें और इस निगम की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। जो दिल्ली और अन्य जगहों से आने वाले यात्री हैं, वह यहां पर ठहर सकते हैं और उससे विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

इसके साथ ही साथ बिठूर में नाना साहब की जो स्थली रही है, उसका विकास किया जाना चाहिए। रसखान की जो समाधि है उसका जीर्णोद्धार किया जाना

चाहिए । कानपुर में गणेश शंकर शहीद स्थली है, उसका विकास किया जाना चाहिए, जिनको आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। आज इस विधान सभा के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी की उस बलिदान स्थली का विकास किया जाना चाहिए । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा में जो नेशनल ताज पार्क और वहां पर जो कान्फ्रेन्स हाल बन रहा है उसके बारे में जब माननीय मंत्री जी बोलें तो इन दोनों के बारे में अवश्य प्रकाश डालें कि वह कब तक बन जायेंगे । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया बैठ जांय । कल रामनवमी है . . .

श्री बदन सिंह–

मैं कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में सूर्य मंदिर पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, वहां पर कितने पर्यटक आ रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बदन सिंह जी अब आप बैठ जांय । मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री बदन सिंह–

इसके साथ ही बदायूं के पर्यटक हाउस में वहां के ही कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है । मथुरा और आगरा में हमारे यहां के लोगों की नियुक्ति भी की जाय ।

(श्री बदन सिंह के निरन्तर बोलते रहने पर बैठ जाने के लिए कहते रहे जिससे श्री बदन का भाषण स्पष्ट नहीं सुनाई दिया ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप मेरा और सारे सदन का निवेदन स्वीकार करें ।

(राज्य मंत्री श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । माननीया मंत्री जी अपने श्रीमुख से जवाब न दे सकें, कोई बात नहीं है लेकिन यह परिपाटी नहीं बनेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

किसी भी विभाग का कोई भी मंत्री इन्टरवीन कर सकता है । लेकिन यह परिपाटी नहीं बनेगी ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी जब अपना कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि माननीय सदस्य गृह विभाग के बजट पर बोल रहे हैं । उस बीच बहुत से सदस्य सदन में आ गये । क्योंकि माननीय सदस्य बदन सिंह पुलिस के बारे में बोलते रहते हैं । उनकी भाषा में चोट करने वाली बात ही दिखाई दी ।

वे बार-बार चोट का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि वे चोट देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग का बजट है, प्यार और मोहब्बत का विभाग है। इसमें चोट की क्या जरूरत है।

मान्यवर, उन्होंने यह जानना चाहा है कि कितने यात्री हमारे बीच में पर्यटक के रूप में आये हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि 3 करोड़ से भी अधिक इस देश के पर्यटक हमारे प्रदेश में आये हैं और 2 लाख 17 हजार विदेशी पर्यटक इस बीते वर्ष में हमारे बीच में आये हैं। यह संख्या पिछले वर्षों से नहीं है, यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। दूसरी बात उन्होंने आगरे के संजय प्लोट में बरक जमीन बारे में कही कि वह पर्यटन विभाग ने ले लिया था फिर उन्हें कैसे दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक इशारा किया कि उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि आगरे में संजय प्लोट में जमीन ली गई थी। वह आगरा विकास प्राधिकरण से पर्यटन विभाग के पास नहीं आयी, उसका स्वामित्व ही इस विभाग को नहीं आया तो हम कैसे दे सकते थे। मैं समझता था कि माननीय सदस्य को आगरे के बारे में ज्यादा जानकारी होगी लेकिन आगरे की कोई चीज उन पर हावी हो गई है जिससे वे ऐसा कह रहे हैं।

माननीय बदन सिंह जी ने पर्यटन निगम के बारे में कहा कि उस पर शासन हावी है। तो यह तो अच्छी बात है कि उस पर प्रशासन हावी है कोई और तो हावी नहीं है। मान्यवर, जब वे यहां बैठते थे तो इस निगम ने बहुत बड़ा घाटा दिया था। लगातार प्रयासों के बाद यह निगम गत वर्ष फायदे पर आ गया है और इस निगम ने 37 लाख से भी ज्यादा मुनाफा कमाया है और इस साल भी मुनाफा कमायेगा। अगर ऐसा नियंत्रण उस पर सरकार का है तो उसका स्वागत होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए।

श्री बदन सिंह–

इस वक्त कितने घाटे में है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय बदन सिंह जी को बताना चाहता हूं कि घाटे का जमाना 1977 से 80 तक रहा अब मुनाफे का समय आ गया है। मुझे एक बात से प्रसन्नता हुई कि हवाई जहाज के बारे में उनको अच्छी जानकारी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग पहले से आगरा बम्बई के बीच वायुमान सेवा चला रहा है और हमारा प्रयास है कि आगरा और लखनऊ के बीच में भी वायुयान सेवा हो। इस बात को हमने पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में और उड्डयन विभाग के माध्यम से हल करने का प्रयास किया है ताकि लखनऊ और आगरा के बीच सीधी वायुयान सेवा हो सके।

उन्होंने बोलते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में तो नहीं कहा हां अपने को आगरे के बारे में ज्यादा सीमित रखा। तो जो कन्वेंशन सेंटर आया है वह निःसंदेह उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे उत्तर भारत के लिये महत्वपूर्ण केन्द्र होगा। देशी और विदेशी पर्यटक यहां आ सकेंगे और पर्यटन को नयी दिशा मिल सकेगी। इसके लिये 25 एकड़ जमीन ले ली गयी है। मैं राणा साहब को बताना चाहता हूं उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में यह जमीन ली गयी है। वहां कुछ बाधा कुछ लोगों ने पैदा कर

दी थी । मैं जब आगरा गया था तो उनको साथ लेकर गया था और अनुरोध किया था कि जमीन दिला देंगे तो काम शुरू कर देंगे । कुछ लोगों की मांग थी कि पैसा कम मिल रहा है उस पर पुनर्विचार करके जमीन ले ली गयी है उसे शीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे उसके लिए भारत सरकार से भी संपर्क कर रहे हैं ।

सम्राट जी ने झील के बारे में कहा था कि वहां कौन सी चिड़िया आती है वह ज्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने देखा होगा लेकिन उसे भी प्रारम्भ किया गया है ।

फजलुलबारी साहब ने झांसी में होटल वारांगना का जिक्र किया । इस देश की आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी हो उनके नाम से होटल समर्पित करना अच्छा कदम है । उन्हें श्रद्धांजलि करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया उन्होंने कहा वहां तकरीर देते हुये मैंने विपक्ष की आलोचना की थी । तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं (व्यवधान) माननीय संसदीय मंत्री जी को उनकी दाढ़ी दूर से नजर नहीं आई छोटी है या बड़ी है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने गौर से अखबार पढ़ा नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी 7.20 पर इसे खतम करना है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो विचार रखें हैं उनका जवाब तो दे दूं । बारी साहब ने जो कहां उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां यह समारोह पूरी तरह से सरकारी समारोह था और वहां मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही । हां उसके बाद बाहर आकर पत्रकारों का सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें विपक्ष के बारे में जो उस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस पर मैंने अपने विचार रखे । जिसका मुझे पूरा अधिकार है ।

माननीय सदस्य भी अवसर मिलता है तो वह भी आपनी बात रखते हैं ।

माननीय लवानियां जी ने फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां आवासतह आ रहा है उसमें कई सय्याओं का निर्माण हो रहा है । भारत सरकार के टूरिस्ट ब्यूरो से भी हम बात कर रहे हैं ।

माननीय सदस्य सुखपाल पाण्डेय जी ने मखोड़ा के बारे में कहा मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि 5 लाख रुपया उसके लिये दिया गया है ।

माननीय वीरेन्द्र सोन जी ने आरक्षण के बारे में कहा तो उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा । माननीय राजेन्द्र गुप्ता जी ने दो जानकारी चाही । कहा कि आंकड़े किस आधार पर तैयार होते हैं । मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आधार यही होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनका वीसा या जो होटल में वह ठहरते हैं तथा धर्मशालाओं में रहते हैं उनको आधार लिया जाता है । या फिर सामान्य दिनों में जो यात्री आते हैं उनके अलावा यात्री आते हैं वह भी आधार होता है जो पर्यटक के रूप में होते हैं । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि हम उद्योग की बात करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं कहते कुछ नहीं । तो मैं बताना चाहता हूं कि

हमारा जो इरादा है अगर वह पूरा हो गया और उसमें सफलता हासिल कर ली है और उसे अमली जामा पहनाने के लिए निःसंदेह उन्हें वही सुविधायें दी जायेंगी जो लघु उद्यमियों को मिलती हैं । उनको होटल या पर्यटन आवास से जुड़ी हुई वही सुविधायें, वही छूट मिलेंगी जो लघु उद्यमियों को मिलती हैं ।

इन शब्दों के साथ जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और विचार करके जो भी संभव हो सकेगा उसको करने का प्रयास किया जायेगा और ध्यान रखा जायेगा कि जो पर्यटन भारत वर्ष में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है उत्तर प्रदेश में संपूर्ण पर्यटन का दोहन करके इस प्रदेश में ज्यादा आर्थिक संसाधन जुटाने में हमारा विभाग सहयोग देगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य श्री बदन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री बाबू राम यादव–

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो पर्यटन आवास यह बनाये गये हैं-मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय अंचल में तो दूने का भेद क्यों है ? क्या एक रुपया लाने का मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

दूसरी बात आगरे में उद्यान विकसित किया जा रहा है, तो जो जमीन ली गयी है बगीचा लगाने के लिए तो बगीचा लगाने से पहले जमीन का मुआवजा का भुगतान हो जांय, इसका आश्वासन दे दें ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इन पर्यटन आवास गृहों का निर्माण जिलों और जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार इनका निर्माण होता है । पहाड़ों में होटल कम हैं, इसलिये वरीयता वहां पहले दी गयी है और मैदानों की तरफ अब आ रहे हैं, जैसा उप मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि निर्माण कार्य यहां चलाये गये हैं ।

आगरा में जो जमीन अधिगृहीत की गयी है उसका नियमानुसार मुआवजा अवश्य दिया जायेगा ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, ऊर्जा और पर्यटन दो विभाग इन मंत्री जी के पास हैं, इसलिये यह पर्यटन विभाग को नहीं देख पाते हैं । उप मंत्री इन पर हावी हैं, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया लेकिन वह उत्तर न दे सकीं । इसलिए विभाग में सामन्जस्य नहीं है और पैसे का सदुपयोग नहीं होगा, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और वापस नहीं लेता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह पीड़ा रही है कि उप मंत्री जी इसका जवाब नहीं दे सकीं। मेरा अनुरोध है कि श्री बदन सिंह जी की शंका का समाधान हो जाये इसलिए वह इनके कक्ष में चले जांय और अपनी बातें वहां रख दें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 1,05,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अंतर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अंतर्गत आज दिनांक 25-3-88 को कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुई जो श्री सरदार सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री चन्द्र भान मौर्य, श्री देवतादीन और श्री सिकन्दर अली खां की हैं ।

इनमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना, जो शासकीय प्रतिष्ठान मेसर्स जयवन्ती साल्वेंट एण्ड केमिकल्स लि0 रायबरेली के कर्मचारियों को अक्टूबर, 1987 से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

विश्व विख्यात मान मन्दिर के वेधशाला, वाराणसी में पी0 ए0 सी0 के जवानों द्वारा किये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में वक्तव्य

(श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के वक्तव्य को पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार "दिनांक 20-7-87 को 34 वीं वाहिनी, पी0 ए0 सी0, भुल्लनपुर वाराणसी की बाढ़ राहत कम्पनी की दो प्लाटून पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी, परिक्षेत्र, वाराणसी को गंगा प्रदूषण अभियान" के अंतर्गत शान्ति-व्यवस्था कर्तव्य हेतु सुपुर्द किया गया था । इन दोनों प्लाटूनों को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के पर्यवेक्षण में उक्त कार्य हेतु नियुक्त किया गया था, अतः ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के आदेश से पी0 ए0 सी0 के इन दोनों प्लाटूनों को मान मंदिर वेधशाला, वाराणसी के भवन में ठहराया गया था । मान मंदिर वेधशाला पुरातत्व विभाग (आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया) का भवन है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 13-3-88 को उपर्युक्त पी0 ए0 सी0 प्लाटून को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के आदेशानुसार मान मन्दिर वेधशाला से हटा लिया गया है । वेधशाला के कर्मचारियों को प्रताड़ित करने की तथा जनता अथवा पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, अतः पर्यटकों अथवा जनता में किसी प्रकार का भय अथवा रोष उत्पन्न होने की सम्भावना ही नहीं रह जाती है ।]

(श्री यदुनाथ सिंह को पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर प्रश्न नहीं पूछे गये ।)

मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 11 स्थगित है, इसको आगे लिया जायेगा ।

अब हम उठते हैं और सोमवार (दिनांक 28-3-1988) को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद 7 बजकर 25 मिनट पर सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 1988 के अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
25 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर।)

संलग्नक

सूखा राहत कार्यों के लिए मुरादाबाद जनपद को स्वीकृत तथा अवमुक्त धनराशियों का विवरण--

विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)	जनवरी, 88 तक अवमक्त की गयी धन-राशि (लाख रु0 में)
1	2	3
1---जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ..	50.00 (नकद) 19.20 (खाद्यान्न)	48.36 (नकद) 19.01 (खाद्यान्न)
2--सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	45.60	45.60
3--कृषि विभाग ..	42.83	33.40
4---जल निगम--		
न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम ..	30.00	27.00
त्वरित कार्यक्रम ..	35.00	33.00
ग्रामीण हरिजन बस्ती पेयजल ..	19.50	16.00
योग ..	242.13	222.37

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर।)

परिशिष्ट (क)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत यूनियनों की सूची

क्रमांक	यूनियन का नाम	पंजीयन सं0	दिनांक	सदस्य सं0	सम्बद्ध महासंघ का नाम
1	2	3	4	5	6
1	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्क्स यूनियन, कानपुर।	44	27-2-39	113	..
2	कानपुर बिजली मजदूर सभा, कानपुर।	895	9-12-50	3770	एच0एम0एस0
3	उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, कानपुर।	3119	4-8-87	38017	बी0एम0एस0
4	बिजली एम्प्लाईज यूनियन उ0प्र0, कानपुर।	3685	16-9-71	300	..
5	बिजली मजदूर यूनियन, उ0प्र0, कानपुर।	4040	28-12-73	20260	एच0एम0एस0
6	उ0प्र0 राष्ट्रीय विद्युत श्रमिक संघ, कानपुर।	4382	19-3-76	3211	आई0एन0टी0 यू0सी0
7	उ0प्र0 राज्य विद्युत डिप्लोमा कर्मचारी संघ, कानपुर।	4510	18-11-77	40	..
8	विद्युत मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन, पनकी ताप एवं तापीय योजना, कानपुर	4514	..	86	..
9	विद्युत प्राविधिक कला कर्मचारी संघ, उ0 प्र0, कानपुर।	4537	30-1-78	340	बी0एम0एस0
10	केसा कर्मचारी संघ,कानपुर	5028	11-7-80	40	..
11	उ0 प्र0 विद्युत कामगार परिषद, कानपुर।	6925	7-3-87	95	..
12	विद्युत श्रमिक संघ, फैजाबाद।	931	19-10-55	72	एच0एम0एस0
13	विद्युत कर्मचारी संघ, गोण्डा बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा।	4022	8-11-73	38	बी0एम0एस0
14	विद्युत कार्यालय कर्मचारी संगठन ओबरा, मिर्जापुर।	6615	22-2-85	62	..

1	2	3	4	5	6
15	रिहन्द जल विद्युत कर्मचारी संघ पिपरी, मिर्जापुर।	3217	4-4-68	310	बी0एम0एस0
16	विद्युत श्रमिक संघ, ओबरा	3659	17-7-71	660	बी0एम0एस0
17	विद्युत मजदूर संघ, रेनूसागर, मिर्जापुर।	3913	16-2-73	325	बी0एम0 एस0
18	बिजली मजदूर संघ, इलाहाबाद।	571	5-10-48	425	आई0एन0टी0 यू0सी0।
19	राज्य विद्युत परिषद मजदूर कर्मचारी संघ, फतेहपुर	6577	16-11-84	65	..
20	वाराणसी बिजली घर मजदूर संघ, वाराणसी।	4209	26-11-74	105	आई0एन0टी0 यू0सी0।
21	बिजली कर्मचारी संघ, आगरा।	491	19-4-48	1497	टी0यू0सी0सी0
22	आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्क्स यूनियन, आगरा।	4507	17-1177	170	आई0एन0टी0 यू0सी0।
23	कर्मचारी संघ अलीगढ़ विद्युत वितरण संस्थान, अलीगढ़।	3206	2-3-68	219	बी0एम0एस0
24	इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन, मथुरा।	365	17-7-47	90	बी0एम0एस0
25	नरोरा परमाणु विद्युत परिषद कर्मचारी यूनियन नरोरा, बुलन्दशहर।	6663	22-4-85	..	..
26	उत्तरखण्ड विद्युत कर्मचारी संगठन, नैनीताल।	6552	11-9-82	..	..
27	इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन, बरेली।	363	15-7-47	70	..
28	हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाईज यूनियन, मुरादाबाद।	170	24-5-46	44000	आई0एन0टी0 यू0सी0।
29	हाईडिल आपरेटर्स एसोसिएशन, उ0प्र0, मुरादाबाद	6050	28-2-81	204	..
30	बिजली घर मजदूर यूनियन, पीलीभीत।	536	17-7-48	43	..
31	लायन कर्मचारी संगठन विद्युत विभाग, पीलीभीत।	6516	22-6-84	68	..
32	इलेक्ट्रिक कर्मचारी यूनियन, बदायूं।	4222	13-12-74	19	बी0एम0एस0
33	राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, उ0प्र0, लखनऊ।	4588	5-5-78	12210	..

1	2	3	4	5	6
34	विद्युत परिषद मुख्यालय, कर्मचारी संघ, लखनऊ।	5057	20-9-80	184	..
35	विद्युत परियोजना थर्मल पावर कर्मचारी संघ, ऊंचाहार, रायबरेली।	6958	15-4-87	77	..
36	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, लखनऊ।	6188	4-2-82	550	..
37	विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ मुख्य अभियन्ता स्तरीय समस्त शीर्षस्थ कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।	6971	18-5-87	167	..
38	विद्युत मजदूर संघटन, उ0प्र0।	236	7-9-46	6750	आई0एन0टी0यू0सी0।
39	राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ, लखनऊ।	4291	10-6-76	914	..
40	विद्युत कर्मचारी लेखा संघ, लखनऊ।	6918	27-2-87	63	.
41	विद्युत कर्मचारी संघ मसूरी नगरपालिक, देहरादून।	3827	24-7-72	247	बी0एम0एस0
42	यू0 पी0 हाइडिल स्टोरकीपर्स एसोसिएशन, मेरठ	3842	23-8-72	133	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0—37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर।)

1—यू0पी0 बिजली कमचारी संघ।
2—हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन (पाण्डे ग्रुप)।
3—हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन (मिश्रा ग्रुप)।
4—विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन।
5—यू0पी0 एस0ई0बी0 पी0ए0/पी0एस0 एसोसिएशन।
6—पी0ए0 (मिनिस्टीरियल)।
7—विद्युत प्राविधिक कला कर्मचारी संघ।
8—यू0पी0 राज्य विद्युत डिप्लोमा कला कर्मचारी संघ।
9—विद्युत मजदूर संगठन।
10—राज्य विद्युत परिषद् मुख्यालय कर्मचारी संघ।
11—राज्य विद्युत परिषद् कर्मचारी संघ।
12—यू0पी0 आर0बी0पी0 सचिवालय अधिकारी संघ।
13—एच0 ई0 बी0 पर्सोनल सर्विस एसोसिएशन।
14—यू0पी0 आर0वी0पी0 लेखा संघ।
15—विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन लेखा शाखा (परिवर्तित यू0पी0 आर0वी0पी0 कर्मचारी लेखा संघ।
16—रसायन कर्मचारी संघ।
17—केमिस्ट एसोसिएशन।
18—चिकित्सक संघ (डाक्टर एसोसिएशन)।
19—यू0पी0 हाइडिल मिनिस्टीरियल एसोसिएशन।
20—कानपुर बिजली मजदूर सभा।
21—बिजली मजदूर यूनियन, यू0पी0
22—यू0पी0 राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ।
23—यू0पी0 विद्युत मजदूर संघ।
24—यू0पी0 इरीगेशन एण्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टोनोग्राफर एसोसिएशन (हाइडिल विंग)।
25—यू0पी0 विद्युत स्टोर कर्मचारी संघ।
26—यू0पी0 आर0वी0पी0 अभियन्ता संघ।
27—आर0वी0पी जूनियर इंजीनियर्स संगठन।
28—आर0वी0पी प्राविधिक (आई0टी0आई0) कर्मचारी संघ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0–45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर।)

क्रम-सं0	संस्था का नाम	प्रयोजन जिस हेतु धनराशि दी गयी	गत तीन वर्षों में दी गयी धनराशि		
			1984–85	1985–86	1986–87
1	महादेव अग्रवाल प्राइ0 पाठशाला, कालपी	वेतन कर्मचारियों ..	37,063.00	94,285,54	34,572.00
		योग ..	37,063.00	94,285.54	34,572.00
2	ठक्कर बबा हरिजन छात्रावास, कालपी	1—वेतन कर्म0 ..	3,300.00	3,300.00	3,300.00
		2—रोशनी ..	200.00	600.00	600.00
		3—समाचार-पत्र ..	600.00	500.00	600.00
		4—आकस्मिक व्यय ..	150.00	300.00	300.00
		योग ..	4,250.00	4,700.00	4,800.00
3	डा0 अम्बेडकर छात्रावास तोपखाना, जालौन	1—वेतन कर्म0 ..	3,400.00	3,300.00	3,300.00
		2—भवन किराया ..	1,300.00	2,000.00	1,500.00
		3—समाचार-पत्र ..	200.00	400.00	500.00
		4—आकस्मिक व्यय ..	600.00	1,100.00	1,800.00
		योग ..	5,500.00	6,800.00	7,100.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		4	5	6
	4—डा0 अम्बेडकर छात्रावास भगत सिंह नगर, कोंच।	1—वेतन कर्म0	..	3,300.00	3,300.00	3,300.00
		2—भवन किराया	..	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		3—रोशनी	..	280.00	280.00	300.00
		4—समाचार-पत्र	..	360.00	360.00	400.00
		5—आकस्मिक व्यय	..	180.00	180.00	300.00
		योग	..	5,920.00	5,920.00	6,100.00
5	राजकीय छात्रावास रामनगर, उरई	1—वेतन कर्म0	..	1,800.08	1,800.00	3,00.000
		2—भवन किराया	..	5,112.91	4,800.00	4,800.00
		3—रोशनी	..	1,024.40	500.00	1,340.00
		4—समाचार-पत्र	..	360.00	200.00	221.00
		5—आकस्मिक व्यय	..	2,962.69	..	..
		योग	..	11,260.00	7,300.00	9,361.00
6	विद्यार्थी सम्प्रदाय वाचनालय हिन्दी भवन, कालपी।	1—वेतन कर्म0	..	900.00	1,500.00	1,500.00
		2—भवन किराया	..	1,700.00	250.00	250.00
		3—समाचार-पत्र	..	900.00	750.00	750.00
		4—आकस्मिक व्यय	..	500.00	300.00	300.00
		योग	..	4,000.00	2,800.00	2,800.00
	झांसी—					
1	हिन्दू कन्या प्राइमरी पाठशाला तालेपुरा, झांसी।	1—वेतन अध्यापक	..	5,587.30	8,499.30	4,298.00
		2—सामान हेतु	..	3,597.00	..	..
		योग	..	9,184.30	8,499.30	4,298.00

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0सं0–97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर।)

संलग्नक

जनपद के 18 विकास खण्डों को वर्ष 1987–88 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित धनराशि एवं खाद्यान्न

	नकद	खाद्यान्न
1—विकास खण्ड, सोहवल ..	2,90,050.00	98,750.00
2—विकास खण्ड, पूरा बाजार ..	2,90,050.00	98,750.00
3—विकास खण्ड, माया बाजार ..	2,90,050.00	98,750.00
4—विकास खण्ड, बीकापुर ..	2,90,050.00	1,17,250.00
5—विकास खण्ड, मिल्कीपुर ..	2,90,050.00	98,750.00
6—विकास खण्ड, अमानीगंज ..	2,90,050.00	80,250.00
7—विकास खण्ड, हरिश्टनगंज ..	2,90,050.00	80,250.00
8—विकास खण्ड, तारुन ..	2,90,050.00	98,750.00
9—विकास खण्ड, अकबरपुर ..	3,04,050.00	98,750.00
10—विकास खण्ड, भीटी ..	3,04,050.00	98,750.00
11—विकास खण्ड, कटेहरी ..	3,04,050.00	98,750.00
12—विकास खण्ड, जलालपुर ..	3,04,050.00	98,750.00
13—विकास खण्ड, मियांव ..	3,04,050.00	1,19,100.00
14—विकास खण्ड, टाण्डा ..	2,90,050.00	98,750.00
15—विकास खण्ड, बसखारी ..	2,89,850.00	98,750.00
6—विकास खण्ड, जहांगीरगंज ..	2,90,050.00	98,750.00
7—विकास खण्ड, रामनगर ..	2,90,050.00	98,750.00
18—विकास खण्ड, मसौधा ..	2,90,050.00	98,750.00
मात्रा कुल		
1—अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड प्रथम	2,20,200.00	..
2—अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड	4,89,000.00	..
3—अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अ0 सेवा ..	..	1,19,658.00
4—अधिशासी अभियन्ता पी0डब्लू0डी0 ..	..	2,44,200.00
योग ..	60,00,000.00	21,43,208.00

नोट—सूखा राहत कार्य हेतु 19.795 लाख रुपए के प्राप्त खाद्यान्न के विपरीत मु0 21,43,208.00 का खाद्यान्न उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को उनकी मांग के आधार पर अवमुक्त कर दिया गया है। आवंटन से अधिक का खाद्यान्न एन0आर0ई0पी0 योजना से दिया गया है।

नत्थी 'च'

(देखिए अता०अ०सं०-102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 08 पर।)

परिशिष्ट 'क'

क्रम-सं०	संस्थान का नाम	वर्ष	आरक्षित वर्ग के प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण					
			पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विकलांग	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	सैनिक के आश्रित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			प्रतिशत	प्रतिशत		प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बलिया।	85-86	24	14	..	2	2	7
2	उक्त	86-87	32	17	..	2	0.4	6
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रसड़ा।	85-86	27	25	..	2	..	6
4	उक्त	86-87	23	20	..	2	3	3

टिप्पणी--अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं हो सका।

बी०एस०यू०पी०--एल० 106 वि०सभा (164)--1988--813।